(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का चौतीसवां दिवस [संख्या : 22

शनिवार,

28 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अमीन खां और श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर एवं जैसलमेर सीमावर्ती जिलों में भूकम्प से क्षतिग्रस्त निजी एवं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत अविलम्ब करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नसीराबाद के नागरिक क्षेत्र को पेयजल की सप्लाई दिनांक 1-3-92 से बन्द करने के आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर की कंवरसेन लिफ्ट नहर के तीन रीचों पर सीधे मोगों को कन्ट्रोल करने के लिए नहर के समान्तर माइनर्स बनाने का कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति गंगापुर सिटी की ग्राम पंचायत बगलाई के सरपंच के खिलाफ थाना वजीरपुर में दर्ज रिपोर्ट पर समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री परसादीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम नापाकाबास में गांव की मुख्य आबादी के रास्ते खसरा नम्बर-40 पर अतिक्रमण कर रास्ते को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से फलौदी तहसील

(श्री अध्यक्ष)

के अधिकांश क्षेत्रों में ओरी व अन्य संक्रामक बीमारियों से 16 व्यक्तियों की अकाल मौतें होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, गंगानगर को चुनावढ़ से गजसिंहपुर में स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि श्रीगंगानगर में पटवार प्रशिक्षण विद्यालय भवन हेतु उपलब्ध नहीं होने से कलक्टर, श्रीगंगानगर ने गंगानगर से 18 किलोमीटर दूर चुनावढ़ में उक्त निर्माण कार्य कराये जाने के प्रस्ताव भिजवाये थे परन्तु गजसिंहपुर जो रेल्वे, कालेज, रेस्ट हाउसेज आदि की सुविधाओं से परिपूर्ण था तथा गजसिंहपुर उप तहसील मुख्यालय में ही 5 बीघा जमीन इस विद्यालय हेतु उपलब्ध थी, अतः प्रस्तावित निर्माण कार्य चुनावढ़ के स्थान पर गजसिंहपुर में कराया जाना अधिक उपयुक्त समझा गया और राज्य सरकार ने तदनुसार इस कार्य की स्वीकृति दिनांक 6-1-92 को जारी कर दी। विभाग ने पटवार प्रशिक्षण विद्यालय चुनावढ़ में निर्माण करने की कभी भी कोई स्वीकृति जारी नहीं की है अपितु जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने ही बिना प्रशासनिक अनुमोदन के अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को पटवार प्रशिक्षण विद्यालय भवन का निर्माण कार्य चुनावढ़ में करने के निर्देश जारी किये हैं। उपरोक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(2) श्री परसादीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील में अकाल राहत कार्य तुरन्त शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण वर्मा व दो अन्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर, जयपुर स्थित प्रतापनगर के निवासियों को राशन कार्ड जारी नहीं करने से उनमें व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। क्रम संख्या 2 में अंकित स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तावक माननीय सदस्य राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार के समय बोल सकेंगे तथा क्रम संख्या 3 पर अंकित प्रस्ताव पर प्रस्तावक सदस्य राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा के समय बोल सकेंगे।

(4) श्री मोहन लाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर में वर्ष 1990–91 में कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामप्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की वैर

(श्री अध्यक्ष)

तहसील में सीतावांध तथा नहरों का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण नहीं करने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री दिलसुखराय चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के किसानों से नाजायज बिजली बिलों की वसूली के सम्बन्ध में।

(2) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम मावणी में खोड़ा की ढाणी की एक महिला की कथित हत्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले के शिवगंज नगर एवं सिरोही शहर में ईंधन एवं रसोई गैस की वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(4) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिलाड़ा तहसील स्थित बोरीनाड़ा बांध के ओवर फ्लो को एक फीट नीचा कर गेट बनाकर इस क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शम्भूदयाल बड़गूजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले के शारीरिक शिक्षकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति नहीं देने से उनमें व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(6) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल की मालवीय नगर योजना में स्वः वित्त योजना में आवंटित मकानों के घटिया किस्म के होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में श्रम विभाग की निष्क्रियता से गरीब परिवार के छोटे-छोटे बाल श्रमिकों का शोषण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति नहीं करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री किशनगोपाल कोगटा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा नवनिर्मित फल व सब्जी मण्डी में जाने हेतु सड़क का कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर विकास

(श्री अध्यक्ष)

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पृथ्वीराज नगर योजना को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली में हरसुख विलास की भूमि खसरा नम्बर 5601 क्षेत्रफल 4 बिस्वा एक राजनीतिक पार्टी को कार्यालय भवन हेतु उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले की गुढ़ामालानी तहसील के गांव आडेल का 33 के. वी. विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने में हो रहे अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में।

(13) श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जवाहरपुरी गृह निर्माण समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को की गयी शिकायत की जांच किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती सुचित्रा आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील नोहर के गोगामेडी मेले में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से खैरवाड़ा के कटेव गांव में कटेव से कल्याणपुरा तक 4 किलोमीटर की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह व देवली के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं, पाम आयल, चीनी एवं केरोसीन समुचित मात्रा में उपलब्ध न करवाये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(17) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आर. ए. एस. एवं आर. टी. एस. की 29 मार्च, 1992 को प्रस्तावित प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक गणना की प्रणाली को रद्द करवाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नैनवां के ग्राम मोतीपुरा की एक आदिवासी महिला का परिवार नियोजन आपरेशन असफल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में मन्दिर माफी की भूमियों पर कृषि सिंचाई के लिए बने हुए कुओं में विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने से उदयपुरवाटी तहसील की हजारों बीघा भूमि की काश्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में श्रमिकों को सरप्लस किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी :

श्री अमीन खां

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ इंफार्मेशन....

श्री अध्यक्ष : पहले इनका नोटिस आया हुआ है।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ इंफार्मेशन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : मैं पूछ लूंगा। आपका नोटिस आया हुआ है।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : पहले ये बोल लें। इनका नोटिस आया हुआ है।

श्री टीकमचन्द कांत : एक मिनट में, एक क्षण में बात पूरी हो जाती है, श्रीमान्।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट में बात पूरी हो जायेगी, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये फिर। एक-एक बोलेंगे। दो एक साथ खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पिछले दो दिनों से लगातार आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप हमेशा हमारी, पूरे सदन की चिन्ता करते हैं। सदन को, माननीय सदस्यों को भी आपकी चिन्ता है। आप पूरे सदन को आर्डर में लेते हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पहले आप प्रापर आर्डर में हो जाएं और विश्राम करें।

श्री अध्यक्ष : मैं तो आर्डर में ही हूं। आप मिस आर्डर में मत करिये। आर्डर में ही हूं।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, आबू पर्वत की झाड़ियों में पिछले कई सालों से लगातार आग लगी रहती है। इस बार भी भयंकर स्थिति बनी हुई है। आबू से लगती हुई और आबू पर्वत स्वयं की अनेक पहाड़ियों की अनेक जगहों पर भरपूर आग लगी हुई है और आग लगने के कारण अनेक पेड़ नष्ट हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम पर्यावरण की बात करते हैं एक तरफ हम अरावली को हरित करने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ इस प्रकार की आग लगने के पीछे, मुझे लगता है, कोयला बनाने वालों की माफिया कार्य कर रही है। यदि वन विभाग के अधिकारी इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी सारी की सारी यह योजना जो अरावली को हरा बनाने की है, फैल हो जायगी। आबू पर्वत की तरफ, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि विशेष ध्यान देकर त्वरित कार्यवाही की जाये। इस आग को बुझाया जाय, इसको काबू में लिया जाए और भविष्य में आग नहीं लगे, इस प्रकार की कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां। पहले अमीन खां। इनका नोटिस आया हुआ है।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन डी. एफ. ओ.

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बैठे हैं सिरोही जिले में और पिछले तीन महीने से इतनी भीषण आग लगी हुई है। वन मंत्री ध्यान नहीं देते। यह आबू के जंगलों का निरन्तर नाश हो रहा है, इसको कौन रोकेगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले के अनुसूचित जाति के लोग सिलाई मशीन, कसीदा, कपड़े की मजदूरी करने के लिये यहां जयपुर में रहते हैं। सदर थाना, रेल्वे के पास पुलिस वालों ने चार मजदूरों को बुलाकर एक रात और एक दिन मार-पीट की। उनमें से एक आदमी कल बेहोश हो गया तब पुलिस वालों ने माफी मांगी कि भाई, हमने गलती से बुलाया, आप चले जाओ। फिर उन मजदूरों ने जगदीश नाम के एक गरीब मजदूर को सवाई मानसिंह हास्पिटल में भर्ती कराया। वहां उसको बैड भी नहीं मिला, नीचे सोया हुआ है। सुबह वे मजदूर मेरे पास आये। उनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। आदमी के कम से कम सौ चोटें शरीर पर लगी हुई हैं। इस तरह अनुसूचित जाति के मजदूरों को लोग बेपनाह पीट करके छोड़ देते हैं। पुलिस में वे गये तो वह उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप पुलिस विभाग को आदेश दें। उनकी चोरी या नकबजनी या और किसी हरकत में एक पैसा गलती पायी गयी तो उसके सौ पैसा मैं खुद उनके दण्ड का भरने को तैयार हूं। अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति बेहोश हो गया, हास्पिटल में आदमी मर जायेगा, उसके इलाज के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के अन्तर्गत तारीख 12-3-92 को दिया हुआ था। इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये मैंने यह मांग की थी कि जिला नागौर में कक्षा छह से आठ तक के अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रति छात्र 15 रुपये और छात्रा को 20 रुपये देने का जो प्रावधान है, जिला शिक्षाधिकारी ने पूरी रकम उठा करके छात्रों को आज तक भुगतान नहीं किया है। यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। छात्रों को दो साल होने जा रहे हैं, इस साल की छात्रवृत्ति तो अलग दी जा रही है लेकिन एक साल पहले की छात्रवृत्ति आज तक नहीं मिलना शर्मनाक बात है। आपका नियम है कि हर माह छात्रों को छात्रवृत्ति, स्कालरशिप का भुगतान होना चाहिये। लेकिन नहीं हो रहा है और रकम भी उठा ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां तक निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर भुगतान नहीं करना, कई स्कूलों और मिडल स्कूलों में तो हैडमास्टर झूठे दस्तखत करके छात्रों की छात्रवृत्ति खा जाते हैं। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं आसन के जरिये कि हर माह समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो छात्रवृत्ति दी जा रही है और शिक्षा विभाग के जरिये इनको वितरण की जाती है, शिक्षा मंत्रीजी बिराजे हैं, इस मामले में

(श्री मोहनलाल चौहान)

आप गंभीरता लीजिये। हर माह या तीन महीने से दे दीजिये। साल समाप्त होने के बाद में मार्च महीने में उठाते हैं। मार्च महीने में उठाने के बाद अप्रेल में नहीं मिलती है, मई में नहीं मिलती है। वापस जुलाई में स्कूल खुलता है तब इन बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं तो देते हैं नहीं तो लोग उठा कर खा जाते हैं। तो यह एक गम्भीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में आसन के जरिये यह मांग करता हूं कि इन छात्रों की छात्रवृत्ति जो उठायी हुई है और एक साल पहले की है उसका तुरन्त भुगतान करवाया जाये। भविष्य में यह स्कॉलरशिप की राशि छात्रों को समय पर मिलनी चाहिये, ऐसी मैं आसन की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी व्यवस्था चाहिये। बहुत ही गम्भीर मामला है। अनुसूचित जाति के छात्र हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : पूरी जानकारी लेकर सोमवार तक बता दूंगा। जो नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली है। सारी नहीं मिली है, वह दिला देंगे।

एक माननीय सदस्य : दिला तो देंगे लेकिन, साहब, स्थायी व्यवस्था करें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : स्थाई व्यवस्था कर कर देंगे।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, पूरे एरिया में ऐसी समस्या है। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, जो समस्या रखी है....(व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो बात कही है, प्रदेश में, जहां-जहां भी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, सभी स्कूलों में वही हो रहा है। या तो वे स्कालरशिप देंगे ही नहीं, जो देंगे तो 20 प्रतिशत कोई ऐसी कमेटी बनाकर शाला के विकास के नाम पर काट लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम उनको गरीब समझ कर स्कॉलरशिप देते हैं और फिर शाला के विकास के लिये या और कामों के लिये उसका स्कालरशिप काट लेते हैं तो फिर हम उनके साथ कहां न्याय करते हैं? इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि स्कालरशिप देने की जो व्यवस्था है उसमें कोई सुधार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद। ये बोल लें फिर। पहले रामप्रसादजी बोल लें।

श्री रामप्रसाद (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ शार्ट, में ही दो-तीन मिनट में मेरी बात कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे वैर विधान सभा क्षेत्र में एक सीता बंध है उसमें दो करोड़ के करीब राशि स्वीकृत की गयी। 1980-81 से आज तक, लेकिन सीता बांध नहीं बना। सीता बांध के लिये अभी भी 6 लाख के करीब रुपया मंजूर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के किसानों की जमीन चली गयी, उनको मुआवजा भी नहीं मिला और बांध भी नहीं बना। वहां जो सीता गांव है उसमें पानी की बड़ी समस्या थी, पीने को पानी नहीं

(श्री रामप्रसाद)

था। मंत्री महोदय से मिला और गांव में गया। जो हमारे वाटर वर्क्स के मंत्री हैं इनकी कृपा से पानी क्षेत्र में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय हैं नहीं, मैं सुनाऊं किसको इस कहानी को? 1980-81 से इस पर कार्य चल रहा है। फर्जी मस्टररोल भरे जाते हैं, बांध पूरा नहीं होता। यह बांध कब तक पूरा होगा? किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला। हमारा पैसा भी स्वीकृत हो गया। राशि भी उसमें लग जाती है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, यह बांध पूरा क्यों नहीं होता? अफसरों की लापरवाही से फर्जी मस्टर रोल भर लेते हैं और उसको पूरा कर देते हैं, दिखा देते हैं कि बांध का काम शुरू हो गया। मैं जब से एम. एल. ए. बना हूं वैर क्षेत्र से, मैं कई दफा सीता बांध पर गया हूं, आज तक दो पैसे नहीं लगे हैं उसमें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, कभी भरतपुर की तरफ आपका जाना हो तो आप देख लें खुद जाकर। उसमें दो पैसा नहीं लगा है। मंत्री महोदय हैं नहीं, उनको सुनाने के लिये मैंने कहा था।

दूसरा यह था, मेरे क्षेत्र में वैर कस्बा है उसमें राजा महाराजाओं के टाइम की नहर है उसको खाली कराने के लिये मैंने निवेदन किया था। उसका भी जवाब नहीं दिया है। उसको खाली कराया जाये। अध्यक्ष महोदय, एक शहीद रमेश स्वामी हुए थे हमारे वैर क्षेत्र में। उनकी एक नहर है उसको खाली कराकर उसमें पानी चालू कराया जाये। एक नेवारी गांव है, वहां बाणगंगा नदी पर एक पुल है। उसमें भी पैसा कई दफा लगा दिया पर वह टूटा पड़ा है। कई दुर्घटनाएं हो गयीं, उन दुर्घटनाओं में कई आदमी मर चुके पर वह पुल भी पूरा नहीं हुआ है। उसमें भी राशि स्वीकृत हो चुकी है लेकिन कुछ लिखा ही नहीं है। उसकी राशि मंजूर करवा कर उस पुल को बनवाया जाये। थोड़ी-सी बात कह करके कि मेरे क्षेत्र में जितने भी बांध हैं या छोटे-मोटे तालाब हैं, एक, अध्यक्ष महोदय, मेरे उमरेन में....

श्री अध्यक्ष : आपको जाना है न जल्दी? आपको जल्दी जाना है।

श्री रामप्रसाद : एक मिनट में ही अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड में। मेरे क्षेत्र में उमरेन गांव है, उस उमरेन गांव में पहाड़ों से होकर पानी आता है। उसका एक बांध बनवा दिया जाये तो किसानों को बहुत लाभ मिल जाये। सिंचाई मंत्री हैं नहीं, उनको सुनाने के लिये मैं कह रहा था। अब साहब, किससे कहूं मैं?

श्री अध्यक्ष : सरकार मौजूद है, आपकी बात वहां तक पहुंचेगी।

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आप सुनकर मेरी बात को, इन कामों को पूरा करवाया जाये। मैं इतनी ही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के सम्बन्ध में दो मोशन आपके विचाराधीन हैं, मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है, पिछले पन्द्रह दिन से।

(डा. चन्द्रभान)

पहले एडजोर्नमेंट मोशन हमने लगाया, उस मोशन के बाद एक प्रेस कान्फ्रेंस करके विश्वविद्यालय से सम्बन्धित एक डीन ने हम लोगों के खिलाफ प्रेस में वक्तव्य दिया। उसके बाद में हम लोगों ने एक प्रिविलेज मोशन लगाया और 127 में विचार करने के लिये आपसे निवेदन किया लेकिन बहुत लम्बा समय बीतने के बावजूद भी आपकी ओर से इस सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं दी गयी और उसे विचार के लिये नहीं, लिया गया। अब राजधानी में क्या हो रहा है, विश्वविद्यालयों में जिस तरह की गुटबंदी है उससे आप भी वाकिफ हैं और पूरे सदन के सदस्य भी वाकिफ हैं। विशेष रूप से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में जो गुटबंदी है और इस मोशन के चलते हुए जिन लोगों के हितों पर या कहना चाहिये स्वार्थों पर कुठाराघात हो सकता है या जो अनियमितताएं सामने आ सकती हैं वहां निहित स्वार्थ सक्रिय हो गये हैं। मेरे आज सदन में 5 मिनट लेट पहुंचने की वजह भी है कि ये सब लोग विधायकों के यहां जाते हैं, विधायकों को गुमराह करते हैं। दोनों लोगों के गुट जाते हैं, मैं किसी एक गुट की बात नहीं करता। यह प्रचार, मिथ्या प्रचार सदन से बाहर हो रहा है कि हम जो सदस्य जिन्होंने मोशन दिया है उनको हमने प्रभावित कर लिया है और वे अब हम पर दबाव नहीं डालेंगे कि इसके ऊपर विचार किया जाए। आपसे आग्रह है, अब आज 28 तारीख हो गई, आप एक-दो-तीन दिन में इसको विचारार्थ ले लें। नहीं लें तो यह जो कन्फ्यूजन की स्थिति है, उसको स्पष्ट करें। वे लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए भी यह पीड़ा की बात है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब तो सब बात किनारे पर आयी हुई है। श्री दिलसुखराय चौधरी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने पहले भी निवेदन किया था। मेरा निवेदन है कि वे लोग इस तरह से चारों तरफ से हरज्ञान जी के पक्ष में लोगों से दस्तखत कराये जा रहे हैं। लैक्चरर्स और रीडर्स पर दबाव डालकर वे प्रबंध कर रहे हैं, उन लोगों को बचाने का।

श्री अध्यक्ष : आप लोग तो कोई दबाव में आने वाले हैं नहीं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : लेकिन हम लोगों पर जिस तरह से लांछन लगाये जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप तो करेंगे ही करेंगे अपनी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, यह एम. एल ए. कोई व्यक्ति नहीं है ? रघुवीर सिंह जी कौशल, डा. चन्द्रभान, कल्ला जी, या मैं, हम व्यक्ति तो हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। देखिये जहां तक प्रिविलेज मोशन....बैठिये एक मिनट।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर आप....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, प्रिविलेज मोशन का जहां तक सवाल है, उसमें कार्यवाही जो तजवीज है, हमारे पास वाइस चांसलर का

(श्री अध्यक्ष)

जवाब आ गया है, मनोहरसिंह का जवाब आ गया है। चूंकि उसमें एक पत्रिका का उल्लेख हुआ है इसलिए हमने दुबारा पत्रिका को भी दिया है। पहले नवभारत टाइम्स को दिया था। फिर उनके जवाब पर हमने मनोहरसिंह को दिया। फिर इनको दिया। अब उनके जवाब से पत्रिका की और इनवोल्वमेंट होती है इसलिए पत्रिका को नोटिस दिया है। सब जवाब आने के बाद फिर उस पर आगे क्या कार्यवाही की जायेगी और जहां तक 127 का सवाल है, यह मैं एग्जामिन कर रहा हूं और बहुत जल्दी इस पर निर्णय कर दूंगा।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : हो तो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, हो जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : निश्चित रूप से ? यह नहीं आंखें निकल जाये और रह गये साहब।

श्री अध्यक्ष : कोई विषय आपका ऐसा नहीं रहेगा। यदि उसमें कानूनी अड़चन नहीं होगी तो सब विषय आ जायेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक दिन पहले बता दें आप, तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : वह तो बिजनेस लिस्ट में आएगा। श्री दिलसुख राय चौधरी (अनुपस्थित)।

श्री कन्हैयालाल मीणा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

ग्राम मावणी में खोड़ा की ढाणी में एक महिला की हत्या

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं :—

महोदय, जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम मावणी में खोड़ा की ढाणी की एक महिला श्रीमती कानी देवी पत्नी श्री रामकिशन मीणा, अध्यापक, उम्र लगभग 30 वर्ष की दिनांक 24-12-90 को दिन के लगभग 10 बजे गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने श्रीमती कानी देवी के हाथ-पांव काटकर उसके जेवर निकाले। थाना जमुवा-रामगढ़ में उसी दिन 24-12-90 को घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। पुलिस ने उसी दिन तफ्तीश जारी कर घटनास्थल से बन्दूक के छर्रे बरामद कर लिए थे तथा यह भी जानकारी हासिल कर ली थी कि उस घटना से आधा घंटा पूर्व कालू बावरिया बन्दूक के साथ वहीं आस-पास देखा गया था। किन्तु पुलिस ने अपनी अनुसंधान रिपोर्ट में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। पुलिस ने कालू बावरिया को दिनांक 25-12-90 को ही पुलिस थाने में बिठा लिया लेकिन उसकी गिरफ्तारी पुलिस रिकार्ड में दर्ज नहीं की। पुलिस ने कालू बावरिया को लगभग दो-ढाई महीने तक पुलिस थाना जमुवा-रामगढ़ और चंदवाजी पर ही रखा। उस दौरान मुताबिक जानकारी कालू बावरिया ने हत्या

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

करना कबूल कर लिया था परन्तु पुलिस ने उस बात को भी अपने अनुसंधान में शामिल नहीं किया एवं कालू बावरिया को वापस उसके गांव भेज दिया। मुझे आश्चर्य एवं हैरानी होती है कि हत्या जैसे संगीन जुर्म के मामले में भी पुलिस एकदम संवेदनहीन हो गयी एवं कर्त्तव्यपरायण नहीं रही। उसने किस आधार पर कालू बावरिया को बिना गिरफ्तारी के लम्बे काल तक थाने पर रखा और हत्या के तथ्यों की उपेक्षा की जिससे हत्यारा नहीं पकड़ा जा सका? मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के तृतीय श्रेणी अध्यापक की पत्नी की दर्दनाक मौत कर चांदी के कड़ों को ले जाने के बाद आज तक आपने जेवरों को बरामद नहीं किया। अतः इसको गंभीर मानते हुए सारे प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय अधिकारी से करवाने की कृपा करें या इसकी जांच सी. बी. आई. से कराने की कृपा करें। इसी प्रकार की एक घटना जटवाड़ा में एक महिला के हाथ-पांव काटकर और एक जाट जाति की महिला के हाथ-पांव काटकर हत्या कर दी गई। इसी प्रकार से लालगढ़ में की गई और जयपुर जिले में 5–6 घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं। इसलिए या तो इसकी सी. बी. आई. से जांच करवायी जाए, क्योंकि इसमें जरूर बावरियों का गिरोह शामिल है और वे लोग इस प्रकार की हत्याएं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही में ईंधन व रसोई गैस के वितरण में अव्यवस्था

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत सिरोही जिले के शिवगंज नगर एवं सिरोही में ईंधन एवं रसोई गैस की व्यवस्था की तंगी के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख करना चाहती हूं कि सिरोही जिले में शिवगंज नगर एक बहुत बड़ा कस्बा है। इस नगर में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र एवं कपड़े व किराने की मंडी स्थित होने से यह नगर एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र बन गया है। आस-पास में अनेकों छोटे-छोटे गांव होने से शिवगंज नगर में व्यापार, मजदूरी, इलाज एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए नित्य प्रतिदिन लगभग 20 हजार लोगों का आवागमन बना रहता है। परन्तु शहर में न तो कोई लकड़ी-कोयला वितरण केन्द्र है और न ही ईंधन के उपयोग हेतु केरोसिन वितरण की उचित व्यवस्था है। आये दिन केरोसिन प्राप्त करने हेतु महिलाओं होटल तथा ढाबे वालों की भारी भीड़ बनी रहती है तथा मांग के अनुपात में सप्लाई कम होने के कारण झगड़े होते रहते हैं। लकड़ी का तो यह हाल है कि कई बार तो मुर्दे जलाने के लिए भी उपलब्ध नहीं होती। इस प्रकार नित्य के ईंधन सम्बन्धी कार्यों में वहां की जनता को बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार तो गृहिणियों को केरोसिन प्राप्त करने के लिए घंटों तक लाइन में कड़ी धूप एवं सर्दी में भी खड़ा रहना पड़ता है। इसी प्रकार सिरोही शहर में रसोई गैस कम्पनी तो है परन्तु पिछले 4 वर्ष से वहां की जनता को कोई नया गैस कनेक्शन नहीं दिया जा रहा

(श्रीमती तारा भण्डारी)

है। आज भी अधिकांश उपभोक्ता नये कनेक्शन की इंतजार में हैं। जिला मुख्यालय होते हुए भी हमारे यहां का लकड़ी-कोयला विक्रय केन्द्र नहीं के बराबर है। उस विक्रय केन्द्र में कभी भी लकड़ी अथवा कोयला प्राप्त नहीं होता। हमारे यहां अनेकों जोहड़ हैं, जहां से जलाऊ लकड़ी प्राप्त हो सकती है परन्तु इन जोहड़ों से प्राप्त होने वाली टनों जलाऊ लकड़ी राजस्थान में दूसरे जिलों में भेज दी जाती है तथा हमारा जिला जलाऊ लकड़ी की समस्या को भोगता रहता है। इस प्रकार से हो रही ईंधन एवं रसोई गैस की कमी के कारण मेरे क्षेत्र शिवगंज एवं सिरोही की जनता में भारी असंतोष है। इन दोनों शहरों में ईंधन की भारी कमी की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर मेरा अनुरोध है कि सरकार शिवगंज एवं सिरोही शहर की जन समस्या को देखते हुए जलाऊ लकड़ी तथा केरोसिन समुचित मात्रा में उपलब्ध करवाएं। साथ ही शिवगंज में रसोई गैस कम्पनी स्थापित करने एवं सिरोही नगर के लम्बित गैस कनेक्शन दिलवाने हेतु केन्द्र सरकार को राज्य सरकार कारगर एवं प्रभावी रूप से लिखे, दोनों नगरों को रसोई गैस उपलब्ध कराएं तथा इस समस्या का समाधान करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

बोरीनाडा बान्ध के ओवर फ्लो को एक फीट नीचा करने सम्बन्धी

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियमावली के नियम 295 के विशेष उल्लेख में बोरीनाडा फीडर में आवक बढ़ाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि बिलाड़ा तहसील जिला जोधपुर में स्थित बाला बांध में लूणी नदी पर सांड पाली पिकअप वियर स्थित है जिस पर दो ओवर फ्लो बने हुए हैं। एक ओवरफ्लो मुख्य नदी पर गिरता है

(11.30 म. पू.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिस पर आगे सिंचाई विभाग का कोई बांध नहीं है। दूसरा ओवरफ्लो बोरीनाडा फीडर में गिरता है जिससे कि सोजत तहसील में स्थित बोरीनाडा बांध में पानी जाता है। यह ओवरफ्लो बांध के बाईं तरफ स्थित है जिससे वर्षा ऋतु में अधिकांश पानी मुख्य ओवरफ्लो से बेकार चला जाता है एवं सोजत तहसील में स्थित बोरीनाडा बांध हमेशा खाली रहता है।

बोरीनाडा बांध सोजत तहसील के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका मरुस्थलीय है एवं अधिकांश अकाल से प्रभावित रहता है। बोरीनाडा बांध इस क्षेत्र का प्रमुख बांध है जिसकी क्षमता 60 एम. सी. एफ.टी. है एवं सिंचाई क्षेत्रफल 600 एकड़ है। इस बांध से 150 एकड़ भूमि में काश्त पैदा होती है। इससे अबकाइ की ढाणी, नया गांव चौपड़ा इत्यादि गांवों के काश्तकार लाभान्वित होते हैं। बिलाड़ा तहसील के पड़ासलाकला, पडासला खुर्द, हरियाड़ा, नेहरूपुरा के कुओं का जल स्तर भी इससे बढ़ेगा। इस क्षेत्र की कृषि भूमि क्षारीय एवं लवणीय है। इस क्षेत्र में सिंचाई का कोई अन्य साधन नहीं है। यहां

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

का भू-जल खारा होने के कारण कुएं नहीं हैं। अतः इस क्षेत्र में उक्त बांध कृषकों के जीविकोपार्जन का एक मात्र सहारा है।

बोरीनाडा की तरफ के ओवरफ्लो को नीचा करके इसमें गेट इत्यादि लगा कर ऐसी व्यवस्था करें कि ओवरफ्लो का पानी पहले बोरीनाडा की तरफ जावे। अधिक मात्रा में पानी आने पर ही उसे मुख्य ओवरफ्लो से छोड़ा जाये ताकि बोरीनाडा बांध खाली नहीं रहे।

सांडपाली पिकअप वीयर की दोनों ओवरफ्लो समान लेवल पर होने के कारण अधिकांश पानी मुख्य नदी में बेकार चला जाता है जबकि इसी पानी को बोरीनाडा बांध में डाइवर्ट कर इसका सदुपयोग किया जा सकता है। ऐसा बोरीनाडा फीडर वाले ओवरफ्लो को एक फीट नीचा कर किया जा सकता है जिससे लूणी नदी के जल का समुचित उपयोग सम्भव हो सकेगा। अतः सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि बोरीनाडा की तरफ के ओवरफ्लो को एक फीट नीचा कर गेट बनाकर इस क्षेत्र की जनता को लाभान्वित कराने का कष्ट कराएं।

श्री उपाध्यक्ष :— श्री शम्भूदयाल बड़गूजर। (अनुपस्थित) माननीय श्री हीरालाल इन्दौरा। (अनुपस्थित) माननीय श्री हेतराम बेनीवाल। (अनुपस्थित) माननीय श्री बुलाकीदास जी कल्ला।

आर. पी. एस. सी. द्वारा चयनित कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयनित कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा नहीं करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख है कि राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में लगभग 35 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। बेरोजगार नवयुवकों का प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ रहा है। वर्तमान सरकार के नेताओं ने राजस्थान की जनता को अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह भरोसा दिलाया था कि वे प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, परन्तु बेरोजगार नवयुवकों को इस वायदे का कोई लाभ नहीं मिला। पिछले वर्षों में राज्य में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों को भरने हेतु जो परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गयी उसमें से 1600 से भी अधिक लोगों को विभिन्न जिलों में कांग्रेस सरकार ने नियुक्तियां दी थीं। कुछ जिलों में 37.5 प्रतिशत प्राप्तांकों वाले व्यक्तियों को नियुक्तियां प्रदान की गयीं परन्तु कुछ अन्य जिलों में प्रथम श्रेणी एवं उससे भी अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी। इस विभेदकारी कार्यवाही का प्रतिकार करने के सम्बन्ध में 37.5 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वाले अभ्यर्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नियुक्ति प्रदान करने की मांग की थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 24 नवम्बर, 1980 को राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि 37·5 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी आशार्थियों को अविलम्ब नियुक्तियां दी जाएं। लेकिन राज्य सरकार अपने अड़ियल रूख एवं हठधर्मिता के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी परीक्षा में चयनित कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्तियां नहीं दे रही है जिससे पूरे प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों में भारी असन्तोष एवं रोष व्याप्त है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित बेरोजगार सरकारी सेवाओं के लिए निश्चित की गयी अधिकतम आयु सीमा को पार कर रहे हैं।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, झुन्झुनूं, नागौर, सीकर, सिरोही तथा जयपुर आदि अनेक जिलों में विभिन्न विभागों में लगभग 2500 कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं। बीकानेर जिले में वरीयता सूची में 219 नम्बर तक के चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति मिल चुकी है परन्तु 32 बेरोजगार नवयुवक जो वरीयता सूची में आ चुके हैं उन्हें चयनित होने एवं पद रिक्त होने पर भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार चूरू, नागौर, झुन्झुनूं एवं सीकर में भी ऐसी ही कठिनाइयों से नवयुवकों को परेशानी हो रही है।

बेरोजगारी को मिटाने के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डाक्टर विजय शंकर व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति का प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है जिसकी प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करें। इस समिति की क्या-क्या सिफारिशें हैं एवं उन सुझावों एवं सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विगत लगभग 11 महीनों से राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा में पास हुये अभ्यर्थी आन्दोलनरत हैं परन्तु राज्य सरकार की तरफ से उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। परीक्षा में पूरे राजस्थान के विद्यार्थी बैठे थे एवं उनमें से सभी जिलों के लोग चयनित हुए हैं। इतने लम्बे अर्से से राजकीय कार्यालयों में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के होते हुये भी चयनित व्यक्तियों को रोजगार न मिलने से नवयुवकों में भारी रोष है और वे आन्दोलन कर रहे हैं, उद्वेलित हैं। पिछले महीने में राज्य सरकार ने 905 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने की सूचना दी थी परन्तु आज तक उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक वाले लगभग दो हजार व्यक्ति हैं जिन्हें नौकरी नहीं दी गयी है जबकि कुछ जिलों में 33·5 प्रतिशत प्राप्तांक वाले व्यक्तियों को नौकरी मिल चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर इनको नौकरी नहीं मिल रही है वहीं दूसरी ओर सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में, राजकीय कार्यालयों में नियोजन कार्यालयों द्वारा भिजवाये बिना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सीधे प्रार्थना पत्र लिये और कनिष्ठ लिपिकों की सीधी भर्ती की जा रही है जबकि चयनित कनिष्ठ लिपिकों को राजकीय सेवा में नियुक्ति नहीं दिये जाने से वे आन्दोलन को उग्र रूप दे रहे हैं। विगत वर्षों में जितने लोगों को सीधे प्रार्थना पत्र लेकर राजकीय नौकरी दी गयी है उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्रदेश में रिक्त पदों पर राज्य सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ लिपिकों को अविलम्ब नियुक्ति जन हित में प्रदान करे। राज्य सरकार राज्य में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर चयनित बेरोजगार कनिष्ठ लिपिकों को कब तक नियुक्ति प्रदान कर देगी? धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री किशन गोपाल कोगटा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पृथ्वीराज योजना के सम्बन्ध में

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पृथ्वीराज नगर की योजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर के नाम से एक योजना प्रस्तावित की गयी। इस योजना के मानचित्र का प्रकाशन कर केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार लगभग 11000 बीघा भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की गयी और अधिनियम की धारा 5 (ए) में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आपत्तियां मांगी गयीं। आपत्तियों की सुनवाई द्विपक्षी न होकर एक पक्षीय होकर जलसा-ए-आम की तरह की गयी। कौन व्यक्ति किस प्रकरण पर क्या कह रहा है किसी को पता नहीं।

जे. डी. ए. के सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 6 के प्रकाशन के पूर्व सहकारी समितियों, सैनिक क्षेत्र, राजस्थान विद्युत मण्डल आदि की कुछ भूमियों को अवाप्ति मुक्त कर दिया गया परन्तु काफी इस प्रकार की भूमि जो भू-खण्डधारियों की है अवाप्ति से मुक्त नहीं की गयी।

प्रस्तावित पृथ्वीराज योजना में 13 ऐसी योजनाएं भी शामिल कर दी गयीं जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। उन पर लीज डीड जारी कर दी गयी व ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है। इतना ही नहीं इन स्वीकृत योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य भी करवाया गया है।

दरअसल पिछली सरकार द्वारा जल्दबाजी में यह योजना बनायी गयी एवं सर्वेक्षण किये बिना ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शुरू कर दी गयी। आज स्थिति यह है कि अवाप्त की जाने वाली भूमि में हीरापुरा स्टेशन में सैनिक क्षेत्र, आवासीय

(श्री कालीचरण सराफ)

बस्तियां, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र व गांवों की आबादी भूमि, पक्के बने हजारों मकान लगभग 4000 बीघा भूमि जो भू-खण्ड धारियों की है शामिल कर ली गयी है।

इसका मतलब यह हुआ कि जिन योजनाओं को जे. डी. ए. ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, लीज डीड जारी कर दी है, ऋण उपलब्ध करवा दिया है, जिन जमीनों का रूपान्तरण शुल्क जमा हो गया है, कई लोगों ने पक्के मकान बना लिये हैं, कई गांवों की आबादी भूमि में जहां लोग सैंकड़ों वर्षों से पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं ऐसे लोगों की भूमि उनसे छीन कर उसी कार्य के लिए जे डी. ए. नीलाम करेगा और आवंटित करेगा। भूखण्डधारियों से ली गयी ऐसी भूमि को निजी कम्पनियों को उसी काम के लिए आबंटित किया जा रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली की सुनेजा टावर्स नामक एक निजी कम्पनी को जे. डी. ए. द्वारा भूखण्डधारियों की अवाप्त भूमि आबंटित करने की कार्यवाही की जा रही है। जे. डी. ए. की यह कार्यवाही कतई गलत एवं गैर-कानूनी है। इसको तुरन्त रोका जाना चाहिए।

इसी प्रकार मुझे यह भी जानकारी मिली है कि प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा लगभग 1500 बीघा जमीन, जो भूखण्डधारियों की है जिसे पूर्व में अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया था, पुनः अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। कृपया मंत्रीजी बतलाने की कृपा करें कि ऐसा किस कानून के अन्तर्गत किया जा रहा है।

अतः नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये आपके माध्यम से राज्य सरकार को अनुरोध करना चाहूंगा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा जल्दबाजी में बनायी गयी इस पृथ्वीराज नगर योजना को निरस्त किया जाए। उसके स्थान पर छोटी-छोटी योजनाएं बनायी जाएं और सभी बिन्दुओं पर विचार कर विस्तृत सर्वेक्षण कर वह भूमि अवाप्त की जाए जो गांवों की आबादी भूमि न हो, जहां आवासीय बस्तियां बनी हुई नहीं हों, जहां सैनिक या औद्योगिक क्षेत्र न हो, जहां मकान बने हुए न हों या जो किसी भूखण्डधारी को पूर्व में ही आबंटित नहीं की गयी हो।

धन्यवाद। मंत्रीजी बैठे हैं, आपसे अनुरोध है कि मंत्रीजी से इसके बारे में कुछ कहलवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को कम्पैल तो नहीं किया जा सकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका तो जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : कल आपने ही आरोप लगाया कि उत्तर दे देते हैं। 295 में प्रावधान है कोई मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कोई कमिटमेण्ट नहीं करूंगा और उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि माननीय सदस्यों

(श्री भंवरलाल शर्मा)

को इस बात का एतराज है कि मैं कुछ का तो जवाब देता हूं और कुछ का नहीं देता हूं। यह सन्देह है आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस मामले में कोई सन्देह नहीं है। इस मामले में कोई एतराज नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा नहीं है। मुझे जानकारी होती है तो देता हूं। किसी भी मामले में यदि आप यकायक कोई प्रस्ताव रखते हैं तो जानकारी हो तो जवाब देना चाहिए, जानकारी नहीं हो तो नहीं देना चाहिए। उसमें जिसका नाम आ जाय, जिसकी हमको जानकारी है तो चाहे वह नगर का हो या बाहर का, इसमें अन्दर-बाहर की कोई बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह 295 का कल मंत्री महोदय को दे दिया गया था। इसके बाद जब आपको कापी मिल गयी तो आपको इसके बारे में जानकारी करके हाउस में आना चाहिए था।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्या, आप भी मंत्री रही हैं। 11 बजे इसकी कापी मिलती है, जवाब कहां से तैयार करके आएंगे? आज पेश किया है यह। यह 295 का तरीका है कि 9.30 बजे यह पेश होता है, उसके बाद इसकी कापी मिलती है। उसके बाद तुरन्त कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं। आप भी मंत्री रही हैं, उसी समय उत्तर नहीं दे पाती थीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दें कि क्या यह सही है कि कुछ दिनों पूर्व....

श्री भंवरलाल शर्मा : काहे का जवाब दे दूं? मैं जवाब ही नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसी से संबंधित है कुछ दिनों पूर्व 1976 में गजट नोटिफिकेशन निकला था सीमाओं के बारे में, क्या जे. डी. ए. ने उसको विथड्रा कर लिया है, यह बता दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रश्न का उत्तर यकायक कैसे दे सकता हूं। कोई आदमी दे भी कैसे सकता है? अगर ऐसा है तो ध्यान में लाइये, कोई भी अनियमितता या तकलीफ पैदा करने वाला होगा तो रोकेंगे, उसको नहीं करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : मंत्री महोदय, यह जानकारी मिली है कि सुनेजा टावर नामक निजी कम्पनी को अलाट की जा रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है। इसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

करौली कस्बे में राजकीय उद्यान की भूमि का करौली कांग्रेस (इ) कमेटी को आवंटन

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295

(श्री हेमराज मीणा)

के अन्तर्गत राजकीय उद्यान की भूमि कस्बा करौली तहसील करौली, जिला सवाई माधोपुर की खसरा नम्बर 5601 क्षेत्रफल 4 बिस्वा में से 2 बिस्वा भूमि जो हरसुख विलास, करौली की भूमि के नाम से जानी जाती है, को कांग्रेस (इ) कमेटी, करौली को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि कस्बा करौली जिला सवाई माधोपुर में हरसुख विलास, करौली की भूमि खसरा नम्बर 5601 क्षेत्रफल 4 बिस्वा पर कांग्रेस (इ), करौली को कार्यालय हेतु भूमि आवंटन की गयी है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में उद्यान विभाग की अंकित है। उक्त भूमि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या एफ. 1/109/राज/3/82 दिनांक 7-5-84 की पालना में आवंटित किये जाने का उल्लेख है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 16(7) (7) के अनुसार उद्यान की भूमि में न तो किसी को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं और न ही राजकीय उद्यान की भूमि को किसी निजी एवं राजनैतिक संस्था को आवासीय उद्देश्य हेतु आबादी में रूपान्तरित ही किया जा सकता है। ऐसी भूमि किसी राजनैतिक पार्टी को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु आवंटित किया जाना कानून के प्रावधानों का तो सरासर उल्लंघन है ही, साथ ही तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस (इ) ने पद एवं सत्ता का खुला दुरुपयोग किया है।

एक तरफ तो केन्द्र एवं राज्य सरकार की यह घोषित नीति रही है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाने हेतु तथा भूमि को बंजर एवं रेगिस्तानी होने से बचाने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाये एवं वनों की सुरक्षा की जाएं, दूसरी तरफ राजकीय उद्यानों की भूमि का इस प्रकार से दुरुपयोग किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। उद्यान की भूमि का आवंटन निरस्त किया जाये एवं जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, जिनके आदेश से यह काम हुआ उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं चाहूंगा कि कब तक यह आवंटन रद्द होगा, यह बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

गांव आडेल में 33 के. वी. का विद्युत स्टेशन स्थापित करने में विलम्ब

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, गांव आडेल का 33 के. वी. विद्युत सब स्टेशन में अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत सजग करना चाहती हूं। महोदय, बाड़मेर जिले की गुढ़ामालानी तहसील के गांव आडेल में 33 के. वी. का सब स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव गत तीन साल से चल रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे बात कर रहे हैं और ये सो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सब जागे हुए हैं।

श्रीमती मदन कौर : ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं, वे तो सदन में ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नियमानुसार ऊर्जा मंत्री महोदय के पास चला जायेगा।

श्रीमती मदन कौर : वर्ष 1989-90 में इसे स्वीकृत करके निविदाएं भी स्वीकृत की गयी थीं। सम्भवतः ठेकेदार किसी कारणवश काम इस साल नहीं कर पाया और काम छोड़कर चला गया। एक ठेकेदार के काम छोड़ देने पर किसी दूसरे ठेकेदार या विद्युत मण्डल द्वारा स्वयं करवाया जा सकता था। लेकिन इसके विपरीत काम करवाना तो दूर रहा अगले साल इस सब स्टेशन को फेज प्रोग्राम में से निकाल दिया गया।

महोदय, इस सब स्टेशन का इस क्षेत्र के विद्युत प्रसार में बड़ा महत्व है। चालू साल में इस क्षेत्र के कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये और संभावित कृषि कनेक्शन प्राप्त करने वालों के अनुमाग आदि बनाकर स्वीकृति के लिए फाइलें सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर के पास भेजी गयीं। अधीक्षण अभियन्ता ने इनकी स्वीकृति मात्र इसलिए नहीं दी बतायी कि वहां विद्युत लाइनों में दक्षता नहीं है और जब तक गांव आडेल में 33 के. वी. का सब स्टेशन नहीं बनता तब तक बढ़ना सम्भव नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक समझती हूं कि सम्बन्धित सब डिवीजन, सिणधारी के कई सम्भावित कृषि उपभोक्ताओं ने फाइलें तैयार हो जाने के बाद अपने कुओं पर विद्युत फिटिंग करवा ली, बिजली की मोटरें खरीद लीं। यह सारी तैयारी किसानों ने इसलिये की ताकि विद्युत कनेक्शन मिलते ही वे अपनी सिंचाई हेतु बिजली का उपयोग कर सकें।

ऐसी स्थिति में यदि इस साल भी समय पर आडेल में 33 के. वी. सब स्टेशन तैयार नहीं करवाया गया तो वहां के कृषि उपभोक्ता जो गत साल भी बिजली कनेक्शन से वंचित रह गये थे, इस साल भी वंचित रह जाएंगे। अतः मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये विद्युत मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में सजग करना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोपी राम जी। (अनुपस्थित) माननीय श्रीमती सुमीत्रा आर्य।

गोगामण्डी तहसील नोहर में लगने वाले मेले में अव्यवस्थाएं

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख के जरिये मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

महोदय, गोगामंडी तहसील, नोहर में हर वर्ष भादवा महीना में गोगा जी का मेला लगता है। एक महीने के इस मेले में देश के हर भाग से चार-पांच लाख लोग इकट्ठे होते हैं। गर्मी का मौसम होने के कारण गन्दगी व गर्मी से कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे हैजा, मलेरिया

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

जैसी बीमारियां और मेले से 15–20 किलोमीटर से नजदीक कोई अस्पताल नहीं है। इस कारण हर वर्ष इस मेले में कई लोगों की जान अस्पताल के अभाव में चली जाती हैं। इस मेले से मन्दिर में चढ़ावा कम से कम पांच लाख रुपये तक आता है जो देवस्थान विभाग में जमा हो जाता है। गोगामंडी की सड़कें सब टूटी हुई हैं। यात्रियों के रूकने के लिए देवस्थान की तरफ से कोई धर्मशाला की व्यवस्था नहीं है। साथ ही मन्दिरों की देख-रेख सही ढंग से नहीं होती है। पता नहीं यह पैसा (चढ़ावा) कहां जाता है। गोगामंडी की जनसंख्या 9,500 है। इस जनसंख्या के आधार पर भी अस्पताल बहुत पहले खोल दिया जाना चाहिये था, लेकिन नहीं बना। मैंने कई बार मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से इस बाबत निवेदन भी किया है और कई दफा पत्र भी लिखे हैं लेकिन दो साल में एक भी पत्र का जवाब नहीं मिला। अब फिर मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि गोगामंडी मेले में आने वाले भादवा से पहले आप गोगामंडी में शीघ्र अस्पताल खोलने का कष्ट करें ताकि तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

मैं मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करती हूं कि यह समस्या अतिशीघ्र हल करने का कष्ट करें। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवस्थान मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री रामकिशोर मीणा (देवस्थान मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सालय की मांग की गई है, जो चढ़ावा आता है उसको मैं दिखवा करके ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां पर खर्च हो, धर्मशाला के लिए और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इस मामले को देखकर करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : करेंगे व्यवस्था।

माननीय श्री दयाराम परमार।

खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव कटैव का सड़क से न जुड़े होने के सम्बन्ध में

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में कटैव गांव एक मात्र ऐसा गांव है जहां पर शत प्रतिशत........ (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य आपस में बातचीत कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये मैं बोल रहा हूं। सब से निवेदन है कि थोड़ा शान्त रहने की कृपा करें। माननीय मनोहर सिंह जी, प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : It is too much.

श्री दयाराम परमार : आदिवासी रहते हैं उस गांव की जनसंख्या 2000 से भी अधिक है। राज्य सरकार की नीति के

(श्री दयाराम परमार)

अनुसार 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जुड़ जाना चाहिये। लेकिन इस कटेव गांव का दुर्भाग्य है कि पक्की सड़क से जुड़ना तो दूर की बात रही, अभी तक कच्ची सड़क से भी जुड़ा हुआ नहीं है। इसका कारण महज यही रहा कि उस गांव में केवल आदिवासी रहते हैं। इसलिये बार-बार विभाग के अधिकारियों को निवेदन करने पर भी कटेव गांव को सड़क से जोड़ने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

महोदय, कटेव गांव कल्याणपुर से खैरवाड़ा जाने वाली सड़क से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क नहीं होने से वहां के निवासियों को आने-जाने की परेशानी के साथ-साथ मकान आदि बनाने के लिए सामग्री ले जाने में भी बहुत कठिनाई होती है।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि गांव कटेव को सड़क से जोड़ने के लिए कल्याणपुरा से कटेव तक 4 किलोमीटर की नई सड़क बनाई जाए जिससे लोगों को आने-जाने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री घासीलाल जी चौपड़ा।

टोडारायसिंह व देवली तहसीलों में खाद्यान्नों व पाम आयल, चीनी, केरोसीन आदि प्राप्त नहीं होने से असन्तोष

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत क्षेत्र टोडारायसिंह की तहसील टोडारायसिंह व देवली के ग्रामीण क्षेत्रों व कस्बों में खाद्यान्नों व पाम आयल, चीनी, केरोसीन, प्राप्त नहीं होने से क्षेत्र में असन्तोष के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह की देवी व टोडारायसिंह तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में राशन का सामान–गेहूं, चावल, चीनी, पाम आयल, केरोसीन का कोटा पिछले 6 माह से नाम मात्र का मिल रहा है। इन क्षेत्रों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। आबादी के माप दण्ड को नजरअन्दाज किया जा रहा है। जिससे स्थिति यहां तक हो गई है कि मेरे क्षेत्र के आम गरीब आदमी व गरीबी की रेखा से नीचे व अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण असंतोष है। वे ऊंची दर पर बाजार से नहीं खरीद सकते जिससे उन लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। गरीबों के पास बाजार से महंगे भाव के गेहूं, चावल, चीनी, पाम आयल, केरोसीन क्रय करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। और तो और पाम आयल तो पिछले एक साल से बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। टोडारायसिंह व देवली तहसील के हिस्सों का पाम आयल कहां जा रहा है? ब्लैक किया जा रहा है या किसी और क्षेत्र को दिया जा रहा है? कोई अता-पता नहीं है। कुछ सामान मिलता है। उसमें केरोसीन व गेहूं की यह हालत है कि कस्बा टोडारायसिंह में राशनिंग का कार्य करने वाले दुकानदार रातोंरात बांट कर या ब्लैक करके कह देते हैं कि हमने तो वितरण कर

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

दिया। गरीब लोग जो दिन में मजदूरी पर जाते हैं उनको पता ही नही लगता। बेचारों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं तथा निराश होकर लौटना पड़ता है। अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री से निवेदन है कि तहसील टोडारायसिंह व देवली को गेहूं, चावल, चीनी, पाम आयल, पर्याप्त मात्रा में दिलवाने, वितरण व्यवस्था सुधारने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य।

आर. ए. एस./आर. टी. एस. की परीक्षा में नकारात्मक गणना का मापदण्ड रखे जाने के सम्बन्ध में

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माह अक्टूबर, 1991 में आर. ए. एस. व आर. टी. एस. के कतिपय पदों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के विपरीत दिनांक 29 मार्च, 1992 को आर. ए. एस./आर. टी. एस. की परीक्षा में नकारात्मक गणना का मापदण्ड रखे जाने से परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी किए जाने से सम्बन्धित मामले पर सदन में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत चर्चा उठाना चाहता हूं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1990 की परीक्षा के साक्षात्कार दिनांक 2 अप्रेल, 1991 से होंगे, जबकि वर्ष 1991 की प्रारम्भिक परीक्षा 29 मार्च, 1991 को होगी। जिससे जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में साक्षात्कार हेतु सफल हुए हैं उनमें मानसिक असमंजसता की स्थिति बनी हुई है क्योंकि परीक्षा में निश्चित अवसरों का मापदण्ड है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 3 (परीक्षा) का 1990-91 दिनांक 19-10-91 की विज्ञप्ति में कहीं भी इस आर. ए. एस. एवं आर. टी. एस. प्रारम्भिक परीक्षा में नकारात्मक गणना का उल्लेख नहीं किया गया था जबकि आयोग ने परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ संलग्न पत्र में एक प्रश्न के गलत होने पर एक तिहाई अंक काट लेने का उल्लेख किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी या उनके स्थान पर जो भी है उनसे निवेदन करता हूं कि दिनांक 29 मार्च, 1992 को प्रस्तावित आर. ए. एस./आर. टी. एस. की परीक्षा में नकारात्मक गणना की प्रणाली रद्द की जाए।

मान्यवर, यह परीक्षा कल ही होनी है और अगर इस परीक्षा के अन्तर्गत नकारात्मक अंक जोड़े गये तो यह एक तरह से उनके साथ धोखा है क्योंकि पहले यह शर्त नहीं रखी गई और बाद में उनके साथ यह शर्त लगा दी गई है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्रीजी आज ही इसका जवाब दें। तभी उन परीक्षार्थियों को लाभ हो सकेगा अन्यथा उन परीक्षार्थियों के साथ अन्याय होगा और यह धोखा होगा। ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायणजी वर्मा। (अनुपस्थित) माननीय श्री मदनलाल जी सैनी।

(12.00 मध्याह्न)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदनलाल सैनी।

सिंचाई के लिए कुओं में विद्युत कनेक्शन

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान में मन्दिर माफी की भूमियों पर कृषि सिंचाई के लिए बने हुए कुओं में विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के कारण मात्र उदयपुरवाटी तहसील की हजारों बीघा भूमि की काश्त न होने के सम्बन्ध में आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी एवं विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय, राजस्थान में ही नहीं अपितु हिन्दुस्तान में मन्दिरों की भोगराज एव अन्य व्यवस्थाओं के लिए राजा-महाराजाओं, संस्थाओं एवं व्यक्तियों ने कृषि भूमि मन्दिरों को दान में दी ताकि उक्त भूमियों की क्षेत्र से होने वाली कृषि उपज से उनकी व्यवस्थाएं चल सकें। हमारे देश तथा प्रान्त में ऐसे हजारों मन्दिर हैं जिनके पास लाखों बीघा बारानी तथा चाही भूमि है। उपरोक्त वर्णित मन्दिर माफी की भूमियों पर प्रारम्भ से ही काश्त होती रही है। किसान उक्त भूमियों पर वर्षा से पानी, नहर तथा कुओं पर डीजल इंजिन के माध्यम से काश्त करते रहे हैं। इससे हजारों टन कृषि उत्पादन हो रहा है। जहां नहरों तथा डीजल इंजिनों से पानी उपलब्ध नहीं है वहां की हजारों बीघा भूमि वर्षा के पानी के ऊपर ही निर्भर है। इस प्रकार की लाखों बीघा भूमि पर हजारों सिंचाई के कुएं बने हुए हैं, जहां पर कभी बैलों से सिंचाई होती थी। लेकिन आज बैलों से सिंचाई करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। इस कारण जिन ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है उन गांवों में सिंचाई अनार्थिक होने, मनोवैज्ञानिक कारण तथा भूजल स्तर नीचे जाने के कारण बन्द-सा हो गया है। इस कारण हजारों बीघा भूमि कृषि उत्पादन रहित पड़ी है। किसान चाहता है कि वर्षा के पानी पर निर्भर न रहकर जहां भूगर्भ जल पर्याप्त है वहां बने हुए कुओं या नये बने कुओं पर उसे विद्युत का कनेक्शन मिले। लेकिन कानूनी बन्धन के कारण विद्युत मण्डल मन्दिर माफी की काश्त भूमियों पर बने हुए सिंचाई के कुओं को विद्युत कनेक्शन इस कारण नहीं देता कि विद्युत मण्डल में दिये जाने वाले कनेक्शन प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कौन करे।

आज जो किसान पीढ़ियों से सम्बन्धित मन्दिर माफी की भूमियों को काश्त कर रहा है, वर्षा या नहर तथा डीजल इंजिन से तो पानी ले रहा है। कानून उसके कब्जे की भूमि से उसे बेदखल नहीं कर सकता है। वह डीजल इंजिन से या नहर से पानी से या वर्षा के पानी से काश्त कर रहा है। लेकिन विद्युत कनेक्शन लेकर नहीं कर सकता। इसमें क्या औचित्य है? जब उससे

(श्री मदनलाल सैनी)

भूमि मन्दिर या सरकार छीन नहीं सकती तो कानून में बदलकर कुछ शर्त लगाकर उसे विद्युत का कनेक्शन लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

काश्त भूमि का जो प्रयोजन मन्दिर के भोगराज की व्यवस्था का था वह पूरा नहीं हो रहा है। सरकार मात्र सामान्य अल्प राशि मन्दिरों की व्यवस्था के लिए देती है। इस अल्प राशि के कारण मन्दिरों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कुछ मन्दिरों में तो दिए-बत्ती की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। उस भूमि का मन्दिरों को लाभ नहीं मिल पाता है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी एवं विद्युत मंत्रीजी से आग्रह है कि देश में कृषि उत्पादन और अधिक बढ़ाया जा सके, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके तथा प्रान्त में बढ़ती बेकारी पर रोक लगायी जा सके, इसके लिए मन्दिर माफी की भूमियों पर बने हुए कुओं के विद्युत कनेक्शन के आवेदनों पर तुरन्त विद्युत मण्डल से स्वीकार कर नियमानुसार कनेक्शन देने का आदेश दिया जाय। इसके लिए राजस्व नियमों एवं विद्युत मण्डल के नियमों में संशोधन करना पड़े तो तुरन्त संशोधन कर किसानों को राहत दी जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. उजला अरोड़ा। (अनुपस्थित) श्री गोपीराम जाट।

जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दी गयी शिकायत की जांच नहीं किये जाने के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं। जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति के पूर्व पदाधिकारी श्री बी. एल. गोठवाल एवं मंत्री श्री जी एल रावत के विरुद्ध अनेक अनियमितताओं की जांच करने के लिए समिति के अवसायक श्री मित्तल ने अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को 24-8-1991 को शिकायत दर्ज करायी। उसकी अभी तक जांच नहीं की गयी तथा धोखाधड़ी के मामले करने वाले समिति के पदाधिकारी खुले रूप से घूम रहे हैं। समिति के पदाधिकारियों ने निम्नलिखित आवासीय कालोनियों में दो-दो व्यक्तियों को पट्टे दिये हैं :—

शारदा कालोनी में प्लाट नं. 35 का शिवकरण एवं श्रीमती सुशीला देवी को, प्लाट नम्बर 37 का आवंटन श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री पूराचन्द तथा कुमारी बबीता खण्डेलवाल को, विनोबा भावे नगर में बी-60 का श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री हीवालाल व चुन्नीलाल पुत्र श्री लालाराम रावत को, श्याम कालोनी में प्लाट नम्बर बी-70, श्री मोहनलाल व श्री श्यामसिंह को, जयसिंह नगर में बी-73 श्रीमती द्रोपदी देवी व श्रीमती सन्तरा देवी को, दो-दो

(श्री गोपीराम जाट)

व्यक्तियों को एक ही प्लाट के पट्टे दिये गये।

पदाधिकारियों ने समिति में जयसिंह नगर में प्लाट नं. ए-3, 73, 88, 40, 72, 85, 35, 37 का व विनोबा भावे नगर में ए-42, ए-16 का व विश्व नगर में 2 व 3 का आवंटन पत्र जारी कर दिया तथा रसीद नहीं काटी और न ही कैश बुक में इन्द्राज है। इसी प्रकार के अनेक मामले हैं जिनकी रसीदें रावत एण्ड कम्पनी, रावत एण्टरप्राइजेज व खण्डेलवाल फाइनेन्स कार्पोरेशन के नाम से काटी गयीं। पट्टे समिति के नाम से दिये गये। ऐसी रसीदों के नमूनों से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की राशि समिति के खाते में नहीं जाकर श्री रावत व गोठवाल की जेब में गयी है। इसी तरह शारदा कालोनी के भूखण्ड 37 को 1990 में स्थानान्तरित किया, विनोबा भावे नगर का भूखण्ड ए-27, 28 व 29 का पट्टा 1990 में ट्रांसफर किया व जयसिंह नगर का भूखण्ड 30-ए 1988 में ट्रांसफर किया गया, जबकि भूतपूर्व अधिकारी पट्टा ट्रांसफर के अधिकृत अधिकारी नहीं थे। इस तरह से समिति को ट्रांसफर फीस जो मिलने वाली थी उससे वंचित रखा गया और समिति को नुकसान पहुंचाया गया।

जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति के पूर्व पदाधिकारियों ने अवैध पट्टे जारी किये, जिन पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं तथा समिति के मन्त्री के हस्ताक्षर नहीं हैं। उनकी सम्पूर्ण राशि भी वसूल कर ली गयी। उपरोक्त समिति का 1981-82 से आडिट नहीं कराया गया तथा निर्वाचन भी गत 10 वर्षों में नहीं हुआ। भूतपूर्व पदाधिकारियों ने 1981 के बाद का रिकार्ड आज तक अवसायक को उपलब्ध नहीं कराया। समिति के पूर्व मंत्री ने कई आवंटन पत्रों में कांट-फांस कर रखी है, जिसमें भूखण्ड की साइज, आवंटी का नाम व भूखण्ड संख्या में तब्दीली की गयी है।

इतना ही नहीं, कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, जयपुर शहर ने श्री जी. एल. रावत के खिलाफ 96880.68 रुपये की राशि के दुरुपयोग की जांच के लिए जांच अधिकारी 13-3-1992 को नियुक्त किया है, जो कि वर्ष 1981-82 की आडिट रिपोर्ट में अंकित है।

मार्च, 1990 में वर्तमान सरकार ने सहकारी समिति की जांच हेतु अभियान चलाया उसमें भी श्री जी. एल. रावत को दोषी मानते हुए उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति शहर श्री रामबल्लभ ने शिकायत दर्ज करायी, जिसकी जांच सी. आई. डी. द्वारा की गयी और श्री रावत को दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया। 13 दिन जेल में रहने के पश्चात् उच्च न्यायालय से जमानत स्वीकार होने पर छोड़ा गया। श्री रावत के खिलाफ पुलिस थाना ब्रह्मपुरी, सोड़ाला, सांगानेर व माणक चौक में धोखाधड़ी के मामले विचाराधीन हैं, जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इन पूर्व पदाधिकारियों ने कृष्ण कुंज नामक नर्सरी में, जो अवाप्ति में है, पिछले करीब एक वर्ष के अन्दर सन् 1981 की तारीख में आवटन किये हैं, जबकि वर्ष

(श्री गोपीराम जाट)

1981 में यह योजना ही नहीं थी। इसी प्रकार अब भी वर्ष 1981 की तारीखों में आवंटन पत्र जारी किये जा रहे हैं, जिनकी राशि समिति के हिसाब-किताब में जमा नहीं है।

मेरा सरकार व गृह मंत्रीजी से आग्रह है कि पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को 24-8-1991 को जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति के अवसायक श्री जे. पी. मित्तल ने जो शिकायत दर्ज करायी थी उसकी विस्तृत जांच कराएं तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। ऐसा है कि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के मैम्बर हैं और आज उन्होंने मीटिंग रखी है। अब सत्र के दौरान हम कैसे जायं? तो कम से कम यह निर्देश होने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह पहले से डिसाइडेड है।

श्री कालीचरण सराफ : सिंडिकेट की मीटिंग में जा ही नहीं सकते वह कम से कम रद्द होनी चाहिये। जब हम हाउस के मैम्बर हैं....(व्यवधान)....या तो हम वहां नहीं जाये या हम यहां नहीं रहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष जी से कहिए वे इसकी व्यवस्था करवाएं... (व्यवधान)....पहले से डिसाइडेड है कि जब सैशन चलता है तो कहीं पर भी इस प्रकार की मीटिंग नहीं हुआ करतीं। यह पूर्व निर्धारित है।

श्री कालीचरण सराफ : उनको निर्देश प्रदान करें। मैं और श्री लक्ष्मीनारायणजी इसके मैम्बर है। कैसे जायं?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): इसलिये आप निर्देश प्रसारित कीजिये कि सिंडिकेट की मीटिंग....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं। इनको निर्देश हैं और वहां इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आज की मीटिंग कैंसिल करवाएं। बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है आज।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी मीटिंग है तो उसको कैंसिल करवा दी जाएगी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अभी 12-30 बजे है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर एक एक बोलेंगे तो कुछ सुनाई देगा। माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंहजी क्या कह रही हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : मैं यह निवेदन कर रही हूं कि जयपुर में होने वाली मीटिंग पर यह लागू नहीं होता है। जयपुर में घण्टे-दो घण्टे के लिये जा के आ सकते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : विधान सभा चल रही है, कैसे जाएंगे? आज बोलना है हमको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रोज तो जैसे आप बैठे ही रहते हैं सारे वक्त।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई साहब ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : यह आटोनामस बाडी है । अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार के विभागों की मीटिंग में लिये दिया था, आटोनामस बोडिज के लिये नहीं दिया था ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : ऐसा है कि अपन होल-टाइम तो यहां काम करते नहीं है । मीटिंग अगर जयपुर से बाहर हो तो स्वाभाविक बात है कि जा नहीं सकते । लेकिन अगर जयपुर में मीटिंग है तो उस पर यह लागू नहीं हो सकता । क्योंकि यह जरूरी नहीं है, अपन उपस्थित नहीं हों तो न तो कोई विधान सभा की कार्यवाही रुकती है । यही नहीं ब्रिटिश पार्लियामैण्ट में तो 5 बजे के बाद व्यक्ति अपने सब काम से निपट कर, सेवा के लिये टाइम बचे तो वह पार्लियामैण्ट में जाता है । इसलिये यहां वालों के लिये नहीं बाहर वालों में तो उनको....

श्री कालीचरण सराफ : मुझे एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलना है । अब मैं कैसे जाऊं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, शनिवार को विधान सभा की बैठक तो होती नहीं इसलिये मीटिंग रख ली । शनिवार को विधान सभा का सत्र बुलाया है, इसकी सूचना उनको नहीं हो पाई । अब या तो सूचना दें कि असेम्बली की बैठक है तो हो सकता है कि वे पोस्टपोन कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये । इसकी कोई व्यवस्था की जायेगी ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : यह आटोनोमस बोडिज पर भी लागू है । यह नहीं है कि कोई डी. आर. डी. ए. की मीटिंग हो या स्वास्थ्य सेवा परिषद् की मीटिंग हो, तभी यह होगा । यह हर पर लागू है । आज शनिवार को स्पेशल मीटिंग रखी गई है, अक्सर शनिवार को मीटिंग नहीं रखी जाती है । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि यहां से निर्देश प्रसारित किये जायं मीटिंग स्थगित कराई जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे पहले कह चुका हूं कि आप माननीय अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क कर लीजिये । वे इसकी उचित व्यवस्था कर देंगे ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जिला नागौर की परबतसर तहसील की प्रस्तावित पांच जलदाय योजनाओं में पाइप लाइन डलवाई जाकर ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना ।

प्रकिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री मोहनलाल चौहान/श्री मोहनलाल (जायल)/श्री रिछपाल सिंह/श्री रामकरण, सदस्य, विधान सभा जिला नागौर की तहसील परवतसर की प्रस्तावित पांच जलदाय योजनाओं में पाइप लाइन डलवाई जाकर ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध करवाए जाने की ओर जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय श्री मोहन लाल चौहान ।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की पांच जलदाय योजनाओं के सम्बन्ध में माननीय जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री ।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना धोलिया और मुंडोती की स्वीकृति तकनीकि मिशन के अन्तर्गत की गई थी । इस योजना में ग्राम धोलिया, मुंडोती, पालडीवडवा, निम्बोला, भवानी गांव को लाभान्वित किया जाना था । यह निकटस्थ क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता में कमी है अथवा उचित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध नहीं है । प्रयास करने के पश्चात ग्राम मोरड़ी खुर्द को जलस्रोत हेतु प्रस्तावित किया गया जहां 5 खुले कुओं की स्वीकृति के विरूद्ध 3 कुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है । एक कुएं का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है जिसकी क्षमता व पेयजल की गुणवत्ता की जांच करवाई जा रही है । अन्य दो कुओं का कार्य अप्रेल माह में पूर्ण होने की सम्भावना है । जलस्रोत क्षमता का मूल्यांकन के पश्चात शीघ्र ही योजना के द्वितीय भाग की तकनीकि स्वीकृति प्राप्त की जाकर पाइप लाइन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । उल्लिखित पांच गावों में गर्मी के मौसम से निपटने हेतु टैंकरों से जल वितरण पूर्व में भी किया जाता रहा है और इस बार भी करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन लाल जी ।

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जलदाय योजना करीब करीब 6 साल से पेंडिग है । यह तकनीकि मिशन, दिल्ली से स्वीकृत योजना है । पानी के मामले में यह कितने दिन टैंकरों से पानी पिलाएंगे । हर साल गर्मी के मौसम में टैंकर लगाते हैं । 3 साल फेमिन में कलक्टर द्वारा टैंकर लगाकर पानी पिलाया गया । दो साल पी. एच. ई. डी. की तरफ से टैंकर भेजे गये । टैंकरों से कितने गांवों को पानी पिला सकते हैं । 250-300-500-600 और 1000 की जनसंख्या के गांव हैं, उनमें टैंकरों से कितना पानी पिलाऐंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी लापरवाही और शिथिलता की बात है कि एक साल इनको सर्वे करने में लग जाता है । दो साल तक सर्वे नहीं कर पाते हैं कि पानी पास के किस गांव में है । दो किलोमीटर की दूरी पर मिलता है हमारे गांव में । चार किलोमीटर और दो किलोमीटर की दूरी पर पानी खूब है मीठा । लेकिन यहां पी. एच. ई. डी. की लापरवाही के कारण से स्कीम को 6-6, 7-7 साल पेंडिग रखना और गांव वाले खारा पानी पी रहे हैं । धोलिया, मुंडोता, पालड़ीवड़वा, भवानी गांव, निम्बोलाकला में कई वर्ष से खारा

(श्री मोहनलाल चौहान)

पानी पी रहे हैं। इतनी शिथिलता से काम करते हैं तो कब तक, मंत्री महोदय क्या 5-10 साल लग जाएंगे। पानी नहीं पिला सकते हैं आप। दो किलोमीटर दूर मेरे गांव में पानी है और जो मोरड़ी की बात कर रहे हैं, वहां पानी पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुएं खुद गये हैं। एक बिल्कुल खुद चुका है। आप मंत्रीजी से कीजिये।

श्री मोहनलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि इनकी स्कीम के तहत पाइप आये हुए पड़े हैं मोरड़ी गांव में। फिलहाल तीन गांवों को निम्बोलाकला, पालड़ीवड़वा और भवानी गांव को पाइप लाइन से जोड़कर इस महीने में पानी शुरू कर दीजिए। पानी है, 40 फीट कुएं में आ गया। पानी की पाइप लाइन बिछाकर के पानी का कनेक्शन दिया जाय। फिर आप उनकी तकनीकी स्वीकृति की बात कह रहे हैं, कि तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही .... आपके पाइप पड़े हैं, मौके पर है। 3 गांवों को आज आप भी जोड़ सकते हैं। यह सिर्फ डिपार्टमेंट की शिथिलता ही है जो उनको पाइप लाइन डालकर के पानी नहीं दे सकता दूसरा कुआ 15-20 दिन में तैयार हो रहा है। पाइप लाइन बिछा दीजिये। मंत्री महोदय यह 15 दिन के अन्दर पाइप लाइन बिछाकर निम्बोलाकला, भवानीगांव और पालड़ीवड़वा तीनों गांवों को इसी अप्रेल माह में पानी देने का कष्ट करें क्योंकि यह लम्बी योजना है। बाकी मुण्डोता और धोलिया में जब दूसरा कुआ तैयार हो जाता है तो आप पाइप उपलब्ध कराकर पानी उपलब्ध करावें। मैं मंत्री महोदय आपसे आश्वासन चाहता हूं कि ये मौके पर पाइप पड़े हैं। इनकी तकनीकी स्वीकृति तो आपकी दी हुई समझो फिर पाइप लाइन नहीं बिछा सकते। यह पाइप लाइन आप कब तक बिछा देंगे, यह बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रिछपालसिंह जी, आप कुछ कहेंगे ? माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के आपने तथ्य रखे हैं, उनमें थोड़ा सा फर्क है। आपका जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसमें आपने लिखा है कि योजना 1989 में मंजूर हुई थी। छः साल नहीं हुए हैं। 1989 में तो योजना मंजूर हुई और जिस स्थान पर यह कुआ खोदा जाना था, वहां पर खोदा गया। खोदने के बाद, आपने स्वयं ने इस बात को लिखा है, वहां पानी पीने योग्य नहीं मिला। जब पानी पीने योग्य नहीं मिला तो उस योजना को ड्राप कर देना पड़ा। साल-सवा साल उसमें लग गया। फिर जब वह फेल हो गया, कुआ नहीं है तो दूसरे कुए की तलाश हुई। उसकी स्वीकृति हमने 26-9-91 को कर दी। दूसरा कुआ जहां खोदा जा सकता है, उस स्रोत के लिये 29-9-91 को दुबारा स्वीकृति दी। अभी 1992 चल रहा है। यह छः साल की आपने शिकायत जो की है, वह मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। 26-9-91 को स्वीकृत करने के बाद एक कुआ तो खोद दिया और दो कुएं खोदने का काम चल रहा है। वह भी अप्रेल तक, आप स्वयं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ने कहा है, अप्रेल तक पूरा हो जाएगा। आप भी मानते हैं इस बात को, हम भी कहते हैं कि अप्रेल तक पूरा हो जाएगा। अब कुआं पूरा खुद जाय, उसकी कितनी पानी की कैपेसिटी है, कितना पानी उसमें निकलेगा, वह पानी ठीक है या नहीं है, यह सब जांच में समय तो लगता है थोड़ा बहुत।

माननीय सदस्य हमने पिछले दिनों अधिकारियों को बुलाकर आपके सामने बातचीत की है। आप बिल्कुल सन्तुष्ट थे कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है, वह ठीक है। सरकार और डिपार्टमेंट की भी इच्छा यही है कि जब पानी मिल गया, अच्छा पानी है तो जिस सुविधा के लिये मिला है, उसमें देरी क्यों की जाय। अब उसका बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता।

यह जो पाइप आप बता रहे हैं, यह योजना के पाइप नहीं हैं। यह पहले से रखे हुए हैं। केवल इसमें परिवर्तित करना, यह बड़ा काम नहीं है लेकिन एक बार थोड़ा पानी मिल जाय। उसकी जब योजना तैयार होगी तो हमारी खुद की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी पानी पिलाये। अगर मान लो फिर भी कोई दिक्कत आती है कि हम इसको गर्मी से पूर्व नहीं कर सके तो इस बार आपको टैंकर से पानी पिलाएंगे, और भविष्य में अगली बार भगवान की कृपा रही तो अच्छा पानी मिल जाएगा। इसमें मैं लापरवाही तो कहीं मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि आपने वहां पर जब अन्दर मीटिंग की थी तब तो धन्यवाद दे रहे थे। पता नहीं यहां क्या हो जाता है? धन्यवाद आप मुझे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह पानी जल्दी चाहते हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं।

श्री मोहनलाल चौहान : मैं आपके डिपार्टमेंट की बात कह रहा हूं। आपको तो धन्यवाद दिया है और भी दे रहा हूं। पाइप लाइन में टाइम लगेगा इसलिए पाइप लाइन का काम तो शुरू करवा दीजिए। पानी तो एक कुएं में आ गया, 40 फीट खुद गया है। उससे आप कम से कम 2 गांवों में तो पानी दे ही सकते हैं आज की तारीख में। पाइप लाइन क्यों नहीं बिछवा रहे हैं, इसमें क्यों देर हो रही है? इसका जवाब दीजिए। पाइप लाइन पड़ी हुई है 2-3 गांवों में तो उस एक कुएं से पानी दे सकते हैं। इतना पानी उसमें है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य मेरा आपसे निवेदन है कि पानी जल्दी से जल्दी गांवों तक पहुंचे हमारी खुद की चिन्ता है लेकिन जब तक गांव का वह कुआ पूरा नहीं खुद जाता, 40 फीट कुआ खुदा है. मान लीजिए वहां और पानी मिल सकता है तो और स्रोत ढूंढना पड़ेगा और गहरा जाना पड़ेगा।

श्री मोहनलाल चौहान : नहीं, श्रीमन् पाइप लाइन बिछाने में देर लगेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य जितना कुआ खुद गया जितना हमें खोदना चाहिए उतना खोद देने दीजिए आप यह समझते हैं कि पानी पर्याप्त है और खुदवाने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

की आवश्यकता नहीं हैं विभाग समझता है कि और पानी दे सकते हैं खोदने की आवश्यकता है, और ज्यादा मिल सकता और गहरा कराने से... (व्यवधान).... जानबूझकर देरी नहीं हो रही है।

श्री मोहनलाल चौहान : नहीं, तो आप दो गांवों में तो दे सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आखिर में इस सम्बन्ध में मेरे अधिकारियों से बात कर लेता हूं....

श्री मोहनलाल चौहान : 2 गांवों में दे दीजिए 5 गांवों में नहीं दे सकते हैं तो ?

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रगति को बीच में रोककर पानी दिया जा सकता है तो उस पर मैं विचार कर लूंगा।

श्री मोहनलाल चौहान : धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा : बाकी तो प्रगति करनी पड़ेगी पहले।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती तारा भण्डारी/श्री मोहम्मद माहिर आजाद/श्री टीकमचन्द कान्त/श्री राजेन्द्र गहलोत/ श्री गुलाम मुस्तुफा खान /श्री लक्ष्मी नारायण दवे/डा. चन्द्रभान/ श्री गुलाबसिंह, सदस्य, विधान सभा जिला सिरोही के शिवगंज नगर में स्थित जामा मस्जिद की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिये जाने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष की ओर वक्फ राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

जामा मस्जिद (सिरोही) की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले की शिवगंज की जामा मस्जिद, जो वक्फ की सम्पत्ति, पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बस ध्यान आकर्षित हो गया, आपको और राइट है बोलने का। माननीय वक्फ मंत्रीजी।

श्री रमजान खां (मंत्री राज्य वक्फ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिवगंज की जामा मस्जिद खसरा नम्बर 83-84 पर स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2 बीघा 13 बिस्वा है। इस मस्जिद के पूर्व। पश्चिम और दक्षिण में आम रास्ता है। उत्तर में गफूर खां पुत्र अहमद का मकान है। जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उक्त भू-भाग का तहसीलदार शिवगंज से दिनांक 15-3-1992 को मोमिया ट्रेस के अनुसार नाप करवाई। मौके पर खसरा 83- व 84 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि ही पाई गई। इस तरह मस्जिद भूमि क्षेत्रफल में 6 बिस्वा कम है। जिसके लिए नाम कराने पर पाया गया गफूर खां पुत्र श्री अहमद एवं सुलेमान

(श्री रमजान खां)

पुत्र रहीम बक्श ने मस्जिद की 4 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कर रखा है। शेष 2 बिस्वा भूमि पड़त रास्ते में शामिल है। राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि अप्राधिकृत आदिवासियों को बेदखली नियम 64 की धारा 3 के अन्तर्गत दिनांक 7-9-1989 को अधिसूचना जारी कर समस्त उप खण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्र में आने वाली वक्फ की सम्पत्ति के लिए सम्पत्ति अधिकारी नियुक्त कर रखा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने समस्त जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देश जारी कर रखे हैं कि वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जों की शिकायत करने पर नाजायज कब्जों को रोकने व हटाने की कार्यवाही की जाय। जिला कलक्टर, सिरोही के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा उक्त भूमि पर से अनधिकृत कब्जे हटाने के बारे में सम्पदा अधिकारी ने न्यायालय में विधिवत वाद दायर करने पर ही आगे नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, जामा मस्जिद शिवगंज के मुस्लिम समुदाय द्वारा वर्ष 1986 से लगातार राज्य सरकार, पूर्व मुख्य मंत्री, वक्फ बोर्ड, वक्फ मंत्री, नगर पालिका शिवगंज तथा जिला कलक्टर से सम्पर्क एवं आवेदन कर उक्त अतिक्रमण को हटाने का निवेदन किया गया। लेकिन उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए ना तो वक्फ बोर्ड ने कोई कारगर कार्यवाही की और ना ही जिलाधीश, सिरोही ने और ना ही जिनको इन्होंने सम्पदा अधिकारी, उप-खण्ड अधिकारियों को बना रखा है, किसी ने भी इस सम्पत्ति से अतिक्रमियों को बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं की। समझ में नहीं आता कि इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने में वक्फ बोर्ड किस प्रकार से मौन रहा, क्यों निष्क्रिय रहा? यदि वक्फ बोर्ड को किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी है उपाध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड जो अपनी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द होने से बचा नहीं सकता है तो इस बोर्ड की क्या आवश्यकता है, सरकार बन्द क्यों नहीं कर देती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो नगरपालिका शिवगंज ने किया। माननीय मंत्री महोदय, ने माना है कि यह जमीन जो भी अतिक्रमियों एम. एस. एस. नहीं है ने दबा रखी है वह मौके पर मस्जिद वाली जमीन है इससे वह कम है लेकिन यह नहीं बताया, माननीय मंत्री महोदय भी गोलमाल कर गए यह जो जमीन वक्फ की कम है मौके पर नाप के अनुसार, इनके अधिकारियों ने 15-3-1992 को जाकर नाप किया है, 8 अधिकारियों के इसमें दस्तखत हैं। 6 बिस्वा भूमि इन्होंने कम होना माना है लेकिन वह कम भूमि कहां गई?

श्री उपाध्यक्ष : पड़ौस में दो आदमियों के नाम लिए हैं ना फिर?

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं, नहीं अतिक्रमण माना है....

श्री उपाध्यक्ष : और क्या मानेंगे?

श्रीमती तारा भण्डारी : लेकिन यह गोल माल कर दिया कि यह भूमि तो नगरपालिका शिवगंज ने उन अतिक्रमियों की नियमित कर दी। 1986 से लगातार जामा मस्जिद के लोग शिकायत कर रहे हैं, सरकार को शिकायत कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को शिकायत कर रहे हैं, वहां के जिला कलक्टर को शिकायत कर रहे हैं, नगर पालिका की शिकायत कर रहे हैं। नगरपालिका जानती है कि यह जमीन मस्जिद की है और अपनी और अपने बाप की मानते हुए अतिक्रमियों के पक्ष में नियमित कर दी और वह भी किस प्रकार से नियमित की है, उपाध्यक्ष महोदय, इतनी मंहगी जमीन को मात्र 2 रुपये और 3 रुपये प्रति वर्ग गज की कीमत लेकर नगरपालिका शिवगंज ने.... (व्यवधान)

तो आपके पूर्व काम को है। आपको मालूम ही नहीं है यह। (व्यवधान) तब तो (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम तो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप समझी नहीं कि क्यों हमने शेम, शेम किया है। आपने जो कुछ कहा है ....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : लोगों ने कब्जा कर रखा है और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : 1986 से तो यह शिकायतें कर रहे हैं.... (व्यवधान) माननीय सदस्य मुझे बोलने दें आप। आप तो मुझ पर कृपा ही करो। उपाध्यक्ष महोदय, इनसे तो मेरा पिण्डा छुड़वाओ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप समझ नहीं रही हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप वयोवृद्ध सदस्य हैं, आपका कुछ मार्ग दर्शन ही करेंगी, इसलिए खड़ी हुई हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मार्ग दर्शन नहीं चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रही हूं....

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह नारी-नारी का कैसे पिण्डा पकड़ती है, यह क्या बात हुई ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नारी का सवाल नहीं है। माननीय सदस्या ने जो कुछ कहा, गवर्नमेंट को है, हम तो सपोर्ट कर रही हैं और समझ नहीं रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : लेकिन आपको किसने समझाने के लिए कहा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं क्यों नहीं बोलूं मैं भी सदन की मेम्बर हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करती हूं माननीय बन्धुओं का कि इन्होंने सरकार का + + +

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

स्थिति को उजागर किया। 1986 से लगातार शिकायतें हो रही हैं और 3 अगस्त, 1987 को नगरपालिका शिवगंज ने अतिक्रमण नियमित किया है। (व्यवधान).... बोलने दें माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट ऑफ आर्डर है? एक मिनट श्रीमती तारा भण्डारीजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : इनको भी बोलना है।

डा. चन्द्रभान : आपके साथ ही बोलूंगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्या ने कहा कि मैं धन्यवाद करती हूं इधर के बन्धुओं का, इनको माननीय सदस्य कहना चाहिए, बन्धु कौन किसके?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : (व्यवधान) हमको कह रही हैं इनको भी तो हो?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए यह काहे का पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं मान गई। मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 3 अगस्त 1987 को नगरपालिका ने 2 रुपये और 3 रुपये वर्ग गज के हिसाब से पैसे लेकर सारे मामले को गोलमाल करके इस गफूर खां के पक्ष में नियमन कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलना चाहूंगी कि यह जो नियमन हुआ है, मैं भी नगरपालिका में रही हुई हूं। नियमन की प्रक्रिया यह है कि बराबर मौके पर जाना होता है, मौका मुआयना करना होता है, मौके की रिपोर्ट फाइल पर आती है और सारी स्थिति जानने के बाद सारे एतराज देखने के बाद नियमन की कार्यवाही की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में नगर पालिका शिवगंज ने यह नहीं किया। 3 जुलाई, 1987 को फाइल पुटअप हुई और 3 अगस्त, 1987 को नगरपालिका शिवगंज ने सारे कायदे-कानून ताक पर रखकर इस जमीन को, जो वक्फ की सम्पत्ति थी, जामा मस्जिद शिवगंज की सम्पत्ति थी उसको इस अतिक्रमी के पक्ष में नियमन ही नहीं किया, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो लगातार एतराज काउन्ट करने के बाद एतराज देने के बाद तामीर की इजाजत भी दे दी, 15-1-1988 को नगरपालिका शिवगंज ने इस पर तामीर की इजाजत भी दे दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि यह जो हाजी गफूर खां है यह जामा मस्जिद शिवगंज में नमाज पढ़ने जाते थे, जब उन्होंने वहां पर ऐसा धंधा किया, मस्जिद की जमीन दबाई तो उस मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां से उनको हटाया। तो यह महाशय बोहरा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे। उपाध्यक्ष महोदय, बोहरा मजिस्द ने भी उनको वहां से निकाला फिर यह महाशय छावनी की मस्जिद में, जो मदरसे की मस्जिद है वहां जाकर नमाज पढ़ने लगे, वहां के लोगों ने

(श्री मतीतारा भण्डारी)

भी उनको निकाला। सारे शिवगंज के के मुस्लिम समाजों ने उनका बहिष्कार किया तो....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछ लीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, वह आज सुमेरपुर में नमाज पढ़ने जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए दो-एक सवाल पूछना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब में यह माना है कि 7-9-1989 को एक अधिसूचना जारी करके उपखण्ड अधिकारियों को वक्फ सम्पत्तियों का सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया। जामा मस्जिद शिवगंज की भूमि के मामले में उप खण्ड अधिकारी सिरोही ने अमानत में खयानत की तथा अपने कर्तव्यों की पालना नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : अमानत में खयानत कहां आ गई है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : सम्पदा अधिकारी है। उपाध्यक्ष महोदय, सम्पदा अधि- ने सम्पदा को खुर्द-बुर्द हो जाने दिया। यहां पर वक्फ बोर्ड के सम्पदा अधिकारी हैं इसमें शब्द है; उपाध्यक्ष महोदय, और जब वह सम्पदा अधिकारी हैं तो उन्होंने अपनी नेग्लीजेंसी बरत कर इस सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द होने दिया। ऐसे उप-खण्ड अधिकारी के विरुद्ध क्या वक्फ बोर्ड और सरकार कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? दूसरा, मेरा सवाल यह है कि नगरपालिका कर्मचारियों ने जान बूझकर यह भ्रष्टाचार किया, वक्फ की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द किया और उसके ऊपर तामीर होने दी। आज उस गफूर खां को मौका मिल सकता है वह कभी भी कोर्ट में जाकर स्टे ला सकता है। जानबूझकर इस सम्पत्ति को हस्तान्तरित किया। ऐसे नगरपालिका अधिकारियों के विरूद्ध क्या वक्फ बोर्ड और सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?'

तीसरा मेरा प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जो सम्पत्ति बेच दी गई है इसका पट्टा निरस्त करवाकर यह जमीन पुनः जामा मस्जिद शिवगंज को सरकार कब तक सौंप देगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शिवगंज की जामा मस्जिद को वक्फ की सम्पत्ति है; जिसका वक्फ सम्पत्ति में रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस पर एक प्राईवेट व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर देने से न सिर्फ शिवगंज बल्कि सिरोही जिले और पास के सुमेरपुर जो पाली जिले में पड़ता है। वहां के अल्पसंख्यकों में भारी रोष व्याप्त हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपको पहले तो जो वक्फ एक्ट एक्ट है उसकी सैक्शन 25 उद्धृत करना चाहूंगा। रजिस्ट्रेशनः–

"Every Wakf, whether created before or after the commencement of this Act, shall be registered at the office of the Wakf Commissioner. Application for registration shall be made by the mutavalli :

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

Provided that such applications may be made by the Wakdif or his descendents or a bencficiary of the Wakf or any muslim belonging to the sect to which the Wakf belongs.'

श्री उपाध्यक्ष : यह डिस्प्यूटेड कहां है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट के प्रावधान में यह है कि जब एक सम्पत्ति का वक्फ में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका ओनर हो गया वक्फ बोर्ड । जब ओनर वक्फ बोर्ड हो गया तो उसको ट्रांसफर का, उसको सैल करने का उसके सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही करने का उसके सम्बन्ध में कोई भी पैरवी का, तामीर की इजाजत मांगने का अधिकार केवल उस मुत्तवल्ली को है जिसने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है । मैं यह कहना चाहता था कि आप इसकी भावनाओं को समझ गए तो मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि मुत्तवली को न तो वक्फ बोर्ड की तरफ से और न वक्फ विभाग से कोई वेतन मिलता है, न किसी तरह का कोई भत्ता मिलता है, न उसको कोई पत्राचार या आवागमन का कोई यात्रा व्यय मिलता है । मतलब कोई सुविधा उसको नहीं मिलती जो अपना पुण्य और सवाल की दृष्टि से यह काम करता है कि मुझे सबाब मिलेगा मालिक के यहां जाकर अच्छे कर्म करने पर वही व्यक्ति काम करता है । इस सम्पत्ति का मुत्तवली बना रखा है नियाज अली को । अब आप स्थिति देखिए जब में उस गफूर पुत्र अहमद ने आवेदन पत्र दिया उसकी इजाजत मांगने के लिए तब इस मुत्तवल्ली ने क्या किया, इसने पहले नगरपालिका को आपत्ति की 16-1-1988 को और दुबारा 18-8-1990 को इसने आपत्ति की कि यह इसका असली ओनर नहीं है और वक्फ बोर्ड का अधिकार पत्रले जाकर प्रस्तुत कर दिया कि I am mutawalli of that Wakf, I am the owner, I am the power of Attorney holder.

मेरे अलावा कोई इसके लिए इजाजत मांगने का हकदार नहीं है । यह म्युनिपैलिटी के ई. ओ. को ले जाकर दे दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : किसने एतराज किया, क्या नाम था इनका ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नियाज अली । यह दे दिया इसने यह मुत्तबल्ली था । उसके बाद इसने 25-1-1988 को तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया कि माननीय तहसीलदार महोदय, इस वक्फ की सम्पत्ति पर जामा मस्जिद की सम्पत्ति पर फलां व्यक्ति कब्जा कर रहा है । कृपया आप इसको छुड़ाएं और वक्फ को दिलाएं । उसके बाद भी पार नहीं पड़ी उसने 25-1-1988 को ही एस. डी. ओ. को चिट्ठी लिखी । उसके बाद उसने 17-2-1988 को जिला कलक्टर, सिरोही को पत्र दिया और उससे भी पार नहीं पड़ी । उसको यह मालूम पड़ा कि अब इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहां पर 28-10 1987

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

को दरख्वास्त दी कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जामा मस्जिद की खसरा नम्बर फलां-फलां की सम्पत्ति, फलां व्यक्ति अपने नाम रजिस्ट्री कराना चाहता है मैं मुत्तवली की हैसीयत से आपत्ती करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यह सम्पत्ति निजी सम्पत्ति नहीं है, न उसको मालिकाना हक हैं, न उसके पूर्वजों की सम्पत्ति है। यह वक्फ सम्पत्ति है, आप कृपया इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करें। उसने राजस्थान के वक्फ मन्त्री को पत्र लिखा और फिर उसने राजस्थान के वक्फ बोर्ड को 15-1-1988 को पत्र लिखा। फिर उसने 8-6-1990 को राजस्थान के मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा। यानि, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी भावना देखिए कि म्युनिसिपैलिटी में आपत्ति करने से लेकर राजस्थान के सबसे बड़े प्रशासक मुख्य मन्त्री तक उसने अपनी फरियाद पहुंचाई। बार-बार जयपुर आया, किराया खर्चा लगाकर कि यह जामा मस्जिद की सम्पत्ति कि लोगों के हाथ में नहीं चली जाए। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि तत्कालीन केन्द्रीय गृह मन्त्री माननीय श्री बूटासिह जी, जो क्षेत्रीय सांसद थे उनको चिट्ठी लिखी। उसने सबको जहां-जहां पर वह दरख्वास्त दे सकता था, दी। माननीय वक्फ मन्त्री महोदय ने 25-9-1991 को यानि ठीक ड़ेढ़ साल बाद 25-9-1991 को, एक पत्र जिला कलक्टर सिरोही को लिखा। जिला कलक्टर, सिरोही को वक्फ मन्त्रीजी पत्र लिखते हैं यह मैं जरा आपको बताना चाहता हूं। कार्यालय राज्य मंत्री भेड़ ऊन, मत्स्य, वक्फ एवं सैनिक कल्याण–25 सितम्बर को लिखते हैं इसका मैं आपको वहीं पोर्शन पढ़कर के सुनाता हूं, वह इसमें लिखते हैं शिवगंज की जामा मस्जिद को भूमि खसरा नम्बर 83-४4 पर श्री गफूर अहमद, निवासी शिवगंज ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और नगरपालिका शिवगंज ने अवैधानिक रूप से उक्त अतिकर्मण स्थान पर निर्माण कार्य करवाने का अनुज्ञा पत्र भी प्रदान कर दिया है। उक्त अतिक्रमण से अतिक्रमी को बेदखल करने तथा नगरपालिका को निर्माण कार्य की अनुज्ञा जारी नहीं करने के लिए उक्त मुत्तवल्ली वर्ष 1987-88 मे पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं 1991 में 1987-88 से लगातार लिखित एवं मौखिक रूप से निवेदन करता आ रहा है, परन्तु उस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं देते हुए नगरपालिका एवं स्थानीय प्रशासन ने जामा मस्जिद की भूमि पर अतिक्रमण करवा दिया है और निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी। अतः इस सम्बन्ध में कृपया सम्पूर्ण मामले का अवलोकन कर अतिक्रमणी को तुरन्त बेदखल करवाएं और समुचित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तु स्थिति से मुझे अवगत करवाएं यह पत्र लिखा। उपाध्यक्ष महोदय, जरा सुनिये तो सही क्या खाक है, इस पत्र का आज तक इन मंत्रीजी को जवाब नहीं मिला। जिला कलक्टर की तरफ से आज तक इस चिट्ठी का जवाब नहीं मिला इसके लिए मैं कहता हूं कि यह सारे कर्मचारी चाहे नगरपालिका की अधिशाषी अधिकारी हो, चाहे तहसीलदार

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

हो, चाहे डिप्टी रजिस्ट्रार हो, चाहे एस. डी. ओ. हो, चाहे कलक्टर हो और चाहे माननीय वक्फ मंत्री हो। यह सारे के सारे इसके अन्दर भागीदार हैं कि जामा मस्जिद की चार बिस्वा जमीन आज यह मान रहे हैं। आप अपने जवाब में कह दीजिएगा.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो बोलने का अधिकार है....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपको अधिकार है, अपना जवाब दे दीजिएगा। आपका काम हमको करना पड़ रहा है। आपके तो भेड़-ऊन और श्रमिक कल्याण के मंत्री अच्छे हैं, वक्फ का अच्छा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सम्भालना चाहते हैं क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो इस चक्कर में नहीं पड़ता। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस उत्तर में विरोधाभास है। जवाब के पैरा तीन में लिखते हैं, जरा आप अवलोकन करें। इन्होंने लिखा है कि "राजस्थान सार्वजनिक भू-गृह आदि अप्राधिकृत अदिवासियों की बेदखली अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अन्तर्गत दिनांक 7/9/89 को अधिसूचना जारी कर समस्त उप खण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्र में आने वाली वक्फ सम्पत्तियों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त कर रखा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने समस्त जिला कलक्टरों को, यह देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, जरा गौर से, समस्त जिला कलक्टरों को निर्देश भी जारी कर रखे हैं कि वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फ समितियों पर अनाधिकृत कब्जों की शिकायत करने पर नाजायज कब्जे को रोकने व हटाने की कार्यवाही की जाए। क्लियर इन्सट्रक्शन्स हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही इनको यह शिकायत मिले कि वक्फ प्रोपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, उनकी यह मोरल ड्यूटी नहीं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, कानूनी जिम्मेदारी, उनका यह कर्त्तव्य बन जाता है उनकी लाइबिलिटी बन जाती है कि वह उस कब्जे को हटवाएं और कार्यवाही करें। क्या लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि "जिला कलक्टर, सिरोही ने, एक तरफ राजस्थान सरकार का आदेश, राज्य सरकार बड़ी है या जिला कलक्टर, सिरोही बड़ा है।" क्या लिखते हैं–"जिला कलक्टर, सिरोही के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा उक्त भूमि पर से अनाधिकृत कब्जे को हटाने के बारे में सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में विधिवत वाद दायर करने पर भी आगे नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।" यानि राज्य सरकार के तो निर्देश यह हैं कि जैसे ही उनको सूचना मिले, इसमें कहीं नहीं है कि दावा प्रस्तुत किया जाए, वाद पत्र प्रस्तुत हो। इसमें केवल यह हैं कि जैसे ही उनको सूचना मिले कि फलां वक्फ प्रोपर्टी पर फलां व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है उनको तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। कलक्टर क्या लिखते हैं, "चूंकि सम्पदा अधिकारी के यहां विधिवत", आदमी बराबर चिट्ठी लिख रहा है। विधिवत क्या ? उसमें कोई कोर्ट के स्टाम्प तो लगते

(श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद)

नहीं, उसके लिये क्या चाहते हैं? जब उसने शिकायत कर दी उसके बाद यह बहाना टटोला गया, जवाब इस तरह से गोल-माल दिया गया कि वक्फ सम्पत्तियों को, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ शिवगंज में नहीं पूरे राजस्थान में ग्राज यह हो रहा है कि वक्फ की जितनी भी जायदाद है उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपयों की जमीन पर लोग ग्रनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य कर रहे हैं ग्रौर वक्फ मंत्रालय, वक्फ विभाग ग्रौर वक्फ बोर्ड उसको महफूज रखने ग्रौर उसकी हिफाजत करने में ग्रक्षम है।

मैं ग्रापके माध्यम से कहना चाहूंगा कि या तो यह निर्णय लें, ग्राज स्वायत्त शासन मंत्री महोदय भी बैठे हैं, इनको भी बड़प्पन का सबूत देना चाहिए ग्रौर नगरपालिका के ई. ग्रो. ने गड़बड़ी की है ग्रौर कलक्टर के लिखने के बाद, मंत्री के लिखने के बाद वक्फ बोर्ड के सहायक सचिव ने पत्र में लिख दिया ई. ग्रो. को। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह भी ग्रापको कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड के सहायक सचिव ने....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी का लिखा हुग्रा ही बहुत है।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : ई. ग्रो. को तो नहीं लिखा। वक्फ बोर्ड के सहायक सचिव ने भी पत्र लिखा है 15/1/88 को बाई हैण्ड मुत्तवल्ली चिट्ठी लेकर गया यहां से, जा करके खुद ने उसको दिया, उस पर रिसीप्ट करवायी चिट्ठी पर ग्रौर उसमें उसने यह लिखा है उसके बाद ना सिर्फ उस जमीन पर परमीशन दी बनाने की, उसके बाद उसको रेगुलराइज कर दिया, नियमन कर दिया। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से ग्रापके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ग्रापको भी ग्राज बड़प्पन का सबूत देना चाहिए। भ्रष्टाचार ग्रौर ग्रनियमितताग्रों खिलाफ बहुत बात करते हैं, ग्रापको घोषणा करनी चाहिए कि इस ई. ग्रो. ने जो गड़बड़ी की है उसको तत्काल प्रभाव से निलम्बित करें ग्रौर इस सम्पत्ति को जो जामा मस्जिद की सम्पत्ति है, तुरन्त ग्रतिक्रमण हटा कर जामा मस्जिद को इसका कब्जा दिलाया जाए। माननीय मंत्रीजी मैं ग्रापसे यह जानना चाहता हूं कि 25/9/91 को जो जिला कलक्टर, सिरोही को पत्र लिखा उसका जवाब ग्रापको दिया, यदि दिया तो सदन के पटल पर रखें ग्रौर नहीं दिया तो क्या ग्रापने रिमाइण्डर भेजा? ग्रापकी चिट्ठी का जवाब भी नहीं। यह सारी चीजें मैं ग्रापसे चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. साहब ग्राप बोलेंगे? ग्राप प्रश्न पूछ लीजिए। प्रस्ताव की भूमिका तो श्रीमती तारा भण्डारी ग्रौर श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद ने बहुत बना दी। सवाल पूछ लीजिए ग्राप।

डा चन्द्रभान (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मैं मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि शिवगंज की जामा मस्जिद की भूमि पर जो ग्रतिक्रमण का मामला है ग्रौर इसके सम्बन्ध में वहां से जवाब ग्रापके पास ग्रा गया, 1986 से वहां के नागरिकों द्वारा इस ग्रतिक्रमण को हटाये जाने की मांग की जा रही है, ग्रौर वहां के जिला कलक्टर ने साफ लिखा है

(डा. चन्द्रभान)

कि जब वक्फ बोर्ड द्वारा इस तरह की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के मामले हैं उनमें आप वाद प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। जब 1986 से मांग चल रही थी, वक्फ बोर्ड के यहां भी मांग की गई तो वक्फ बोर्ड ने आज तक का वाद पत्र वहां पर क्यों नहीं प्रस्तुत किया? जो भी सम्पदा अधिकारी है। दूसरा, यह 1986 से मांग चल रही है और जिला कलक्टर ने कहा कि हमने 15/3/92 को मोमिया ट्रेस के अनुसार नाप कराई। क्या पहले भी कोई नाप करवाई गयी? उपाध्यक्ष महोदय, असलियत तो यह है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जब लगा और इसका जवाब जब सरकार ने मांगा तो पहली बार इस तरह की नाप करवाई गई है। यह नाप ही पहली बार हुई है कि इस जामा मस्जिद की भूमि पर अतिक्रमण है या नहीं है। अभी श्रीमती तारा भण्डारी जी कह रही थी, कि यह जो हुकूमत थी 1986 से 1990 तक की बात कह रही थीं, चार साल तो मान लीजिए कि उन्होंने तो नाप नहीं करवाई और इसमें कार्यवाही नहीं की लेकिन दो साल से तो आपका शासन है, दो साल के समय में आप एक बार भी जांच और नाप नहीं करवा पाएं। इसका मतलब वक्फ बोर्ड की जो भूमि है या सम्पत्ति है उसको खुर्द-फुर्द करने की यदि यह पुरानी कांग्रेस सरकार दोषी थी तो आप भी कम दोषी नहीं है। आपको इसलिये कहना चाहूंगा क्योंकि आप भी इस वर्ग से आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह की कितनी वक्फ बोर्ड की या वक्फ की सम्पत्ति या भूमि है जिन पर अन्य लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? और क्या सम्पदा अधिकारी के यहां पर वाद प्रस्तुत नहीं करके (व्यवधान) यह वक्फ प्रोपर्टी का मामला है?

श्री उपाध्यक्ष : शिवगंज की जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ सवाल है।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, शिवगंज के मामले में तो आप लोगों ने सवाल कर लिए। दो अन्य माननीय सदस्य और सवाल कर लेंगे। मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न इसलिये करना चाहता हूं कि वक्फ की जितनी भी सम्पत्ति है, भूमि है जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका वक्फ बोर्ड इस सब भूमि और अतिक्रमण के मामलों में कहीं जो सम्पदा अधिकारी हैं उनके यहां वाद ही प्रस्तुत नहीं करता। इसका मतलब है कि आपका जो वक्फ बोर्ड है वह स्वयं इन अतिक्रमण करने वालों से मिला हुआ है। इसका आप जवाब दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कांत।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोहम्मद माहिर आजाद जी ने जो कहा है कि इनमें इनकी भी भागीदारी है, मैं इसका विरोध करता हूं। इस प्रश्न को राजनैतिक नहीं बनाएं। यह प्रश्न वक्फ बोर्ड से सम्बन्धित है। सार्वजनिक कहें या वर्ग विशेष का अपना एक सार्वजनिक स्थल है जिसकी सुरक्षा होनी चाहिए इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रश्न एक यह है कि वहां की नगरपालिका, जो उस समय की चुनी हुई थी या प्रशासक

(श्री टीकमचन्द कान्त)

नियुक्त था ? अगर प्रशासक था तो प्रशासक द्वारा उस पर तुरन्त कोई न कोई निर्णय दिलवाया जा सकता था। एक बात तो ये है। और सम्पदा अधिकारी के यहां जहां तक वाद प्रस्तुत करने की बात है वह कौन करेगा ? क्या उसके लिए भी अपने मुत्तवल्ली को ही जाना पड़ेगा या बोर्ड की तरफ से कोई इन्सट्रक्शन होंगे या बोर्ड का अधिकारी इसमें वाद प्रस्तुत करेगा ? इन्होंने किस प्रकार का एक्ट के हिसाब से कोट किया उसके अनुसार वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह तो सारा का सारा वक्फ बोर्ड ही निर्णय लेता है तो फिर वाद प्रस्तुत करने की और कलक्टर के जवाब के अनुसार विवाद बनता है उस पर क्या करेंगे ? इस बात की चर्चा करें।

एक सूचना मैं देना चाहता हूं। यह बात यहीं तक ही सीमित नहीं है। यह जो मुत्तवल्ली की बात कर रहे हैं, या इनके जिनके अधिकार में है उन लोगों को या जो समिति के सदस्य हैं और प्रेसीडेण्ट वगैरह बने हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आबू रोड की भी बात कर रहा हूं। यह बात सिर्फ राजनैतिक अग्रणी नेता हैं वह लोग इसके अधिकारी बने हुए हैं, वह लोग इसके सर्वे सर्वा बने हुए हैं, अपने राजनैतिक वोटों की खातिर अपना सीधा-सीधा लाभ उठा रहे हैं। आबू रोड की भी हालत यही है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसके अन्दर कोई संशोधन हो सकता हो, या सम्पदा अधिकारी बनाने के बाद में यह बात पूर्ण होती हो या फिर प्रशासक नियुक्त करने का भी अगर इसमें कहीं प्रावधान हो तो मैं यह समझता हूं कि सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर तुरन्त तहसीलदारों आदि को प्रशासक नियुक्त कीजिए और उसमें बाद में वक्फ बोर्ड के लिये समिति को चुन करके उसका गठन कीजिए। मेरा तो यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री गुलाम मुस्तुफा खां।

श्री गुलाम मुस्तुफा खां (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो सम्पत्ति थी वह गजट नोटिफाइड हुई है 1966 में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये बदले-बदले कैसे नजर आ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अब ये दाढ़ी रखेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह बताइये कि इन्होंने अपना हुलिया चेंज कैसे किया ? उसकी परमीशन थी क्या ? इनका जो आइडैन्टिटी कार्ड है वह तो बिना दाढ़ी का है, अब इनको कोई पहचानेगा नहीं तब कैसे काम चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : और बना देंगे। दूसरा कार्ड दाढ़ी वाला बना देंगे।

श्री गुलाम मुस्तुफा खां : विधान सभा में आया हूं उसी दिन से दाढ़ी बढ़ा ली है।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह तो घर की घास है, अपने खेत की घास है, कभी बढ़ती रहती है कभी घटती रहती है। इसमें क्या है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खां : और इस्लाम के अन्दर दाढ़ी का रखना सुन्नत है। आपको मैं भी कहूंगा कि आप भी रखें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कल से ही थोड़े हुआ है। वह तो शुरू से 1400 साल से है। आपको अब आई क्या अक्ल ?

श्री गुलाम मुस्तुफा खां : देर आयद दुरस्त आयद। आपको भी सलाह दूंगा कि सुन्नत को भी आप अपनाओ।

श्री उपाध्यक्ष : अब इनको थोड़ा सवाल पूछने दीजिए।

श्री गुलाम मुस्तुफा खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सम्पत्ति है यह मई, 1966 के अन्दर धारा 25 जो वक्फ एक्ट है, उसके तहत दर्ज हुई है। यह निर्विवाद सत्य है। अब डिस्प्युट यह हुआ कि वक्फ बोर्ड के अन्दर जो गजट नोटिफिकेशन निकला, उसका सारे राजस्थान में नोटिफिकेशन हो गया लेकिन उसके अनुसार जो रेवेन्यू रिकार्ड था शिवगंज का, उसके अन्दर इस तरह का कोई अमैण्डमैण्ट नहीं किया, कोई दुरस्ती नहीं की गई। एक बात। दूसरी बात यह हैं कि नगरपलिका के अन्दर एक नजूल रजिस्टर होता है तो कम से कम यह गजट नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद के अन्दर नगरपालिका को नजूल रजिस्टर में एज इट इज एन्ट्री कर लेनी चाहिए थी ताकि यह जो अतिक्रमण बाद में किया गया, यह समस्या नहीं आती। अतिक्रमण करके उन्होंने उसको और भी गलत किया। वक्फ सम्पत्ति जो एक बार वक्फ की हो गई, उसको न तो कोई ट्रांसफर कर सकता है, जिस तरह से माहिर आजाद साहब ने कहा कि मुत्तवली ट्रांसफर कर सकता है। यह कानूनन कोई अधिकार किसी को नहीं है। वक्फ एक्ट में जो प्रोपर्टी दर्ज हो गई धारा 23 में, उसको न तो मुतलवी ट्रांसफर करा सकता है, न कोई और ट्रांसफर कर सकता है न सरकार कर सकती है। एक बार वक्फ में जो सम्पत्ति दर्ज हो गई उसके बारे में निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय जवाब दे यह कि राजस्थान के अन्दर जितनी भी वक्फ में धारा 25 में रजिस्ट्रेशन शुदा सम्पत्तियां हैं उनका नोटिफिकेशन होने के बाद में रेवेन्यू रिकार्ड में दुरस्ती कब तक कर दी जाएगी ? दूसरी, उन सम्पत्तियों को नजूल रजिस्टर में जितनी नगरपालिकाएं हैं, उनमें कब तक रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, एन्ट्री कर दी जाएगी। तीसरा, यह कि सम्पदा अधिकारी का जो प्रश्न है, राजस्थान सरकार को पिछली साल भर से वक्फ बोर्ड ने लिखकर दे रखा है कि वक्फ सम्पत्ति के बचाव के लिए हम सम्पदा अधिकारी का एक पद नियुक्त करना चाहते हैं, पहले यह पद था, उसका पैसा भी वक्फ बोर्ड देने के लिए तैयार है, वह फाइल करीब साल-डेढ़ साल से इधर से उधर, रेवेन्यू रिकार्ड से रेवेन्यू बोर्ड में, दूसरे विभाग में घूम रही है। माननीय मंत्रीजी यह बतावें कि सम्पदा अधिकारी के पद को कब तक नियुक्त कर देंगे ? बस मेरे ये तीन सवाल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीनारायण दवे। पूछेंगे आप ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्यों नहीं ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सन् 1986 में लगातार नियाज अली ने जिला कलक्टर सिरोही को, तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया, तत्कालीन वक्फ मंत्रीजी को प्रार्थना पत्र दिया, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को प्रार्थना पत्र दिया और जयपुर और शिवगंज के बीच में 50 बार उसके चक्कर काटे जाने के बावजूद भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अल्प संख्यक समुदाय के पूजा स्थल की सम्पत्ति का प्रश्न है। बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। सन् 92 में वक्फ मंत्री ने नगरपालिका को और जिला कलक्टर को प्रार्थना पत्र देकर उनसे यह निवेदन किया कि जिस प्रकार यह अतिक्रमण किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीनारायण जी, जो बातें पहले आ गई, वे बोले। कोई दूसरे सवाल पूछें आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : और जिस अतिक्रमी ने सन् 1986 में अतिक्रमण किया है, इस अतिक्रमण को हटाकर, रिकार्ड में दुरस्त करके इसको पुन: जामा मस्जिद के रिकार्ड में किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शिवगंज का प्रश्न नहीं है, यह सारे राजस्थान का प्रश्न है। राजस्थान में जामा मस्जिद की प्रोपर्टी है, कई दुकानें हैं, कहीं दरगाहों की सम्पत्ति है, कहीं कृषि भूमि जो वक्फ मस्जिद या दरगाहों या वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी है, जिनके ऊपर लगातार अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह शिवगंज का ही प्रश्न नहीं है। जो-जो अतिक्रमी हैं, जिन्होंने लगातार कब्जा कर रखा है, इनके ऊपर जिस तरह का नाबालिग के लिए राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अन्दर जो प्रावधान किये गये हैं, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 183 (बी) के अनुसार समरी प्रोसीडिंग्स की कार्यवाही करने का प्रोवीजन रखा गया है, उसी तरह वक्फ की प्रोपर्टी पर जो भी लोग अतिक्रमी है, उन अतिक्रमियों को हटाने के लिए व्यवस्था की जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछिये, लक्ष्मीनारायण जी, कहां मिला रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पजेशन आर्ज गफूर खां ने कर रखा है माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो अतिक्रमण गफूर खां ने कर रखा है, उस अतिक्रमण को आप कब तक हटा देंगे ? इसके लिए मैं माननीय स्वायत्त शासन-मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई निश्चित डेट तय की जाए। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस सब रजिस्ट्रार के पास पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि यह जो प्रोपर्टी है, यह दरगाह की प्रोपर्टी है, जामा मस्जिद की प्रोपर्टी है, यह पूजा स्थल की प्रोपर्टी है, इसकी किसी तरह से रजिस्ट्री नहीं की जाय और नगरपालिका में भी प्रार्थना पत्र दिया गया है कि यह प्रोपर्टी जामा मस्जिद की है, उसके बाद में भी नियमन कर दिया गया, निर्माण की स्वीकृति दी गई। और तत्कालीन रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ने उसका बेचान किया। उस सब रजिस्ट्रार के विरुद्ध, नगरपालिका में

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

प्रशासक हो तो प्रशासक के विरुद्ध और चैयरमेन हो तो तत्कालीन चैयरमेन के विरुद्ध मंत्री महोदय, क्या कार्यवाही करेंगे ? क्या इसमें पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराएंगे और अतिक्रमण हटाकर इसका पजेशन जामा मस्जिद को कब तक दिला देंगे ? यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय गुलाब सिंह जी। अब क्या रह गया ? हा, वह हो गया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है, यह राजस्थान के अल्पसंख्यकों का मामला है, तत्कालीन कांग्रेस ने सन् 86 से लगातार....

श्री उपाध्यक्ष : वह आ गया। बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अल्प-संख्यकों की किसी तरह से पैरवी नहीं की। माननीय मंत्रीजी ने जो पैरवी करके जिस प्रकार से कार्यवाही की है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। आपसे निवेदन है कि तत्काल पजेशन दिलाया जाय, अतिक्रमियों का कब्जा वहां से हटाया जाय और प्रोपर्टी को को पुनः मस्जिद रिकार्ड में दर्ज करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाब सिंहजी। सवाल ही पूछिये।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : जी, यह तो सवाल का ही सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं ऐसा है कि, बार-बार एक ही बात का रिपीटेशन करने से टैस्ट बिगड़ जाता है। सवाल पूछिये आप।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका टैस्ट नहीं बिगाड़ेंगे। यहां समुद्र मंथन हो रहा है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा नहीं बिगड़ता है।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : उसमें से अमृत निकालेंगे और अमृत ही अमृत निकलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में सभी सम्मानित सदस्य बैठे हैं, उनका भी....(व्यवधान) हां, गम्भीर है, मान लिया गम्भीर है। आप बिराजिए ना। 6 बिस्वा का मामला है। गम्भीर है। क्या है ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो राजस्थान सरकार अजमेर की दरगाह पर करोड़ों रुपये खर्च करने का प्रावधान रखती है और दूसरी ओर राजस्थान के अनेकानेक स्थानों पर आराधना स्थल, पूजा-स्थल....

श्री उपाध्यक्ष : आप शिवगंज से अजमेर आ गये हैं।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : इस तरह से कब्जा होता है। नहीं यह मसला आप जितना हल्का-फुल्का ले रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हल्का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वह कलक्टर के लिए हल्का फैसला हो सकता

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

है, एस. डी. ओ. के लिए हल्का हो सकता है, ई. ओ. के लिए हल्का हो सकता है, एम. एल. ए. के लिए हल्का हो सकता है लेकिन उन व्यक्तियों के लिए जो वहां पर नमाज अदा करने जाते हैं, उनके लिए वाकई वह गम्भीर मामला है। नहीं तो वह क्यों सुमेरपुर नमाज अदा करने जाते ? वे अपने घर में ही नमाज अदा कर सकते थे लेकिन वह नदी क्रास करके आखिर आज सुमेरपुर में आ रहे हैं, अब मुझे इससे तकलीफ तो होती है कि मेरे वहां पर मस्जिद में भीड़ होती है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अलाऊ किया होगा।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 22-9-91 को माननीय मंत्रीजी पाली आते हैं और वहां पर प्रतिनिधि मण्डल इनसे मिलता है। ये जिला कलक्टर को पत्र लिखते हैं, एस. पी को उसकी कापी भेजते हैं कि उस पर तुरन्त कार्यवाही करें और कार्यवाही कब होती है, 15-3-1992 को। वह भी तहसीलदार को नाप लेने भेजा क्योंकि एम. एल. एज. ने काल-अटेंशन लगाया, नहीं तो यह कार्यवाही अभी भी नहीं होती और कार्यवाही होकर कुछ नहीं हुआ है। यह जो जवाब दिया है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं है। आपने यह कहा कि समुचित कार्यवाही की जा सकती है, विधिवत वाद तैयार करने पर। अब आप मुझे बताइये, 17-2-88 को जिला कलक्टर को पत्र डाला मुतल्लवी ने, उसके बाद 15-1-88 को राजस्थान के सर्वोच्च बोर्ड ने पत्र डाला, तो क्या उसको वाद नहीं माना उन्होंने ? डिस्ट्रिक्ट कलक्टर डिस्ट्रिक्ट का एक मजिस्ट्रेट होता है और मुख्य मंत्रीजी और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं तो क्या वह उसको इस तरह के पत्रों और शिकायतें लिखी जाती हैं। एक्स-गृह मंत्री जी, वाद नहीं मानकर उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है ? अब शिकायतकर्ता की शिकायत को गम्भीरता से नहीं लेंगे और आपने कहा कि हमने सम्पदा अधिकारी नियुक्त कर दिया 7-9-1989 को तो ढाई साल तक उस सम्पदा अधिकारी ने क्या किया ? जबकि उन्होंने 15 दिन में यह कार्यवाही की, नाप लेने भेजा, तो यह पहले ही नाप ली जा सकती थी। आगे लिखा कि निर्माण कार्य हो चुका अगर पहले ये जग जाते, पहले कार्यवाही हो जाती तो वहां निर्माण कार्य नहीं होता। क्या आप सक्षम हैं निर्माण कार्य को गिराने के लिए क्या आप कार्यवाही कर सकते हैं ? अब उसको कोर्ट से स्टे नहीं मिल जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा षड़यन्त्र रचा गया है इसमें 1988 में जब इसको एन. ओ. सी. जारी की। एन. ओ. सी. की प्रक्रिया होती है, उसे प्रार्थना पत्र में उज्रदारी इश्तिहार निकला होगा। उज्रदारी इश्तिहार में आब्जेक्शन दिये लेकिन तत्कालीन एम. एल. ए., वहां के प्रशासक और ई. ओ. ने बदर बांट कर, पैसा खाकर वहां पर गलत तरीके से एन. ओ. सी. जारी कर दी। अगर एम. एल. ए. और ई. ओ. का हाथ नहीं होता तो यह एन. ओ. सी. जारी नहीं होती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस ई. ओ. और प्रशासक के खिलाफ आप जांच करें। और जांच करने के बाद आपको लगे कि यह गलत हुआ है तो उसके खिलाफ सक्षम

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

कार्यवाही कीजिये, कानूनन कार्यवाही कीजिये यहीं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एस. डी. ओ., कलक्टर ने कोताही बरती है। सरकार कागज लिखती है, पत्र लिखती है और यह कहती है कि इसमें कार्यवाही करो। उसकी कोई कार्यवाही नहीं होती। आपने अपने पत्र में लिखा है कि मुझे प्रगति से अवगत करायें, आप क्या कार्यवाही करेंगे उससे मुझे सूचित करें। आपको क्या सूचित किया ? आपके पत्र की उन्होंने क्या वेल्यू समझी ? आपने अपने पत्र की अन्तिम लाइन में स्पष्ट लिखा है "मुझे यह सूचित करें कि आप क्या कार्यवाही करेंगे। सन्दर्भ में कृपया सम्पूर्ण मामले का अवलोकन कर अतिक्रमी को तुरन्त बेदखल करने हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तु स्थिति की जानकारी मुझे भिजवाने की व्यवस्था करें।" अब या तो वे आपको कुछ समझते नहीं या वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति का कोई धणी-धोरी नहीं है। राजस्थान के वक्फ बोर्ड की जितनी सम्पत्तियां या पूजन स्थल हैं उनको लोग मरे हुए का माल समझते हैं और इसलिए उन पर अतिक्रमण होते जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिवगंज से सुमेरपुर सटा हुआ है। वहां की श्मशान भूमि पर इसी तरह का अतिक्रमण हुआ है। एस. डी. ओ. के पास लोग जा-जाकर हैरान हो गये हैं। मेरे पास आये तो मैंने पत्र लिखा। (व्यवधान)....उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एस. डी. ओ. बाली को पत्र लिखा कि यह मामला गम्भीर है, श्मशान भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, इसकी तुरन्त जांच करके इसको हटाया जाय। एस. डी. ओ. जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वे कहते हैं एम एल. ए. तो लिख देगा, उसको तो एप्रोच चाहिये।

(1 00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : आप सब्जेक्ट को डाइ-ल्यूट मत करो। No, do not dilute the matter. श्मशान भूमि पर मत आइये अभी। यहीं रहिये आप। सब्जेक्ट को डाइल्यूट मत करिये।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : सब्जेक्ट डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि इस तरह के मामले....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अपनी पीड़ा बता रहे हैं। अरबों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो रही है और आप कहते हैं डाइल्यूट कर रहे हैं। यह बड़ा गम्भीर विषय है। मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लम्बे-लम्बे हाथ जोड़ लूं, आप इस पर सदन में 2 घण्टे चर्चा रख दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा समय दिया है हमने बोलने के लिए....(व्यवधान)....

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मांग करता हूं कि इस प्रकार के अतिक्रमणों पर आप इस तरह की व्यवस्था करो कि भविष्य में इनकी पुनरा-

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

वृत्ति न हो और जो अतिक्रमण पूरे राजस्थान में हो रखे हैं उनको हटाने के लिये आप क्या कार्यवाही करेंगे, इसका भी जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वक्फ मंत्री रमजान खां जी।

श्री रमजान खां (वक्फ मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या एवं अन्य माननीय सदस्यों का यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने इसको बड़ी गम्भीरता से लिया है और उसका जवाब भी बड़ी गम्भीरता से दिया है। सरकार ने माना भी है कि यह अतिक्रमण है और अतिक्रमण को हटाने की पूर्णरूपेण कार्यवाही की जा रही है यह मैंने अपने जवाब में भी बताया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कोई कार्यवाही की गई यह नहीं बताया।

श्री उपाध्यक्ष : अब सुनिये पहले। अभी तो स्टार्ट किया है उन्होंने।

श्री रमजान खां : सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने इस बात को यहां पर उठाया कि नगरपालिका शिवगंज द्वारा उन्हें नियमन करने के लिये, तामील करने के लिये पैसा ले करके इजाजत दे दी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है। अगर नगरपालिका ने इस तरह की कोई इजाजत दी है तो गलत इजाजत दी है और नियमानुसार उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। दूसरी बात सम्पदा अधिकारी की जो यहां पर उठी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा खुलासा करना चाहता हूं। पूर्व में सन् 1989 के पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अन्दर 4 सम्पदा अधिकारी बोर्ड आफ मुस्लिम के लिए नियुक्त थे, वे आर. ए. एस अफसर थे। धीरे-धीरे उनकी तनख्वाह इतनी हो गई कि बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ उन तनख्वाहों को चुकाने में असमर्थ रहा इसलिये वे पोस्टें अबोलिश कर दी गई और फिर 1989 में तमाम पावर्स सम्बन्धित एस डी. ओ. को दे दिये गये। इसलिए इसमें थोड़ी सी देरी हुई है, बाकी देरी करने का कहीं सवाल नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि कोई भी कार्यवाही करने के थोड़े नियम होते हैं और केवल मात्र प्रार्थना पत्र या दरख्वास्त देने से कोई उसका निपटारा अदालत के माध्यम से नहीं किया जाता है। सरकार के पास जैसे-जैसे शिकायतें आई हैं हमने भी लिखा। जिला कलक्टर को और सम्बन्धित अधिकारियों को वक्फ बोर्ड ने भी लिखा है और उस पर कार्यवाही भी हुई है, नाप-जोख भी हुई है परन्तु जब तक नियमानुसार वाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तब तक कोई भी न्यायालय अपना निर्णय नहीं दे सकता। इसलिये वाद को तैयार करना बहुत जरूरी था। भाई चन्द्रभान जी ने यह पूछा है कि वाद कौन तैयार करेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय मंत्री जी वाद प्रस्तुत कौन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले सुनिये।

श्री रमजान खां : वाद तैयार करने की जिम्मेदारी मुत्तवली के ऊपर नहीं है। वाद तैयार करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड ने सम्पदा अधिकारी की खींचातानी की वजह से वाद तैयार करने में देरी की इस चीज को तो मैं मानता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : क्या वक्फ बोर्ड और सम्पदा अधिकारी में मतभेद हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अब यह कहां डिस्पुटेड है।

श्री रमजान खां : मैं माननीय सदस्यों को यह भरोसा दिलाता हूं कि वक्फ बोर्ड के सचिव को निर्देशित किया जायेगा कि वह तुरन्त सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में जा करके वाद प्रस्तुत करें और जिला कलक्टर को लिखा जायेगा कि सम्पदा अधिकारी को निर्देश दें कि इस मामले का तुरन्त निपटारा करें। अब किसी माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि कब तक हो जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह न्यायालय से सम्बन्धित मामला है इसलिये निश्चित तारीख तो नहीं बता सकूंगा। परन्तु मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि उसमें तुरन्त कार्यवाही की जायेगी और अतिक्रमण को हटा करके उस जमीन को वापस सम्बन्धित मस्जिद कमेटी को स्थानान्तरित कराने में सरकार कहीं भी पीछे नहीं रहेगी यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने एण्ड नहीं किया है, अभी वे बोल रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे स्पेसिफिक सवाल थे उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यह था कि आपने जो 25-9-90 को जिला कलक्टर, सिरोही को पत्र लिखा, क्या आज तक उसका जवाब आपको मिला ? और मिला तो क्या मिला ? उसका जवाब सदन की पटल पर रखो।

श्री उपाध्यक्ष : अगर पांचों एक साथ सवाल करेंगे तो न वे सुन सकेंगे और न आसन सुन सकेगा। कृपया एक-एक करके बोलिये। प्लीज। ताराजी क्या पूछ रही हैं ?

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि जिला कलक्टर....

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब दे रहे हैं ? मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। अब आप बैठिये। वे जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य इन्टरप्ट करते हैं तो माननीय मंत्रीजी का कर्तव्य होता है कि वे बैठ जायें, खड़ा रहना तो भद्दा ही लगता है।

श्री रमजान खां : सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता वाजिब है इसके ऊपर और इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सम्पदा अधिकारी की नियुक्ति तत्काल की जा रही है और वक्फ बोर्ड के लिए अलग से सम्पदा अधिकारी की नियुक्ति

(श्री रमजान खां)

कर दी जायेगी ताकि अब कोई झंझट ही बाकी नहीं रहेगा। जहां तक माननीय मुस्तुफा साहब का प्रश्न है इन्होंने यह कहा है कि सिरोही के रेवेन्यू रेकार्ड के अन्दर यह सम्पत्ति दर्ज नहीं है। मैं इनसे कहना चाहूंगा, सिरोही के रेवेन्यू रेकार्ड में यह सम्पत्ति दर्ज है। परन्तु राजस्थान की कोई अन्य सम्पत्तियां यदि इस तरह की होंगी जिनका गजट नोटिफिकेशन हो गया है और अगर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है तो, मैंने पूर्व में भी विधान सभा के अन्दर कहा है, इस तरह की सम्पत्तियों का निश्चित रूप से पता लगा करके और राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की तत्काल कोशिश की जायेगी। इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। अब नजूल लेण्ड की जो बात की उसका भी दुरूस्तीकरण करा दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अलाउ करो आप।...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये पहले। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का भी थोड़ा सम्बन्ध है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले जिला कलक्टर, सिरोही को जो पत्र लिखा है उसका जवाब आये। यदि आया है तो सदन के पटल पर रखा।

श्री उपाध्यक्ष : वो बता देंगे। मैं अलाउ करूंगा आपको. बैठो तो सही। आप बैठिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब दे चुके हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय गुलाबसिंह जी बैठिये। प्लीज डा. साहब आप बैठिये।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सवाल है।

डा. चन्द्रभान : इस कार्यवाही में इतनी डिले हुई है इसके लिए जो-जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी आप कोई कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए तो स्वायत्त शासन मंत्रीजी बोल रहे हैं ना। (व्यवधान) स्वायत्त शासन मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह बहुत गम्भीर मामला है कि मिनिस्टर के पत्र का कलक्टर छह-छह-महीने तक जवाब न दें।

श्री उपाध्यक्ष : अलॉट किया है, नगरपालिका ने किया है, बैठो तो सही आप।

डा. चन्द्रभान : नहीं, आप किस को सस्पैण्ड करते हो यह आपका काम है। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड को इस तरह के मामलों में जो वाद प्रस्तुत करना होता है वह समय पर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह ठीक है। बिराजो। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, ताराजी, बैठिये पहले आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी कुछ जवाब देना चाहते हैं तो देने दीजिये श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : अब दे रहे हैं ना, फिर फिर आप बैठो ना।

श्रीमती तारा भण्डारी : हां, देना चाहते हैं वह।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : वैसे तो यह प्रश्न केवल ध्यानाकर्षण का है और जिसका तरीका यह है कि जो माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करते हैं वह ध्यान आकर्षित कर देते हैं उसके बाद मंत्री महोदय अपना पूरा जवाब देते हैं। फिर कोई सवाल होते हैं लेकिन इसमें डिबेट नहीं होती। मेरा यह डिपार्टमेंट नहीं है, मेरे सामने यह था भी नहीं, लेकिन माननीय माहिर आजाद ने कहा कि अपनी उदारता दिखाने के लिए या बड़प्पन दिखाने के लिए मैं भी कुछ बोलूं। इसमें बड़प्पन दिखाने का सवाल नहीं है, उदारता का सवाल नहीं है, यह तो हमारा कर्तव्य है ...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सारी गड़बड़ नगरपालिका की है।

श्री उपाध्यक्ष : चुप नहीं रहेंगे बोले बिना।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कह रहा हूं न कि हमारा कर्तव्य है। इसमें कोई बड़प्पन दिखाने वाली बात नहीं है। आपने जिस बात का संकेत किया है, जो जानकारी में लाये हैं, अब यह मामला 86 का है, तत्काल तो इसके बारे में कोई उत्तर दे नहीं सकता मैं, लेकिन माननीय मंत्रीजी के साथ मिल कर मेरी नगरपालिका के अधिकारियों ने इसमें अगर कोई अनियमितता या इस प्रकार की बात की है तो उसको भी हम नहीं बख्शेंगे, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। पर मामला 1986 का है, हम देख लेंगे उसको। यह भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा, अब क्या बात रह गई इसमें ?

श्री उपाध्यक्ष : नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे थे कि मैं अलाउ करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक प्रश्न है आपका ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हां, एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जिला कलक्टर को कागज लिखा उसका क्या जवाब आया है, वह उत्तर चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह क्या मतलब है श्रीमान् इससे।

श्री रमजान खां : टेलीफोन पर वार्ता होकर के उनको कहा गया कि इसकी नाप-जोख करो, उन्होंने नाप-जोख की है...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : गलत। चिट्ठी का जवाब मांगा गया है, क्या कार्यवाही की।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या चाहेंगे माननीय माहिर आजाद जी। माननीय मंत्री टेलीफोन से वार्ता नहीं कर सकते क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : वही संतुष्ट हैं तो फिर क्या हो गया ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सन्तुष्ट नहीं, मैं यह कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : नो, इट इज नॉट यह मैटर डिस्प्यूटेड मैटर नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही क्या की जिला कलक्टर ने, वह तो बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : वह सारा ही जवाब दे दिया, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह नाप तो हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगने के बाद हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में सारा ही आश्वासन दिया जा चुका है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जिला कलक्टर ने क्या कार्यवाही की मंत्रीजी के पत्र के जाने के बाद, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद सारी नाप-तौल हुई है, जमीन निकाली है। सारी निकाली है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नाप-तौल कार्यवाही नहीं होती। अपने कागजातों को समेट कर....

श्री उपाध्यक्ष : कि 6 बिस्वा जमीन है, 2 बिस्वा रास्ते में है, 4 बिस्वा पर कब्जा किया है, सारी चीजें साफ आ गई हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप। और वह उसका अतिक्रमण हटा रहे हैं, इमारत होगी तो भी हटेगी। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने अभी सारी बात स्पष्ट कर दी। (व्यवधान)

नियम 131 के अन्तर्गत माननीय श्री शिवकिशोरजी सनाढ्य, मदन लालजी सैनी, चुन्नीलालजी गरासिया, सदस्य, विधान सभा राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., उदयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की ओर खनिज राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात रह गई। सुन तो लें आप, मैं समय पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या रह गया है। मैं आगे ले चुका हूं बिजनस।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं-नहीं, बिजनस नहीं। मैं यह पूछ रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : क्या पूछ रहे हैं आप, कोई उत्तर नहीं मिलेगा अब आपको ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उत्तर नहीं, बाद प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, कह दिया इन्होंने ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तो फिर कब तक कर दिया जायेगा, यह तो बतायें । इसमें समय की बात रह गई ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तत्काल कर रहे हैं, आश्वासन दिया है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : महीने में, दो महीने में ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन के आश्वासन को क्या मानते हैं ? आश्वासन समिति है, आश्वासन देना आसान है क्या, यह सरकार का आश्वासन है । इसको प्लीज, आप खुद गम्भीरता से लो ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : गंभीरता से ही ले रहा हूं । इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि आठ साल से लोग परेशान हो रहे हैं और आप उसका समय बताने के लिये तैयार नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : It is repetition of the same version. क्या है यह, रिपीटेशन है । क्या है यह ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप समय बताने के लिए तैयार नहीं है । बतावें एक महीने, दो महीने, तीन महीने, कोई तो इसमें होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : तत्काल करने का कहा है, तत्काल का क्या अर्थ लेते हैं आप ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तत्काल कब, कहलवा दें मंत्री जी से । उन्होंने कहा है कि मैं कोई समय नहीं बता सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : तत्काल का क्या अर्थ होता है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तारीख मत बताइये, यह तो बता दीजिये कि महीने में, दो महीने में ?

श्री उपाध्यक्ष : महीना भी नहीं जायेगा ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हां, तो महीना भी नहीं जायेगा, मंत्रीजी से कहलवा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : तत्काल का क्या अर्थ होता है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यदि वह कहना चाहें तो दस दिन या····

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मंत्रीजी से कहलवा दीजिए कि एक महीना नहीं जायेगा । यह तो कोई बात नहीं होती उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई टाइम पीरियड हो तो बता दें न आप ।

श्री रमजान खां : बाद एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर दायर करवा दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : थैंक यू ! हां, माननीय शिवकिशोर जी सनाढ्य ।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., उदयपुर में अनियमितताएं

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिवकुमार की जगह अगर शिवकिशोर कर दें तो रिकार्ड में सही रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सॉरी । शिवकिशोर जी । किशोरजी ही रहो आप । वह कह रहे हैं ऐसा ही ।

श्री टीकमचन्द कांत : मतलब तो कुमार और किशोर का एक ही होता है ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनल्स लिमिटेड, उदयपुर–राजस्थान का जो उपक्रम है उसमें जिस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, जिस तरीके से वहां के मजदूर मेहनत करके धरती से रॉक फास्फेट निकालते हैं, उनका जो श्रम है, उनका जो पसीना है····

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित करो आप तो । लम्बा क्यों कह रहे हैं ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं उसी का तो ध्यान आकर्षित कर रहा हूं—

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो लेंग्वेज लिखी है वही बोल जाओ ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं वहीं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जो मैंने लेंग्वेज लिखी है····

श्री उपाध्यक्ष : वह कर लिया ध्यान आकर्षित । माननीय खनिज मंत्रीजी । माननीय सनाढ्य साहब, ध्यान आकर्षित कर लिया, अब बिराजो ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं उसके सन्दर्भ में मंत्रजी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिराजिए अब । माननीय खनिज मंत्रीजी ।

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, धांधलियों व आयोजित विकास न होने के सन्दर्भ में माननीय शिवकिशोर सनाढ्य एव अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जो ध्यान आकर्षित किया गया है उसका जवाब इस प्रकार है :

उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. एम. एम. एल. राज्य का एक सुव्यवस्थित एवं सुसंचालित सार्वजनिक उपक्रम है जो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है । देश के सबसे बड़े खनिज उपक्रमों में इसकी गणना होती है । अपने बीस वर्षों के कार्यकाल में इस संस्थान ने राज्य को तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की आय उपलब्ध कराई है तथा संस्थान को निरन्तर लाभ होता आ रहा है । पूंजी निवेश, विक्रय लाभ एवं खनन मात्रा के आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह संस्थान देश के अग्रिम खनिज संस्थानों में अपना स्थान रखता है जो निश्चय ही राजस्थान सरकार के लिए गर्व का विषय है । इससे

(श्री कालूलाल गुर्जर)

यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संस्थान में कोई दुर्व्यवस्था नहीं है। संस्थान में भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है तथापि संस्थान भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में निरन्तर जागरूक है। किसी भी औद्योगिक संस्थान में मजदूरों का पारस्परिक विवाद एक सामान्य बात है····

श्री मदनलाल सैनी : उत्तर बहुत लम्बा है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो उत्तर लम्बा होगा। पढ़ने दीजिए आप। सैनी साहब, उत्तर देंगे तभी आप पूरा ···

श्री कालूलाल गुर्जर : संस्थान में यह विवाद इंटक से सम्बन्धित मजदूरों एवं भारतीय मजदूर संघ के बीच होता है। संस्थान इस विवाद से अवगत है तथा श्रमिक प्रतिनिधियों से बातचीत करके इस विवाद को रोकने का प्रयास करता है। संस्थान इस समय पूर्णतः औद्योगिक शक्ति है तथा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। यह देश में रॉक फ़ास्फेट सप्लाई करने वाले कुछ ही संस्थानों में से एक है। इस संस्थान के कुछ कर्मचारियों ने गत वर्ष एक आंदोलन किया था। दिनांक 24·3·91 को आन्दोलनरत के प्रतिनिधियों तथा संस्थान के प्रबन्धक के बीच श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में तात्कालिक सिंचाई मंत्रीजी की मध्यस्थता से एक बैठक बुलाई गई थी। इस विचार-विमर्श के पश्चात् श्रम आयुक्त द्वारा बैठक की कार्यवाही का विवरण ही जारी किया गया था, कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ था। इस कार्यवाही विवरण को औपचारिक समझौता नहीं माना जा सकता। तथापि इस बैठक में लिये गये समस्त निर्णयों की क्रियान्विति संस्थान द्वारा की गई है। इस संस्थान की जानकारी में, मजदूरों में इस बात को लेकर कोई आक्रोश नहीं है। संस्थान द्वारा रॉक फास्फेट मजदूर संघ, इंटक को मान्यता दिनांक 8·7·77 को दो वर्ष के लिए दी गई थी जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। यह मान्यता देने के पूर्व श्रम आयुक्त की उपस्थिति में संस्थान प्रबन्धक, इंटक तथा भारतीय मजदूर संघ के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसरण में श्रम आयुक्त द्वारा संस्थान में बहुमत प्राप्त यूनियन की जानकारी करने के लिये चुनाव कराये गये थे तथा चुनाव के बाद इंटक यूनियन को बहुमत प्राप्त यूनियन घोषित किया गया है। अब नई मान्यता प्राप्त करने के लिए इच्छुक यूनियनों को पुनः औद्योगिक विवाद अधिनियम 9150 के अन्तर्गत तत्सम्बन्धी केन्द्रीय कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी होगी जिसकी सलाह प्रबन्धक द्वारा मान्यता हेतु इच्छुक यूनियनों को कई बार दी जा चुकी है। खान मंत्री महोदय, द्वारा भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्धित यूनियन को कोई मान्यता नहीं दी गई है। संस्थान की जानकारी में झामरकोटड़ा में उक्त दो यूनियनों के अतिरिक्त और कोई यूनियन नहीं है। खदान में कार्य निरन्तर एवं सुचारू रूप से चल रहा है। अतः असहाय होने व गुलछर्रे उड़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह सही है कि आर. एस. एम. एम. एल. के प्रबन्ध निदेशक का मुख्यालय जुलाई, 1991

(श्री कालूलाल गुर्जर)

से जयपुर बनाया गया है। ऐसा प्रशासनिक कारणों से किया गया है। राज्य सरकार एवं संस्थान के अध्यक्ष का मुख्यालय जयपुर होने के कारण संस्थान के अधिकारियों को जयपुर वैसे भी काफी आना-जाना पड़ता है अतः जयपुर मुख्यालय करने से कोई अतिरिक्त व्यय भार संस्थान पर नहीं पड़ा है। मुख्यालय का परिवर्तन सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय से किया गया है। श्री एम. एस. गुप्ता को संस्थान में महाप्रबन्धक के पद पर दिनांक 20·6·88 को नियुक्ति दी गई थी। नियुक्ति के समय उसको भिलाइ स्टील प्लांट में रुपये 2625 वेतन व महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहे थे तथा इस संस्थान में नियुक्ति के पश्चात् उन्हें वेतनमान 3550–100–3650–125–4400–150–5150 में कुल रुपये पांच हजार वेतन तथा 650 रुपये महंगाई भत्ता प्रति माह दिया गया था। यह वेतन उनको सलेक्शन कमेटी की सिफारिश के अनुरूप ही दिया गया था जिसके अनुसार पूर्व में सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी होने के कारण अन्य सार्वजनिक उपक्रम में नई नियुक्ति पर उनकी वेतन तथा महंगाई भत्ते को बनाये रखा जाना पूर्णतया उचित है।

जहां तक इस संस्थान की जानकारी है, सुब्रमन्यम के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। इस बारे में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भी उनसे सम्बन्धित एक जांच लगभग 5-6 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई। संस्थान में इस समय विपणन विभाग में पर्याप्त रूप से अनुभवी अधिकारी नहीं होने के कारण तथा चूना, पत्थर व परिशोधन अयस्क की बिक्री के लिए आवश्यक विपणन प्रणाली बनाने के सम्बन्ध में श्री सुब्रमण्यम को सलाहकार के रूप में रखा गया है ताकि संस्थान को उनके अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। इनका कार्यकाल 31·3·92 को समाप्त हो जायेगा। इन्होंने देश के विभिन्न नगरों के दौरे संस्थान के हित में ही किये हैं। संस्थान में मुख्य अभियांत्रिक अभियन्ता का पद कई वर्षों से रिक्त था तथा इस कारण मशीनों के संधारण इत्यादि के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने में कठिनाई आ रही थी। 87 में संस्थान के निवेदन पर सरकार ने श्री हरिशचन्द्र भार्गव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की सेवायें संस्थान को प्रति नियुक्ति पर दी थीं तथा श्री भार्गव ने उक्त पद पर 3 वर्ष से अधिक समय तक अच्छी तरह से कार्य किया। दिनांक 30·11·90 को उन्होंने यकायक निजी कारणों से राज्य से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ले ली। इसी समय संस्थान में बहुत भारी पूंजीगत लागत से झामरकोटड़ा एकीकृत परियोजना की क्रियान्विति हो रही है तथा ऐसे समय में पहले के मुकाबले अनुभवी यांत्रिकी अभियन्ता की आवश्यकता बनी हुई है अतएव संस्थान द्वारा श्री भार्गव को सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुनः नियुक्त किया गया तथा उनकी पुनः नियुक्ति का समय दिनांक 31-3-92 को समाप्त हो जायेगा। इस दौरान संस्थान ने लगातार विज्ञापन देकर उनके द्वारा रिक्त किये स्थान पर पूर्ति करने का प्रयास किया है परन्तु अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

संस्थान में वर्ष 89-90 में कुल 72,39 लाख टन खनन कार्य हुआ है जो इस समय तक संसाधन के लिए रेकार्ड था। वर्ष 1990-91 में कुल खनन कार्य 61,66 लाख टन हुआ जो इससे पूर्व वर्ष के अनुपात में कम था परन्तु अपने आप में सन्तोषप्रद था। अतः यह कहना कि इन वर्षों में खनन कार्य कम हुआ है पूर्णतया असत्य है एवं संस्थान को मुख्य समस्या अयस्क और मलबे का प्रतिकूल अनुपात है तथा इस परिप्रेक्ष्य में खदान के समुचित विकास के लिए संस्थान द्वारा अधिक मात्रा में मलवा निकालने से ही खनन का निरन्तर विकास हो सकेगा तथा ऐसा करने पर ही निरन्तर अधिक मात्रा में अयस्क प्राप्त हो सकेगा। वर्ष 1969-70 से वर्ष 1985-86 तक संस्थान में कुल 337,09 लाख टन खनन कार्य किया गया जबकि 1986-87 से वर्ष 1991-92 तक कुल खनन कार्य 346·31 लाख टन किया गया है। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि मलबा कम मात्रा में नहीं उठाया गया। खनन कार्य पूर्णतया माइन प्लान के अनुसार ही किया जा रहा है। झामरकोटड़ा समन्वित परियोजना के प्रारम्भ होने की तिथि 1-4-88 है। इसके अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले राक फास्फेट परिशोधन सन्यन्त्र पर काम भी चालू हुआ था। इस प्लान्ट के द्वारा दिसम्बर, 1991 में सन्यन्त्र के लिए काम करने वाले मजदूरों ने लगभग एक माह हड़ताल रखी। तत्पश्चात् अगस्त, 1991 के बाद सन्यन्त्र बनाने वाले ठेकेदार एल. एण्ड टी. को विदेशों से माल आयातित करने में अत्यधिक कठिनाई आई जिसके कारण सन्यन्त्र को दिसम्बर, 1991 तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका यद्यपि यह सन्यन्त्र जनवरी, 1992 में लगभग पूरा कर दिया गया है तथा अगले कुछ दिनों में ही इससे उत्पादन चालू होने की आशा है। वस्तुतः यह सन्यन्त्र 27 महीने की अवधि में तैयार होना था परन्तु अब यह सन्यन्त्र 29 महीने की अवधि में तैयार होगा। समय में थोड़ी सी वृद्धि होने के बावजूद सन्यन्त्र की लागत में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई। एल. एण्ड टी. का संस्थान से अनुबन्ध मार्च, 1992 तक का ही है तथा इस अनुबन्ध को आगे बढ़ाने के बारे में एल. एण्ड टी. ने संस्थान से कोई मांग नहीं की है।

राक फास्फेट की कीमत में वृद्धि होने से कम्पनी को जो लाभ हुआ है उसको संस्थान ने पूर्णतया खदान के विकास में लगा दिया है। यही नहीं इस लाभ से प्राप्त राशि के कारण संस्थान की वित्तीय संस्थाओं से भी पहले के मुकाबले कहीं कम ऋण लेना पड़ा है। संस्थान को उन तकनीकी विशेषज्ञों की राय के बारे में नहीं मालूम है जो संस्थान के भविष्य के बारे में गम्भीर आशंका रखते हैं।

आस्ट्रेलिया से आयातित एक ड्रिलिंग मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आस्ट्रेलिया से ही एक विशेषज्ञ को बुलाया गया था जिसने संस्थान के अधिकारियों एवं श्रमिकों को इस मशीन के संचालन के लिए वांछित प्रशिक्षण दिया था। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नये सिरे से प्रशिक्षण देने के किसी प्रकरण पर संस्थान विचार नहीं कर रहा है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

संस्थान की जानकारी में अकुशलता, वित्तीय घोटाले और भ्रष्टाचार के कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बहुत बड़ा स्टेटमेन्ट देकर जो मुद्दे उठाये गये थे उनको कन्फ्यूज करने की कोशिश की है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जहां पर झामरकोटड़ा संस्थान, उदयपुर के कार्यालय से एम. डी. का कार्यालय तो उन्होंने बदला, सारे के सारे कर्मचारी तो उदयपुर में ही काम कर रहे हैं और केवल एम. डी. साहब का कार्यालय जयपुर में बदलने से क्या खर्चा कम हो जायेगा ? वहां से तो जो फाइलें आनी हैं वह निरन्तर वहां के कर्मचारी लेकर आते रहेंगे। वहां के कर्मचारियों का खर्चा जो पहले होता था वही रहने वाला है। आपने कहा कि खर्चा नहीं बढ़ा, मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या यहां पर आप उनके निवास का खर्चा उठायेंगे और उदयपुर के अन्दर जो उनका निवास था, जिस निवास के ऊपर कम से कम कम्पनी का 30–40 हजार रुपया उसकी साज-सज्जा के लिए तैयार किया गया था उसमें वह बिराजते थे और वहां से उनका मुख्यालय उदयपुर से बदलकर जयपुर कर दिया गया और उसी मकान में जिसमें वह रहते थे उसको रेस्ट हाउस के नाम पर किया गया है जिसका 3 हजार रुपया किराया दिया जाता है लेकिन मेरे एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्रीजी आपने ही यह कहा था कि उस रेस्ट हाउस के अन्दर एक भी दिन इन दो वर्षों में कोई भी व्यक्ति नहीं ठहरा है। आपने जो जवाब दिया था, यह अतिथि गृह अभी तक पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं है अतः यहां पर कोई अतिथि आज तक नहीं ठहरा। निदेशक अपनी स्वयं की इच्छा से पूर्णरूपेण सुसज्जित नहीं होने पर भी जब भी दौरे पर जाते हैं तो वहां रहते हैं। माननीय मंत्री महोदय इसी मकान के अन्दर वह पहले रहते थे और आज उसे केवल अतिथिगृह के नाम पर पुनः उनके लिए रखा हुआ है। क्या यह खर्चा नहीं बढ़ा है ? क्या इससे संस्थान का लाभ हुआ है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं आपसे कि एन्टरटेनमेन्ट के नाम पर यहां पर रामबाग पैलेस में अधिकारियों को पार्टी दी जाती है, उनकी पत्नियों को पार्टी दी जाती है और कनिष्क होटल दिल्ली में पार्टी दी जाती है, अशोका होटल में पार्टी दी जाती है और उदयपुर के लेक-पैलेस में पार्टी दी जाती है क्योंकि इस प्रबंध मण्डल के जो चेयरमैन हैं वह चीफ सैक्रेटरी साहब होते थे और चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में यह जो प्रबंध मण्डल है और इसके जो माननीय सदस्य हैं वे माननीय सदस्य हर दृष्टि से बहुत उच्च कोटि के लोग हैं। उनसे किसी तरह की गलती नहीं हो सकती थी लेकिन एक नाजायज प्रभाव डालकर वहां के जो एम. डी थे केवल चीफ सैक्रेटरी के प्रभाव के कारण माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह कितनी बार दिल्ली गये हैं, बम्बई गये हैं जहां पांच सितारा होटल में ठहरे हैं ? माननीय मुख्य मंत्रीजी कितनी बार पांच सितारा होटल में ठहरे हैं लेकिन राजस्थान आर. एस. एम. एम. का जो एम. डी. है वह पांच सितारा

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

होटल में ठहरते हैं और लोगों को ओबलाइज करने के लिए, अधिकारियों को ओबलाइज करने के लिए लेकपैलेस जैसी जगह पर पार्टियां देते हैं। यह आपने अपने जवाब में ही लिखा है क्योंकि संस्थान के अधिकारियों ने लोगों को बुलाया था और इसलिये मैं उन अतिथियों की लिस्ट नहीं दे सकता हूं। यह असत्य है। एक भी अधिकारी लेकपैलेस की पार्टी में नहीं था। उसमें तो सिर्फ अधिकारी और उनकी पत्नियां थीं और जिस तरीके का खर्चा 24,420 रु. उसके ऊपर किया गया केवल 24–25 लोगों के ऊपर यह इस तरीके से जनता के, उन श्रमिकों की गाढी कमाई के पैसे हैं और इस तरह से उनको गुलछर्रें में उड़ा दिया जाये। आपने मेरे एक प्रश्न का जवाब दिया। आपने बताया और आप पर मैंने चार्ज लगाया है कि उम्मेद होटल में आपने बिल बता दिये। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उनके टी. ए., डी. ए. का हिसाब तो दे दिया जो लाखों रुपयों में है लेकिन जो होटल को पैमेन्ट किया जाता है, अलहदा बिल से पेमेन्ट किया जाता है और कभी जोधपुर के कार्यालय से, कभी दिल्ली के कार्यालय से, कभी उदयपुर के कार्यालय से और कभी जयपुर के कार्यालय से उनके ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ है यह लाखों और करोड़ों रुपये जो गरीब लोगों का, जो मेहनतकश लोग हैं, जो काम करते हैं उनका इस तरह से गुलछर्रें उड़ाकर के, उड़ा दिया जाय, कहां तक न्याय संगत है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या वह प्राइवेट कैपेसिटी में होटल में नहीं ठहर सकते हैं ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास वह डाकुमेण्ट हैं जो खनिज मंत्रीजी ने भेजा है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उम्मेद होटल में उस समय जब आपके एम. डी. ठहरे थे तब कितने कमरे बुक कराये गये थे और वे दूसरे कमरे किन लोगों के काम आये ? जरा आप यह बताने की कृपा करें। मैं माननीय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने इसमें जवाब दिया है कि एक हरीशचन्द्र जो गांधी नहर परियोजना में सहायक अभियन्ता थे उस सहायक अभियन्ता को इस संस्थान में डेपुटेशन पर लिया गया। इन्होंने 3 साल तक डेपुटेशन पर वहां पर काम किया और 3 साल तक डेपुटेशन पर काम करने के बाद उन्होंने 30-11-90 को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति राज्य सरकार से ले ली। अपने निजी कारणों से। जब उन्होंने अपने निजी कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली तो आपने पुनः अपने यहाँ पर नियुक्त कर दिया और यह कहकर कि वे बहुत योग्य हैं, मैं उनकी योग्यता के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि जिस समय वे कार्यरत थे उस समय संस्थान के 3 डम्पर जले या नहीं ? जो 35 लाख रुपये की लागत का, एक-एक डम्पर 35 लाख रुपये का था, 35 लाख टन की क्षमता का था। ऐसे 3 डम्पर जल गये या नहीं जले ? मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन्हीं के जमाने में एक डम्पर पीछे की साइड में खड्डे में उल्टा जिसमें उस ड्राइवर की मृत्यु हो गयी। उस ड्राइवर की मृत्यु होने के बाद में वहां से जो निदेशक आये थे, आपके धनबाद से देखने के लिए उन्होंने

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आकर यह कहा कि यह जो कार्य-कुशलता है, जो यह क्षमता है वह ठीक नहीं है और कोई संस्थान के लोग जवाब नहीं दे सके थे उसका। यह शोभागसिंह नाम के ड्राइवर की मृत्यु हुई थी और सुरक्षा निदेशालय भारत सरकार, धनबाद से आये उप निदेशक ने भी श्री भार्गव को आड़े हाथों लिया। यह आपकी जानकारी में है ? मैं यह आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। क्या उस संस्थान में जिस तरह से खरीद की गयी है यह झामरकोटड़ा प्रोसेज पर कुछ ऐसी मशीन खरीदी गयी हैं:—हाइड्रोलिक प्रोसेज 6 नम्बर, ई. ओ. टी क्रेन 6 नम्बर, माइंटेनिंग इंस्ट्रूमेंट यह बड़े-बड़े जहां मैन्यूफैक्चरिंग होते हैं वहां पर यह मशीनें काम करती हैं लेकिन वहां छोटी-सी वर्कशाप है। और उसमें यह कोई भी मशीन काम में नहीं आ रही है लेकिन दो करोड़ रुपये वेस्टेज करके रख दिया है। आपने कहा कि आस्ट्रेलिया से एक मशीन मंगवाई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह मशीन केवल आस्ट्रेलिया में मिलती है ? क्या हिन्दुस्तान में नहीं मिलती ? क्या उस मशीन के बारे में इससे पहले आपने कोई रिपोर्ट ली कि इसकी कार्य क्षमता क्या है ? आज भी वे मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं और करोड़ों रुपया संस्थान का उन मशीनों पर, इस अदूरदर्शिता के कारण से रखा गया है। आपने कहा कि वह 31-3-92 को अब तो रिटायर हो जायेंगे, मैं इस सन्दर्भ में नहीं कहना चाहता कि वह तो रिटायर होने जा रहे हैं लेकिन भविष्य में माननीय मंत्री महोदय, इस तरीके से इस धन की बरबादी नहीं हो, इस बात पर आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मैंने एक आरोप लगाया था सुब्रमण्यम के सन्दर्भ में। आपने कहा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच हुई लेकिन वह साबित नहीं हो सकी। माननीय मंत्री महोदय, मैं यहां जानना चाहता हूं कि क्या कभी श्री भैरोंसिंह जी जब यहां पर सार्वजनिक उपक्रम समिति के चेयरमैन थे तब उन्होंने भी इस व्यक्ति की जांच की थी। उस उपक्रम समिति ने भी उसकी जांच की थी अगर इतने ईमानदार आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने और माननीय भैरोंसिंह जी को, उपक्रम समिति के सदस्यों के साथ उस जांच को क्यों करना पड़ा ? यह भी मेहरबानी करके मुझे बताने का श्रम करें। मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि यह झामरकोटड़ा समन्वित परियोजना बनायी गयी है। जबकि यह प्रोजेक्ट कम्पलीट होने जा रहा है अब इसमें विलम्ब हुआ है। आपने कहा कि मजदूरों की हड़ताल हो गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे यदि आप आंकड़े उठाकर देखें इन पिछले 5 सालों के यह वहां दो तरह से खदान का काम होता है। एक तो हम अपने श्रमिकों से कराते हैं और दूसरे ठेकेदारों से कराते हैं। ठेकेदारों ने अधिक उत्पादन आपको दिया है। उनके पास मशीनें, लेबर कम हैं, वे कम पूंजी विनियोजन करके और अधिक उत्पादन करते हैं लेकिन आपके अधिकारियों की अक्षमता के कारण वहां पर मजदूरों में फ्रस्ट्रेशन है। मजदूर सहयोग नहीं कर रहे हैं। मजदूरों

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ने सहयोग किया था और जो आंकड़े हैं कि वह मजदूरों के सहयोग से ही हुआ है लेकिन बाद में, पूरे आंकड़े आपके पास हैं देख लीजिएगा अगर मेरी बात गलत निकल जाय, उत्पादन घटा है लेकिन क्योंकि राजफेड की कीमत बढ़ती चली गयी और इसलिए पैसा तो आया है लेकिन उत्पादन तो घटा है। इस बात को प्रबन्धकों ने बहुत तरकीब से छिपाने की कोशिश की है। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब एक समन्वित परियोजना यह जो झामरकोटड़ा में बनाई गयी इससे जो उत्पादन होना था उसके लिए मार्केट देखा गया है? कहां है मार्केट, कहां बेचेंगे अपनी इस चीज को ले जाकर? मान्यवर, इसीलिए बोर्ड ने निर्णय किया, पहले जो निर्णय था प्रोजेक्ट निर्माण के समय में वह 34 प्रतिशत पी. टी. 2 ओ. फाइव कन्स्ट्रेंट बनाने का था लेकिन अब बोर्ड द्वारा 32 प्रतिशत कन्स्ट्रेंट बनाने की स्वीकृति दे दी गयी है इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मार्केट में क्या कन्ज्यूमर उपलब्ध हैं या आर. एस. एम. एम. कन्स्ट्रेंट की हाई ग्रेड के साथ मिक्स करके बेचने की बात सोच रहे हैं? अगर यह बात सही है तो इस प्लान्ट को बनाने का क्या औचित्य है? इसके सन्दर्भ में यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रोजेक्ट के निर्माण के पूर्व मार्केट खोज लिया गया था? क्या इसका सर्वे किया गया था? और सर्वे किया गया था और किन लोगों का सर्वे किया गया था मार्केट में? इसके लिए जो संस्थान में योग्य व्यक्ति थे, काम करने वाले लोग थे उन लोगों को प्रमोशन नहीं दिये गये बल्कि नये-नये लोग बाहर से लाये गये। आपने अभी एक एम. एल. गुप्ता के बारे में कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एम. एल. गुप्ता के लिए जो चयन समिति थी उसने लिखा है:—

"The Selection Committee recommended that in the case of candidate No. 1 & 3, it would be necessary to protect their emoluments, basic pay and D. A., since both the persons were serving in public sector organisation of the Government of India."

आपने अपने व्यक्ति को नहीं चुना और आपने दूसरे व्यक्ति को लिया और उसकी, उस समय की जो पे थी, वह 3500 सौ रुपये थी। उसके साथ जो डी. ए. था वह 1633 रुपये था और इस तरह से 5233 रुपये का उनका मूल वेतन बनता था लेकिन प्रोटेक्ट के नाम पर और 5233 रुपये उनका इस तरह से बनता था और आपको अपने यहां पर अगर उन्हें रखना था तो 4700 रुपये मूल वेतन पर उन्हें रखकर और 630 रुपये डी. ए. का लगाकर इस तरह से 5320 रुपये देकर किया जा सकता था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। आर. एस. एम. एवं प्रशासन ने उनको 5000 रुपये वेतन दिया, 3500 रुपये पाने वाले आदमी को 5000 रुपये वेतन देकर 650 रुपये महंगाई भत्ता देकर, 5650 रुपये उनका वेतन प्रोटेक्ट किया गया। इस कारण इस संस्थान को 11 इम्प्लीमेण्ट देने पड़े। सारा इतिहास इसका बदल दिया गया। केवल एक व्यक्ति को लाभ देने के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लिए उसे 11 इम्प्लीमेण्ट दिये गये । मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन-सी योग्यता थी, कौन-सी क्षमता थी उनमें जिसकी वजह से उनको दिया गया ? मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा उन्होंने अपने पूर्व नियोजकों को जहां पर काम करते थे उनको भी उन्होंने + + + दिया । जब उनको यह विश्वास हो गया कि मेरा साक्षात्कार होने के बाद में मै यहां पर नौकरी कर लूंगा तब उन्होंने वहां से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली । चाहे शारीरिक अक्षमता बतायी होगी, कुछ भी हो लेकिन स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली । उन्होंने अपनी भविष्य निधि पूरी ले ली, यह + + + है । यदि कोई इम्पलाई जाता है दूसरी तो वह भविष्य निधि जमा रहती है लेकिन उन्होंने वहां से भी भविष्य निधि ले ली, अपना तीन साल का पूरा वेतन उन्होंने उठा लिया । इस तरीके से अपने वहां के जो लोग थे उनको भी + + + भी दिया । यहां तो + + + दिया ही लेकिन वहां भी + + + दिया । संस्थान के निदेशक के ध्यान में यह सब बातें थीं लेकिन इन्हें छिपाया गया और इस तरीके से एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये यह सारी कार्यवाही की गयी । मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि यह जो प्रबन्ध निदेशक हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन जिस तरीके से आर. एस. एम. एम. के अन्दर वहां का काम चल रहा है उस काम की वजह से वहां के श्रमिकों के अन्दर भयंकर असन्तोष है । वहां इंटक की एक यूनियन है जो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही थी । आपने कहा अभी, जवाब में आपने बताया अभी कि वह 30.11 90....

श्री उपाध्यक्ष : सनाढ्य साहब, आपने तो प्रश्नों की बौछार लगा दी है । सारे मैटिरियल प्रश्न हैं । अभी सैनीजी और पूछेंगे, और पूछ लीजिये । उत्तर आने दीजिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं दो मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इतने प्रश्नों का उत्तर मंत्रीजी देंगे नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : इतने उत्तर नहीं आयेंगे। आयेंगे भी नहीं ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं बैठ जाता जाता हूं, पहले वे उत्तर दे लें फिर अगर कोई रह जाता है तो पूछ लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अब थोड़ी देर विश्राम कीजिये आप । माननीय सैनी साहब, पूछेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : दोनों तरफ से घेराव हो गया मंत्रीजी का ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, घेराव है । रक्षा कवच तैयार कर रहे हैं यह ।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में मजदूरों पर जितना अन्याय हुआ है, मंत्रीजी के आदेश

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री मदनलाल सैनी)

किस प्रकार से निकलते हैं, पता नहीं। मुझे मंत्रीजी को यह सुझाव देना है कि कोई कागज लिखें तो पहले देख लें, पहले समझ लें। आपको क्या मजबूरी आती है कि आपको अपने आदेश विथड्रा करने पड़े ? एक मंत्री के लिये दुर्भाग्य की बात इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि वह एक बार आदेश देता है, दस-पांच दिन बाद वह विथड्रा कर लेता है। मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आदेश दिया यूनियन की मान्यता के बारे में कार्यवाही करने के बारे में और इन्होंने न जाने किस आदेश से उसको विथड्रा किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां पर एक पर्टीकुलर यूनियन को रिकग्नाइज कराने के लिये सदस्यों ने दबाव डलवाया मंत्री महोदय पर कि आप रिकग्नाइज कर दीजिये। नियमों में वह था नहीं। फिर उसको विथड्रा कर लिया तो उसमें गलती कहां थी ? नम्बर एक। आज सारी जो डिबेट हो रही है, सारा झगड़ा यूनियन के रिकग्नाइज को ले करके है।

श्री उपाध्यक्ष : ना, ऐसा नहीं है। जो मैटीरियल पाइंट सनाढ्य साहब ने उठाये हैं····

श्री प्रद्युम्न सिंह : You can not pass judgement.

श्री उपाध्यक्ष : ना, अभी तक तो नहीं आया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह ; You can not pass judgement. आप जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक एक पहला सवाल आया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : The chair can not pass judgement. सारा झगड़ा यूनियन के रिकग्नाइजेशन के लिये है, आप डिबेट सुनिये पूरी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आने दो। अब आया है। सैनीजी ने पहली बार बोला है। उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है···· (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय कल्ला-जी का इसमें कोई विषय भी नहीं है, मैं अपने विषय को रख रहा हूं····(व्यवधान) तो उसको पूरा मैं जवाब भी दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री मदनलाल सैनी : आप भड़कते क्यों हैं ? अभी तो शुरूआत हुई है, अभी अन्त तो होने दीजिये। उसके बाद आप कहिये···· (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस यूनियन नहीं चाहती क्या मजदूरों की ? मजदूरों के हकों के लिये

(श्री टीकमचन्द कान्त)

कोई काम कराना नहीं चाहती क्या कांग्रेस ? इसका मतलब तो यही हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, क्या कह रहे हैं । थोड़ा पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि इस सदन में कोई भी व्यक्ति जिस प्रोफेशन से सम्बन्धित होता है, जो जिस से सीधा जुड़ा हुआ होता है उन मुद्दों को यहां सदन में नहीं उठाता है ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह क्या बात हुई ? मैं खेती से जुड़ा हुआ हूं, मैं खेती के बारे में नहीं बोलूंगा ? क्या बात कर रहे हो आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : या जिस यूनियन से मैं जुड़ा हुआ हूं उन मुद्दों को वहां मैं नहीं उठा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : इनका व्यक्तिगत क्या इन्ट्रेस्ट है इसमें ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उसका स्वार्थ टकरा रहा हो, उसको कोई इटेयन पूरा हो रहा हो....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य बी. एम. एस. के पदाधिकारी हैं, उस यूनियन की मान्यता के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं । पूर्व में यह निर्णय दिये गये हैं ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किसी की वकालत करना मना है, रेम्यूनरेशन लेना मना है.... (व्यवधान) लेकिन पब्लिक इन्ट्रेस्ट का कोई भी प्रश्न है, माननीय सदस्य उठा सकता है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : इसका मतलब एस सी. के लोग एस. सी. की बात नहीं करेंगे, एस टी. के लोग एस. टी. की बात नहीं करेंगे ? आज मजदूरों का आप विरोध कर रहे हो, एस. सी., एस. टी. का विरोध कर रहे हो, किसानों का विरोध कर रहे हो । चाहते क्या हो आज आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जिस संस्था के वह पदाधिकारी हैं उसको लाभ दिलाने के लिये वह मुद्दा नहीं उठा सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना । लाभ नहीं उठा रहे....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : कल्ला साहब, आपके बोलने से तो किसी को भी लाभ नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं । आप यह बतायें, इस बात को उठाने के लिये इन्होंने कोई रेम्यूनरेशन लिया है ? यह बता दीजिये ।

Other wise a Member is entitled to raise.

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मंत्री महोदय से नाजायज लाभ लेना चाहते हैं । आफिसरों से भी लेना चाहते हैं ।....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह टी. ए., डी. ए., भत्ते सारे परिलाभ इनको मिलते हैं बी. एम. एस. के।

श्री उपाध्यक्ष : यहां नहीं मिलाये जा सकते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अनर्गल आरोप लगाकर ग्राफिसरों से अपना काम सीधा करना चाहते हैं।····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक है। आप बैठिये। पहले सुन लीजिये इन्हें। माननीय, कल्ला साहब, पहले उन्हें सुन लीजिये।

श्री मदनलाल सैनी : नहीं, कल्ला जी को क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप डायरेक्ट उत्तर मत दीजिये। आप अपनी बात रखिये।

श्री मदनलाल सैनी : मै अपनी बात ही कह रहा हूं। वह बीच में टोकेंगे तो मैं उसी हिसाब से जवाब भी दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ना, यह नहीं टोकेंगे। मत टोकें।

श्री मदनलाल सैनी : मैं सुनूंगा नहीं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कल्ला साहब ने कोई व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखा, आसन के सामने रखा। आपने उसको रिजेक्ट कर दिया और आपने माननीय सदस्य को यह निर्देश भी दिया कि आप डायरेक्ट जवाब देने के बजाय आप अपनी बात रखें।

श्री उपाध्यक्ष : आसन से बात करो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उस पर माननीय सदस्य का यह कहना कि नहीं, इन्होंने इन्ट्रप्शन किया तो मैं तो जवाब दूंगा····

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, यह बात नहीं की।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहा है। प्रोसिडिंग्स में देख लीजिये····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब जवाब आ जायगा। कृपया अर्थ का अनर्थ मत कीजिये। बोलने दीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने कहा, मुझे टोका गया तो मैं उठूंगा। यह बोला है इन्होंने।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्षजी, यह अगर इन्ट्रप्ट करेंगे तो इनको भी जवाब दूंगा आपके माध्यम से। जरूर दूंगा जवाब।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मेरे माध्यम से दीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उनके माध्यम से दीजिये···(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : आपके शायद, माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य कान साफ करके नहीं बैठे हैं, मैंने आपके माध्यम से ही कहा था कि माननीय कल्लाजी ने जो बात उठायी है···

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप नाम नहीं ले सकते।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हां, अब सुधार कर लिया, अब ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो ना, कल्ला साहब ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हम आपका प्रोटेक्शन चाहेंगे इस पर। यह मेरे को सीधा नाम से कैसे पुकार सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ना-ना, आपसे कोई सीधा सवाल नहीं करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कल्लाजी, कल्लाजी, बार-बार कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भाई, क्या नाम लेते हो इनका। बीकानेर से माननीय सदस्य बोल जाओ। जब मना है, वास्तव में, नियम है कि हम किसी भी (व्यवधान) एक बार और बैठना पड़ेगा आपको। एक बार और बैठना पड़ेगा, सैनी साहब। आप कह रही थीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो यह निवेदन कर रही थी कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को जो सदस्य जहां से आते हैं उनके निर्वाचन क्षत्रों का नाम याद रखना चाहिये और उसी नाम से पुकारना चाहिये, यह परम्परा है इस सदन की।

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक कर रही हैं आप।

श्री मदनलाल सैनी : मुझे भी कष्ट है, मैंने उस शब्द का उच्चारण किया जिस पर माननीय बीकानेर वाले सदस्य को आपत्ति है। मुझे लगता है उनको उस नाम पर आपत्ति है। वह अच्छा नाम नहीं है इसलिये वह नाम नहीं लेना चाहिये शायद।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह सदन का नियम है।

श्री मदनलाल सैनी : मैं उसी नियम को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहना प्रारम्भ कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां पर आपने कहा है कि उत्पादन कम नहीं हुआ। मेरा उसमें यह कहना है कि उत्पादन वहां कम हुआ। आपका कहना है कि मलवा उठाने के कारण से उस समय काम नहीं हो सका। माननीय उपाध्यक्षजी, शायद मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी होगी कि मलवा उठाने का काम कोई सारा मलबा एक बार डालना और फिर एक साल तक उस मलवे को उठाते ही रहना, यह कहीं भी किसी इण्डस्ट्री में नहीं होता। यह रेगुलेर प्रोसेस है। मलवा आता रहता है, वह उठता भी रहता है। मलवा उठाने की प्रक्रिया, अपने एक डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है, खनन काम करने की प्रक्रिया अलग प्रक्रिया है। साफ करने की किसी इण्डस्ट्री में जो चार-पांच अलग-अलग प्रोसेस होते हैं वह सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं। इसी कारण से इतनी गिरावट उत्पादन में नहीं आती। यहां खनन में आपने 89-90 की बतायी, 90-91 की बतायी लेकिन 91-92 की छिपा गये।

श्री उपाध्यक्ष : कम्प्लीट अब आयेगा ना रिजल्ट।

श्री मदनलाल सैनी : इसमें तो नहीं है, अब आ जाय तो बात दूसरी है। उपाध्यक्ष

(श्री मदनलाल सैनी)

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : जो सवाल सनाढ्य साहब ने उठाये हैं, बड़े गम्भीर हैं। मैं तो मुख्य सचेतक जी से कहूंगा कि आप भी डिबेट में भाग लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्याज के छिलके से छील दूंगा साहब, The department was with me. I know details of this department. आप मुझ से क्या पूछ रहे हो।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको केवल मजदूर प्राब्लम तक ही सीमित रख रहा हूं। श्रम आयुक्त और श्रम मंत्रीजी के साथ एक बैठक हुई, उस बैठक में जो निर्णय लिया गया, यहां कह दिया कि क्रियान्विति हुई लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं हुई। उसमें मान्यता का प्रश्न भी था। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं उनकी जानकारी में देना चाहता हूं, क्या आपने वह एग्रीमेंट पढ़ा है ? चुनाव हुए उस समय जो एग्रीमेंट हुआ, ट्रीपारटाइट जो समझौता हुआ, उसको पढ़ा है ? उस समझौते में एक शर्त है कि यह मान्यता दो वर्ष के लिए रहेगी। दो वर्ष में चुनाव होने तक पहली जो यूनियन है, जो आज मान्यता में है, वह रहेगी लेकिन जिस दिन चुनाव होकर रिजल्ट डिक्लेयर हो जायेगा और जो बहुमत वाली यूनियन होगी, उस यूनियन की मान्यता दो वर्ष तक रहेगी। यह एग्रीमेंट है। उसमें जो सम्बन्धित यूनियन हैं उनका रिप्रजेंटेशन है, लेबर कोर्ट है, दो यूनियन्स हैं, यह ट्रीपारटाइट (त्रिपक्षीय) समझौता हुआ है। अब सवाल है दो वर्ष तो हो गये और माननीय मंत्रीजी से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में 78 में कोई झामरकोटड़ा की यूनियन का समझौता, चुनाव का समझौता नहीं हुआ था ? जयपुर मैटल में भी हुआ था, रोड़वेज में भी समझौता हुआ था, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में भी हुआ था, गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल में भी समझौता हुआ था, क्या वह सारे आज मान्यता में वही श्रम संगठन चल रहे हैं ? क्या उस समय जिन-जिन संस्थानों में 78 में चुनाव मान्यता के कराये गये थे, वही यूनियन्स चल रही हैं, या यूनियनों की प्रक्रिया बदल गई। आपकी जानकारी के लिए उपाध्यक्षजी, मंत्री महोदय को केवल स्मरण कराना चाहता हूं कि इनके डिपार्टमेंट ने इनको कितने अंधेरे में रखा। जयपुर मैटल में मान्यता में वह यूनियन नहीं है जो उस समय थी। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में वह यूनियन नहीं है, जो उस समय मान्यता में थी, गुलाबपुरा में वह यूनियन नहीं है, जो उस समय मान्यता में थी और रोड़वेज में भी वह यूनियन नहीं है, जो उस समय मान्यता में हुआ करती थी और एच. एम. टी. में भी वह यूनियन नहीं है, जो उस समय मान्यता में थी। सब जगह नियम बदल गये। कहीं दो साल के बाद, कहीं सवा दो साल के बाद, कहीं ढाई साल के बाद। जब यूनियन की मान्यता की प्रक्रिया बदल गई, तो यहां भी बदली जानी चाहिए थी, लेकिन यहां का एम. डी. और यहां का जनरल मैनेजर इस प्रकार

(श्री मदनलाल सैनी)

के षडयन्त्र में है। सेण्ट्रल पब्लिक अंडर-टेकिंग्स में मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि गड़बड़, घोटाले किस प्रकार से होते हैं। गरीब लोगों के साथ अन्याय किस प्रकार के होते हैं। फाइव स्टार होटल्स की वारदातें क्या होती हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि एक पर्टिकुलर यूनियन के साथ मिलीभगत होने के कारण उनके नेता उनसे मिलकर, वहां के मैनेजमेंट ने, मंत्री महोदय आपके डिपार्टमेंट पर चार्ज लगा रहा हूं और विथ डाकुमेंट चार्ज लगा रहा हूं, आप कहेंगे तो प्रमाणित करने को भी तैयार हूं कि वहां के लोगों के साथ, यूनियन के लोगों के साथ मिलकर एम. डी. और जनरल मैनेजर ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, इसलिए उस यूनियन को बनाये रखा। एक मात्र यूनियन है, हमको कोई आपत्ति नहीं थी आप चुनाव करा देते, आप मजदूरों को दो लाइन में खड़ा कर लेते, आप वोट करवा देते, कोई भी प्रक्रिया आप ले सकते थे, हम हर प्रकार की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं। उस समय भी हमको 9 वोट कम मिले, हमने स्वीकार किया। आज हमारे चुनाव की मान्यता की चर्चा करने वाले विपक्षी माननीय सदस्य कर रहे हैं, वास्तव में चुनाव होता और जनता ने आपको कम मत दिये, हम इधर हैं और आप उधर हैं। यदि हमको वहां पर कम मत मिलते, दुबारा भी मिलते, तो भी हम उसको स्वीकार करते, लेकिन चुनाव नहीं कराना, यह कौनसी प्रक्रिया है। फिर कहा गया और एक हवाला दिया गया कानून का, 1947 एक्ट का हवाला दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को पूछना चाहता हूं 1947 एक्ट क्या है? आप या तो मान्यता का चुनाव करवाये, दो साल के बाद, कहीं भी नियमों में दो साल से अधिक की यूनियन को मान्यता में रखने का प्रावधान नहीं है। आप रखना चाहते हैं, आप चुनाव भी कराना नहीं चाहते। आपकी कोई अच्छी यूनियन है, आप रखना चाहते हैं, तो उसकी व्यवस्था है उसको रिन्युअल करिये। आप यह कहिये, मैनेजमेंट निर्णय लेगा कि हमको लगता है, आज हमारे सबको मत सुनिये, लेकिन आपको यह तो लिखना पड़ेगा मंत्री महोदय, कि हमको लगता है कि यह यूनियन आज मैजोरिटी में है, इसलिए हम इसको मैजोरिटी में मानते हैं। आप सारे कानूनों को ताक में रख दीजिए, लेकिन यह तो आपको लिखकर देना पड़ेगा जिस यूनियन को आप मान्यता में देते हैं, आपने वह भी प्रक्रिया नहीं अपनायी और 47 के कानून का हवाला दे रहे हैं हमको यहां पर, सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, यह भी कहा गया कि वह जो समझौता हुआ सिंचाई मंत्री के सामने विधिवत नहीं हैं। आप कौनसे समझौते को विधिवत मान लेते हैं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : हां पूछिये-पूछिये। आप उधर क्यों देख रहे हैं।

श्री मदनलाल सैनी : मैं गलती कर रहा हूं तो उपाध्यक्ष जी —

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो आसन से निवेदन कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मेरे से कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कि भविष्य में हमको भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछने में आप समय देने की कृपा करेंगे, मैं तो आसन की तारीफ कर रहा हूं इस मामले में।

श्री उपाध्यक्ष : ना-ना कीजिए, कीजिए आप तारीफ। लेकिन एक पर्टिकुलर बात कह रहे हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर बात कहने के लिए ही उन्होंने इजजात मांगी थी। इसे कन्क्लूड कीजिए आप।

श्री मदनलाल सैनी : जैसा आप समय की व्यवस्था देंगे, मैं उसके अनुसार चलने की कोशिश करूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या आप भी बी. एम. एस. के पदाधिकारी हैं और क्या जिस संस्थान की मान्यता की बात कर रहे हैं, वह बी. एम. एस. से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल लीगल पांइण्ट पर बोल रहे हैं, जो समझौता हो रखा है, जो एग्रीमैंट हो रखा हैं, उससे बाहर नहीं जा रहे हैं यह····(व्यवधान) वह लिपिबद्ध हो रखा है, जैसा मान्यता में है, उसी बात को यह कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बी. एम. एस. के पदाधिकारी हैं और क्या जिसके बारे में आप यहां पर एडवोकेसी कर रहे हैं, वह बी. एम. एस. से सम्बन्धित मामला है क्या? बस इतना सा जानना चाहता हूं।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। वह किसी भी संगठन के साथ सम्बद्ध होती है, हो सकती है। आज हमारे साथ है, कल आपके साथ है। कल आप के साथ है, आज हमारे साथ हो सकती हैं, इसलिए कोई किसी यूनियन के बारे में सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। वह एक घण्टे पहले आपके साथ है, दो घण्टे बाद किसी दूसरे के साथ जा सकती है। केवल प्रमाणिकता यह है कि वह ट्रेड यूनियन एक्ट में दोनों वहां रजिस्टर्ड हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कह रहे हैं वहां पर समझौता विधिवत नहीं था, माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य से यह पूछा था कि क्या आप बी. एम. एस. के पदाधिकारी हैं? इसका तो जवाब दिया नहीं इन्होंने।

श्री मदनलाल सैनी : देता हूं, देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I can-not compel him to ask the question.

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्षजी, मैं समझता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : वह सुन रहे हैं उनको उत्तर दे देना चाहिए। अगर उचित समझें, उत्तर दें।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्षजी, आज के दिन विधायक बनने के बाद भारतीय मजदूर संघ की एक परम्परा है, एक नियम है कि राजनीति में काम करने वाला और दूसरे किसी संगठन में काम करने वाला धार्मिक हो, आर्थिक हो, किसी भी संगठन में काम करने वाला आदमी भारतीय मजदूर संघ का पदाधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए स्वतः ही मैं भारतीय मजदूर संघ का पदाधिकारी नहीं हूं इस समय। एक मामला आया कि....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं वह जानकारी नहीं है ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उधर आपकी परम्परा थी....

श्री उपाध्यक्ष : आप बात कहो ना कल्ला साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पुराने रिश्ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी करो हां थोड़ा।

श्री मदनलाल सैनी : पांच मिनट में पूरा कर देता हूं। मंत्री महोदय मैं एक बात जानना चाहता हूं कि विधिवत वह समझौता नहीं था, सिंचाई मंत्री और श्रम मंत्रीजी के माध्यम से, श्रम आयुक्त हमारा मजदूरों का सबसे बड़ा संरक्षक होता है और उसके साथ हुई बातचीत, जो कमिटमेंट हुए, जो आपके बीच में विचार-विमर्श हुआ, वह मानना चाहिये इसीलिये हुआ, आन्दोलन बिगड़ना होना चाहिये, इसीलिये हुआ, मजदूरों में शान्ति रहनी चाहिये, उत्पादन बढ़ना चाहिये, यह बात ध्यान में रखकर श्रम विभाग अपनी कार्यवाही करता है आप श्रम विभाग की बात भी नहीं मानेंगे, तो नहीं मानकर क्या आप उचित कर रहे हैं और आपसे अधिकारी असत्य जवाब दिलवा रहे हैं कि उस पर क्रियान्वयन हो गया और उसकी दो तीन डिमाण्ड्स जो मैंने बतायी, वह अधूरी पड़ी हैं, उनको छुआ नहीं है डिपार्टमेण्ट ने अभी तक। एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट और ले रहे हैं। कम्प्लीट कीजिये। अब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज आसन बहुत उदार है।

श्री उपाध्यक्ष : आज ऐसा लग रहा है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब भविष्य के लिये नई परम्परा का सूत्रपात हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो यह सोच रहा हूं कि 5 बजे पहले-पहले आज की कार्य-सूची समाप्त हो जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज जैसे क्वेश्चन अलाऊ हो रहे हैं यह भविष्य के लिये अच्छी परम्परा डाल रहे हैं। जब आसन पर अध्यक्ष महोदय होंगे तो हम याद दिलायेंगे आज की।

श्री उपाध्यक्ष : काल-अटेन्शन मोशन चार लगे हुये है, माननीय सचेतकजी। अब एक शायद डिस्पोज आफ हो रहा है, चौथा नम्बर आ रहा है उसके बाद....

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में श्रमिक असंतोष का कहा था, कोई असंतोष नहीं है, उसका कोई असर भी नहीं हो रहा है। आपने अपने उत्तर में दूसरी बात कही जो विरोधाभास है। आपने कहा दो महीने तक हड़ताल चली। तो दो महीने तक हड़ताल चली इसके कारण क्या स्थिति बनी ? दो महीने हो चुके हैं उसके बाद में आपके उत्पादन की क्या स्थिति है हड़ताल खत्म होने के बाद ? हड़ताल तो खत्म हो गई, अब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जवाब दीजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक यूनियन और मजदूर संघ को लेकर चर्चा की उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1978 में आर. एस एम एम. में जब दो यूनियन थी, एक इंटक और एक भारतीय मजदूर संघ, दोनों के सन् 1978 में उस समय मान्यता को लेकर चुनाव कराये गये थे और उसमें दो साल के लिये इंटक को मान्यता दे दी। चूंकि बहुमत उनके साथ था, चुनाव में वह जीती थी इसलिये उसको मान्यता दी। उसके बाद से आज दिन तक मान्यता के रूप में इंटक के साथ ही कार्पोरेशन के द्वारा वार्ता की जाती रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि मंत्रीजी ने ऐसा पत्र लिख दिया और विथड्रा क्यों कर लिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पत्र लिखा गया उसके बारे में

(2.03 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे पास में भारतीय मजदूर संघ की यूनियन के कुछ लोग आये थे और उन्होंने यह कहा कि वहां पर यूनियन को मान्यता नहीं है और दो यूनियन हैं इसलिये दोनों से बात-चीत करके किसी मामले को निपटाया जाय इसलिये दोनों को उसमें वार्ता के लिये बुलाया जाय। इस तरह की आप व्यवस्था कीजिये। मुझे पहले यह जानकारी नहीं थी कि 1978 में मान्यता दी गयी वह आज दिन तक लगातार उसी को मान्यता मानते हुये चली आ रही है। इसलिये मैंने एक पत्र यह लिखा था कि दोनों यूनियन को कोई भी वार्ता की जाय तो बुलाया जाय। लेकिन जब कार्पोरेशन के द्वारा मेरे ध्यान में उस पत्र के जवाब में यह बात लायी गयी कि 1978 से इंटक को मान्यता है और वह मान्यता रद्द नहीं की गयी, दुबारा कोई चुनाव नहीं हुये और एक्ट में भी इस तरह का प्रावधान नहीं है। अगर दो साल के लिये मान लीजिये मान्यता दी है लेकिन जब तक दुबारा चुनाव नहीं हो तब तक उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया जाय, ऐसा एक्ट में प्रावधान नहीं है। इसलिये परम्परा के अनुसार उसको मान्यता प्राप्त यूनियन मानते हुये उसके साथ समझौता हो रहा था इसलिये कार्पोरेशन ने यह निवेदन किया था कि आपने इस तरह का आदेश दिया उसमें जब तक चुनाव नहीं हो जाय तब तक इसकी क्रियान्वित नहीं की जाय और मेरा यह मानना है कि तथ्य ध्यान में

(श्री कालूलाल गुर्जर)

नहीं होने से आदेश दिया है इसलिये मैंने उसकी क्रियान्विति रोकी है। इसमें किसी तरह की कोई भी अनियमितता नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि अभी यहां पर जो समझौता या कोई वार्ता हुई है, सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में, इसको लागू नहीं किया गया।

इसमें जो हड़ताल करने वाले कर्मचारी थे उनकी और श्रम आयुक्त और कार्पोरेशन के प्रबन्धक के बीच में जो वार्ता यहां हुई थी माननीय सिंचाई मंत्रीजी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुयी उसमें जो आश्वासन दिया था उसकी पालना पूरी की गयी है। आपका यह आरोप था कि वह तो समझौता था और उस समझौते को क्यों नहीं माना जाय? माननीय अध्यक्ष महोदय, समझौता तो मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ किसी भी इश्यू को लेकर आपस में किया जाय और वार्ता रिटन हुई है और रिटन से जो समझौता होता है उसको हम समझौता कहते हैं। यह एक हड़ताल से उत्पन्न स्थिति थी उसके ऊपर इस तरह की वार्ता हुई, वार्ता में जो आश्वासन दिये गये थे कार्पोरेशन की ओर से उनको कार्पोरेशन ने पूरा कर दिया और अब आप यह कहते हैं कि एक बार मान्यता देने के बाद अन्य कई प्रकार की जो यूनियनें हैं, जैसे गुलाबपुरा मिल, खेतड़ी प्रोजेक्ट, रोडवेज यूनियन और जयपुर मेटल, सबके आपने उदाहरण दिये और यह कहा कि उनमें मान्यता प्राप्त यूनियन्स थीं उनकी मान्यता बदली गयी, दूसरी यूनियन आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह यूनियन भी मांग करती, चुनाव करवा लेती और चुनाव के अन्दर यदि पहले वाली यूनियन हार जाती तो निश्चित रूप से मान्यता बदल जाती लेकिन आज दिन तक उन्होंने न तो चुनाव की मांग की, न चुनाव कराये गये और अब अगर यह चाहते हैं, भारतीय मजदूर संघ यह चाहता है कि हमारी मैजोरिटी है तो हमने कार्पोरेशन की ओर से इनसे निवेदन किया कि आप औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1950 के तहत श्रम विभाग को लिखिये और श्रम विभाग चुनाव करवा देगा। जो भी यूनियन उस चुनाव के अन्दर जीतेगी उसको मान्यता दे दी जायेगी। अब चुनाव तो अभी हुये नहीं। यहां पर जितनी बातें बतायी हैं उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है जब तक चुनाव नहीं हो जाय।

दूसरा, आपने यह आरोप लगाया कि एम. डी. ने षड़यंत्र करके दूसरी यूनियन से मिल कर भ्रष्टाचार किया। मेरा निवेदन करना है, मैंने सुझावों में स्पष्ट लिखा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और कोई शिकायत आज दिन तक हमारे पास भ्रष्टाचार की नहीं आयी। यह गलत है और मिथ्या आरोप बताये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उदयपुर से आने वाले सदस्य ने जो शुरूआत में कुछ प्रश्न रखे हैं उनका जवाब मैंने मेरे इस जवाब के अन्दर इलेबोरिटली दिया है और उन्हीं सारी बातों को इन्होंने दोहराया है। आपने यह कहा कि एम. डी. का कार्यालय जयपुर क्यों हस्तान्तरित किया? मैंने निवेदन किया कि कार्पोरेशन का एक बोर्ड है, वहां चेयरमैन है। चेयरमैन और बोर्ड अपनी

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सुविधा के अनुसार निर्णय लेकर और चूंकि यहां पर शासन सचिवालय में बहुत ज्यादा काम पड़ता है तथा और लोगों से भी कांटेक्ट करना पड़ता था उसके लिये जयपुर आवश्यक समझा, इसलिये इस कार्यालय को यहां हस्तान्तरित किया और हस्तान्तरित होने के बाद, आपने कहा कि इससे खर्चा बढ़ गया, इससे ज्यादा नुकसान हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एम. डी. के लिये जो व्यय है वह 1988-89 में 1.7 लाख रु. हुआ था, 1990–91 में 1.23 लाख रुपये हुआ था, 1991–92 में 1.3 लाख, तो और कम हुआ। 20 लाख का कम हुआ और खर्चा कम हुआ यहां आफिस आने के बाद और आप कह रहे हैं खर्चा बढ़ गया है। हवाई जहाज का किराया ज्यादा लग गया है। यह आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने एक बात कही कि यूनियन की मान्यता और इस झगड़े के बाद से प्रोडेक्शन गिर गया, भ्रष्टाचार से प्रोडेक्शन गिर गया, लाभ भी कम हुआ। ऐसा नहीं है। मैं इसके लिये माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त कीजिये। बहुत हो गया।

श्री कालूलाल गुर्जर : दो मिनट में बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सारा उत्पादन है उसमें आपने कहा कि उत्पादन बहुत घट गया। यह 1986–87 में 36.59 लाख टन था, 1987–88 में 43.25 लाख, 1988–89 में 57.42 लाख, 1989-90 में 72.39 लाख, 1990–91 में 61.66 लाख, 1991–92 में 75 लाख टन। अब 1990–91 में 61 जो रहा है, आपने आरोप लगाया कि 1990–91 में प्रोडक्शन घटा है। इसका कारण मैंने लिखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस साल चूंकि 75 के बजाय 61 हुआ चूंकि ओवर बर्डन उसके ऊपर ज्यादा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनरल तो ओवर बर्डन हटाने के बाद निकलेगा तो ओवर बर्डन को हटा कर ज्यादा जमीन को हमने साफ की तो मिनरल अब ज्यादा निकली है। इसका परिणाम 1991–92 में देखने को मिला कि 61 के बजाय 75 हो गया। तो जो ओवर बर्डन जहां कमती, अधिक होता है वहां प्रोडक्शन घट-बढ़ सकता है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम किसी पर आरोप लगा दें कि यह तो भ्रष्टाचार हो गया, पैसे खर्च हो गये, फाइव स्टार होटल में ठहरने से यह हो गया। फाइव स्टार होटल में ठहरने के लिये एम. डी. पूरा अधिकृत है और कार्पोरेशन के नियम हैं, उनके बायलाज हैं उसके तहत इनको पूरा अधिकार है फाइव स्टार होटल में ठहरने का सनाढ्य साहब ने यह कहा कि मुख्य मंत्रीजी तो नहीं ठहरते, यह क्यों ठहरें? यह तो अपनी-अपनी व्यवस्था की बात है। किसी को अधिकार मिले, मैं सोचता हूं कि कई प्राइवेट सेक्टर में ऐसे आदमी भी है जो इससे भी ज्यादा....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। आप समाप्त कीजिये। आप बैठिये।

राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना में अनुसूचित जाति के प्रवक्ताओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार गबन एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में

श्री हीरालाल इन्दौरा (अनुपस्थित)
श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (अनुपस्थित)
श्री मोहनलाल (परबतसर) (अनुपस्थित)
श्री निर्मल लाल (अनुपस्थित)
श्री बुलाकीदास कल्ला (अनुपस्थित)
श्री रामनारायण (अनुपस्थित)
श्री गणपतराम गाडेगावलिया (अनुपस्थित) कोई भी नहीं है।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक....

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हैं ?

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : कोई सवाल नहीं है। दो बजे डिस्कसन शुरू हो जाना चाहिये था।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। बहुत टाइम हो गया। प्लीज। देयर विल बी नो एण्ड टू इट। आप बाहर बैठ कर बातचीत कर लीजिये। इस बारे में। कोई एण्ड नहीं होगा इसका।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब कोई सवाल नहीं है। आपका बहुत हो गया। अब इन्होंने जवाब दे दिया। आप बाहर बात कर लीजिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे उत्तर नहीं दें....

श्री अध्यक्ष : माननीय फूलचन्द जी, आप बोलिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तो एक सवाल है केवल।

श्री अध्यक्ष : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो रह जाता। यह अकेले बैठे थे और कोई था ही नहीं यहां। सबके नाम बोले हैं मैंने, कोई भी नहीं था। यह तो बाई दी वे यह मिल गये बैठे हुए....

श्री मदनलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय जी, एक सवाल की स्वीकृति दे दीजिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना द्वारा अनुसूचित जाति के प्रवक्ताओं पर किये जा रहे अत्याचार तथा उनके द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमितताओं की ओर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रतनलाल जाट (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री) : माननीय

(श्री रतनलाल जाट)

अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना के प्राचार्य श्री विनोद बहादुर सक्सेना द्वारा अनुसूचित जाति के प्रवक्ताओं पर किये गये अत्याचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में माननीय श्री हीरालाल इंदोरा तथा 12 अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा:—

सर्वश्री गोविन्द नारायण गसिया, अरविन्द कुमार एवं मूलचन्द आर्य प्रवक्ताओं पर प्राचार्य द्वारा कोई भी अत्याचार नहीं किया गया अपितु नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। श्री मूलचन्द आर्य, व्याख्याता राजनीतिक शास्त्र ने दिनांक 17-10-87 से 16-10-88 तक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से एम. फिल की तथा यू.जी.सी. से इस कालावधि में रुपये 9000/– का भत्ता उठाया था इसी कालावधि में उन्होंने नीम काथाना कॉलेज से एन सी. सी. का भी 3300/– रुपये भत्ता उठाया था इस प्रकार एक ही अवधि में जयपुर तथा नीमाकाथाना से अलग-अलग भत्ता उठाया अत: प्राचार्य द्वारा श्री आर्य से रुपये 9000/– का भुगतान वापिस कॉलेज फण्ड में जमा कराया।

श्री जी. एन. गसिया प्रवक्ता, अर्थशास्त्र पर भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया गया है। श्री अरविन्द कुमार को कभी परेशान नहीं किया गया। श्री अरविन्द कुमार, आर. एफ. सी. में उपप्रबन्धक के रूप में गये थे वहां से नीमकाथाना कॉलेज में आये थे। राज्य सरकार द्वारा इनके विरुद्ध कतिपय आरोप होने के कारण इन्हें आर. एफ. सी. से बुलाया गया था। 1 वर्ष 4 माह तक आर. एफ सी. से कार्यमुक्त होने के बाद भी वे ड्यूटी हेतु उपस्थित नहीं हुए। आर. एफ. सी. से एल.पी.सी. प्रस्तुत नहीं करने पर इन्हें न्यूनतम वेतन रुपये 2200/– की दर से वेतन का भुगतान निदेशक, कॉलेज शिक्षा के आदेश के अनुसार किया गया था। श्री अरविन्द कुमार को रुपये 2900/– दिये जाने हेतु न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इन्हें वेतन का पूर्ण भुगतान दिया गया है। प्राचार्य द्वारा कार्यालय अधीक्षक, श्री चोखाराम द्वारा सुरक्षा प्राप्ति हेतु की गयी शिकायत को उच्च अधिकारी को अग्रेषित किया गया था। प्राचार्य ने इनके विरुद्ध स्वयं किसी को कोई शिकायत नहीं की और न ही कोई मुकदमा दर्ज किया है।

श्री जी. डी. शर्मा, प्राचार्य, महाविद्यालय करौली द्वारा राजकीय महाविद्यालय नीमकाथाना के भूतपूर्व कार्यालय अधीक्षक, श्री चोखाराम के विरुद्ध निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के आदेश के अनुसार जांच की गयी थी। प्राचार्य के विरुद्ध जांच नहीं की गयी थी एवं वर्तमान में भी कोई जांच नहीं की जा रही है।

जुबली मनाने के बारे में हजारों रुपयों का भ्रष्टाचार किये जाने एवं लाखों रुपये का भ्रष्टाचार करने का उल्लेख किया है। इसके बारे में निवेदन है कि स्टाफ कौंसिल एवं छात्रों के द्वारा महाविद्यालय में जुबली मनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस कार्य हेतु यूनियन फण्ड एवं मनोरंजन व्यय मद से राशि व्यय की जानी थी।

(श्री रतनलाल जाट)

जिसके लिए 50 प्रतिशत राशि व्यय करने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वीकृति के अनुसार केवल 41000/- रुपये व्यय किये जाने थे। प्रिंटिंग, ब्लाक एवं स्वल्पाहार हेतु मात्र 2265/- रु. व्यय किये गये हैं एवं जुबली का आयोजन भी सम्पन्न नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में लाखों रुपये का गबन करने का उल्लेख करना कतई सही नहीं है।

श्री रामगोपाल स्वामी, भू. पू., च. श्रे. क. जो वर्तमान में गैस मैन का कार्य कर रहे हैं, से कोई बेगार नहीं ली गयी। उनसे सरकारी कामकाज ही लिया गया था एवं वर्तमान में गैस मैन का कार्य लिया जा रहा हैं। श्री स्वामी को आवश्यक एवं प्रशासनिक कार्यों से (सरकारी डाक लेने-ले जाने हेतु) दिनांक 31-12-90 से 8-12-91 तक एवं 27-2-91 से 14-3-91 तक लगाया गया था क्योंकि छात्रों से सम्बन्धित कार्यों को निपटाना आवश्यक था।

श्री रणवीर सिंह बलवदा, पी. टी.आई. एवं श्री मूलचन्द डांगी के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे उन्हीं के आधार पर नियमानुसार वेतन वृद्धि रोकी गयी थी। श्री श्यामसुन्दर सरोलिया, एल. डी. सी. के विरुद्ध आरोपों के लिए कार्यवाही कर दो वेतन वृद्धियां रोकी जा चुकी हैं। श्री कैलाश चन्द शर्मा, प्रयोगशाला सहायक के विरुद्ध कोई गम्भीर मामला नहीं था. इसलिए कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है।

यू. जी. सी द्वारा राजकीय महाविद्यालय नीमकाथाना पुस्तकालय एवं उपकरणों हेतु देय राशि रु. 1,26,765 रु. वर्ष 1990-91 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष थे। इस राशि को नियमानुसार व्यय किया गया है जिसकी जांच कॉलेज शिक्षा निदेशालय में करायी जाकर दिनांक 15-11-91 को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है किन्तु सम्बन्धित अभिलेख जयपुर में मिनी बस में गुम हो गये थे जिसकी रिपोर्ट मोती डूंगरी पुलिस थाने में श्री रामसिंह, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा केस नं. 967 दिनांक 15-11-91 को दर्ज करवा दिया गया था। इस प्रकार राशि में कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

राजकीय महाविद्यालय नीमकाथाना के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य हित में जयपुर एवं अन्य जगहों पर भेजा गया है। इसके लिए बजट में उपलब्ध राशि से अधिक व्यय नहीं किया गया है किसी भी मामले में राजकीय कोष का दुरुपयोग नहीं हुआ है।

श्री चोखाराम कार्यालय अधीक्षक को 19-7-90 से 11-1-91 तक 6 माह का अतिरिक्त भत्ता राजस्थान सेवा नियम के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत दिया गया था जो नियमानुसार है। मंत्रालयिक कर्मचारियों को अवकाश के दिनों में बुलाने पर क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाता है। इसी आदेश के अनुरूप इन्हें अवकाश के दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश का लाभ दिया गया था।

निदेशक कॉलेज शिक्षा द्वारा विभागीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाते हैं। महालेखाकार राजस्थान, जयपुर निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/88 से 2/91 के अनु-

(श्री रतनलाल जाट)

च्छेद-1 की अनुपालना में कर्मचारी अधिघोषित किये गये थे जिसकी सूचना कॉलेज शिक्षा निदेशालय को दी गयी। उक्त आक्षेप की पालना में जो भी स्थानांतरण किये गये हैं वह निदेशक कॉलेज शिक्षा द्वारा किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, केवल।

श्री फूलचन्द गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इन्होंने जो जवाब बताया विस्तार से उसमें ऐसा जवाब बताया जिनका मेरे पास सबूत है। उन्होंने अरविन्द कुमार के लिए बताया कि उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं हुई जबकि अध्यक्ष महोदय, अरविन्द कुमार के ऊपर फौजदारी का मुकदमा दर्ज कराया और सबसे बड़ा इनके साथ....

श्री अध्यक्ष : मुकदमा दर्ज कराना ज्यादती नहीं होती है क्योंकि निर्णय अदालत करती है। यह कोई ज्यादती नहीं है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मुकदमा दर्ज करने के बाद एफ. आई. आर. में एफ. आर. लगी है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री फूलचन्द गुर्जर : सवाल ही पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि उन पर जो केस लगाया गया, यहां तो कहा गया कि केस नहीं लगाया पर उसमें एफ. आर. लगायी गयी है और, एस. डी. एम. द्वारा जांच करने पर पाया कि अरविन्द कुमार निर्दोष था। उनका कोई दोष नहीं।

श्री अध्यक्ष : एफ. आर. लगायी तो उनका अधिकार है कि डेमेजेज क्लेम करें। 182 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करायें। मुकदमा दर्ज कराना कानूनी कार्यवाही है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : और बता रहा हूं। अरविन्द कुमार का सितम्बर, 1990 से जनवरी, 1991 पांच महीने का वेतन रोका गया और वेतन रोकने पर व्याख्याता बुरी तरह परेशान होकर के न्यायालय की शरण में गया....

श्री अध्यक्ष : यह सारा जवाब तो आ गया है इसमें। एक सवाल आपका आ गया अरविन्द कुमार का, दूसरा क्या है ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : दूसरा सवाल मेरा यह है कि अरविन्द कुमार का जो न्यायालय के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : वह तो हो गया, अरविन्द कुमार का तो आपने पूछ लिया....

श्री फूलचन्द गुर्जर : न्यायालय की अवमानना की गई और अवमानना के बाद में पुनः न्यायालय में जाने पर ही पहले जो 2200 का दिया गया था, न्यायालय में जाने के बाद उसको 3 हजार का दिया। एक मेरा सवाल यह है कि इन्होंने सिल्वर जुबली के ऊपर 2265) रुपये खर्च बताए है। क्या प्रिन्सिपल के सभी टी. ए., डी. ए. जो दिल्ली, जयपुर गये हैं, वह भी इसमें शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, इनको बोलने दीजिये, यह बोलेंगे। आपने सवाल पूछ लिया, आपके सवाल का जवाब देंगे। अब आप सवाल भी पूछते हो, जवाब भी देते हो।....

श्री फूलचन्द : एक मेरा सवाल यह है कि इस सारे प्रकरण की जांच प्रिन्सीपल करौली के द्वारा कराई गई है जिसमें उनको दोषी माना गया है क्या उस जांच की रिपोर्ट भी आपके पास है? अगर है तो इस प्रकरण को मैं पूरा बतायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी, सवाल पूछिये, मैं दस मिनट में समाप्त करना चाहता हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के प्रवक्ता और वहां के कर्मचारियों ने समय-समय पर निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा को उनके ऊपर हुई ज्यादतियों के बारे में शिकायतें कीं और उन शिकायतों के आधार पर श्री जे सी. शर्मा प्रिन्सीपल के माध्यम से कोई जांच की गई और जांच रिपोर्ट में किनको दोषी पाया गया? दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह सही है कि ब्वायज फण्ड में लगभग 8 लाख रुपये की राशि है और यदि 8 लाख रुपये की राशि है तो उसमें से सिल्वर जुबली के नाम पर कितनी राशि खर्च की गई? क्या स्टोर के सामान का कम होना पाया गया? उसके अपलेखन के बारे में भी क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई? तीसरा, क्या यह सही है कि रामगोपाल स्वामी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बेगार के रूप में रखा गया और उससे घर पर काम लिया गया, इसको कितना भुगतान किया गया? क्या यह भी सही है कि श्री रणवीर सिंह बलवदा पी. टी. आई. एवं श्री मूलचन्द डांगी, कार्यालय सहायक पर सी. सी. ए. 17 की गलत कार्यवाही की गई? क्या यह भी सही है कि यू. जी. सी. ग्रान्ट का दुरुपयोग किया गया? उससे अलमारियां, टाइपराइटर और दरियां खरीदी गई। क्या यह भी सही है कि यू. जी. सी. ग्रान्ट से बिजली का सामान खरीदने का काम भी किया गया? क्या यू. जी. सी. ग्रान्ट का पैसा बिजली के उपकरणों को और सामान को खरीदने के लिए मिला था या किसी अन्य कार्य के लिए मिला था? इसी के साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को जो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं उनको गलत रूप से सरप्लस दिखाया गया और सरप्लस दिखाने के बाद उनको वहां से स्थानान्तरण किया गया? क्या यह अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ज्यादती नहीं है?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल। नये सवाल पूछना, रिपीट मत करना।

श्री मोहनलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री मोहनलाल : स्पष्ट कर दूं। अतारांकित प्रश्न संख्या 71 और 72 में

(श्री मोहनलाल)

इन्होंने जवाब दिया है और अरविन्द कुमार प्रवक्ता ने एक प्राचार्य के विरुद्ध एक हरिजन अत्याचार सम्बन्धित मुकदमा एफ. आई. आर. नं. 9 तारीख 16-1-92 को दर्ज कराया था। मंत्रीजी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपके विभाग ने आपको गलत सूचना दी है मेरे पास यहां एफ. आई. आर. की नकल है और आपके विभाग द्वारा यह आई हुई है। यह हरिजन अत्याचार के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने गलत जवाब दिया है ?

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक लाइन मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्या यह सही है सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है वह अधिकारियों ने बना दिया उसी को पढ़ दिया या आपने उसको ठीक ढंग से देखकर के उसका कुछ विश्लेषण किया है ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई सवाल है....

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, रामगोपाल चपरासी को सीकर रखा था। उसको सीकर रखने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं था क्योंकि प्राचार्य के लिए चपरासी अलाउ नहीं है। प्राचार्य उन दिनों छुट्टी पर थे तो उन दिनों सरकारी काम कैसे कर सकते थे और चूंकि रामगोपाल की वहां रजिस्टर में गैर-हाजरी लग चुकी थी, इसलिए रामगोपाल को नाजायज बैनिफिट देने के लिए उन्होंने अपनी बियाण्ड दी पावर इर्रेगुलरली या आप उसको करप्शन की भाषा में मान सकते हैं। इसको आप किसी सक्षम अधिकारी से, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि आप किसी पुलिस के विजिलेंस के सक्षम अधिकारी से जांच करायेंगे तो निश्चित रूप से दोषी पाया जायेगा. पहला तो मेरा यह निवेदन है। दूसरा, मेरा निवेदन करना यह है कि यू जी.सी. जो पैसा देती है।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया, अब आप रिपीट कर रहे हैं। वह तो पूछ लिया उन्होंने।

श्री रामनारायण वर्मा : रिपीट नहीं कर रहा हूं, बुक्स के अलावा कोई सामान नहीं खरीद सकते। उन्होंने जनरल पूछा है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जनरल नहीं पूछा है, किस काम में आता है, बिजली का उपकरण आपने खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, क्या इसके लिए मिला है ? यह पूछ लिया है उन्होंने। आप रिपीट मत कीजिये। नया सवाल पूछिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बारे में किसी शिक्षा विभाग के अधिकारी से जांच करवाने की बजाय क्या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी से जांच करवायेंगे, जो सही तथ्यों को सामने लाये क्योंकि प्राचार्य इतना पावरफुल है जो अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा है, वह दुरुपयोग नहीं हो और वह सक्षम अधिकारी उसकी सही जांच कर सके। मेरा एक निवेदन और है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना हुआ है उसमें कोई मुकदमा दर्ज होता है...

श्री अध्यक्ष : कोई राज्य कर्मचारी या कर्मचारी को यह छूट है कि चूंकि वह अनुसूचित जाति का है इसलिए वह नियम विरुद्ध जो मर्जी आये सो वह करे और फिर आप लोग यहां उसकी सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति पर अनर्थ हो रहा है, यह आवाज उठायें, मुझे बतायें, यह है क्या ?

श्री रामनारायण वर्मा : यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो नहीं है न ? यदि कोई आदमी डिफाल्टर होगा वह चाहे अनुसूचित जाति का हो चाहे स्वर्ण जाति का हो उसको नियमानुसार दण्ड मिलना ही चाहिये। महज चूंकि वह अनुसूचित जाति का है इसलिए उसको छूट है कि वह एक्सेण्ट भी रहे, उसको यह छूट है कि वह झगड़ा भी करे, उसको यह छूट है कि वह अनुशासनहीनता भी करे। यह है क्या ?

श्री रामनारायण वर्मा : ऐसा कोई आरोप किसी अनुसूचित जाति के अधिकारी के ऊपर नहीं है। क्या यह सही है कि प्राचार्य महोदय ने कास्ट ट्राइब के सभी आदमियों के खिलाफ दुर्भावना रखकर के फैसले दिये हैं ? ऐसे केसेज दूसरों के भी थे फिर भी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं। क्या इससे साबित नहीं होता कि वे इन क्लासेज के प्रति दुर्भावना रखते हैं ? जो एफ.आई.आर. नम्बर 9 है....

श्री अध्यक्ष : अब हो गई एफ. आई. आर.। उन्होंने एफ. आई. आर. भी दिखा दी, आपने भी एफ. आई. आर. के लिए पूछ लिया, फूलचन्दजी ने भी पूछ लिया...

श्री रामनारायण वर्मा : एक इन्सपेक्टर के ऊपर दबाव डालकर के....

श्री अध्यक्ष : आप उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं। यह तो पूछ लिया। फूलचन्दजी ने पूछा, मोहनलालजी ने एफ. आई. आर. दिखाई --

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा इसमें निवेदन है कि क्या सरकार इस मामले में किसी सक्षम डी. आई. जी. रैंक के अधिकारी से जांच करवा करके सही तथ्यों का पता लगा करके जांच करवा करके निर्णीत करवायेगी और यदि चालान होगा तो चालान करेगी ?

श्री रतनलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री अरविन्द कुमार व्याख्याता अकाउण्टेंसी के बारे में किसी प्रिन्सीपल के द्वारा जांच किये जाने की जो बात बताई है। श्री अरविन्द कुमार के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अरविन्द कुमार जो आर. पी एस. सी. से सिलेक्टेड हैं, जॉइन करने के बाद उन्होंने 21-5-88 को आर. एफ. सी. में डिप्टी मैनेजर के रूप में जॉइन कर लिया था और वहां जॉइन करने के बाद शासन सचिव शिक्षा विभाग के लैटर 8/10 जनवरी, 89 में, क्योंकि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही थी इस बाबत और उनको कन्डीशनल आर. एफ. सी. में भेजा गया था कि जो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी आपके खिलाफ चल रही है उसमें जब भी आपकी जरूरत होगी तो आपको वापिस आना होगा। इस सैक्रेटरी एज्यूकेशन के पत्र के आधार पर वहां के एम. डी., आर. एफ. सी. ने वहां से उनको 17-1-89 को रिलीव कर दिया। उस रिलीव होने के बाद एक साल और

(श्री रतनलाल जाट)

चार महीने वह निरन्तर गायब रहे और उन्होंने नीमकाथाना में जॉइन नहीं किया। इस एक साल चार महीने में बिल्कुल एब्सैण्ट रहने के बाद उन्होंने 26-5-90 को वापिस डाइरेक्ट्रेट में अपनी ड्यूटी जॉइन की और उसके आधार पर उनको वापिस नीमकाथाना में पोस्ट किया गया था। नीमकाथाना में पोस्ट करने के बाद वहां पर श्री अरविन्द कुमार का जो मैन मुद्दा था, उनको तनख्वाह नहीं देने के बारे में कहा कि भुगतान नहीं किया गया था. इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि श्री अरविन्द कुमार क्योंकि आर. एफ सी. से एल. पी. सी. लाने के बाद ही तनख्वाह मानी थी, एल. पी. सी. नियमों के अनुसार तीन महीने तक अगर कोई कर्मचारी अपनी एल. पी. सी. पेश नहीं करता है तो इसके बाद उसको मिनिमम पैसा दिया जाता है। इसके आधार पर ज्योंही उसने सीकर से नीमकाथाना में, आर. एफ. सी. से आने के बाद, एक साल चार महीने बाद वहां जॉइन किया। जॉइन करने के बाद लगातार तीन महीने तक उसको उसका बेसिक 2900 रुपया दिया जाता रहा। लेकिन जब तीन महीने तक एल. पी. सी. उसने पेश नहीं की, उसके बाद प्रिंसिपल ने डाइरेक्टर को पत्र लिखा कि इसको किस प्रकार से आगे वेतन दिया जाय। उस आधार पर डाइरेक्टर के आदेश के बाद उसको मिनिमम 2200 रुपये के आधार पर दिया गया है। इसके खिलाफ श्री अरविन्द कुमार कोर्ट में गया। श्री अरविन्द कुमार को उसकी तनख्वाह के भुगतान के बारे में 15 फरवरी, 1992 को इस विलफुल एब्सैण्ट पीरियड को छोड़ कर टोटल उसकी सैलेरी का उसको भुगतान किया जा चुका है।

जहां तक एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमे का सवाल है उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा प्रिंसिपल के खिलाफ लगाया है। इसमें एडीशनल एस. पी. अभी इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं। उसके खिलाफ कोई चार्ज बनता है या नहीं बनता है, यह भी एक इन्वेस्टीगेशन का मामला है।

दूसरा मुद्दा यहां पर सिल्वर जुबली मनाने का उठाया गया था। सिल्वर जुबली के बारे में यह कहा गया कि प्रिंसिपल ने लाखों रुपये का घोटाला किया था। इस मामले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो फण्ड था वह स्टूडैण्ट यूनियन फण्ड था, एण्टरटेनमेण्ट फण्ड जो कालेजों में होता है विद्यार्थियों का, वह था। इसकी टोटल रकम जो बीकानेर से आने वाली माननीय सदस्य ने बतायी है कि वह आठ लाख रुपये थी। आठ लाख नहीं, वह टोटल रकम 82 हजार रुपये थी। उन्होंने डाइरेक्टर से इसकी परमिशन ली कि इसको खर्च किया जाय या नहीं किया जाय। इसमें से 50 प्रतिशत खर्च करने की इजाजत नियमानुसार डाइरेक्टर ने प्रिंसिपल को दी है। 41 हजार रुपये की जो परमिशन मिली है उसके आधार पर जो सिल्वर जुबली फंक्शन इस कालेज में होने वाला था, उसमें से जो खर्च शुरू किया गया था वह मात्र 2265 रुपये का किया गया था। मात्र 2265 रुपये का खर्चा भी केवल प्रिन्टिंग, ब्लाक बनाने के बारे में और रिफ्रेशमेण्ट के बारे में था। टी. ए. डी. ए. का इसमें कोई खर्चा नहीं था। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसमें

(श्री रतनलाल जाट)

प्रिंसिपल का टी. ए. डी. ए. का एक नये पैसे का खर्चा सम्मिलित नहीं है। 41 हजार रुपया, 82 हजार रुपये का पचास प्रतिशत, जो डाइरेक्टर, के आदेश के बाद स्वीकृत हुआ था कालेज स्टूडेंट यूनियन फण्ड और एण्टरटेनमेण्ट फण्ड में से, उसमें से मात्र 2265 रुपया खर्च किया गया था। मैं बता रहा हूं आपको, वह 2265 रुपया भी तीन मदों पर व्यय हुआ। प्रिंटिंग में उन्होंने खर्च किया, ब्लाक्स बनाने में खर्च किया और थोड़ा पैसा रिफ्रेशमेण्ट में उन्होंने खर्च किया। लाखों-हजारों के प्रिंसिपल द्वारा घोटाले वाली बात बिल्कुल असत्य-सी बात है। सिल्वर जुबली किन्हीं कारणों की वजह से, वह चाहे स्टूडेंट की वजह से या स्टाफ मैम्बर्स की वजह से हो, आयोजित नहीं की जा सकी। वह जो 2265 रुपया खर्च हुआ वह भी ऐसे आइटमों पर हुआ कि जिसका आगे जब कभी सिल्वर जुबली मनायी जाएगी, उसका उपयोग हो सकता है—ब्लाक और लैटर हैड वगैरह पर।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जी. डी. शर्मा जो प्रिंसिपल करौली है उनके द्वारा प्रिंसिपल की जांच के बारे में यह प्रश्न उठाया है कि उन्होंने वहां पर जाकर प्रिंसिपल की जांच की है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सक्सैना जो वहां का प्रिंसिपल है उसके विरुद्ध जी. डी. शर्मा ने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की है। वह सरकारी आदेश के तहत वहां जांच करने गया था, लेकिन वहां पर कार्यरत जो आफिस सुपरिण्टेण्डेण्ट था उसके खिलाफ जांच करने गया था। प्रिंसिपल के खिलाफ किसी प्रकार की उन्होंने जाकर जांच वहां नहीं की थी।

श्री फूलचन्द गुर्जर : आदेश हुआ है। कापी है आदेश की।

श्री रामनारायण वर्मा : आदेश बता दीजिए।

श्री रतनलाल जाट : इस बारे में जो आदेश की बात कर रहे हैं, मैं उसी लैटर को आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि वास्तव में जी. डी. शर्मा प्रिंसिपल करौली को नीमकाथाना के प्रिंसिपल सक्सैना की जांच के आदेश नहीं हुए थे। वहां का जो आफिसर सुपरिण्टेण्डेण्ट था उसकी जांच के आदेश हुए थे। उसी लैटर को पढ़कर मैं माननीय सदस्यों को सुना रहा हूं। जी. डी. शर्मा ने एक पत्र प्राचार्य को लिखा है, "निवेदन है कि मैं दिनांक 3-10-1991 को........" मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वह प्रिंसिपल की जांच के लिए नहीं गया था, जी. डी. शर्मा प्रिंसिपल करौली नीमकाथाना के प्रिंसिपल की जांच न करके आफिस सुपरिण्टेंडेण्ट की जांच करने गया था। मैं दिनांक 3-10-1991 को नीमकाथाना जांच के सम्बन्ध में आ रहा हूं। कृपया श्री चोखाराम, आफिस सुपरिण्टेण्टेण्ड को सूचित करें कि उस दिन वे सरोलिया से सम्बन्धित सभी कागजात लेकर उपस्थित रहें। आशा है, मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखकर उसको उपस्थित रहने का श्रम कराएं।"

मेरा निवेदन है कि यह जो प्रश्न उठाया गया था कि जी. डी. शर्मा प्रिंसिपल

(श्री रतनलाल जाट)

करौली को नीमकाथाना के प्रिंसिपल की किसी जांच के लिए भेजा गया था, यह इनका निवेदन करना बिलकुल गलत-सा है।

श्री रामनारायण वर्मा : डाइरेक्टर का लैटर पढ़ाओ, डाइरेक्टर ने क्या आर्डर दिया था ? इतना-सा पढ़ दीजिए। डाइरेक्टर का लैटर बताओ, उसको कनसील मत करो।

श्री अध्यक्ष : उसी की कम्प्लाएंस में तो यह लैटर लिखा है।

श्री रामनारायण वर्मा : डाइरेक्टर ने दिया है लैटर, उसकी कम्प्लाएंस नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप, वर्मा जी, जरा बात करिये। जी. डी. शर्मा को अपाइण्ट डाइरेक्टर ने किया। करौली के प्रिंसिपल को किया। प्रिंसिपल उनको लिख रहा है कि मैं अधीक्षक की जांच करने आ रहा हूं...

श्री रामनारायण वर्मा : अधीक्षक की नहीं, साहब।

श्री अध्यक्ष : आर्डर तो दिया कि आप शर्मा की जांच करिये....

श्री रामनारायण वर्मा : यह नहीं, अधीक्षक को कागजात लेकर तैयार रखें, यह था। लेकिन जांच प्रिंसिपल का आर्डर है, आप उस लैटर को पढ़ो, देखें। डाइरेक्टर का लैटर पढ़ लीजिए, माननीय मन्त्री जी।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि डाइरेक्टर तो आर्डर यह दे कि आप शर्मा की जांच करिये और वह करौली का प्रिंसिपल उसको लिखे कि मैं सुपरिन्टैण्डेण्ट की जांच करने आ रहा हूं, ऐसा होता है क्या ?

श्री रामनारायण वर्मा : मैं सुपरिन्टैंडेण्ड हूं तो मेरे को ही लिखेंगे कि आप कागज....

श्री अध्यक्ष : वे सरोलिया से सम्बन्धित सारे कागजात तैयार रखें, मैं जांच करने के लिए आ रहा हूं।

श्री रामनारायण वर्मा : डाइरेक्टर की चिट्ठी पढ़ दीजिए, डाइरेक्टर की चिट्ठी है। किसी और बिग बास की तो है नहीं। राज्यपाल महोदय की चिट्ठी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चिट्ठी है क्या आपके पास डाइरेक्टर की।

श्री फूलचन्द : पांच मैम्बरों की....

श्री अध्यक्ष : अब आप इनको देखने दीजिये। आप बार-बार पूछेंगे तो। डाइरेक्टर का लैटर है क्या आपके पास ?

श्री रतनलाल जाट : डाइरेक्टर का लैटर नहीं है। माननीय सदस्य जब भी चाहेंगे, मैं इनको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, चलिये, आगे जवाब दीजिए।

श्री रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष जी, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था कि श्री रामगोपाल स्वामी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है कालेज में कार्यरत, उससे बेगार ली गयी है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि रामगोपाल स्वामी इस कालेज में गैस मैन के रूप में कार्यरत है। इससे किसी प्रकार की कोई बेगार नहीं ली गयी है प्रिंसिपल द्वारा। जैसा कहा गया कि वह छुट्टी पर था उस समय। जब छुट्टी पर था तब इसको दो तारीखों में—31-12-1990 से 8-12-1991 तक और 27-2-1991 से 14-3-1991 तक कालेज से सम्बन्धित डाक को लाने-ले जाने और सरकारी कार्य हेतु इसे नियुक्त किया गया था। किसी प्रकार की बेगार श्री रामगोपाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से नहीं ली गयी थी।

दूसरा एक और प्रश्न रणवीर सिंह बलवदा के बारे में जो वहां पी. टी. आई. है, रेज किया गया था। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि बलवदा ने जिसके साथ अन्याय और अत्याचार की बात की गयी थी, 2500 रुपये पी. टी. आई. के नाते एडवांस लिये थे। उसमें से बाकी का हिसाब तो उसने पेश कर दिया, 500 रुपये का बराबर प्रिंसिपल के लैटर्स और सभी प्रकार का मौका देने के बाद भी उसने पेश नहीं किया था। प्रापर चांस देने के बाद, प्रापर इन्क्वायरी के बाद नियम 17 के तहत उसका एक इंक्रीमेण्ट प्रिंसिपल ने रोका था। यह नियमानुसार कार्यवाही है। किसी प्रकार का अत्याचार या अन्याय उसके साथ नहीं हुआ है। और जो वहां के कर्मचारी के बारे में आरोप लगाया गया है ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : यू. जी. सी. ग्राण्ट का बताओ।

श्री रतनलाल जाट : यू. जी. सी. ग्राण्ट के बारे में माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यू. जी. सी. द्वारा इस महाविद्यालय को पुस्तकालय हेतु और उपकरण खरीदने हेतु 1,26,765 रुपये वर्ष 1990–91 में दिये गये थे सातवीं पंचवर्षीय योजना में। पैसा ज्यादा दिया था और खर्च करने के बाद यह शेष था। उक्त पैसे को नियमानुसार उन्होंने व्यय किया है। इसकी जांच कि वास्तव में नियमानुसार हुआ या नहीं हुआ, डाइरेक्टर ने इसकी पूर्ण जांच की है और उस रकम का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 15-11-1991 को प्रिंसिपल ने डाइरेक्टोरेट से प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही साथ मैंने दूसरा निवेदन किया था कि इसका आडिट हुआ था। जो मैंने पूर्व में जवाब में कहा था कि इसका आडिट के बाद जो बस्ता था वह कहीं मिनि बस में गुम हो गया था, जिसकी एफ. आई. आर. यहां मोती डूंगरी थाने में दर्ज करवा दी गयी है। लेकिन उस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में भी वे सब डीटेल्स दी हुई हैं जिसके तहत उस रकम का उन्होंने, प्रिंसिपल ने सही उपयोग किया है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। विधायी कार्य। माननीय श्री चन्दनमलजी बैद।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1992 पर विचार

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, 6,667 करोड़ रुपये की एप्रोप्रियेशन की मांग राज्य सरकार से, स्टेट में संचित निधि से की गई है। इसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

पहली बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आज एक बहस हमारे मुख्य मंत्रीजी ने शुरू कर दी है—सेण्टर और स्टेट के रिलेशन्स की। उसके लिये मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कुछ जो हमारे प्रदेशों की सरकारें हैं वह एक तरह का गुट बनाकर के टाइरेड शुरू कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की चार सरकारों ने एक सम्मिलित मेमोरेंडम भी पेश किया है केन्द्र सरकार को और जैसे रूस में एक कॉमनवैल्थ बनाई गई है, उन्होंने एक कॉमनवैल्थ हमारे हिन्दुस्तान में भी बनाई है। उनका टाइरेड यह है कि किस तरह से केन्द्र सरकार के जो अधिकार हैं, उसकी जो ताकत है, वह कम हो। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत जरूरी है आज के वातावरण में कि हमारी केन्द्र सरकार सैनिक दृष्टि से, शासकीय दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जितनी मजबूत उसको हम बना सकें, उतना मजबूत बनायें क्योंकि हमारे देश की आजादी, हमारे देश की एकता और हमारे देश की अखण्डता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे देश की जो संघीय सरकार है, केन्द्र सरकार है, वह कितनी मजबूत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको अपने इतिहास से सबक लेना चाहिये। आज हम उस जमाने को याद करें कि जब हमारी केन्द्र सरकार, दिल्ली की सरकार मजबूत नहीं थी और सिखों के, मराठाओं को, राजपूतों के और मुसलमानों के, दूसरी तरह के छोटे-मोटे राजा-महाराजा आपस में लड़ रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों को, फ्रांसिसियों को, पुर्तगालियों को और डचों को इस तरह का मौका मिला कि वे हमारे देश को गुलाम कर सके। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हित में यह बात है कि हमारी संघीय सरकार, केन्द्र सरकार मजबूत से मजबूत हो। अगर हम अपने इतिहास से सबक नहीं लें तो हमारे आस-पास जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे तो हमको सबक लेना चाहिये। आज रूस में क्या हुआ? संघीय सरकार के कमजोर होते ही वे आपस में लड़ने लग गये। फौज किसके पास रहे, नेवल फ्लीट की जो ब्लैक शिप है, वह किसके पास रहे, आणविक हथियार किसके पास रहें। अजरबेजान और आर्मेनिया में आज सैनिक कार्यवाही हो रही है और लड़ रहे हैं। युगोस्लोवाकिया में क्या हो रहा है? वे भी आपस में लड़ रहे हैं। एक छोटा-सा देश है। उसकी संघीय सरकार के खत्म होते ही दो प्रदेश आपस में लड़ने लग गये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बातों से हमको सबक लेना चाहिये।

आज हमारे देश में भी समस्याओं का कोई अन्त नहीं है। आज कावेरी जल विवाद, नर्मदा नदी का जल विवाद, सतलज

(श्री चन्दनमल बैद)

का जल विवाद जिसमें हिमाचल भी है, राजस्थान भी है, पंजाब और हरियाणा भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे झंझट, चंडीगढ़ का झंझट, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा का विवाद। ये सारे विवाद ऐसे हैं कि अगर हमारी केन्द्र सरकार आज कमजोर हो गई तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सारे विवाद झगड़े का रूप ले लेंगे, लड़ाई का रूप ले लेंगे। इस वास्ते यह बहुत जरूरी है कि हमारी केन्द्र सरकार जितनी ज्यादा से ज्यादा मबूजत हो उतनी मजबूत होना चाहिये। यह कहना कि केन्द्र सरकार मजबूत होने से प्रदेश की सरकार कमजोर हो जायेगी, बेमानी है। यह केवल इस तरह का उदाहरण देकर कि फैमिली प्लानिंग का काम हमसे ले लिया गया और वन और पर्यावरण का काम हमसे ले लिया गया, मैं कहता हूं कि कोई मतलब नहीं रखते हैं। फेमिली प्लानिंग का काम ले लिया गया तो फेमिली प्लानिंग का पैसा आपको दे रहे हैं, इम्पलीमेंटेशन तो आपके पास है। अगर कोई कमी है तो वह आपकी कमी है। वह तो संघीय सरकार की कमी नहीं है। पर्यावरण और वन हमसे ले लिया गया तो निश्चित रूप से इस बात को मानिये कि अगर वह नहीं ले लिया गया होता तो आज जिस तरह वनों की निर्मम कटाई हो रही है, और तेजी के साथ होती तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का जो टाइरेड का वातावरण बनाया जा रहा है, इस वातावरण को बन्द किया जाना चाहिये।

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सरकारिया आयोग की तरह से एक और कमीशन बने। मैं भी कहता हूं कि सरकारिया आयोग की तरह से दूसरी कमीशन बनाया जाना चाहिये। मुझे पूरा भरोसा है कि दूसरा जो कमीशन बनेगा वह इस बात की रिपोर्ट करेगा कि संघीय सरकार को और केन्द्र सरकार को और मजबूत किया जाय। अगर वे चाहें तो मैं कहना चाहता हूं कि इस आधार पर अगर हम आम चुनाव में भी जाना चाहते हैं तो जाय और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज हिन्दुस्तान की आम जनता इस बात के पक्ष में है कि हमारी केन्द्र सरकार मजबूत से मजबूत होनी चाहिये। आज अगर सारे देश में कांग्रेस की इज्जत बढ़ी है तो इस कारण से बढ़ी है कि आज दिल्ली में मजबूत कांग्रेस सरकार बैठी है क्योंकि लोग इस बात को पसन्द करते हैं कि जो संघीय सरकार है, केन्द्र सरकार है, मजबूत से मजबूत हो जिससे हमारे देश की रक्षा हो सके, हमारे देश की आजादी की रक्षा हो सके। लोग इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वे जानते हैं इस बात को कि कितनी तकलीफें, कितनी परेशानियों से कितने बलिदानों से और त्याग के बाद आज देश को आजादी प्राप्त हुई है। वे इस बात को नहीं चाहते हैं कि किसी तरह ढील देकर के हमारी सरकार को कमजोर करके इस आजादी को खतरे में डालें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने अपनी बात कहते हुए एक बात कही थी कि सातवें और आठवें प्लान में हमने जो हिस्सेदारी की है प्लान में,

(2·46 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

(श्री चन्दनमल बैद)

उस हिस्सेदारी में हमने सिचाई, बिजली, सामाजिक और सामुदायिक सर्विसेज, जो ग्राम विकास की सर्विसेज हैं, उनमें पैसों में कमी की है। मैंने उस समय यह कहा था कि हमारा जो आठवां प्लान है, वह 7900 करोड़ रुपये का है। तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि नहीं, हमने तो 10,000 करोड़ रुपये का प्लान बनाकर भेजा है। ठीक है, यह सही बात है लेकिन अक्टूबर, 1990 में इस प्लान को जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था, भेजा आपने ही था प्लानिंग कमीशन को और उसके बाद आपने दूसरा प्लान नवम्बर, 1991 में बनाकर भेजा है 10,000 करोड़ रुपये का। उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। उस समय भी मैंने कहा था जो लापसाइडेड अलाटमेंट किये हैं बिजली के बारे में, सिंचाई के बारे में, ग्रामीण विकास के बारे में और सामुदायिक और सामाजिक योजनाओं के बारे में, अगर उसको आपने ठीक कर लिया तो मैं आपको बधाई दूंगा लेकिन, सभापति महोदय, मुझे यह कहना पड़ेगा कि जो नया प्लान 10,000 करोड़ रुपये का भेजा है उसमें उन्होंने इन चीजों का पैसा, इन चीजों का प्रतिशत और भी कम कर दिया गया है। मैं आपको कुछ आंकड़े देकर बताना चाहता हूं। उन्होंने जो प्लान पेश किया है, उसी प्लान से आंकड़े लेकर बताना चाहता हूं कि सातवें प्लान में ग्रामीण विकास के सिलसिले में 6.70 प्रतिशत पैसा खर्च करने की योजना थी, वहीं उन्होंने आठवीं योजना में 10,000 करोड़ का जो प्लान भेजा है उसमें 5.97 प्रतिशत कर दिया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक पर्सेण्ट की कमी, मतलब 100 करोड़ रुपये। 10,000 करोड़ का एक प्रतिशत होता है 100 करोड़। तो इन्होंने उसमें कम कर दिया। उसी तरह सिंचाई में जहां हमारी सातवीं योजना में 22.25 प्रतिशत खर्चा था उसको उन्होंने 15 50 प्रतिशत कर दिया। यानी करीब 7 प्रतिशत इन्होंने सिंचाई में कम कर दिया, 700 करोड़ रुपया सिंचाई में, सातवीं योजना में जितना रखना था, उससे कम रखा है। उसी तरह विद्युत में 29.69 पर्सेण्ट था उसको उन्होंने 28.76 प्रतिशत कर दिया। यानी विद्युत में भी उन्होंने पैसा कम कर दिया। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा, इसका मतलब शिक्षा और चिकित्सा में भी उन्होंने जो सातवीं योजना में 23.70 प्रतिशत का खर्चा था उसको कम करके 20.51 कर दिया। सभापति महोदय, आप शिक्षा में कम खर्च करना चाहते हैं, चिकित्सा में कम खर्च करना चाहते हैं, बिजली में कम खर्च करना चाहते हैं, सिंचाई में कम खर्च करना चाहते हैं, ग्रामीण विकास में कम खर्च करना चाहते हैं, तो खर्चा ज्यादा कहां कर रहे हैं? और आखिर में हमको यह कहते हैं कि 6,667 करोड़ रुपये हमको आप दें। इस वास्ते दें आपको कि आप बिजली पर कम खर्च करेंगे, सिंचाई पर कम खर्च करेंगे, ग्रामीण विकास पर कम खर्च करेंगे। ग्रामीण विकास की बहुत बड़ी-बड़ी बात आप करते हैं लेकिन जब खर्चे का सवाल आता है तो कम खर्चा करते हैं। इसी तरह चिकित्सा और शिक्षा में आप कम खर्च करते हैं। यही कारण है, मैं कहना चाहता हूं कि छह हजार स्कूलें बन्द करके आपने एक हजार स्कूल खोलने की बात कही है।

(श्री चन्दनमल वैद)

क्योंकि आपकी खुद की मंशा यही है, आपने सारे प्रदेश में डायरेक्शन यही दिया, दिशा-निर्देश यही दिया है कि इन चीजों पर कम खर्च करेंगे।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल का जो प्लान है और जो अगले साल का हमने प्लान बनाया है इसमें भी यह डिस्टोशन्स हैं, उसमें भी विकृतियां की हुई हैं। यह मैं इन्हीं के आंकड़ों से बताना चाहता हूं। 1991-92 का जो बजट था उसमें रुरल डवलपमेंट में 6.63 पर्सेन्ट का खर्चा था उसको उन्होंने 1992-93 में रखा है 6.39 पर्सेन्ट का खर्चा दिया है। इर्रिगेशन व फ्लड कन्ट्रोल के लिए इस साल के प्लान में 19.88 का खर्चा था उसको उन्होंने घटा कर अगले साल के प्लान में 16.27 खर्चा बताया है। इसी तरीके से, सभापति महोदय, सोशल कम्यु-निटी सर्विसेट में इस साल का जो प्लान था उसमें 24.63 पर्सेन्ट का खर्चा रखा था लेकिन अगले साल के प्लान में 21.76 का खर्चा बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की क्या नीयत है। इस साल जो प्लान है उससे अगले साल के प्लान में विद्युत में सिंचाई में सामा-जिक/सामुदायिक योजना में, ग्रामीण विकास में आप कम खर्च कर रहे हैं और सातवें प्लान में जितना खर्चा कर रहे हैं हम इन चीजों पर, आठवें प्लान में उससे भी कम खर्च कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपका यह क्या तरीका है ? आखिर आप राजस्थान को देना क्या चाहते हैं ? फिर हमसे कहते हैं कि 6,667 करोड़ रुपये हमको आप दीजिए। इस वास्ते दें कि बिजली पर आप कम खर्चा कर रहे हैं सिंचाई व्यवस्था पर आप कम खर्चा कर रहे हैं, इस वास्ते दें कि शिक्षा और चिकित्सा में आप कम खर्चा कर रहे हैं, इस वास्ते आपको दें कि ग्रामीण विकास योजनाओं पर आप कम खर्चा कर रहे हैं ?

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि आज तक आपने दिसम्बर तक क्या किया है ? दिसम्बर, 1991 तक जो आपका खर्चा हुआ है वह 55.88 पर्सेन्ट खर्च किया है और अब बाकी बचे 3 महीनों में आप 45 पर्सेन्ट खर्चा करना चाहते हैं। नतीजा क्या होगा ? आप अपव्यय करेंगे, बिना जरूरत का सामान खरीदेंगे और खरीद कर स्टोर में डाल देंगे। यह होने वाला है। क्योंकि आपने 9 महीने में तो 55.88 पर्सेन्ट खर्च किया है और 45 पर्सेन्ट खर्च करने के लिए आपके पास कुल तीन महीने का समय है। इन तीन महीनों में आप बिना मतलब की मशीनें, बिना मतलब का सामान खरीद कर आप जो हमारी बर्बादी करने वाले हैं वह हमको सामाने दिखा रहा है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, बड़े जोर से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ढोल पिटवाया था कि अपना जो एनुअल प्लान है 1992-93 का वह 20 पर्सेन्ट ज्यादा बढ़वा कर लाया हूं। मैंने उनको बधाई दी थी कि आप 20 पर्सेन्ट बढ़वा कर लाये हैं। लेकिन, सभापति

(श्री चन्दनमल बैद)

महोदय, जो आंकडे सरकार ने हमको दिए हैं उनसे मालूम पड़ता है कि इस साल महंगाई 24.17 पर्सेन्ट बढ़ी है। आपने प्लान ले लिया 20 पर्सेन्ट ज्यादा का और महंगाई 24.17 पर्सेन्ट बढ़ी है इसलिए यह प्लान तो कम हो गया। सारे हिन्दुस्तान में महंगाई 12.01 पर्सेन्ट बढ़ी है और हमारे राजस्थान की महंगाई 24.17 पर्सेन्ट बढ़ी है। इसका मतलब दुगुनी महंगाई हमारी बढ़ी है। दुगुनी महंगाई बढ़ी है उसके लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सारे राष्ट्र में अगर महंगाई 12.01 पर्सेन्ट बढ़ी है तो यहां 24.17 पर्सेन्ट क्यों बढ़ी है? यह आंकड़े मैं मेरी मरजी से नहीं दे रहा हूं यह आंकड़े मैं आपकी किताबों के ही दे रहे हैं इसी किताब में यह आंकड़े हैं। अगर आपने पढ़ा हो, पढ़ने की कोशिश की हो तो इन किताबों में वह आंकड़ें दिए हुए हैं। यह 55.88 पर्सेन्ट का जो आंकड़ा मैंने दिया है वह भी मैंने इस किताब से दिया है, कोई मैं मेरे घर से यह आंकड़ा नहीं लाया हूं। आपने जो किताबें दी हैं, इतना बड़ा बंडल दिया है, उस बंडल में से दिया है। उसमें यह आंकड़े में आपको लेकर दे रहा हूं। आपकी आखिर मंशा है, आप चाहते क्या हैं? उसके बाद हम से यह कहते हैं कि 6,667 करोड़ रुपये हमको दे दें। इस वास्ते दें कि आप खर्च नहीं करें, उसे बर्बाद करें, इस वास्ते दे दें कि सिंचाई पर, बिजली पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, ग्रामीण विकास योजनाओं पर पहले से आप कम खर्चा करें? सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के फिजूल खर्ची के लिए पैसा देने के लिए कम से कम जो इधर बैठे हुए हैं वह तो रजामंद नहीं हैं उधर वालों की बात व जानें।

एक बात, सभापति महोदय, और भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब 1977 में श्री भैरोंसिह जी शेखावत मुख्य मंत्री बने थे, उस समय इन्दिरा गांधी नहर की 5 लिफ्ट योजनाएं बनी हुई थीं सावा, फलौदी, गजनेर, कोलायत और पोकरण। उन्होंने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम यह किया कि मंत्रीमण्डल से यह प्रस्ताव पास करवा दिया कि इन पांचों लिफ्ट योजनाओं पर पुनर्विचार किया जाएगा और पुनर्विचार के नाम से उन 5 योजनाओं को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। एक काम और भी किया कि "गंदेली सावा योजना", जो पीने के पानी के लिए उस समय योजना बनाई गई थी उस योजना को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 84 गांवों को पानी देने वाली एक योजना बनाई गई थी, उस योजना को भी इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया कि वह पानी खुली चैनल से लाएं या पाइप लाइन से, इसका फैसला किया किया जायगा है। इसका फैसला वह इन्होंने किया नहीं और उसे भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। सौभाग्य से 1980 में फिर कांग्रेस सरकार आ गई और इन पांचों लिफ्ट योजनाओं को फिर मंजूरी मिली। बल्कि एक योजना और बनाई बांगडसर की उसकी भी मंजूरी मिली। गंदेली सावा योजना जो पीने के

(श्री चन्दनमल बैद)

पानी की थी उसको शुरू किया गया और 134 गांवों को आज मीठा पानी उस योजना के कारण से मिल रहा है। उसका सैकण्ड फेज फिर से बनाया गया है। उस सैकण्ड फेज में 335 गांवों को पीने का पानी मिलने वाला है। ऐसी महत्वपूर्ण योजना को भी इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यह जो 6 लिफ्ट सिचाई योजनाएं हैं इनको फिर से रद्दी की टोकरी में डालने की योजना बना रहे हैं। वह कैसे? वह यह कह कर कि इन 6 योजनाओं से जो जमीन सिंचित होगी उसके नीचे हार्डपेन है, हार्ड पेन है या नहीं इसके बारे में जो रिपोर्ट है, इसकी जांच करने के लिए "वेपकोस" को सौंप दिया जाय। "वेपकोस" की रिपोर्ट आएंगी उसके बाद यह तय होगा कि इन योजनाओं को लिया या नहीं लिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन की जानकारी के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए जो सरकारी कागजात और डाकुमेंट्स हैं उनसे यह बताना चाहता हूं कि यह क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। मेरा प्रश्न यह है कि कल भी जब वाद-विवाद चल रहा था एप्रोप्रियेशन बिल पर और जो मंत्री खड़े हुए थे जवाब देने के लिए तो हमने कौल एण्ड शकधर को इस बारे में कोट किया था। उसमें यह था कि- "The Finance minister must present in the House to reply the questions raised by the Hon'ble members."

आज कौनसे मंत्री जवाब देंगे? अध्यक्ष महोदय ने उस पर व्यवस्था दी थी कि राजस्थान के रूल्स के अन्दर "Finane Minister means any Minister. इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि आज इनमें से जवाब देंगे? यह मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। I would like to know. present Finance Minister must in the House. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ऑफिसर्स गैलेरी में न फाइनेंस सैक्रेटरी हैं ना कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट से सम्बन्धित कोई अधिकारी इस समय मौजूद हैं। आफिसर्स गैलेरी में कोई व्यक्ति नहीं है, सभापति महोदय, यह ठीक नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौन जवाब देंगे? Finance Minister must present in the House.

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्या ने जो पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है वह वाजिब है लेकिन मैं जो बात उठा रहा हूं उसका न तो मुख्य मंत्रीजी के पास जवाब है, ना फाइनेंस सैक्रेटरी के पास जवाब है, ना फाइनेंस में बैठने वाले किसी आफिसर के पास जवाब है। इसलिए आप परेशान मत होइए। जवाब इनके पास नहीं है। क्योंकि मैं उन्हीं के आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं। इसलिए जवाब न पहले था ना आज है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य व्यवस्था तो आने दीजिए। सवाल आपका नहीं है जवाब तो किसी का नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। कृण्या उसका जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि जो कल पाइन्ट उठाया गया था वह राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक 1992 पर था, माननीय मंत्री, श्री कैलाश मेघवाल ने ही उसे रखा था और उसका उत्तर भी उन्होंने दिया था। परसों जो कार्य सूची हुई थी उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1992 मूव किया था, विचारार्थ रखा था, विचारार्थ रखने के बाद.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य सचेतक महोदय, आप क्या कह रहे है हमारे समझ में नहीं आ रह है....

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : सारी अकल का ठेका आपने ही ले रखा है। और तो कोई समझते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या आपने अपनी बात कह दी अब उनको अपनी बात कहने दें। I have got right to put my views.

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उन्होंने जो रखा था, उसका विचारार्थ ले लिया गया था और उसके ऊपर आज डिबेट हो रही है। आज की जो भी कार्यसूची है उसमें जवाब के लिए नहीं है। फिर भी अगर कोई पाइन्टेडली क्वश्चन पुटअप किये जाएंगे, उनका नोट हो रहा है। और जैसी कि कल आसन से रुलिंग हुई थी. Finance Minister includes any Minister.

जितनी आमदनी हो उसका आधा हिस्सा दे दिया जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो समझ में आ गई कि कोई भी मिनिस्टर जवाब दे देगा But he must be in the House.

इसका क्या जवाब है। Finance Minister must be in House.

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये।

(3.00 म.प.)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापतिजी, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी दिल्ली में राजस्थान के हितों की चिन्ता करते हुये प्रधान मंत्रीजी के साथ विचार कर रहे हैं और उनके साथ विरोधी दल के माननीय सदस्य भी गये हुये हैं। विरोधी दल के माननीय सदस्य जानते हैं और उसके बाद ऐसे प्रश्न उठाना हमें बड़ा आश्चर्यजनक लगता है।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि

(श्री दिग्विजय सिंह)

पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने जो उठाया है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने ही हाउस में इस बात को कह दिया था कि वह 28 तारीख को यहां उपस्थित नहीं रहेंगे क्योंकि दिल्ली में उनको वार्ता में जाना है और यह आवश्यक है उसकी वजह से अनुमति मांग करके यह प्रस्तुत किया था और उसके बाद में कहा था कि 30 तारीख को आकर के इसका जवाब दे देंगे.... (व्यवधान) माननीय सदस्या को तो मालूम है इस बात के लिये अब उसके बाद भी आप अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा परिचय दे करके बताना चाहो कि मैं बहुत समझती हूं नियमों में और तो कुछ समझता ही नहीं है।

श्री सभापति : आप सुनिये.... (व्यवधान) बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप क्या बात कर रहे हैं मंत्री महोदय ज्ञान के प्रदर्शन की।

श्री सभापति : माननीय सदस्या आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो बैठ जाऊंगी आप कहेंगे तो लेकिन यह कहने का उनको किसने अधिकार दिया वह मेरे ज्ञान को चुनौती दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : आज कौन से देंगे जवाब उनका पूछने का आशय यह था।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्य यह कोई जरूरी नहीं है कि एडवांस में नाम बता दिया जाये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप गलत पेश कर रही हैं। (व्यवधान) आप होशियार सदस्या होकर के हाउस को गुमराह कर रही हैं। आपके हर एक पाइन्ट को लिखा जा रहा है। जवाब तो मुख्य मंत्री जी देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे पूछने का मतलब इतना सा है कि आज किसको आथोराइज्ड किया है जो हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। सिर्फ इतना ही मतलब था मेरा। मैं यह जानना चाहूंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : आज जवाब ही नहीं है जवाब तो परसों है।

श्री यदुनाथ सिंह : कोई ऐसा पाइन्ट आ जाये जिसका उत्तर आज ही देना हो तो।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति जी यह जो क्वेरी पूछेंगे उसका उत्तर माननीय मंत्री के द्वारा दे दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे परसों 30 तारीख को जवाब निश्चित रूप से दे सकते हैं। बहस चलेगी लेकिन कोई स्पेसिफिकली किसी मिनिस्टर को आथोराइज्ड किया

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

होगा। यानि यहां पांच दस मिनिस्टर बैठे हो उनसे मतलब नहीं है। चीफ मिनिस्टर को आज की तारीख में कौन रीप्रजेन्ट कर रहा है, फाइनेन्स मिनिस्टर को आई मीन।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्य, नोट्स कोई भी मिनिस्टर लिख सकता है। नोट्स बराबर लिखे जा रहे हैं। हमेशा यही परम्परा रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं। यह नहीं (व्यवधान) स्पेसिफिकली किसी आदमी को डेप्यूट करना चीफ मिनिस्टर को In the absence of the Finance minister some minister must be specificaily entrusted with the responsibilities of the views of the Hon'ble members.

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी पाइन्ट नोट कर रहे हैं और वही उत्तर देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गृह मंत्रीजी तो नोट ही नहीं कर रहे हैं। नोट तो औदिच्य साहब कर रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, एक माननीय मालपुरा से आने वाले सदस्य ने जो बात पूछी है उसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर परसों मुख्य मंत्रीजी जवाब दें और उन्होंने जो पाइन्ट उठाये हैं उनका अगर इनको जवाब नहीं मिले तो आप बतला देना।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरी दूसरी प्राब्लम है सभापति महोदय, मैं आज बहस में हिस्सा लेना चाहता हूं लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है। वह आंकड़े मेरे को मिल जायें तो मैं बहस को सार्थक बना पाऊंगा। राजस्थान कैनाल पर कितना पैसा है इस वक्त कृपया आप बता दीजिए मेरे को उससे ही आगे बहस को बढ़ाना चाहता हूं।.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : गृह मंत्रीजी बतायेंगे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सभापति महोदय, जब किसी प्रश्न का या माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब साथ के साथ देते हैं तो आप कहते हैं कि आप इन्ट्रप्ट कर रहे हो। आपके जो भी कुछ भाषण हैं वह नोट कर रहे हैं। उसका एक-एक का जवाब मिलेगा आपको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, सभी विषयों के प्रगति पत्र में सारे आंकड़े हैं माननीय सदस्य अध्ययन करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सदस्य को पढ़ना ही नहीं आता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजिये। प्रश्न यह है, व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर एक पत्र अध्यक्ष महोदय को लिखा है और उनसे अनुमति लेकर वह गये हैं किसी विशेष काम से। जहां तक सवाल यह है कि जनतन्त्र के अन्दर केबिनेट की ज्वाइंट रेसपान्सिबिलिटी है। आज तो बहस का कोई जवाब दिया जायेगा नहीं। बहस का जवाब फाइनेन्स मिनिस्टर परसों देंगे तो आप जो प्रश्न करेंगे। उनका मिल

(श्री सभापति)

जायेगा। अगर कोई ऐसा बिन्दु यहां खड़ा भी हो गया तो यहां पर सीनियर मिनिस्टर मौजूद है वह आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप शुरू करिये माननीय चन्दनमल जी।

श्री चन्दनमल बैद : जो 6 लिफ्टें इन्दिरा गांधी नहर से....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : कैलाश मेघवालजी तो है नहीं, सीनियर मिनिस्टर तो है ही नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : वह जो 6 लिफ्टें इन्दिरा गांधी नहर से निकाल करके पश्चिमी राजस्थान की तीन लाख हैक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई करने की योजना थी उस योजना को यह सरकार खटाई में डाल रही है। इस सिलसिले में मैं इनके कागजात से कुछ बात पढ़ करके आपको सुनाना चाहता था। इस खंड से सम्बन्धित, गजनेर लिफ्ट से सम्बन्धित भू-जल विभाग की रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन किया गया जिसका विवरण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1 से 3 दिनांक 25-10-91 अधीक्षण अभियंता, सर्वे एवं अन्वेषण वर्क, बीकानेर मुख्य अभियंता व अतिरिक्त मुख्य अभियंता को प्रस्तुत किया गया। इसमें यह दर्शाया गया है कि भू-जल विभाग द्वारा गजनेर लिफ्ट से सम्बन्धित रिपोर्ट निम्नलिखित कारणों से सही प्रतीत नहीं होती अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से इन्होंने कुछ रिपोर्ट कराई। उन्होंने रिपोर्ट यह दी कि यह 6 जो लिफ्ट बन रही है उसके नीचे की जमीन में हार्ड पेन है। इसके बारे में उनके दफ्तर की रिपोर्ट यह है कि यह जो रिपोर्ट है यह इरेगुलर है। अब मैं एक दूसरी रिपोर्ट आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। इन लिफ्ट योजनाओं की हार्ड पेन होने की जांच कराई गई यह पाया गया कि अधिकांश सिंचित क्षेत्र हार्ड पेन से प्रभावित है। वह तो कह रहे हैं कि गलत है लेकिन दूसरी रिपोर्ट में इनका नोट यह है प्रभावित है। अतः भविष्य में वाटर लोगिंग की समस्या से बचने के लिए इन क्षेत्रों में भूमि के उपयोग को प्रोपर लेण्ड यूज का अध्ययन वाटर एण्ड पावर कन्सलटेन्सी सर्विसेज इण्डिया लि. वैप कोस से कराया गया है और उनसे रिपोर्ट प्राप्त होनी है अनिश्चितता की ऐसी स्थिति में, अनिश्चितता की स्थिति पैदा ही करना चाहते हैं यह, ऐसी स्थिति में दिनांक 27-11-91 को इन्दिरा गांधी नहर मण्डल की 138 वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि वैप कोस से प्रतिवेदन प्राप्त होने तक केवल मुख्य नहरों पर ही कार्य, जहां तक छेड़ रखा है, जहां तक काम छेड़ रखा है, जहां तक काम छोड़ रखा है उसी काम को पूरा किया जाये। जो काम छेड़ा है उसी को किया जाये आगे नहीं बढाया जाये। इन योजनाओं की वितरण प्रणाली पर अभी कार्य नहीं किया जाये इस निर्णय पर प्लानिंग एण्ड को-आर्डिनेशन कमेटी ने भी सहमति दे दी है.... और इस सम्बन्ध में मण्डल को भी बैठक कर उपयुक्त निर्णय लेने की सलाह दी। सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता था कि 1977 में जब आप पधारे थे तब आपने इन तमाम लिफ्टों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और दुबारा जब आप पधारे हैं तब फिर

(श्री चन्दनमल बैद)

इन लिफ्टों को आज रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि चूरू जिले को सिंचाई का पानी मिले तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरदार शहर से आने वाले मन्त्री को यह इन्दिरा गांधी नहर विभाग देकर क्यों मार रहे हैं आप.... (व्यवधान).... मार रहे हैं उसको क्योंकि उसका तो फिर जीतकर आना मुश्किल हो जायगा। यहीं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह आपकी खोटी मंशा है। उस समय जब मैं इन्दिरा गांधी नहर का मिनिस्टर था तब मैंने कहा था इस हाउस में भैरोंसिंह जी शेखावत पश्चिमी राजस्थान के दुश्मन नम्बर एक और मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि श्री भैरोंसिंह जी शेखावत पश्चिमी राजस्थान का विकास नहीं चाहते और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाई पश्चिमी राजस्थान में अब तो आपने अपनी बेटी दी कुछ तो मेहरबानी करो हमारे पर, यह दुश्मनी क्यों कर रहे हो आप हमसे ? किस तरह से क्या बदला हमसे निकालना चाहते हो जो बार-बार हमारी योजनाओं को आप खटाई में डालते हो, बार-बार हमारी योजनाओं को रद्दी की टोकरी में डाल देते हो। कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। भैरोंसिंह जी शेखावत को बहाने बनाने की बहाने, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। बहाने तो उनकी हर जेब में पड़े हुए हैं। इस जेब में से निकालो तो दस बहाने, उस जेब में से निकालो तो दस बहाने। बहानों के तो मास्टर हैं वह। इस वास्ते मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं इस बात को वह मेहरबानी करके भूल जाए और अगर वैस्टर्न राजस्थान से उनकी कोई दुश्मनी है तो अपनी बेटी देने के बाद तो उस दुश्मनी को भूल जाए कम से कम। अपनी बेटी पर तो मेहरबानी करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बेटी तो जयपुर की बाशिन्दा हो गई अब।

श्री चन्दनमल बैद : यही तो मुश्किल है। सभापति महोदय, कल भ्रष्टाचार के बारे में हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने बहुत सी बातें कह दी। उन्होंने यह कह दिया कि चालीस साल में जो भ्रष्टाचार किए हैं उन पर कार्यवाही करने में समय तो लगेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीस साल तक जो माननीय सदस्य इधर बैठकर के अधिकारियों पर मिनिस्टरों पर भ्रष्टाचार के चार्ज लगाते रहे और जब उनकी सरकार आई तो हमारे पण्डित रामकिशन जी ने यह कहा कि और कहीं भ्रष्टाचार आप पकड़ो नहीं पकड़ो जो आपने चार्जेज लगाए हैं उन पर तो कार्यवाही करो आप। उस पर उन्होंने तीन आदमियों की एक कमेटी बनाई श्री अर्जुन सिंह जी कपोत, श्री मंगल बिहारी जी, जस्टिस बैरी और उस कमेटी को यह सौंपा कि तुम रिपोर्ट दो, कार्यवाही करें साल भर बीत गया मैं पूछना चाहता हूं तीस साल में जो आपने चार्जेज लगाए थे उनमें से क्या एक चार्ज का भी आप पता नहीं लगा सके। इसका मतलब यह है कि आपने जितने चार्जेज लगाए थे वह ब्लेकमेलिंग करने के लिए लगाए थे कार्यवाही करने के लिए नहीं। अगर ब्लेकमेलिंग करने के लिए नहीं लगाए थे तो क्यों नहीं उन पर आपने कार्यवाही

(श्री चन्दनमल बैद)

की। हमको डराते हैं आप कार्यवाही करेंगे, हम तैयार हैं आप कार्यवाही कीजिए और आप कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो मैं वो-वो भ्रष्टाचार बताना चाहता हूं जो आपकी सरकार में हुए हैं और आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। पिछले बजट पर भाषण देते समय मैंने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वार्षिक अधिवेशन करने के लिए शराब के ठेकेदारों से 6 करोड़ रुपए लिए हैं। उस समय इधर के मंत्री और सारे सदस्य खड़े होकर मेरा विरोध करने लग गए और उन्होंने कहा, सबूत दीजिए····

श्री टीकमचन्द कान्त :····(व्यवधान)···· हमारा इस बात पर विरोध है····

श्री चन्दनमल बैद : सुन लीजिए, परेशान क्यों हो रहे हैं। + + + ···· (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : ऐसा है सुनिए जब भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था उस समय प्रदेश का कोषाध्यक्ष मैं था भारतीय जनता पार्टी का इसलिए मैं आपको चुनौती के साथ यह कहता हूं आप तो 6 करोड़ की बात कर रहे हैं एक नया पैसा यदि किसी शराब के ठेकेदार से लिया हो तो मैं स्तीफा दे दूंगा नहीं आप दे देना····(व्यवधान) ····

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी रखें जाएंगे यहां सदन में····(व्यवधान)····यहां रसीदें प्रस्तुत की गई हैं।

श्री कालीचरण सराफ : क्योंकि मैं उस समय कोषाध्यक्ष था। एक नया पैसा शराब के ठेकेदार से नहीं लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, जब मैंने यह कह तो लोग बड़े नाराज हुए और यह कहा कि सबूत दीजिए, हिसाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी आबकारी मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि जो रसीदें एक लाख एक हजार रुपये की हमने पेश की वह रसीद भारतीय जनता पार्टी के रसीद बुक की थी

श्री कालीचरण सराफ : वह रसीद फर्जी थी। मंत्रीजी ने यह कहा है

श्री चन्दनमल बैद : (व्यवधान) उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उस रसीद पर दस्तखत रामदास जी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के (व्यवधान) उन्होंने यह भी स्वीकार किया है इस पर उनकी लड़की के दस्तखत हैं (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : ऐसा है उस दिन जब यह आरोप लगा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस बात का यहां पर खण्डन किया है। वह रसीद फर्जी है ओवर राइटिंग की गई है और कोई पैसा नहीं लिया गया। यह क्लियर कहा है उन्होंने। अब आप सुनो नहीं उसका मेरे पास इलाज नहीं है····

श्रीमती सुमित्रा सिंह :····(व्यवधान)···· उन्होने कहा कि मेरी लड़की के दस्तखत हैं यह एडमिट किया है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उन्होंने यह भी कहा कि रसीद में राशि मेरी बच्ची ने नहीं भरी····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राशि तो मैं भी स्वयं कभी नहीं भरती हूं, मैं भी केवल दस्तखत करती हूं ·· (व्यवधान)····

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन दस्तखत तो है यह स्वीकार किया है कि मेरी लड़की के दस्तखत हैं और यह स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के दस्तखत हैं। मैं कहता हूं इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। भ्रष्टाचार भी करें और + + + भी करें ···· (व्यवधान)····इससे बढ़कर भ्रष्टाचार कोई हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार साबित हो गया और 6 करोड़ का हिसाब चाहते हैं वह तो कालीचरणजी हिसाब देंगे आपको। लेकिन एक लाख एक हजार का हिसाब, आपके सामने सबूत दिया, आपकी मंत्री स्वीकार करती है और फिर भी मंत्री मण्डल में बैठी रहती हैं इससे बढ़कर + + + की बात और कोई हो नहीं सकती है। भ्रष्टाचार भी करें और + + + भी करें।

सभापति महोदय, मैं केवल एक बात कहकर खत्म करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, चारों तरफ कर रहे हैं लेकिन आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं विद्या मन्दिरों में कम से कम भ्रष्टाचार मत फैलाइए। किसी ने दो स्टूडेण्ट्स का ट्रांसफर कर दिया इस वास्ते मैं 23 का करूंगा। यह कोई बात है। इन विद्या मन्दिरों में जिनकी इज्जत है, साख है मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज है उसकी एक इज्जत है सारे देश में उसकी इज्जत को आप खराब करना चाहते है, बरबाद करना चाहते हैं। 23 लड़कों को जो डिप्लोमा में भर्ती नहीं हो सकते थे उनको आपने मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज में भर्ती करके भ्रष्टाचार फैलाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा भ्रष्टाचार कहीं फैलाएं, शराब के ठेकेदारों के साथ भ्रष्टाचार कीजिए छूट है आपको जाइए लेकिन कम से कम विद्या मन्दिरों में भ्रष्टाचार मत कीजिए। मैं यह निवेदन करूंगा की आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लीजिए आपके मंत्री ने स्वीकार किया है, कि मेरी लड़की के दस्तखत हैं, आपके मंत्री ने स्वीकार किया है कि बी. जे. पी. के अध्यक्ष के दस्तखत हैं फिर आप क्या चाहते हैं? क्या सबूत चाहते हैं? 6 करोड़ का हिसाब मुझसे चाहते हैं। हिसाब तो आप दीजिए मैं क्या हिसाब दूंगा। सभापति महोदय, मैं उन भ्रष्टाचार की बात करने वालों से एक निवेदन करना चाहता हूं

श्री कालीचरण सराफ : ऐसा है वह मामला कोर्ट में है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। उसका फैसला कोर्ट करेगी और आप बेनकाब हो जाएंगें उसमें।

श्री चन्दनमल बैद : (व्यवधान) सारा राजस्थान समझ गया है कि किसने भ्रष्टाचार किया है और क्यों किया है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहकर के यहीं निवेदन करना चाहता हूं कि 6,667

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री चन्दनमल बैद)

करोड़ रुपये की जो मांग की है इन्होंने हमारे स्टेट की निधि से उसको मन्जूर नहीं किया जाए।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश गुप्ता।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : सभापति जी, राजस्थान विनियोग संख्या-2 विधेयक 1992 पर मैं अपने विचार रखूं उससे पहले····(व्यवधान) मैं चाहता हूं इस बात पर कोई पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं उठाए। अभी तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ने जिस प्रकार बी. जे. पी. के अधिवेशन के बारे में चिन्ता की, माननीय ग्राडवाणी जी, माननीय जोशीजी की भव्य यात्राओं की चर्चा की इनको जलन होना स्वाभाविक है। क्योंकि ग्राम जनता कितने क्या, उल्लास और जोश से अपने प्रिय नेताओं के लिए घण्टों खड़े रहकर कतारें बनाकर स्वागत कर रही थी इनको वो दिन याद आ गए जब वह अपने नेताओं, अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए सरकारी साधन लगाया करते थे और मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं सरकारी साधनों का दुरुपयोग ही नहीं··बल्कि भीड़ इकट्ठी करने के लिए किराया दिया करते थे, किराये पर लोगों की भीड़ इकट्ठी करते थे····(व्यवधान) बी. जे. पी. की लोकप्रियता को देखकर इनको 40 साल याद आ रहे हैं जब लगातार····(व्यवधान) ये जब बोल रहे थे तब आप चुप बैठे थे। उस समय बजट हो रहा था।

श्री यदुनाथ सिंह : हम तो आपसे अच्छी बातों की आशा रखते हैं····(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बड़ी तकलीफ हो रही है। 40 साल तक राज के मजे ले रहे थे। वे कारें याद आती हैं, वे बंगले याद आते हैं, वे गनमैन याद आते हैं और वे सिपाही याद आते हैं, सेल्यूट याद आते हैं·····

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, नहीं मैं संशोधित कर रहा हूं 35 साल।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : राजस्थान की जनता बैद जी महाराज अब आपको यह कभी नहीं देगी. कभी नहीं देगी····(व्यवधान) दिल्ली की बड़ी पैरवी हो रही है····

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइंट ग्राफ ग्रार्डर। मेरा पाइंट ग्राफ ग्रार्डर है। सभापति महोदय, मुझे पहली बार बहुत अफसोस हो रहा है कि कोई सदस्य जो है वह किसी सदस्य के नाम से पुकारे तो कोई बात···कई बार उसको माफ कर दिया जाता है लेकिन ये सरकारी मुख्य सचेतक महोदय किसी माननीय सदस्य को नाम से पुकारे तो यह बात हाइली ग्राब्जेक्शेनबल है। इसलिए आप इनको चेतावनी दीजिये कि आप किसी को नाम से नहीं पुकारे, आप कांसीट्यूएसी के नाम से पुकारे, आप व्यवस्था दीजिये इसके बारे में।

श्री दिग्विजय सिंह : गाली थोड़े ही दी है। गाली तो नहीं दी। बैदजी महाराज ही तो कहा है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से····

श्री बुलाकीदास कल्ला : आसन के माध्यम से केवल नाम से पुकारा जाता है और वह भी जब अध्यक्ष महोदय गुस्से में होते हैं, इसलिए आप उससे ऊपर व्यवस्था दीजिये कि आप नाम से सम्बोधित नहीं करें।....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : कल्ला जी हालत खराब हो रही है। वैदजी महाराज बोला है, कोई गाली तो नहीं दी है। इनको वह भी गाली लगी है।

श्री सभापति : उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शाहपुरा के चौराहे पर जैसे भाषण दे रहे हैं।

(3.23 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिल्ली की सरकार का बहुत पक्ष लिया कि दिल्ली मजबूत होनी चाहिये, भारतीय जनता पार्टी का दृढ़विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार मजबूत होनी चाहिये लेकिन दिल्ली में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए दिल्ली मजबूत होनी चाहिये। दिल्ली में जब विपक्ष की सरकारें थी इसलिए दिल्ली कभी मजबूत नहीं चाहिये थी और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य शायद इस गलतफहमी में है कि दिल्ली हमेशा इनकी रहेगी। हिन्दुस्तान की जनता को दिल्ली की सरकार ने जो तोहफे में महंगाई दी है, जो पिछले दो बजटों में कई तरह के टैक्स लगाये, उस गरीब जनता की आर्थिक कमर को तोड़ा गया है, जब भी समय आएगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली इस कांग्रेस की नहीं रहने वाली, यह मेरा विश्वास है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो टैक्स लगाये हैं वह वापस कर लो आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये शाहपुरा के चौराहे पर खूब बोले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। आप सुनिये तो सही।

श्री चन्दनमल बैद : ये सपना देख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें कल्पना से ही होती है। हां सपना ही ठीक है।

श्री कालीचरण सराफ : आप राजस्थान में दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रहे है, यह कभी नहीं होगा। (व्यवधान) आप तो हमारे साथ थे, दल-बदल कर गये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : हमारा सपना तो कभी पूरा हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। आप तो सहयोग करिये। सचेतक जी बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो आप। प्लीज। अमृत जी। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : केन्द्र में जो सरकार थी उसको डुबो दिया उन्होंने ।

श्री उपाध्यक्ष : सबकी भागीदारी है उसमें ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : फिर जोड़ लेंगे, चिन्ता मत करो । अपन तो मिलने वाले हैं ।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेरी लाल जी की तरह सुनहरे सपने देखने का आपको अधिकार है ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप गलत पैरवी करने लग गये ।

श्री यदुनाथ सिंह : अब तक केन्द्र में जितनी सरकारें बनी कांग्रेस के अलावा, उस सरकार को तो आपने गिरा दिया । बताईये ।

डा. चन्द्रभान : यह तो आपके कारण से आए हैं । आपने जब सरकार को गिराया है, तब ये आए हैं ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जनता चाहेगी तो हम फिर राज करेंगे । चिन्ता मत करो । (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हर वित्त मंत्री राज्य के हितों को सर्वोपरि रखकर बजट प्रस्तुत करता है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिये यदुनाथ सिंह जी ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : पिछले वर्षों में जो भी माननीय वित्त मंत्री बने हैं, उन्होंने शायद इस बात का ध्यान रखा होगा और जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं तो उनके दिल और दिमाग में यह बात रहती है कि हम किन विषयों को प्रायोरिटी दें, किन विषयों को प्राथमिकता दें । हम देखते हैं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है । यानी राजस्थान में काफी हिस्सा वीरान है, काफी भूमि पड़त है, काफी भूमि इरिगेटेड है, काफी भूमि अनइरिगेटेड है, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से कई विषमताओं के साथ जुड़ा हुआ है । कहीं बरसात होती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं अकाल पड़ता है । अन्य राज्यों को अगर हम देखें तो वहां मौसम, जलवायु, भौगोलिक स्थिति हमेशा एक सी रहती है लेकिन राजस्थान में जो भौगोलिक परिस्थिति विषम है, राजस्थान में जो विषम और डिफरेंट भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से राजस्थान में किस चीज को प्राथमिक दी जाय, यह हर वित्त मंत्री का कर्तव्य है और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पिछले तीन बजटों में इस बात का विशेष ध्यान रखा है और राजस्थान के लिए कृषि का उत्पादन बढ़े, इरिगेटेड वाटर की जो सिंचाई की योजनाएं हैं, उनको पूरी की जाय, उनको बढ़ाया जाय, हमारा जो विद्युत संकट है उसका हल किया जाय, हमारा खान उद्योग है उसका खनन किस प्रकार से किया जाय । हमारे राजस्थान का औद्योगिकीकरण हो, इन प्रमुख बातों को उन्होंने प्राथमिकता दी है । हमारे इन्टरस्टेट डिस्प्यूट्स है । इसमें इन्टरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं । पिछली राज्य सरकारों के शासन के हमारे राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया गया है । राजस्थान के तत्कालीन शासकों ने अपनी कुर्सी बचाने

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

के लिए, लाभ उठाने के लिए राजस्थान के हितों का सौदा किया और मैं अधिक नहीं कहना चाहता।

अभी सरकारिया आयोग की बात चल रही थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारिया आयोग ने जो रिकमण्डेशन दी है, मिनरल्स माइन्स के लिए वह लागू कराने के लिए हमारे उधर पक्ष के बैठने वाले माननीय सदस्य क्यों नहीं बोलते। इसलिए हमारे मेजर मिनरल्स में जिसका हमारे लिए 5 साल के लिए निर्धारण होता है और सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार यह निर्धारण दो वर्ष का कर लिया जाय तो निश्चित रूप से राजस्थान को भारी लाभ होगा लेकिन उस बारे में जो वित्त विशेषज्ञ कहे जाते हैं, तारा नगर से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा।

नवें फाइनेंस कमीशन से राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया गया है, उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। नाइंथ फाइनेंस कमीशन में राजस्थान में जो अकाल की स्थिति चल रही है, राजस्थान में जो अकाल के अन्य रुपये दिये जाते थे उसमें उसे कम कर दिया गया। 105 करोड़ रुपये से लेकर 93 करोड़ रुपये पर ला धरा उसके लिए माननीय सदस्य ने कभी अपने विचार प्रकट नहीं किये। मैं निवेदन करना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार के साथ राजस्थान की सरकार की कोई लड़ाई नहीं है लेकिन यह सरकार का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने हितों के लिए लड़ेगा, हितों के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के हितों के लिए आज भी दिल्ली में बैठकर प्रधान मंत्री के साथ वार्ता कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, हमारी खनिज सम्पदा और धरोहर, हमारी ग्रामीण विकास की योजनाएं, हमारे कृषि कानूनों में कोडिफिकेशन, हमारी व्यवस्था में कर चोरी को रोकने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, इन बातों को हमने प्राथमिकता दी है। और इसके हिसाब से मैं राजस्थान में मुख्यमंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट रखते समय राजस्थान की जनता के हित में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, किन बातों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए उन बातों का विशेष ध्यान रखा है। मैं इतने डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा लेकिन अभी जिस प्रकार से तारानगर से आने वाली माननीय सदस्या ने कई गलत तथ्यों को यहां बताया, बिजली में कमी हुई, सिंचाई में कमी हुई। मैं पूछना चाहता हूं कौनसी मद में कमी हुई? मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के शासनकाल में हर चीज में बढ़ोतरी हुई है कमी होने का प्रश्न नहीं उठता।

डा. चन्द्रभान : महंगाई बढ़ गई है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : महंगाई तक अगर सीमित हैं तो महंगाई के लिए अलग चर्चा कर लेंगे कि महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है और आप ही बता देना कि जिम्मेदार कौन है और आज जो व्यू रखेंगे उससे कम से कम मैं अपने आपको एन्डोर्स

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

कर लूगा। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं महंगाई के लिए जिम्मेदार....

श्री सम्पत सिंह : हर चीज में बढ़ोतरी नहीं, अच्छी-अच्छी चीजों में बढ़ोतरी हुई है। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से लेकर आज तक इस बात की चिन्ता निश्चित रूप से की है कि हम सब राजस्थान का विकास किस प्रकार से करें। राज्य की स्थिति वास्तव में जैसा मैंने निवेदन किया कि अन्य राज्यों से भिन्न है। मैं दो ही बातों का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहूंगा पानी और बिजली।

हम यह मानते हैं कि राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। यहां 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, जिसके बारे में मैंने पहले निवेदन किया, हमारे यहां कई खेत हैं जिसमें पानी नहीं है, कई अनइर्रिगेट हैं और 3 साल पहले या 2 साल पहले हमारे किसान भाइयों को पूरी बिजली भी नहीं मिलती थी लेकिन आज इस बात को खुशी है कि पिछले साल में राजस्थान के किसान को नियमित रूप से 8 घण्टे बिजली दी गई। हर किसान को निश्चित रूप से 8 घण्टे बिजली दी गई है। कहीं 8 घण्टे से ज्यादा दी गई है, कहीं 20–20 घण्टे भी दी गई है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज राजस्थान का कोई भी उद्योग बिजली के अभाव में बन्द नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 8 घण्टे दी लेकिन आपको मालूम नहीं है वह कैसे मिली। कल्याण सिंह कालवी थे उन्होंने 20 लाख यूनिट दिलाई है। अगले साल देंगे तब पता लगेगा। देना, देखें कैसे देते हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उनको आपके माध्यम से धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण यह था कि उस समय आप भी मंत्री थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं थी तब तो मिली ही बिजली। 10 घण्टे मैंने दी। लेकिन इस बार सर्दी में आपको बिजली मिली थी कल्याण सिंहजी कालवी के कारण से। उन्होंने 20 लाख यूनिट बिजली पूल से दिलाई और अब लेंगे तब आपको पता लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : किसी का योगदान हो वह तो राजस्थान के लिए था।

श्री दिग्विजय सिंह : यही मैं कह रहा हूं कि आपका भी प्रयास था।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991-92 में जनवरी, 1992 तक राज्य के विभिन्न स्रोतों से 1,05,125 लाख यूनिट बिजली प्राप्त हुई। यह गत वर्ष के मुकाबले 16·69

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

पर्सेन्ट ज्यादा थी जिसके कारण कृषि क्षेत्र में 8 घण्टे और औद्योगिक क्षेत्र में बिना कटौती के बिजली की सप्लाई की गई है। वर्तमान में हमारे राज्य को 430 लाख यूनिट बिजली की रोजाना आवश्यकता है। और हमारे पास सोर्सेज हैं उसके अनुसार 377 लाख यूनिट हमारे पास उपलब्ध हैं। इस अभाव की पूर्ति पिछले साल भी और इस साल भी हमने पड़ोसी राज्यों से की और करेंगे। हमने केन्द्र सरकार से नियन्त्रित विद्युत गृहों की सहायता, उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड के हिस्सों से हमने प्राप्त की। गत वर्ष में राजस्थान की सरकार ने अपनी बजट घोषणा के अनुसार 25 हजार कुओं पर बिजली दी, 700 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और इस वर्ष भी निश्चित रूप से उतने ही गांवों का और उतने ही कुओं का समयानुचित विद्युतीकरण किया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। हमारी सरकार उस प्रकार से घोषणा नहीं करती जैसे माण्डलगढ़ से पहले जो विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, वे जगह-जगह यह घोषणा करते थे कि मैं पावर हाउस लगाऊंगा, मैं यह लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा और लोगों ने उनका नाम, मुझे कहना चाहिए, उनका नाम + + + कर दिया कि ये तो + + + की तरह घोषणा करते हैं, होता-जाता कुछ नहीं। अगर ये हमारे पावर लग गए तो राजस्थान का किसान क्यों सर्दी में पागत कर रहा है, फिर राजस्थान का किसान सर्दी में क्यों ग्रिड स्टेशनों पर आन्दोलन कर रहा है, राजस्थान के किसान के क्यों सारे ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 2 सालों में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान में बिजली के लिए आन्दोलन नहीं हुआ, राजस्थान के ग्रिड स्टेशनों का घेराव नहीं हुआ, राजस्थान के किसानों को कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। मैं यह मानकर चलता हूं कि आज कई बातों पर हमारी सरकार ने इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है क्योंकि आखिर पड़ौसी राज्यों से हम बहुत अधिक कीमत देकर बिजली कब तक उधार लेते रहेंगे और इसलिए यह व्यवस्था की गई है। कोटा थर्मल पावर परियोजना का जो लोड फेक्टर है उसमें 40 प्रतिशत से 63 प्रतिशत तक विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन किया गया है। इसी परियोजना में 210 मेगावट की नई इकाई का कार्य तेजी से चल रहा है। हमारे बरसिंगसर लिग्नाइट तापीय परियोजना का कार्य निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा चालू कर दिया है। सूरतगढ़ तापीय परियोजना हेतु सरकार प्रयत्नशील है। निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादन हेतु भी भारत सरकार प्रयत्नशील है। मथानिया सौर ऊर्जा संयन्त्र के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है। इन योजनाओं में कुछ समय लगेगा। 2–3 सालों में जब इन योजनाओं का क्रियान्वयन पूरा हो जायेगा तो मैं मानकर चलता हूं कि राजस्थान के किसानों को बिजली का

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

अभाव कभी नहीं रहेगा, किसी भी सूरत में नहीं रहेगा और हमको बिजली उधार नहीं लेनी पड़ेगी लेकिन इसके लिए हमें इन्तजार करना पड़ेगा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : आपने 2 साल में एक यूनिट तो पैदा नहीं की।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सदस्य यह टमाटर नहीं है जो बाजार से खरीद लाओ। इसके लिए समय लगता है, योजनायें बनती हैं, योजनाओं पर काम चालू करना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 1980 से 1990 तक औद्योगिकीकरण पर पटाक्षेप लग गया था। मुझे याद है कि सन् 1977 से 1980 में जब जनता सरकार का मंत्रिमण्डल था, उनकी सरकार थी तो गांव-गांव में औद्योगिकीकरण किया गया। कई छोटे-छोटे कस्बों का औद्योगिकीकरण किया गया। उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को मैं चुनौतीपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि 1980 से 1990 तक उन्होंने एक भी कस्बे या एक भी नगर का औद्योगिकीकरण किया हो तो वे अपने भाषण में बतायें। मुझे इस बात का खेद है कि उन्होंने राजस्थान के औद्योगीकरण के साथ भारी अन्याय किया है, उसको पीछे धकेल दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने नई औद्योगिक नीति बनाई है, औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरो बनाया है, कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकास पार्क की जयपुर में मंजूरी होने वाली है, खादी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार हेतु 15 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में रखा गया है, हाथकरघा निगम द्वारा पश्चिमी राजस्थान में बुनकरों को प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध कराने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। चालू वर्ष में उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक शिविरों के फलस्वरूप राजस्थान में 1650 करोड़ के मध्यम-बड़े नये उद्योग लगाये जाने की सम्भावनाएं हैं और इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में कृषि का विकास हो, उद्योगों का विकास हो और उन दोनों के साथ हमारी बेरोजगारी की समस्या जुड़ी हुई है, यदि इन क्षेत्रों का विकास होगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होगी। निश्चित रूप से राजस्थान में सम्पन्नता बढ़ेगी, राजस्थान के गरीब की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी। अभी तारानगर से आने वाले माननीय विधायक महोदय बता रहे थे कि बजट में आवंटन क्या हुआ, हमने जैसा पहले निवेदन किया, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्राथमिकता दी है इन विषयों को और इसीलिए बजट में उन्होंने ऊर्जा के लिए 26·9 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 18 प्रतिशत, कृषि के लिए 12·2 प्रतिशत, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए 22·9 प्रतिशत और पूरे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 61·5 प्रतिशत आवंटन किया है। बाह्य सहायता भी, राजस्थान में इनके पिछले शासन में 96·33 करोड़ की मिली थी, हमें आशा है, इस वर्ष यह सहायता बढ़कर 151·53 करोड़ रुपये होगी। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह वित्त मंत्री रहे हैं, इतने सालों तक,

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

उनको राज्य सरकार को कुछ सुझाव देने चाहिये थे, उनको एप्रोप्रियेशन के बारे में बोलना चाहिए था, बजट तो पास हो गया, बजट पर क्या भाषण दे रहे थे, बजट तो पास हो चुका, बजट पर भाषण का कोई मतलब नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बजट तो एप्रोप्रियेशन बिल के बाद पास होगा।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या अपनी सीट से बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : यह आज ठीक किया है आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर पार्टी भी ज्वाइन कर ली है तो सीट अलॉट थोड़े होगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बोल सकती हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकारी मुख्य सचेतक को यह मालूम नहीं है कि जब एप्रोप्रियेशन बिल होगा, बजट तो जब पास होगा....

श्री टीकमचन्द कांत : यह बिल्कुल ठीक बात है। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यह यहां जल्दी में उठ कर के इस प्रकार क्रास करके गई हैं वह भी तो उचित नहीं था।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सब पता है....

श्री टीकमचन्द कांत : वहां से सीधे आकर के यहां तक नहीं जाते, यों होकर आना चाहिए था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या गुनाह कर लिया, क्यों ? कोई बीच में था क्या बोलने वाला।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : नहीं, माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी आपत्ति है। यह टीकम चन्दजी कांत जो कह रहे हैं इस पर मेरी बहुत बड़ी आपत्ति है....

श्री उपाध्यक्ष : क्या आपत्ति है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्या वहां बैठी थी, नई-नई तो उधर दल ज्वाइन कर रही हैं, दल-बदल, इनको आपत्ति हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं।

डा. चन्द्रभान : दल-बदल आपने कर लिया, नाम इनका ले रहे हो।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : बैठे-बैठे बोल रहे हैं, बैठे-बैठे ही।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : यह सभी आप से ही सीख रहे हैं। आप ही टीका-टिप्पणी ज्यादा करते हैं और मौका आता है तो यह भी नहीं छोड़ते हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : हां, यह भी सही है। मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं। मेरा तो पहला टर्म है। आप बहुत वरिष्ठ हैं।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्या बहुत वरिष्ठ हैं, इनके व्यवहार से तो हम सीखते हैं और यही उधर से फ्लोर क्रास करके गलत आई हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको मालूम नहीं है, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जब कोई बोल रहा हो तो आसन और स्पीकर के बीच से नहीं आते हैं, यहां से आने की कोई मुमानियत नहीं है।

श्री टीकमचन्द कांत : उपाध्यक्ष महोदय, इस वैल के अन्दर, इट्स कॉल वैल, इस वैल के अन्दर बिना मतलब के प्रवेश करना भी नियमों के विरुद्ध है, परम्परा के विरुद्ध है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्यतः यहां नहीं आया-जाया करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिये।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं, माननीय सदस्या, सचेतक महोदय बोल रहे हैं और आप उनके बीच में से आई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं उनके बीच में से और उनके बीच से थोड़े ही आयी हूं।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं, उधर और इन्हीं के बीच में से आई आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो आऊंगी यहां से, क्यों नहीं आऊंगी। उन दोनों के बीच से नहीं आना चाहिये था मुझे। समझते कुछ हो नहीं, हर बात में टोका-टाकी।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्यतः वैल में होकर नहीं गुजरते हैं। उनको जल्दी सीट पर जाना था इसीलिए तत्परता बताई उन्होंने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे भी यहां से जाना कोई वह नहीं है, अलाउड है।

श्री उपाध्यक्ष : तो कुछ व्यवस्थाओं में जो दे रखा है कि सामान्यतः यहां से नहीं गुजरा करें....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इरिगेशन के बारे में बात की, मैंने विद्युत के बारे में बात की और जैसा मैंने निवेदन किया था कि कई विषयों को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में प्राथमिकता दी, उनमें माइनिंग भी है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान खनिज सम्पदा में बहुतायत लिये हुए है, प्रश्न इस बात का है कि हम उनका खनन कर सकें। अवैध खनन भी बहुत हो रहा है। राजस्थान की सरकार ने अपने बजट के माध्यम से सारे सदन को सूचित किया है कि अवैध खनन रोकने के प्रयास के सन्दर्भ में खनिज की कीमत की बारह गुनी रायल्टी के स्थान पर पच्चीस गुना रायल्टी कर दी जाय। सरकार ने यह निर्णय अवैध खनन रोकने, उस पर अंकुश लगाने के लिये किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

कि खनिज कहां-कहां है, उसका अन्वेषण होना चाहिए, उसकी खोज होनी चाहिये और हमारी सरकारी ने पहली बार अन्वेषण के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। निश्चित रूप से उस योजना के माध्यम से खनिज क्षेत्रों का अन्वेषण किया जायेगा। जो अभी तक अन्वेषण हुआ उसका तत्काल लाभ भी मिला है और उसका लाभ यह है कि जैसलमेर में स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के नौ करोड़ टन के अधिकतर भण्डारों का पता अभी हाल में किये गये अन्वेषण से लगा है। अप्रधान खनिजों के लिये बने अनुदान नियमों का सरलीकरण करना, झालावाड़, नार्थवैल, कामा व केवरा क्षेत्रों में ताम्र धातु पाये जाने के संकेत, झामर कोटड़ा में रॉक फास्फेट के संवर्द्धन हेतु 150 करोड़ की लागत के एक संयंत्र का निर्माण कार्य, खनिज विकास निगम द्वारा जैसलमेर जिले में स्टील ग्रेड लाइम स्टोन का उत्पादन पांच से दस लाख टन किये जाने की सम्भावना इस बात का प्रतीक है कि खनिज क्षेत्रों में जहां सरकार एक तरफ अवैध खनन पर रोक लगानी चाहती है, वहीं नये-नये अन्वेषण करवा कर राजस्थान की धरती, जो अपने आंचल में बहुमूल्य खनिज लिए हुये बैठी है, उनका खनन करके उसको सतह पर लाकर गरीब राजस्थान को एक अमीर राजस्थान बनाना चाहती है और हिन्दुस्तान के प्रतिभाशाली राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना चाहती है। हमारा प्रयास है, राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलने वाली है।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : किताब पढ़ रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, हम अगर हमारे हिस्से का पानी लेने में सफल हो गये, हमारे राजस्थान में बिजली के नये आयाम स्थापित करने में सफल हो गये, नई-नई इरिगेशन की योजनाओं का क्रियान्वयन करवाने में सफल हो गये तो मैं मान कर चलता हूं कि राजस्थान का निश्चित रूप से विकास होगा। मुझे खेद इस बात का है कि अभिभाषण से लेकर आज तक कतिपय माननीय सदस्यों को, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, जब राजस्थान के बजट पर विचार कर रहे हैं तो हमको हमारे क्षेत्र तक सीमित नहीं रह कर ऊपर आना चाहिये था, विधान सभा क्षेत्र की बात तो होती रहती है, जिले की समस्याओं की चर्चा भी होती रहती है, लेकिन हमको राजस्थान के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विचार रखने चाहिये थे और मैं आशा करूंगा, जो विपक्ष के माननीय सदस्य अब बोलने वाले हैं, उनको राजस्थान के हितों पर अपना ध्यान केन्द्रित करके राजस्थान सरकार को बहुमूल्य सुझाव देने चाहिये।

जिससे यह सरकार भी लाभान्वित हो सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि एप्रोप्रियेशन की डिबेट हम कर रहे हैं, बजट की चर्चा बहुत हो चुकी, मांगों पर भी हो चुकी,

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

हमारे सिद्धांत ऐसे हैं कि हमको वही घिसी-पिटी बातें वही, बजट क्या था उसमें मांगें क्या रखी गयी उनके अलावा एप्रोप्रियेशन बिल पर how to appropriate the money, the Government is going to appropriate this money when this House passes the Appropration Bill.

उसके बारे में हमको महत्वपूर्ण सुझाव देने चाहिए थे और मैं नाम भी ले सकता हूं हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष रहे हुए हैं वह अपने विचार रखेंगे और वह हमको बहुमूल्य सुझाव देकर हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि पब्लिक इम्पारटेन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी क्या होनी चाहिए इस बात पर यहां विचार आने चाहिएं। मेरे इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कुछ सुझाव हैं। हमें इकानामी के साथ-साथ एफीशियेन्सी आफ प्राडक्टिविटी पर ध्यान और फिजुलखर्ची पर और अधिक अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि हमारे बजट राशि का जो आवंटन हुआ है उसका एप्रोप्रियेशन भी एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। हमारे हिन्दुस्तान में और अन्य राज्यों में और हमारे राज्य में भी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि पहले 6 महीने कुछ काम होते हैं, 3 महीने फिर कुछ होते हैं और आखिरी जब समय आता है तो पूरे-पूरे को हम एप्रोप्रियेट करना चाहते हैं। मेरा सुझाव है माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि बजट राशि का समयबद्ध और बजट की भावनाओं के अनुरूप खर्चे का मूल्यांकन प्रतिमाह सम्बन्धित विभागाध्यक्ष व सचिव और हर तीसरे महीने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोई समिति गठित करके करवाया जाना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि 3 महीने के लिए एक बजट का हिस्सा आवंटन किया जाये। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह आफिशियली हम नहीं कर सकते लेकिन हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि 3 महीने का हम यह देखें कि जो आवंटन 3 महीने के लिए किया गया है क्या उसका इम्पलीमेन्टेशन हुआ या नहीं और जैसा मैंने सुझाव दिया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी को वह उसका मूल्यांकन करे और जो दोषी व्यक्ति हों उनको इस बारे में उनसे एक्सप्लेनेशन काल करे कि जो आपको काम बताया गया था उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय सुझाव देना चाहता हूं कि ऐक्शन प्लान बनाया जाना चाहिये जिसके अन्दर देखा जाये कि टेन्डर्स आदि व्यवस्थित रूप से आमन्त्रित किये जाएं। साथ ही कई ऐसे विषय हो सकते हैं जो सीजनल होते हैं। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि कई काम हमारे राजस्थान में गर्मी में नहीं हो सकते, कुछ सर्दी में हो सकते हैं, कुछ बरसात में हो सकते हैं, कुछ बीच में हो सकते है। तो अलग-अलग सीजन वाला राजस्थान एक ही व्यवस्था के हिसाब से नहीं चल सकता। तो मेरा सुझाव

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

है कि किस प्रकार के कार्य का निर्धारण हो जो पर्टीकुलर सीजन के हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन किया जाये और मेरा सुझाव यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि हमारे बजट का एप्रोप्रियेशन इस प्रकार से प्रोग्रेमेटिक एप्रोच वाला होना चाहिए, जिसके उपयोग के लिए पैसा खर्च किया जाये जो हमको जनता को नहीं बताना पड़े कि हमने यह रुपया खर्च किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब बातें निवेदन करते हुए मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान माननीय शेखावत साहब के नेतृत्व में जिस गति से बढ़ रहा है और जैसा मैंने पहले निवेदन किया उसको जनता का आशीर्वाद है उस दृष्टि से राजस्थान के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी इसी विश्वास के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

घोषणा

वित्तीय समितियों सम्बन्धी घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय हेतराम जी को बुलाऊं उसके पहले वित्तीय समितियों के नामों के विषय में घोषणा है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के लिए जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे उनकी जांच के बाद जो नामांकन पत्र वैध पाये गये हैं वह इस प्रकार हैं :—

जनलेखा समिति 1992–93

1. श्री रामकरण चौधरी
2. श्री नत्थीसिंह
3. ,, मोहम्मद माहिर आजाद
4. ,, हरिसिंह (महुआ)
5. श्रीमती सुमित्रा सिंह
6. ,, रमा पायलट
7. श्री परसराम मदेरणा
8. ,, जनार्दनसिंह गहलोत
9. ,, हीरालाल देवपुरा
10. ,, जगमालसिंह यादव
11. ,, गुलाबसिंह
12. ,, शान्तिलाल (राजसमंद)
13. ,, गोपीराम जाट
14. ,, अमृतलाल परमार
15. ,, हरीश कुमावत
16. ,, चम्पालाल बांठिया
17. ,, रमाकान्त
18. ,, हेमराज मीणा
19. ,, श्रीकिशन सोनगरा
20. ग.,, गणपतराम गाडेगावलिया

राजकीय उपक्रम समिति 1992–93

1. श्री रामकरण चौधरी
2. ,, यदुनाथ सिंह
3. ,, मोहम्मद माहिर आजाद
4. श्रीमती मदन कौर
5. श्रीमती सुमित्रा सिंह
6. श्री गोपालसिंह खण्डेला
7. ,, सम्पतसिंह
8. ,, भंवरसिंह
9. ,, रामसिंह विश्नोई

10. श्री सुरेन्द्र व्यास
11. ,, प्रद्युम्नसिंह
12. ,, अरुण सिंह
13. ,, सम्पत सिंह
14. ,, गोविन्दसिंह गुर्जर
15. ,, चुन्नीलाल इंदलिया
16. ,, जोगेश्वर गर्ग
17. ,, रामकिशोर सैनी
18. ,, गोविन्द सहाय वैद्य
19. ,, सांवरलाल
20. ,, मांगीलाल मेघवाल
21. ,, गुलाम मुस्तफा खां
22. ,, हजारीलाल
23. ,, राजेन्द्र गहलोत
24. ,, रघुवीरसिंह कौशल
25. ,, डॉ. जितेन्द्रसिंह
26. ,, नन्द किशोर शर्मा
27. ,, अनंग कुमार जैन
28. ,, किशनाराम
29. ,, राजपालसिंह शेखावत
30. ,, कालीचरण सराफ
31. ,, श्रीचन्द्र कृपलानी

प्राक्कलन समिति (क) 1992–93

1. श्री मनोहरसिंह
2. ,, प्रेमसिंह दहिया
3. ,, रामनारायण वर्मा
4. ,, बुलाकीदास कल्ला
5. ,, मनीराम सियाग
6. श्रीमती मदन कौर
7. श्रीमती सुचित्रा आर्य
8. श्री पूनमचन्द विश्नोई
9. ,, चन्दनमल वैद
10. ,, डा. हरिसिंह
11. ,, जसमाल सिंह यादव
12. ,, चुन्नीलाल इन्दलिया
13. ,, रामेश्वरदयाल यादव
14. ,, जियालाल बंशीवाल
15. ,, लक्ष्मीनारायण दवे
16. ,, बंशीलाल पटवा
17. ,, जगजीत सिंह
18. ,, चुन्नीलाल (खण्डार)
19. ,, महावीरप्रसाद जैन
20. ,, खंगार सिंह
21. ,, कन्हैयालाल
22. ,, शम्भुदयाल बड़गुजर
23. ,, शिव किशोर सनाढ्य
24. ,, बालचन्द आर्यवीर
25. ,, बृजराज मीणा

प्राक्कलन समिति (ख) 1992–93

1. श्री प्रेमसिंह दहिया
2. ,, यदुनाथ सिंह
3. ,, इन्द्रसिंह पूनिया
4. ,, सम्पतराम
5. डा. चन्द्रभान
6. श्रीमती मदन कौर
7. श्री गोपालसिंह (खण्डेला)
8. ,, परसादीलाल मीणा
9. ,, हीरालाल इन्दौरा

10 श्री सम्पत सिंह
11. ,, मनीराम सियाग
12. ,, सुरेन्द्र गोयल
13 ,, अब्दुल हादी
14. ,, किशन गोपाल कोगटा
15. ,, जीतमल जैन
16. ,, फूलचन्द गुर्जर
17. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास
18. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता
19. ,, मनोहरसिंह इन्दा
20. श्रीमती उजला अरोड़ा

माननीय यदुनाथ सिंह ।

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मुख्य तौर पर शिक्षा पर, कृषि पर, ऊर्जा पर, उद्योग पर और पानी पर क्या नीति होनी चाहिये इस पर बोलने वाला था लेकिन मेरे से पहले दो माननीय सदस्य बोले कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य श्री वैद्यजी और भारतीय जनता पार्टी के श्री ओमप्रकाश जी । उन्होंने ऐसी चर्चा उठाई कि मैं उसका खुलासा नहीं करूं तो उचित नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ओमप्रकाश जी अपना भाषण दे रहे थे यह कहा कि केन्द्र सरकार, केन्द्र में अब कांग्रेस की सरकार हमेशा बनने वाली नहीं है । आपको यह कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । केन्द्र में आज जो कांग्रेस सरकार बैठी है वह आपकी देन है । केन्द्र में एक सरकार थी जिसमें आपने सहयोग किया था, साथ मिल कर चुनाव लड़े थे, उस सरकार को गिरा कर आपने देश की जनता के साथ बहुत बड़ा+ + + किया, + + +की इसलिए आप यह कहो कि कांग्रेस की सरकार, आप उस सरकार को मजबूत रखते, उस सरकार के लिए 5 साल का मेनडेट देश से लिया था उसको पूरा करते जब आपको यह कहने का अधिकार बनता था । उपाध्यक्ष महोदय, कोई मुद्दे नहीं थे, कैसे-कैसे मुद्दों को लेकर सरकार को गिराया गया । राम की यात्रा निकली, आपने जिक्र किया इसलिए मैं उत्तर देना आवश्यक....

श्री कालीचरण सराफ : राम मन्दिर के नाम पर अभी भी आवश्यकता हुई तो फिर सरकार को गिराया जायेगा ।

डा. चन्द्रभान : अब नहीं गिरा सकते । आपकी हैसियत नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप अब बनाओ ना राम मंदिर, अब मस्जिद को ढाओ ना । आप हिन्दुओं के मन्दिर को ढाने का काम कर रहे हो । आप देश के साथ बहुत-बड़ा + + + कर रहे हो और नोन इश्यूज को इश्यू बनाने का काम कर रहे हो । आपने दो यात्राओं का बड़ा जिक्र किया । आपने कहा....

श्री कालीचरण सराफ : मंदिर बनेगा, बन रहा है । निश्चित रूप से बनेगा ।

+ + +शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया वक्ताओं को भाषण करने देवें ।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : इस एप्रोप्रियेशन बिल में राम मंदिर का कहीं मुद्दा नहीं है....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : क्यों नहीं है। सरकार की बात करी थी, सरकार गिरायी ।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को गिराने की तो इन्होंने भी कोशिश की लेकिन यह सरकार गिरी नहीं । यह असफल हो गये ।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि देश के सामने आज बड़ी-बड़ी समस्याएं मुंह बाये खड़ी है । रोटी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, इन सवालों को छोड़ दिया गया और नोन इश्यू को इश्यूज बनाने का काम किया इस देश में ।

उपाध्यक्ष महोदय, दो नेताओं का विशेष तौर से नाम लिया, आदरणीय आडवाणीजी और माननीय जोशीजी का। आडवाणीजी की यात्रा निकली राम मंदिर के लिए आपने देश के लोगों की भावना को भड़काया लेकिन अब आप राम मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं। मस्जिद तोड़ने के लिए आपने लोगों को गुमराह किया था कि वहां पर मंदिर का निर्माण करने का काम करेंगे । आप उल्टे हिन्दुओं के मंदिरों को धराशाही कर रहे हो । आप हिन्दुओं के दुश्मन हो, आप मुसलमानों के दुश्मन हो।

आपने, उपाध्यक्ष महोदय, जोशीजी की यात्रा का जिक्र किया कि जोशीजी की यात्रा में ढाई-ढाई, तीन-तीन घण्टे लोग खड़े रहे । कौन-सी यात्रा ? जोशीजी की कोई यात्रा नहीं हुई । यह गलत प्रचार करने का काम कर रहे हैं । जोशीजी यात्रा पर निकले ही नहीं और निकले तो जैसे आम आदमी निकलता है उस तरह निकल कर चले गये । क्यों नहीं गये वहां लालचौक पर झण्डा फहराने ? क्यों केन्द्र सरकार को रिक्वेस्ट की कि आप हमें भिजवाने का काम करिये ? क्यों नहीं गये ? उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को ठगा गया । अभी आपने इण्डिया टुडे इस हफ्ते की, उसका पाक्षिक पढ़ा होगा, इण्डिया टुडे ने इसी दल की माननीय सदस्या, श्रीमती भण्डारी ने कहा है कि हम को इस यात्रा के नाम पर ठग लिया गया । उनकी बात को भी असत्य मानेंगे, उनकी बात गलत है । आपने कहा कि हम कोई यात्रा करते हैं, मीटिंग करते हैं, रैली करते हैं उसमें पैसा देने का काम नहीं करते हैं । एक माननीय विधायक ने इसी इण्डिया टुडे में कहा है कि हम को तो वहां, उनके साथ घटना हुई थी पंजाब में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम को 300-300 रुपये में ले जाया गया । तीन-तीन सौ रुपये में । क्या इस तरह की बात कर के, मेरा तो चार्ज है उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की समस्याओं को दूर करने के लिए आप मजबूत सरकार की बात करने की नैतिकता कहां से ला सकते हैं ? आपकी सरकार कौन-सी मजबूत है ? अगर जनता दल दिग्विजय सिंह के नेता आज अपना समर्थन वापस ले लें अपने दल का तो आपकी

(श्री यदुनाथ सिंह)

सरकार+ + +गिरेगी। इसलिए आपकी सरकार भी कोई मजबूत सरकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आप देख लीजिए कि किस तरह से राजस्थान का राज्य केन्द्रित हो गया है। आज मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं। कल भी नहीं थे। मंत्रियों की संख्या देख लीजिए। यानि अली बाबा की 34 की फौज है, गायब हैं सब When cat is only, mice play. खेल रहे हैं, डोल रहे हैं। कोई परवाह नहीं है हाऊस की। वित्त सचिव भी जब आये हैं। जब बहस आधी से ज्यादा हो चुकी है। कोई परवाह नहीं करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नैतिकता की बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वैदजी का जवाब भी देना उचित समझता हूं क्योंकि आपने कहा कि राजस्थान का बिजली में पैसा कम किया, पानी में पैसा कम किया, गांव के विकास में पैसा कम किया और सामुदायिक सेवाओं में पैसा कम किया, आपने दिल्ली में क्या किया? मैं इस विषय में आंकड़ों में जाना नहीं चाहता था लेकिन जब आप बोल रहे थे तो मैंने वह कागज निकाला। मैं नजीर के तौर पर कुछ कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, प्लान आउट ले 1991-92 में एग्रीकल्चर के आपके बजट एस्टमेट थे केन्द्र सरकार के 1858 करोड़ रुपए वह घटा कर इसी साल में रिवाइज एस्टीमेट में कर दिये 1735, यानि आपने 7 प्रतिशत की कटौती कर दी....(व्यवधान)....मिले हुए हैं दोनों। दोनों मिले हुए हैं आर्थिक नितियों में....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मिले हुए आप और नत्थी सिंहजी होंगे, हम किसी से नहीं मिले हुए।

श्री यदुनाथ सिंह : यह इतना हल्का सवाल नहीं है। आज देश में....

डा. चन्द्रभान : ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार ने धन की कमी....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभानजी, यदुनाथ सिंहजी काफी हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : यह इतना हल्का प्रश्न नहीं है जिसमें आप यह सतही तौर से चर्चा कर लें। आज देश को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। एक तो डंकल प्रस्तावों को ले। आप लीजिए आप आश्चर्य करेंगे, यानि जो जीर्ण थे, जो बायोगैस में खाद नहीं बना सकते, कम्पोज अपने वह नहीं लगा सकते गोबर गैस का प्लाण्ट आप जिस तरह जर्मिनेट कर के क्रोस ब्रीड के बीज पैदा नहीं कर सकते। खाद बायोगैस से पैदा करो। खाद में भी पेटेण्ट हो जायेगा और उन पेटेण्ट चीजों को हमें उपयोग करना पड़ेगा इसलिए यह विषय इतना आसान नहीं है और आडवाणीजी ने तो कहा है कि हम क्यों इसकी सरकार की नीतियों का विरोध करें यह तो नीतियां हमारी जो फिलासफी है उसके अनुरूप है।

+ + +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथ सिंह)

वह तो अब उल्टा होने लगा जब आर. एस. एस. के गर्दन पर चढ़ी है। पहले स्वागत किया फिर उसका विरोध कर रहे थे। अब आर. एस. एस ने स्वदेशी का आन्दोलन चलाने का काम किया। यह स्वदेशी का आन्दोलन चलायेंगे। यह क्या स्वदेशी का आन्दोलन चलायेंगे जिसके ज्यादातर नेतृत्व व्यापारियों के हाथ में हों वह क्या इस तरह की नीतियां बनायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता था कि आज देश एक बहुत गम्भीर संकट में फंसने जा रहा है इसलिए यह सरकार हो, बी. जे पी या केन्द्र में कांग्रेस की हो, दोनों देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस समय मंच के माध्यम से राजस्थान के लोगों को और देश के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं; इन समस्याओं पर चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, इन से उभारने का काम करें। मैं इस सदन के लोगों से....

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय यदुनाथ सिंहजी, यहां तो आप बड़े जोर का भाषण दे रहे हैं। आप अजीत सिंहजी के अनुयायी हैं, वह क्या कह रहे हैं ? यह तो बता दीजिए जरा....(व्यवधान)....

श्री यदुनाथ सिंह : कहां के बारे में, वहां विरोध कर रहे हैं। अजीत सिंहजी ने धरने दिये हैं....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : अजीत सिंहजी ने साफ तौर पर कहा है कि देश की जो आर्थिक नीति केन्द्र की सरकार बना रही है वह किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी मध्यम वर्ग विरोधी, नौजवानों के विरोधी नीति है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : केवल इसलिए कि चुनाव नहीं हो जाय इसलिए हम + + + को भी बरकरार रख रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सरकार बनाये रखने के लिए अजीत सिंहजी सहायता कर रहे हैं वहां।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, देश को आर्थिक गुलामी में जकड़ने का षड़यंत्र हो रहा है यानि डी-लाइसेंसिंग, किसी चीज के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कोई चीज आप बाहर से इस देश में लाइये। इस प्रकार हमारे देश के अनुरूप नहीं है। यहां पीछे के दरवाजे से बहुत-बड़ा हमारे देश में षड़यंत्र किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हो किसलिये रहा है ? यह इसलिये हो रहा है और इसकी शुरूआत आज से नहीं, देश आजाद हुआ तब से हुई है देश में और इस सब के पीछे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा को मूल कारण मानता हूं। यानि आज देश में दो अभिजात्य वर्ग पैदा हो गये हैं। एक वह वर्ग है जो सारी सुविधाओं का उपयोग करता है, जो सारे साधनों का उपयोग करता है, जिसको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथ सिंह)

मिलती है, जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ता है और सारी सुविधाएं जितनी वैभव की है उसका उपयोग करता है। दूसरी तरफ वह वर्ग पैदा हो गया है जो अभावों में जीता है, पस्ती में जीता है, भूख में जीता है, बेरोजगारी में जीता है। यह दो वर्ग पैदा हो गये हैं। असल में हिन्दुस्तान इण्डिया और भारत के बीच बंट गया है। जिन लोगों को सारी सुविधाएं मौजूद हैं वह इण्डिया है और जो सारे अभावों में जीते हैं वह आज हिन्दुस्तान और भारत है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, अगर देश में तरक्की का रास्ता खोलना है तो हमें शिक्षा नीति में परिवर्तन करना होगा। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम शिक्षा यह दे रहे हैं अंग्रेजों ने शुरू की थी कि जो शिक्षित है वह अपने समाज से ही अलग कट जाय, वह समाज में समाज का अंग ही नहीं रहे। शिक्षित होने के बाद समाज से कट जाय वह शिक्षा पद्धति किसी रूप में ठीक नहीं है। शिक्षा का यह असर होना चहिये कि समाज इंटीग्रेटेड हो, जुड़ता चला जाय। लेकिन एक अलग से वर्ग पैदा होते चले जा रहे हैं। आज दो तरह की शिक्षा चल रही है. तीन तरह की कहूंगा मैं तो। एक वह पब्लिक स्कूल कि शिक्षा, जिसमें बच्चा जाता है, एक नोकर साथ जाता है, कार में बैठता है बच्चा, दरवाजे पर नौकर दरवाजा खोलता है वह बच्चा पढ़ने घुसता है अन्दर। दूसरी तरफ फटेहाल एक बच्चा पैदल पैदल गाड़ी से बचता या गांव में पढ़ता है तो किसी जानवर से बचता हुआ स्कूल में पहुंचने का काम करता है। उस बच्चे के मन में जिस प्रकार की भावना बैठेगी, एक कार में बैठे हुए बच्चे को देखकर उसके दिल में उठेगी, हीन भावना से ग्रस्त हो जायगा। इसलिये देश में एकसी शिक्षा होनी चाहिये। आज अंग्रेजी पढ़ाने के लिये झुग्गी-झोंपड़ी में देख लीजिये, टाइनी टोढ स्कूल मिलेगा। अब तो गांवों में भी यह स्कूल घुसने लग गये हैं। प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, सम्मान का प्रश्न बन गया है कि बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोले, बहुत अच्छा, बहुत होशियार आदमी है। यानि जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता वह तो गंवार और जो अंग्रेजी में कनवर्सेशन कर सकता है वह होशियार। इस तरह की शिक्षा पद्धति है। शिक्षा से हम देते क्या हैं? आज फस्टेशन में विद्यार्थी घूमता है। आज उसको पता है, इनडिसिप्लीन फैल रहा है कालेजों में स्कूलों में। उसका कारण यही है कि उसको मालूम है कि मेरे शिक्षित होने के बाद मेरे लिये कोई रोजगार का साधन नहीं हैं. मैं पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिये जो इनडिसिप्लीन और जितनी भी अराजकता नजर आती है वह इसी का परिणाम है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसी शिक्षा होनी चाहिये थी, इस शिक्षा में श्रम के लिये तिरस्कार है। यानि श्रम, जो मेहनत करेगा वह छोटा आदमी है, ओछा आदमी है। इस शिक्षा से यह दर्शन मिलता है। यानि श्रम जो तुमको इधर से उधर नहीं रखे, उसके लिये इस देश में सारी सुविधाएं मौजूद हैं और जो जितनी ज्यादा मेहनत करे उसका उतना ही इस देश में अपमान है, वह उतना ही गरीब है, उतनी ही मुफलिसी में रहता है उतनी ही मुफलिसी

(श्री यदुनाथ सिंह)

में जीता है। इसीलिये शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जिसमें श्रम के लिये सम्मान पैदा किया जाय, श्रम के लिये उत्साह पैदा किया जाय। मैं आशा रखता था माननीय मुख्य मंत्रीजी से, मुझे 12 साल उनके साथ बैठने का मौका मिला है, एक बार वह इसी तरह कह रहे थे, शिक्षा नीति में यह परिवर्तन होना चाहिये। मुझे बहुत खुशी होती, मैं उनका बहुत स्वागत करता, बहुत जोर से उनके लिये भले ही मुझे विधान सभा के बाहर भी मंचों पर बोलना पड़ता, बोलता। शिक्षा नीति के लिये कोई डाक्यूमेंट लाते तो। बहस होती है टेन प्लस टू करें, चाहे टेन प्लस वन करें या वन प्लस थ्री करें, इससे शिक्षा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिये आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये देश की परिस्थितियों के अनुकूल हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी तब यह देश तरक्की कर पायेगा और जो एक वर्ग पैदा हो गया है देश में, जो सारी पूंजी पर, देश के साधनों पर छोटा सा समूह कब्जा किये हुए बैठा है उसके चंगुल से इस देश को जब तक नहीं छुड़ाया जायेगा तब तक देश में बहबूदी और तरक्की होने का मुझे कोई रास्ता नजर आता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब चीजों की नीति मौजूद है, कृषि की कोई नीति नहीं है। खेती की कोई नीति नहीं है। किसान की लूट हो, किसान की उपज की लूट करने में पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था दोनों एक हैं। कच्चे माल को सस्ते से सस्ते में लो, पक्के माल को महंगे से महंगा बना कर बेचो, खूब मुनाफा कमाओ। इस देश की जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं उनमें आज मजदूर का शोषण है, उनमें आज उपभोक्ता का शोषण है, उनमें सबका शोषण ही शोषण है। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि नीति-देश में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर रहते हैं। खेती की तरक्की होनी चाहिये, हर कोई कहता है लेकिन खेती की लगातार इस देश में अवहेलना की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान राज्य रहता है। यहां दो तिहाई से ज्यादा रेगिस्तान है, फिर पठारी इलाका है, कुछ क्षेत्रों में सिचाई की सुविधाएं नहीं हैं। आशा तो हम यह करते थे कि कृषि मांगों पर जब चर्चा हो तो मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है कृषि नीति की, वह हमारे हाथ में होगी और हम उस पर सार्थक बहस कर सकेंगे। लेकिन वह तो आयी नहीं। असल में उनके जो प्रिडिसेसर्स हैं उनकी तरह घोषणा करने की उनकी भी आदत पड़ गयी है। आजकल तो उनका जो व्यवहार लगता है उसमें वह थके हुए लगते हैं, बौखलाये हुए लगते हैं, गुस्से में लगते हैं, उनमें कोई उमंग और तमन्ना नहीं रह गयी नजर आती है। इसलिये वह अपनी घोषणाओं पर सख्ती से पालन नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है उपभोग किया जा रहा है। खेती के क्षेत्र में नहीं है। खेती के क्षेत्र में कहने को एक केमिकल फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन कह दीजिये, पेस्टीसाइड्स का कह दीजिये, आप ट्रैक्टर का कह दीजिये,

(श्री यदुनाथ सिंह)

इनमें आपने शुरूआत की है। लेकिन इससे खेती की शक्ल सुधरने वाली नहीं है। आज 65 प्रतिशत खेती बैल से होती है, 76 प्रतिशत देश के माल की ढुलाई बैलगाड़ी से होती है। आपने कोई आविष्कार नहीं किया, आपकी यूनिवर्सिटी कोई काम नहीं कर रही है कि किस प्रकार से हल ऐसा बनाया जाय जिससे बैल पर कम जोर पड़े। वही ट्रेडीशनल हल चला आ रहा है पुरखे, दादाओं के टाइम का। हलों में कोई आविष्कार नहीं किया गया कि किस प्रकार का हल बने और किसान को उसका लाभ मिले। बैलगाड़ी वही चूं चूं करती लदी जा रही है। उसमें कैसे बाल बियरिंग लगायें, ऊर्जा की कम खपत करती, चूं चूं करती लदी जा रही है। उसमें कैसे बाल बियरिंग लगायें, ऊर्जा की कम खपत हो, कम ताकत लगानी पड़े, कोई आविष्कार नहीं हुआ। सोइल कंजरवेशन पर कोई आविष्कार नहीं हुआ। सोइल कंजरवेशन पर कोई काम नहीं चल रहा है। दस मिलियन हैक्टेयर जमीन राजस्थान की एल्काइन और सैलाइन हो गयी है और मेरे जिले में तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक चौथाई से ज्यादा भूमि एल्काइन और सैलाइन हो गयी है पिछले पांच वर्षों में। बढ़ती चली जा रही है, रेगिस्तान होता चला जा रहा है, कोई योजना यहां नहीं है। बड़ा शोषण खेती का किया जा रहा है। यानि आप इस नीति में भी देख लीजिये और पहले से भी, आप कोई भी, आप कोई भी चीज इम्पोर्ट कर सकते हो, किसान कुछ इम्पोर्ट नहीं मंगा सकता। किसान अपने अनाज को, पैदावार को, पैदावार को बाहर नहीं भेज सकता। आपने सारे कारखानों को कर दिया बिना लाईसेंस के आप कोई कारखाना लगा सकते हो, किसान खांडसारी का छोटा सा कारखाना नहीं लगा सकता। उद्योग अपने माल को कीमत बढ़ाने के लिये और परिष्कृत करके बेच सकती है, वह परिष्कृत कर सकता है, उद्योग लगा सकता है, खेती में आप चावल नहीं बना सकते हो, आप धान बेच सकते हो, आप गेहूं बेच सकते हो, आटा नहीं बना सकते। यानि किसान के ऊपर सारी रोक लगी हुई है। किसान के साथ, खेती के साथ इस तरह के आचरण का यही परिणाम है कि आज हमें बार-बार गेहूं मंगाना पड़ता है, कभी तेल मंगाना पड़ता है और देश तकलीफ में फंसता चला जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, हमारी एक ऊर्जा नीति होनी चाहिये। क्योंकि जो बिजली है, कोयला है या पैट्रोल है इससे हमारे देश की पूर्ति नहीं होगी, यह बहुत मंहगे साधन हैं। इसलिये कन्वेंशनल और नान कन्वेंशनल या कामर्शियल या नान कामर्शियल में विभाजित कर लीजिये, हमें नान कन्वेंशनल ऊर्जा का तेजी से विकास करना होगा। अब गोबर तो पूरा गलाने में चला जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बाहर से ला रहे हैं। यहां कम्पोस्ट के लिये किस प्रकार से कार्य किया जाय उसके लिये कोई योजना ढंग की नहीं चल रही है। कोई योजना नहीं चल रही है किस तरह विण्ड का उपयोग करें। यानि नान कन्वेंशन ऊर्जा

(श्री यदुनाथ सिंह)

का हम तेजी से विकास नहीं करेंगे तो यह ऊर्जा बहुत महंगी ऊर्जा है। बार-बार बहस उठती है, हम इतने पैसे यूनिट बिजली ला रहे हैं, इतने पैसे यूनिट किसान को दे रहे हैं। किसान का बिजली की कीमती बढ़ने में योगदान नहीं है। आपकी योजनाएं बीस-बीस तीस-तीस साल तक पड़ी रहती हैं और उनकी कास्ट बढ़ती चली जाती हैं वह किसान नहीं बढ़ाता है। इसलिये, उपाध्यक्ष, महोदय, हमारे यहां ऊर्जा की एक नीति होनी चाहिये चाहे वह कन्वेंशनल हो चाहे नान कन्वेंशनल हो। हमारे यहां राजस्थान में आप देखें और राजस्थान में ही क्यों देश भर में। यह देश बहुत सौभाग्यशाली देश है। यहां पर हर प्रकार की भूमि मौजूद है, यहां हर मौसम मौजूद हैं, यहां विपुल मात्रा में पानी मौजूद है, जरूरत मे ज्यादा चार सौ करोड़ हैक्टेयर मीटर पानी देश में मौजूद है। एक ट्यूबवैल की और एक बिजली के कुएं की आवश्यकता खेती के लिए नहीं है, लेकिन पानी समुद्र में बहकर चला जायेगा, पानी व्यर्थ चला जायेगा देश की भूमि पर. मैं तो यहां तक सुझाव देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सिंचाई का विषय केन्द्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। आज स्टेट्स के आपस में झगड़े नजर आ रहे हैं। उलझते चले जा रहे हैं। यह झगड़े उलझते चले जायेंगे और जिस क्षेत्र को पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, हमसे ज्यादा किसको इस देश में पानी की आवश्यकता है। आप के भी क्षेत्र में भी क्षेत्र में जाता हूं, विधान सभा का कोई भी सदस्य हो, सबसे ज्यादा उसके यहां पानी के लिए मांग की जाती है कि प्यासे मरे साहब, व्यवस्था करो। तो यह जो क्षेत्र लगातार अभाव में जी रहे हैं, इनमें अभाव नहीं रहे, देश से पानी बहकर न जाये, उसके लिए आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार इस सिंचाई के विषय को अपने हाथ में ले और जरूरत के मुताबिक पानी का बंटवारा हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बात उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। आपने एक उद्योग नीति बनायी, केन्द्र ने भी एक उद्योग नीति बनायी, लेकिन यह उद्योग नीति वास्तव में इस देश की समस्याओं का निदान कर पायेगी, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। उद्योग कैसा हो ? उद्योग ऐसा हो कि उद्योग से पूंजी पैदा हो, उस पूंजी का ज्यादा-ज्यादा से लोगों बंटवारा हो और वह सभी सम्भव है जब ज्यादा से ज्यादा लोग काम परलगें। बड़े उद्योग में ज्यादा लोग काम पर लगते नहीं हैं, इसलिए कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का जब तक विकास नहीं किया जायेगा, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। इसलिए जो छोटे-छोटे ग्रामीण उद्योग, हाउस होल्ड उद्योग, इनमें लोगों को रोजगार देने का काम नहीं होगा, तब तक देश औद्योगिकरण भी नहीं कर सकता, यानि मासेज के पास, या अधिकांश लोगों के पास जब परचेजिंग पावर नहीं होगी, पूरे अमेरिकन और वैस्ट मिनिस्टर की सारी मिल यहां हिन्दुस्तान में लाकर लगा दीजिए लेकिन They will come to a grinding halt within 10 or 15 years. जब उसके माल को खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो उसके उद्योग अपने

(श्री यदुनाथ सिंह)

आप बंद होने काम करेंगे, इसलिए उद्योग नीति बनाने में ऐसी चीजों को लें, जो हाथ से बनायी जा सकती हैं। उनकी किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वह मशीन से बनायी जायेंगी। माचिस हो, साबुन हो और बहुत सी चीजें हैं जो हाथ से बनायी जा सकती हैं, इसलिए उनको हाथ से ही बनाया जाना चाहिए और जो चीज हाथ से नहीं बनायी जा सकती, उसको छोटे उद्योगों में और छोटों में नहीं तो बडे में बनाना चाहिए, जो कि उल्टा हो रहा है। इसके पीछे पाश्चात्य दर्शन काम कर रहा है। सोचा यह गया शुरू में जब देश आजाद हुआ, प्लान बन रहा था कि कैसा प्लान बनाया जाये। उसमें उन्होंने यह विचार रखा कि जो इकोनोमिक ग्रोथ रेट देश में होगी, आर्थिक वृद्धि दर होगी, उसका बाइप्रोडक्ट एम्प्लायमैंट होगा, लेकिन नहीं हुआ, शुरू से हिसाब लगायें तो 5 प्रतिशत इस देश की आर्थिक वृद्धि दर, अंदाजन आज तक की 5 प्रतिशत के लगभग रही है और एम्प्लायमैंट एक प्रतिशत भी नहीं पहुंचता है। वह एक्सपेरिमैंट फेल हुआ, उस एक्सपरिमैंट को, उस व्यवस्था को छोड़िये और जहां ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ऐसे उद्योग धंधों, ऐसी अर्थ व्यवस्था का निर्माण कीजिए। हमारे पास पूंजी की बहुत कमी है। हमारे पास काम करने के लिए बहुत हाथ मौजूद हैं, इसलिए इस देश में यूरोप की नकल, करके पाश्चात्य देशों की नकल करके हम औद्योगिकरण करना चाहे तो देश के अनुकूल नहीं है। कैपीटल इंटेंसिटी से वह पूंजी को निगल जाते हैं, पूंजी का संग्रह कुछ लोगों के हाथों में हो जाता है और लोग गरीबी, अभाव और मुफलिसी में जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे नाम से कोई यहां पर इंडिया टुडे का स्टेटमैंट बोला है....

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना कुछ नहीं हुआ। बिराजिये आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : ऐसा यह लोग बता रहे हैं। यह मेरे नाम से ऐसा कोई स्टेटमैंट दिया है तो मैं खंडन करना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या नाम लिया। (व्यवधान) नहीं, नहीं क्या नाम लिया था।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : स्टेटमैंट आया है जिसमें कहा कि एकता यात्रा....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा मैंने तो नहीं सुना था। एक मिनट साहब आप क्या कहना चाह रही हैं। माननीय विश्नोई साहब एक मिनट थोड़ा....क्या कहना चाह रही हैं, माननीय तारा जी क्या कहना चाह रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दूंगी और तो क्या।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोल जाओ एक मिनट में।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक मिनट भी नहीं लगेगा। इसमें इंडिया टूडे में जो स्टेटमेंट छपा है, मैंने तो अभी ही देखा है क्योंकि मेरे यहां कभी अंग्रेजी की इंडिया टूडे आती नहीं है, इंडिया टूडे हिन्दी की जरूर कभी-कभी लेते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : दावा करो आप इस पर।

श्रीमती तारा भण्डारी : वह बात छोड़िये आप, मुझे क्या करना चाहिए। यह अलग बात है। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब हम कश्मीर गये और बनिहाल पहुंचने के बाद वहां पर बड़े-बड़े बोल्डर्स रास्ते में गिर गये और हम आगे नहीं जा पाये तो इंडिया टूडे वालों ने हमसे पूछा कि आप यहां आकर कैसा महसूस कर रही हैं तो मैंने कहा कि हम कश्मीर जाना चाहते थे, कश्मीर जाने के लिए आये थे लेकिन प्रकृति ने यह तो बोल्डर्स गिराकर हमारे साथ क्रूर मजाक किया है, इसलिए यहां आकर ऐसा लगता है कि यहां आकर हम ठगे गये। वह प्रकृति की बात पर ही बात थी, वरना तो एकता यात्रा को राष्ट्रीय हित में मानते हुए ही गये थे और कुर्बानी देने की इच्छा से ही गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये। श्री विश्नोई साहब।

श्री कालीचरण सराफ : हमारा नम्बर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं. नम्बर ठीक आ रहा है। नैक्सट आपका है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) उपाध्यक्ष महोदय, हम आज 1992-93 विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे से पहले सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा था, हमारे वरिष्ठ सदस्य तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आलोचना की थी, इस पर उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी पार्टी की प्रसिद्धि बढ़ रही है और उन्होंने जो यात्राएं निकालीं, इतना बड़ा जनसमर्थन यात्राओं को मिला कि इनसे वह बौखला गये हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। मैं नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि यात्राएं वगैरह सब कुछ होकर आप अपनी अंतिम ऊंचाई पर पहुंच गये और पहुंचने पर आपने 119 सीटें तो लीं पार्लियामेण्ट की अधिकतम आज तक के इतिहास में और विधान सभा में भी 84-85 सीटें। पार्लियामेंट में कांग्रेस को एक बुरी से बुरी परिस्थिति में भी 150 सीटों से कम कभी नहीं मिलीं, 37-38 साल के अन्दर। आज भी जनतंत्रवाद है। राजनीतिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सत्ता बदलती रहती है, सत्ता बदलनी चाहिए, नहीं तो क्या है अंग्रेजी में एक कहावत है। पावर करप्ट्स एण्ड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। दूसरी बात मुख्य सचेतक जी ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा कि हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी नेतृत्व में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

राजस्थान विकास की ओर बढ़ रहा है। भैरोंसिंह जी का राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, इसको हम मना नहीं करते, लेकिन योगदान अकेले कोई सत्ता पक्ष का हो, ऐसा नहीं है, पक्ष और विपक्ष दोनों का होता है। जैसे कामयाब वह विपक्ष के नेता के तौर पर रहे, दुःख की बात यह है कि जब वह सत्ता में आते हैं, तब वह बात नहीं होती क्योंकि उनके द्वारा उनकी तरफ से कोई आर्थिक नीतियां नहीं और आप 1952 से इतिहास ले लीजियेगा, कभी राम राज परिषद्, कभी हिन्दु, कभी गौ हत्या, कभी नसबन्दी, कभी रामन्दिर, कभी कुछ, कभी कुछ और इनसे सब से आगे फिर भ्रष्टाचार का मामला एक साथ गरम-गरम और जुड़ जाता है। भाषण अच्छे जमते रहते हैं। इधर कांग्रेस पार्टी सत्ता में लम्बे समय तक रहती है, आने का समय आता है जब हार जाती है लेकिन सत्ता में आने के बाद में आपकी पार्टी सफल नहीं होती। इसका मुख्य कारण यह है कि कोई आर्थिक आधार आपका नहीं है। इसलिये साल, डेढ़ साल तक मामला ठीक चलता है। आप देखेंगे जिस उत्साह के साथ आप आये थे, विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य कितनी उलझ उलझ कर बातें करते थे, आज वह बिल्कुल काफी शांत और ठण्डे नजर आते हैं। कारण यह है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें सफलता मिल नहीं रही है। सरकार है एक क्रियाशील, डाइनेमिक गवर्नमेण्ट जिसको कहते हैं वह है नहीं।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है। भ्रष्टाचार है। इसके खिलाफ लम्बे समय तक हमको संघर्ष करना होगा। भ्रष्टाचार को खतम करने का आपने अकेले ही कोई ठेका लिया हो, दूसरी पार्टियां भ्रष्टाचार के फेवर में, पक्ष में हो बात तो है नहीं लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के आधार पर ही आप सब कुछ बनाना चाहो, नहीं होगा। दिल पर हाथ रख कर पूछ लीजिये क्या एक पैसे भर भी भ्रष्टाचार कम हुआ है पिछले दो साल के अन्दर? उल्टा जैसे मैंने पूर्व में भाषण में कहा था रेट उल्टी ज्यादा बढ़ गयी। ज्यादा जोरों से प्रचार करने भ्रष्टाचारी लोग थे वह भयभीत हो गये और कहने लगे कि अब तो भई जोखिम ज्यादा इसमें इसलिये कुछ ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि खतरा बढ़ गया है।

फिर बात कह रहे थे कि हमने प्रायोरिटी तय की है। हमारे मंत्री थे वह थोथी घोषणाएं करते थे और उनको यहां तक कि लोग + + + कहने लगे। हमने क्या किया। वह किसी भी क्षेत्र में देख लीजिये। सिंचाई में भाखरा, राजस्थान नहर, चम्बल प्रोजेक्ट, इन्दिरा गांधी नहर, माही सागर फिर मध्यम सिंचाई की योजनाएँ, अल्प सिंचाई की योजनाएं अनाप शनाप योजनाएँ हमारे समय में बनीं। आप बता दीजिये आप घोषणाएं कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं आपने कोई बांध कभी बनाया हो तो दिखा दीजिये या नाम बता दीजिये इतने आप विराजमान हैं। हमने तो जितना किया है वह आपके सामने है।

+ + + शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

देश में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसी तरह यहां बहस की जाती है, जैसे इस देश के अन्दर कुछ हुआ ही नहीं है। आप और हम बहुत से एक उम्र के हैं। जब यहां से जोधपुर जाते थे तो बिजली केवल किशनगंज, अजमेर, ब्यावर और जोधपुर में मिलती थी बाकी कहीं पर भी 213 मील के रास्ते में बिजली नहीं थी। अब आपके एक गांव ऐसा नहीं थी। अब आपके एक गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर बिजली नहीं होगी। शायद कुछ-कुछ बचे हुये हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। वह कोई कोने में बहुत दूर पड़ती है छोटी आबादी वाले।

सड़कों का है। यहां से जोधपुर जाने के लिये सीधी सड़क नहीं थीं। पाली और जोधपुर वह सड़क ग्रेवल की थी। जिला के मुख्यालय भी सड़कों से जुड़े हुये नहीं थे। बाड़मेर नहीं जुड़ा हुआ था सड़क से, जालौर सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था, चूरू नहीं था, बहुत से अनाप शनाप कुछ भी नहीं था। आज कितनी सड़कें हो गयी।

स्कूलों का सवाल है। मैं, श्री परसराम मदेरणा, श्री खेतसिंह राठौड़, श्री नाथुरामजी मिर्धा-नाथूराम मिर्धा तो प्राइमरी में पढ़ने के लिये 102 मील से जोधपुर आये, परसराम मदेरणा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिये 90 मील चांडी से जोधपुर आये, मैं 35 मील से प्राइमरी में पढ़ने के लिये जोधपुर आया खेतसिंह जी करीब 80 मील से पढ़ने के लिये जोधपुर आये। हम लोग एल. एल. बी. और एम. ए. पढ़ने के लिये लखनऊ गये। यहां पी. जी क्लासेज नहीं थी, कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं था, कोई मेडिकल कालेज नहीं था, पोलोटेक्निक नहीं था, कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो यह आप कैसे कह रहे हैं कि इस देश के अन्दर तरक्की नहीं हुयी। बहुत तरक्की हुयी है लेकिन विस्तार के साथ में आपको बता देता हूं। एक युग ने करवट ली है। उस वक्त दो विचारधारा थी। साम्यवाद और पूंजीवाद। दोनों में बराबरी का मुकाबला था। जब देश आज़ाद हुआ। तो हमने दोनों तरीके की जो शासन प्रणाली थी उनमें कुछ कमियां पायी इसलिये जनतंत्रवाद को कायम रखते हुये हमने एक बीच का रास्ता लिया। आज साम्यवादी देश है बहुत से बड़े साम्यवादी देश रूस बिखर गया और दूसरे भी बिखरने के कगार पर आ गये हैं। तो उसके अन्दर हमारी भी विकास की योजनाओं में गलतियां हुयी। सरकारी तंत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया। सरकारी कर्मचारियों की और अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गयी और साथ ही जो रूस का सबक है कि जब सरकारीकरण ज्यादा होता है तो भ्रष्टाचार हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है उसके अन्दर इतनी ऐफिशियेंसी नहीं रहती और उसके परिणाम आपके सामने आये हैं। तो हमने इतने खतरनाक परिणाम नहीं भुगते हैं लेकिन फिर भी भुगत रहे हैं। आप विपक्ष की पार्टी थे हम तो सत्ता में थे। सत्ता में कुछ हमारी कमजोरियां भी आ गयी थी, हमारी खुद की योजना थी उनके बारे में शायद गलती व्यक्ति खुद की नहीं निकाल सकता लेकिन आपने कौनसी गलती की जो हमने इतनी योजनायें बनायी।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आप शासन में आये आप बता दीजिये। एक नयी बात आपने की हो या कही हो। ज्यादा से ज्यादा आपने किया है, 61 पर्सेण्ट गांवों पर खर्च कर दिया। मैं दो साल से पूछ रहा हूं। पिछले साल नत्थीसिंहजी से पूछा यहां पर, इन्होंने और तरीके से कहा था, 59 पर्सेण्ट आपने कहा था। मैंने कहा कि 10 करोड़ रुपये किसी मद, किसी योजनाओं में गांवों के लिये आपने अधिक किये हो तो वह बता दो। आपने कह दिया मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे, मुख्य मंत्रीजी उस बात को टाल गये। इस बार जब राज्यपाल का भाषण हुआ, बजट का भाषण हुआ मैंने कहा कि पौणे सड़सठ अरब का बजट है और एक पर्सेण्ट इधर से उधर आप करते हो तो लगभग 67 करोड़ रुपया होता है। आप बता दीजिये पहले ग्रामों पर कितनी खर्च होता था। 50 पर्सेण्ट 55 पर्सेण्ट होता था और अगर 5 पर्सेण्ट या 6 पर्सेण्ट आपने बढाया तो करीब 400 करोड़ रुपया इधर से उधर होना चाहिये। आप 400 करोड़ तो क्या 40 करोड़ आप बता दीजिये जो गांवों के अन्दर आपने कुछ नया किया हो आप सब विराजमान है बता दीजिये इतने दिन हो गये। और कल भी कहता हूं इसका उत्तर नहीं मिलेगा। यह केवल आंकड़ों का ही हेराफेरी, किस को किस में मान लें वह आपकी मर्जी है। चाहे तो उसमें लिख दें, चाहे तो इसमें लिख दो। जो यह चीज है इन बातों में अपने को ज्यादा दिखावा नहीं बरतना चाहिये। केवल आंकड़ों के आधार पर हम कर रहे हैं। हमने कहा बिना टैक्स का बजट बना दिया। जो अर्थ शास्त्री हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई बिना टैक्स का बजट या कोई सन्तुलित बजट है कोई बहुत ऊंचा बजट नहीं माना जाता। बजट वह उत्तम है जो नयी दिशा दें, हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाये और उसके लिये संसाधन जुटायें उसमें यदि नये टैक्स भी लगाना पड़े तो लगाने में पीछे नहीं हटना चाहिये। वह अच्छा बजट होता है। आपने सिवाय इस 61 पर्सेण्ट के कुछ भी नया डाइरेक्शन दिया इस बजट के अन्दर? कुछ भी नया डाइरेक्शन आपने दिया नहीं है।

जैसे मैंने कहा विकास के बहुत से काम हाथ में लिये। हमारी एक नीति थी विश्व व्यापी। इन नीतियों में कई माइनों में धक्का लगा है। हमारे यहां भी गल्तियां हुयी है उनकी तरफ आपने कोई ध्यान दिया नहीं। उसका सुधार आज भी कुछ हुआ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं। कृषि का है। लगभग इस कृषि पर जिसका बजट हैड है उस पर आप 1 अरब 22 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। जिसमें कृषि प्रशासन और दूसरे छोटे-कोटे ग्राण्ट इन एण्ड भी दिये हैं। कृषि की बड़ी भारी तरक्की हुई है। आप में से कम से कम 80 प्रतिशत लोग काश्तकारों से सम्बन्ध रखते हैं। यह बता दीजिये कि इस विभाग का इसमें कृषि उत्पादन और कृषि की तरक्की में क्या योगदान है। आपका प्रतिनिधि एक तो है ग्राम सेवक, एक है कृषि प्रसार अधिकारी पंचायत समिति में, एक जिला आफिसर्स। क्या काम करता है, कितनों के खेतों में गये, कब गये, कौनसी चीज दी। यह जो तरक्की हुई है यह हुई है सिचाई सुविधायें, चाहे नहर से हो, या कुएं से हो।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दूसरा बिजली और मशीनीकरण, तीसरा रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां, उन्नत बीज इन से। उनका क्या है यह बता दो आप। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस खर्च को बहुत कम किया जा सकता है। मैं यह रिकमंड नहीं करता कि कृषि विशेषज्ञों की सेवाएं समाप्त कर दी जाय उनको किसी अच्छे काम पर लगाइये। लेकिन इतना भारी 434 करोड़ रुपया सालाना एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड एक्टिविटीज पर खर्चा होता है। क्या हमको इसका रिटर्न मिलता है और किसके कहने से कृषि उत्पादन बढ़ा है यह आप और हम अच्छी तरह जानते हैं इसका अगर सदुपयोग किया जाय तो बहुत से काम हो सकते हैं। आज हमारे प्रदेश की समस्या क्या है? सब जानते हैं कि हमारे कुओं का पानी का स्तर नीचे जा रहा है, चाहे पेयजल का कुआ हो या सिंचाई का कुआ हो। मैं आपको निवेदन करूं कि पांच-सात साल के अन्दर ऐसी स्थिति हो जायेगी कि भू-गर्भ का जल समाप्त हो जायेगा। आपकी भू-संरक्षण और जल संरक्षण योजनाएं हैं और आपका महकमा है उस पर काफी बड़ा खर्च कर रहे हैं लेकिन हमारी समस्या को हल करने में यह क्या कर रहा है। एग्रीकल्चर वाले हों तो आप उनसे पूछ लीजिये। एक योजना ऐसी नहीं बनायी, मेड़बंदी की बनायी तो उस खेत का पानी उस खेत में रुक जायेगा जिससे मिट्टी बाहर नहीं जायेगी लेकिन भू-जल उसका स्तर बढ़े ऐसी कौनसी योजनाएं बनायी हैं। उल्टा यह हो रहा है कि छोटे-मोटे नाले जिन पर सैकड़ों कुवे हैं, उन पर छोटे-मोटे बंध बनाते हैं उससे सिंचाई नहीं होती है और कुवे और सूख रहे हैं। इसलिये मेहरबानी करके दरअसल क्या है? हमारे विशेषज्ञों का केवल पुस्तकीय ज्ञान है। भू-संरक्षण और जल संरक्षण की बात करते हैं तब अमेरिका का उदाहरण सामने है। बड़ा भारी अनुसंधान हुआ था। नया-नया मेकेनाइजेशन हुआ था। खेतों को बहुत लम्बा चौड़ा बना दिया। विण्ड ब्रेकस नहीं थे इसलिये जमीन उड़ने लगी इण्डलेटेड हो गयी उनमें टीबे बन गये। इसलिये उन्होंने अपनी समस्या को हल करने के लिए एक अनुसंधान किया और अपनी समस्या को हल कर लिया। अब वहां की पढ़ाई बड़े-बड़े खेतों की है अब हमारी समस्या यह है कि भू-जल नीचे जा रहा है। उसके लिए कोई किसी को ज्ञात नहीं है, न इनको पता है। एक सवाल मैंने पूछा था मैंने कहा मेरे क्षेत्र के अन्दर 90 प्रतिशत खेती ट्रेक्टर से क्यों होती है?

श्री उपाध्यक्ष : आज इसका जवाब आप बता दीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका उत्तर यह है कि मरुस्थल के अन्दर सबसे महत्वपूर्ण नमी का समय पर उपयोग करना अगर बैलगाड़ी हो तो दिनभर में डेढ़ एकड़ जमीन खड़ेगा। तीन दिन में नमी उड़ जायेगी। फिर 15 दिन और ठहरना पड़ेगा। जब वह 4 एकड़ को करेगा। चार बरसात हो तो फिर पूरे खेत में खेती होगी। नहीं तो प्रथम वर्षा में ही पूरी खेती कर लेता है और चार वर्षा हुई तो फसल हो जायेगी। जो काम बांध और सिंचाई करती है वह ट्रेक्टर करता है। इसलिये यह इतना

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी विशेषज्ञ को मालूम नहीं। जो खासतौर से हमारे मारवाड़ के रहने वाले हैं, फसल बोते हैं और बारिश हो गयी, दूसरे दिन फिर बारिश हो गयी तो जमीन दुपट जाती है फिर वह रोढ़ जिसको हम कहते हैं। रोढ़ में लोग बरबाद हो जाते हैं चार-चार दफा जोतते हैं और उनके यहां अकाल पड़ जाता है लेकिन यह कोई विशेषज्ञ बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कोई उपचार किया है? जिसमें अरबों का नुकसान हो रहा है। यह हमारी मूल समस्या की तरफ तो बात नहीं करते।

पशुधन। चारागाह विकास। अपने यहां चारागाह हैं नहीं, जो थे वह तो उजड़ गये और वह उनसे आबाद नहीं हो सकते हैं। हमें योजना बनानी पड़ेगी चारा विकास की। चारागाह एक नहीं है। विशेषज्ञों से पूछो कि बिना चारागाह के हमारे देश के अन्दर संसार के सर्वाधिक पशु कैसे रहते हैं यह अपने आदमियों को मालूम नहीं है। संसार के सर्वाधिक पशुधन हैं वह भारत में हैं। चारागाह नाम की चीज नहीं है फिर भी सर्वाधिक पशुधन क्यों है? इसका कारण अपनी फसल ऐसी श्रेष्ठ है जो कि चारे का काम करती है चारा उत्पादन पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। चारागाह जहां कहीं उपलब्ध है यह भेड़-पालक और घुमक्कड़ लोगों की समस्या है। मैं इसकी गहराई में नहीं जा सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो विसंगतियां आ गयी हैं योजनागत विकास के कारण, अनाप-शनाप खर्चा बढ़ गया है, प्रशासन तंत्र बढ़ गया है। आज जरूरत इस बात की है कि हम पुनर्गठन करें सेवाओं का। जिससे इतना खर्चा होता है उसका लाभ जनता को मिले। यह सबसे जरूरी है। हमने 38 साल तक गलती की, बेईमानी भी कर दी होगी। आप क्या सुधार कर रहे हैं। आपका क्या अनुभव है, 38 साल का, इसका कोई अनुभव नहीं है। यह तो वही बात हो गयी जिसके पूड़ी हाथ में आ गयी वही चाट रहा है। वह कूद गया तो वह भी चाट रहा है। इधर बैठते हैं तो यह हल्ला करते हैं और उधर बैठते हैं तो यह हल्ला करते हैं इससे हमारी समस्या का हल नहीं होना है। हमको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा।

अकाल आते हैं। अकाल में कांग्रेस की इस बात के लिए, इसलिये नहीं कि मैं कांग्रेस मैन हूं लेकिन जब-जब अकाल पड़े, कितना खर्चा करना पड़े। चारे की जगह गायों को गन्ना खिलाना कबूल और करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो गये, उसमें दुरुपयोग भी समझिये हो गया लेकिन जनता से जाकर पूछिये कितना काम किया। आपने कुछ काम नहीं किया। अब तक काम चालू नहीं हुआ है। चारे का नहीं हुआ, पानी का नहीं हुआ। गल्तियां की थीं तो आप हमारी गल्तियों का मूल्यांकन करते। आप यह कहते कि नयी नीति बनाना चाहते हैं। क्या नयी नीति बनायी है। फेमिन कोड शायद 1900 या 1880-85 या 70-78 में होगा। नया फेमिन कोड बनाओ। आज इतना प्रशासन तंत्र फैला हुआ है लेकिन फेमिन के अन्दर किस गांव में, किस तहसील में, कौनसा काम हाथ में लिया जाय, इसकी कोई योजना नहीं है हमारे जितने काम हैं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चाहे भू-संरक्षण का हो, वन का हो, अधिकतर काम मिट्टी का काम है। तालाब खोदना है, नहर खोदनी है, सड़क बनानी, वन लगाना हो चाहे भू-संरक्षण करना हो, चाहे जल संरक्षण करना हो, सब मिट्टी के काम हैं। लेकिन हमारी योजना नहीं है। नतीजा यह होगा कि पैसा ऐसे ही जाता है सड़क भी नहीं बनती है, तालाब भी पूरा नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि फेमिन के ऊपर इसका स्थायी हल कैसे हो। विशेषज्ञों से नहीं होगा। यह केवल किताबें पढ़ेंगे। यह आपकी कमेटी बनी हुई है यह ब्रिटिश पैटर्न पर बनी हुई हैं। यह कमेटी सिस्टम हमारे यहां पर काम का नहीं है। कमेटी बनाइये फेमिन कमेटी, अध्ययन करे पूर्व में कौन-सी कमी रही है। कमेटी बनाइये भू-जल संरक्षण की, कमेटी बनाइये वन विभाग की। इसमें यह देखें कि कौन-सी योजना हाथ में ली है। पिछले 10 साल में इसका क्या परिणाम निकला है। छोटी सिंचाई के क्या परिणाम निकले हैं। इस तरह सब्जेक्ट कमेटी बनाकर करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम भी काम कर पायेंगे। नहीं तो हम क्या हैं? हम तो विधायक हैं कानून बनाते हैं। कानून तो सब पहले बने हुए हैं अब तो "इफ बट, कोमा, फुल स्टाफ लगाना है। उसके लिए हम पर क्यों इतना खर्च कर रहे हो। न तो ट्रान्सफर हमारे पास है न और कुछ है। इसमें अगर अधिकारी कितना ही खराब हो तो दूसरों के पीछे पड़ना पड़ता है। हमको काम पर रखना है तो इस काम के अन्दर लगाइये।

वन विकास। वन तो प्रकृति की देन है। सुरक्षित कर दीजिये आड़ी बाढ लगा दीजिये, भीत लगा दीजिये। भारत की जलवायु ऐसी श्रेष्ठ है कि अपने आप वन पनप जायेंगे और जहां कहीं भी वन विभाग ने वन लगाये हैं खूब पनपे हैं लेकिन हमारा जो पशुधन है वह कुछ झाड़ियों पर और घास पर आधारित हैं जिसमें स्थानीय वृक्ष और झाड़ियां, पीपल है, खेजड़ी है। दूसरे हैं, तीसरे हैं। जो श्रेष्ठ पशुओं का आधार है। जब पशुपालन हमारा दूसरा मुख्य धन्धा है तो इसका आधार खत्म हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। इस बात की ओर हमारा ध्यान कतई ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पार्टी भेदभाव को, इन बातों को भूलकर के सब जितनी भी योजनाएं हैं उनका नये तरीके से अपने को मूल्यांकन करना होगा।

शिक्षा विभाग के बारे में शिकायत आती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। साल में 180 दिन की यूं ही छुट्टियां होती है। किस बात की छुट्टियां। ठीक है, जब जब समय पर एक्जामीनेशन होते थे, उस वक्त दो महीने का समय चाहिये था इम्तिहान हो जाये, कापियां जंच जायें अगली क्लासेज में वह जा सके तो ठीक है दो महीने का एक बार कर दीजिये लेकिन उसके बाद भी हरदम 180 दिन यूनिवर्सिटी बन्द, कालेजेज बन्द, स्कूल खाली पड़े हैं। हम शिक्षा संस्कृति पर 10।। अरब रुपये खर्च कर रहे हैं लेकिन इसमें वास्तविक उपयोग कितने रुपये का हो रहा है, यह हमारे देखने की बात है उसका रिटर्न हमको पूरा मिलना चाहिये। यह कुछ बातें हैं उनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया और उस तरफ अपने को ध्यान देना होगा। सरकार की आय के साधन हैं, पहले

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वाले भी समझता हूं बहुत हैं लेकिन पुरानी सरकार का अगर हम इतिहास लें तो उसका आय का सबसे बड़ा साधन होता था भू-राजस्व। दूसरा होता था महसूल, चुंगी दूसरे प्रदेशों से, तीसरा जमीनों का बेचान। आज एक-एक गज की, एक-एक मीटर की कीमत पांच-पांच हजार, छह-छह हजार, दस-दस हजार मामूली बात है इसमें ठीक है चन्द करोड़ रुपये की आमदनी कभी हो जाये, जमा कराने को कभी कह दें कि प्रति गज इतना करेंगे लेकिन पिछले 20-30 साल के अन्दर यह राजस्व का अधिकार सरकार का वाहियात था। इसी तरह से हमारे जितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं चाहे डेयरी हो, उसमें इतना स्टाफ ज्यादा भरा हुआ है वह घाटे में चल रहा है, हमने उसको नेशनल डेयरी को दे दिया वह भी उसका आखिर में कोई हल नहीं है। स्टेट रोडवेज है, आर. एस. ई. बी. है, आर एस. ई. बी. की तो एक और बात है उसमें लास होना वाजिब है लेकिन जितने भी हमारे साधन हैं माइन्स से कितनी आमदनी होती है इस सब आमदनी को बढ़ाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिये और अगर हम बढ़ा देते हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का विकास तीव्र गति से हो सकेगा।

पेयजल के बारे में - मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने एक बड़ा भारी गलत आधार ले लिया है और इतनी मुसीबतों का सामना, अब भी आ गई मुसीबतें जगह-जगह, लेकिन इतना अधिक मुसीबतों का सामना हमको करना पड़ेगा जब तक हम इस समस्या पर बहुत गहराई से विचार नहीं करेंगे। इन्होंने भूजल को आधार बना दिया और राजस्थान में भूजल इतना है नहीं, दुबारा विचार होता नहीं, वर्षा के पानी को एकत्र करने का अनुभव राजस्थान को और पश्चिमी राजस्थान को संसार में सबसे श्रेष्ठ था और उस तरह के निर्माण कार्य उन्होंने किये थे लेकिन वह सब जितने पुराने निर्माण थे, तालाबों को खत्म कर दिया, नये हम बना नहीं रहे हैं, नतीजा यह हो रहा है कि आठ-दस साल के अन्दर जहां पानी की कोई समस्या नहीं थी वहां भी पानी की समस्या हमारे सामने आ जायेगी, इस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिये। एक मुद्दे की बात और है खुशियां मना रहे हो एक करोड़ और....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, जरा टाइम बढ़ा रहे हैं, विश्नोई साहब।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : व्यवधान के लिए क्षमा।....(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : आज छुट्टी का दिन है....

श्रीमती तारा भण्डारी : आज तो रहने दीजिये....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय दो घण्टे और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : एक घण्टा बढ़ा दो आप। सदन की सहमति से सदन का समय एक घण्टे तक बढ़ाया जाता है।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1992 पर विचार

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब मैं एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहूंगा वन विभाग ने एक योजना जापान की सहायता से 1 अरब 79 करोड़ रुपये का हमने एक ऋण लिया है। विदेशी ऋण हमें उस स्थिति में लेना चाहिये जब हमको बाहर से कोई टैक्नोलोजी खरीदनी हो, कोई नई मशीनें खरीदनी हो या कोई नया सामान जो हमारे देश में नहीं बनता हो, वह खरीदनी हो लेकिन वन लगाने के अन्दर गेंती और फावड़ा चाहिये और अपना मजदूरी में रुपया देना पड़ता है उसके लिए हम यह भार अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, मेरी समझ में नहीं बैठी। इसका एक तो प्रत्यक्ष लाभ है हमको विदेशी मुद्रा मिल जायेगी अगर विदेशी मुद्रा वाला ही कन्सीडरेशन है तो और कोई अच्छी योजना बनाते लेकिन वन विकास के लिए हमको जापान हमको क्या मदद देगा, क्या सहायता मिलेगी, मेरी समझ में नहीं बैठी इसको भी कृपया मुख्य मंत्रीजी अपने उत्तर में कहें।

सड़कों के सम्बन्ध में मैं बार-बार कहता रहता हूं। जो आधुनिक टैक्नोलोजी है डामर सड़कों वाली वह बहुत ज्यादा खर्चीली है। हमारे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने में डामर सड़क की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ग्रेवल की या कच्ची मिट्टी की सड़कें जहां जैसी बन सकती हों उन पर ज्यादा बल देना चाहिये। लोगों को बराबर मजदूरी मिले, उनकी बराबर मरम्मत होती रहे। मैं समझता हूं सड़कें विकास के लिए आवश्यक हैं, तो उनका निर्माण भी हम शीघ्र ही चाहे फमिन में चाहे और तरीके से हम करा सकते हैं और भारी खर्च से हम बच सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : पांच वक्ता और हैं उन सबसे मुझे निवेदन करना है कि 12–12 मिनट तक बोलें। क्योंकि सदन के सभी माननीय सदस्यों की यह राय है कि आज शनिवार है। 12–12 मिनट काफी होता है इससे ज्यादा अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय श्री कालीचरणजी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1992 का समर्थन करते हुए मैं इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन जब जयपुर में सम्पन्न हुआ तो उसमें करोड़ों रुपये का चन्दा प्राप्त किया गया। मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे कार्यकर्ता थे उनसे निश्चित रूप से चन्दा लिया गया परन्तु मैं उनको इसके साथ ही यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि आज से तीन-चार साल पहले जब कांग्रेस की शताब्दी समारोह की जयपुर में प्रदर्शनी लगी थी उसमें 26 करोड़ रुपये सरकारी विभागों से प्राप्त करके

(श्री कालीचरण सराफ)

खर्च किये गये। सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया गया वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब कांग्रेस शताब्दी समारोह यहां आयोजित हुआ उस समय एक स्मारिका प्रकाशित की गई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसके साथ आपकी पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है जब जब इतनी महंगाई नहीं थी रुपये का मूल्य ज्यादा था तब तो हमने 26 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए और आप 6 करोड़ ही इकट्ठे कर पाये।

श्री कालीचरण सराफ : आपने 26 करोड़ रुपये जनता से इकट्ठे नहीं किये। सरकार ने एक आदेश निकाला कि जो स्मारिका कांग्रेस शताब्दी समारोह के अवसर पर निकाली जा रही है उसमें जितने भी सेमी गवर्नमेण्ट डिपार्टमेंट्स हैं लघु उद्योग निगम या मिनरल कार्पोरेशन या फाइनेन्शियल कार्पोरेशन इन सबके विज्ञापनों के माध्यम से आपने 26 करोड़ रुपये इकट्ठा किये तो निश्चित रूप से सरकारी साधनों का आपकी सरकार का दुरुपयोग था। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने की बात को माननीय भैरोंसिंह जी जब विपक्ष में थे तो बहुत कही परन्तु अब भ्रष्टाचार मिटाने के बारे में क्या किया। मैं कांग्रेस के माननीय विपक्षी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार का ही कमाल है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार एक आई. ए. एस. आफिसर को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया और एक करोड़ रुपये की सम्पत्ति जो भ्रष्टाचार में गई हुई थी उसको बरामद किया गया....

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : यह बिलकुल गलत है। उसको साबित ही नहीं हुआ। वह अभी तक साबित नहीं हो पाया। वह सब कपोलकल्पित असत्य बातें हैं वह तो केवल एस. टी. के व्यक्ति को परेशान करने के लिए ऐसा किया गया है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि वार्षिक योजना में 20 प्रतिशत की वृद्धि करवाकर माननीय भैरोंसिंह जी ने क्या अनूठा कार्य कर दिया। तीन साल में 76 प्रतिशत वृद्धि वार्षिक योजना में राजस्थान में हुई। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की भी सरकारें आन्ध्र में हैं, कर्नाटक में हैं, और भी जगह सरकारें है, 76 प्रतिशत की वृद्धि यदि तीन सालों में किसी भी स्टेट को वार्षिक योजना में हुई हो तो बताइये। महंगाई तो सब जगह बढ़ी है।

श्री सम्पत सिंह : हमारे दल का कोई सहयोग नहीं क्या? हमारे नेता का नाम लो थोड़ा।

श्री कालीचरण सराफ : शामिल सरकार है यह। शेखावत जी के नाम से दिग्विजय सिंह जी का नाम भी आ गया, आपका भी आ गया और हमारा भी आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सरकार में ही हैं।

श्री सम्पत सिंह : साझा सरकार कहो।

श्री कालीचरण सराफ : साझा सरकार।

मानानीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, केन्द्र सरकार को ज्ञापन देकर केन्द्र सरकार को कमजोर करने की कोशिश की। मैं कहना चाहता हूं, माननीय बैंद जी को कि भारतीय जनता पार्टी हरदम से यह मानती आयी है और आज भी भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि केन्द्र सरकार निश्चित रूप से मजबूत होनी चाहिए। परन्तु वित्तीय संसाधनों पर लगातार हस्तक्षेप केन्द्र सरकार का हो, उसको किस प्रकार से दूर किया जाय, यह मांग करना मेरे ख्याल से केन्द्र सरकार को कमजोर करने का काम नहीं है। आज वन क्षेत्र में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है, पर्यावरण के मामले में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है।

(5.30 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

हमने कभी नहीं कहा कि रक्षा के मामले में राज्यों का हस्तक्षेप होना चाहिए या राज्यों को स्वायत्तता रक्षा के मामले में दी जानी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि विदेशी मामलों में राज्यों का हस्तक्षेप होना चाहिए। परन्तु वित्तीय संसाधन बढ़ें, वित्तीय साधन जुटाने में राज्य सरकारें सक्षम हों, यह मांग करना केन्द्र सरकार को कमजोर करना नहीं है। केन्द्रीय बजट आया। आयकर में 80 सी की जो छूट मिलती थी उसको उन्होंने कम कर दिया। उसी का परिणाम है कि 60 करोड़ रुपये राजस्थान को कम मिलेंगे। आज यदि केन्द्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता तो यह जो 60 करोड़ रुपये राजस्थान को कम मिलेंगे, वे नहीं मिलते।

माननीय सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहीं, उस बारे में भी मैं यहां पर कुछ कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि वी. पी. सिंह जी की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी ने वी पी. सिंह की सरकार को नहीं गिराया, वी. पी. सिंह जी सरकार तो अपने कर्मों से गिर गयी। जब रथ यात्रा हो रही थी अडवाणी जी की तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि रथ यात्रा रोकने का प्रयास किया गया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने उसको माना नहीं। रथ यात्रा को रोका। अडवाणी जी को गिरफ्तार किया। उनके कर्म ऐसे थे इसलिए उनकी सरकार को जाना पड़ा।

मैं इस सदन के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि राम जन्म भूमि का मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जनता की भावनाओं का सवाल है राम जन्म भूमि के साथ। राम जन्म भूमि के मार्ग में कोई भी सरकार रोड़े

(श्री कालीचरण सराफ)

अटकाएगी तो वह सरकार भी निश्चित रूप से धराशायी हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं।

माननीय सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का समर्थन कर रही है। मुझे बड़ा क्षोभ हुआ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : समर्थन नहीं तो प्रशंसा तो कर ही रही है।

श्री कालीचरण सराफ : कांग्रेस की जो अच्छी नीतियां हैं, आर्थिक सुधार की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी उसका निश्चित रूप से समर्थन करती है। परन्तु यदुनाथ सिंह जी जिन अजीतसिंह जी के अनुयायी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संशोधन पार्लियामेण्ट में रखे। मैं पूछना चाहूंगा, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को कि उनका समर्थन उनके दल के लोगों ने किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया ? अखबारों में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे 119 सदस्यों ने संशोधन के समर्थन में वोट दिया परन्तु जनता दल के कई लोग अनुपस्थित रह गये। कइयों ने कहा कि हमारे हार्ट अटैक हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, इसलिए हम नहीं गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जनता दल का एक भी सदस्य नहीं है, किसको सुना रहे हैं आप ? होम मिनिस्टर साहब हैं।

श्री सम्पत सिंह : व्यास जी, जो असली जनता दल है, बैठा है।

श्री कालीचरण सराफ : इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य जोश में कह गये कि एकता यात्रा तो निकली ही नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। या तो वे अखबार नहीं पढ़ते या वे जयपुर के बाजारों में से निकलते हैं तो आंखें बन्द करके निकलते हैं। जयपुर में जब एकता यात्रा आयी, मुरली मनोहर जी जोशी का जो शानदार स्वागत जयपुर की जनता ने किया रात को 12 बजे क्योंकि विलम्ब हो गया था एकता यात्रा आने में। त्रिपोलिया पर दो लाख लोगों ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया, वह इस बात का परिचायक है कि एकता यात्रा निश्चित रूप से सफल रही। उन्होंने कहा कि लाल चौक तक लोग नहीं गये। पूरे हिन्दुस्तान से दो लाख लोग जम्मू में, श्रीनगर के लाल चौक पर झण्डा फहराने के लिए गये। अब प्रकृति का प्रकोप। लैण्ड स्लाइड हो गया। लोग वहां जा नहीं सकते थे। यदि जोशीजी ने वहां 70 लोगों के साथ जाकर प्रतिज्ञा पूरी की, उसमें क्या गलत कर दिया ? आज कश्मीर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ कश्मीर का मुद्दा है।

माननीय सभापति महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य ने यह कहा कि जब देश स्वतन्त्र हुआ था, हम पढ़ने जाते थे तो सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं थी। 40 साल में हमने बहुत विकास किया है। विकास तो निश्चित रूप से

(श्री कालीचरण सराफ)

हिन्दुस्तान का हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं। परन्तु, माननीय सभापति महोदय, चीन हमारे देश के बाद स्वतन्त्र हुआ था और जर्मनी, जापान, इजराइल, यदि हम इन देशों से हमारे देश के विकास की तुलना करें तो निश्चित रूप से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितना विकास उन देशों में हुआ उतना विकास हमारे देश का नहीं हुआ। यदि उस समय सही नीतियां देश पर लागू की जातीं, देश में सही विकास कार्य होता तो 40 साल में जितना विकास हुआ उसमें ज्यादा, दुगना, तिगुना विकास हिन्दुस्तान का भी हो सकता था।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मुद्दों की ओर आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने एक बार पूछा था कि राज्य में गत पांच वर्षों में कितने शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार हेतु पंजीकरण करवाया, वर्षवार और जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी मैंने बोलना ही चालू नहीं किया, आपने घण्टी दबा दी।

श्री सभापति : 10 मिनट हो गये हैं, 12 मिनट का समय है।

श्री कालीचरण सराफ : राज्य सरकार ने जवाब दिया कि राज्य में रोजगार कार्यालय में गत पांच वर्षों में 5,94,748 शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार हेतु पंजीयन करवाया है। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि राज्य में वर्तमान में कुल कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं? तो जवाब आया कि 5,36,426 कुल शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा कि गत पांच वर्षों में जिन बेरोजगार युवकों ने पंजीयन करवाया उनमें से आपने कितनों को नौकरी दे दी, रोजगार उपलब्ध करवाया? तो जवाब आया कि 41,515 शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह भी हमारी सरकार का कार्य है। इन्होंने तो बन्द कर रखा था 1980 से।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से बेरोजगारी के ये आंकड़े गम्भीर चिंता का विषय है। ये चौंकाने वाले हैं। आज स्थिति यह हो रही है राजस्थान की कि रोजगार के अभाव में शिक्षित युवकों को आत्महत्या के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। अतः उनमें एक प्रकार की कुण्ठा घर कर गई मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बेरोजगारी की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाये और इस प्रकार की योजना इस प्रदेश में लागू करें जिससे बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त हो सके। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार का जवाब में यह भी आया है कि हम स्वरोजगार योजना के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिया

(श्री कालीचरण सराफ)

जाता है। आज वह प्रतीक्षा सूची बहुत लम्बी है। जो बेरोजगार युवक हैं, वे ऋण उपलब्ध कराने के लिये आवेदन करते हैं। उनका बहुत मुश्किल से

(समय-समाप्ति-सूचकघण्टी)

नम्बर आता है। जब ऋण जिला उद्योग केन्द्र से स्वीकृत हो जाता है। उसके बाद वे बैंक के चक्कर लगाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने नाम से कर दिया कि इनको 25,000 का लोन स्वीकृत हो गया। अब बैंक में फिर फार्मेलिटी से गुजरना पड़ता है। बैंक वाले कहते कि यह तो पैसा नहीं है हमारे पास, उन्होंने कर दिया होगा हम तो आपको लोन नहीं दे सकते। पहले जिला उद्योग केन्द्र में भ्रष्टाचार और उसके बाद बैंक में भ्रष्टाचार। आज स्थिति यह है कि 25,000 का लोन यदि किसी व्यक्ति को स्वीकृत होता है तो उसमें से कम से कम 15,000 उसको भ्रष्टाचार के रूप में अधिकारियों को खिलाना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव बेरोजगारी को दूर करने के लिये देना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव है कि प्रदेश में 1981 से सरकारी नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। आज सरकारी नौकरियों पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है, निश्चित रूप से उसको हटाया जाना चाहिये। कई वेकेन्सीज निकलती हैं कि अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं आज निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों पर से प्रतिबन्ध हटें और जितने भी पद पूरे राजस्थान में सरकारी नौकरी में रिक्त पड़े हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिये।

एक बात और कहना चाहूंगा कि जब कोई वेकेन्सी निकलती है तो आवेदन पत्र के साथ 10-10, 15-15 रुपये पोस्टल आर्डर के माध्यम से बेरोजगार युवकों से लिये जाते हैं। लाखों रुपये सरकारी विभाग इस माध्यम से जमा करते हैं। यह बेरोजगार युवकों का शोषण है। कम से कम आवेदन पत्र और साक्षात्कार की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिये, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

स्वरोजगार योजना में भ्रष्टाचार नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार टेलीफोन प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक रूप से प्रकाशन किया जाता है, उसी प्रकार से इस प्रतीक्षा सूची का भी सार्वजनिक रूप से प्रकाशन किया जाय तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी आयेगी।

एक बात और कहना चाहूंगा कि स्वरोजगार योजना के लिये जितनी भी फार्मलिटीज करनी है, इण्टरव्यू लेना है, साक्षात्कार करना है, वह एक ही जगह पर ले लिया जाय। पहले वे उद्योग केन्द्र में थे, अब फिर बैंक में जाय। जब उद्योग केन्द्र में उसका साक्षात्कार हो, उस समय बैंक के अधिकारी को भी वहां बुला लिया जाय और वहां वह सारा इण्टरव्यू हो जाय और वहीं उसको जो ऋण स्वीकृत हो, दूसरे दिन उसको ऋण मिले, इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से की जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री कालीचरण सराफ)

मैं तो एक ही समस्या पर बोला हूं। आप तो बार-बार घन्टी बजा रहे हो। कई सदस्य तो आधे-आधे घण्टे बोले हैं, मुझे 20 मिनट तो बोलने दें।

श्री सभापति : चार लोगों को और बोलना है।

श्री कालीचरण सराफ : इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने, शेखावत सरकार ने आने के बाद प्रदेश में नगर परिषद् और नगर-पालिकाओं के चुनाव करवाये। इसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। परन्तु जयपुर शहर में जब नगर परिषद् के चुनाव होने लगे तो स्टे इस आधार पर आया कि जयपुर शहर को नगर निगम बनाना चाहिये और हाई कोर्ट ने यह निर्देश भी दिये राज्य सरकार को कि जयपुर शहर में नगर निगम बनाना चाहिये। नगर निगम बनाना आवश्यक भी है। क्योंकि आज जितने भी काम होते हैं जयपुर शहर में जैसे सड़क बनती है, कोई सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाता है, कोई आवासन मण्डल बनाता है, कहीं जे. डी. ए. बनाता है, सामंजस्य नहीं होने के कारण एक तरफ सड़क बनती है और दूसरी तरफ गटर के लिए खुदती है, पाइप लाइन के लिये खुदती है। तो नगर निगम बने और इस प्रकार के विकास के जितने काम हैं, नगर निगम के अन्दर रहें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस प्रकार की समस्या और अड़चन है, अभी तक राज्य सरकार नगर निगम बनाने की घोषणा नहीं कर रही है। विधान सभा सत्र चल रहा है, मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से राज्य सरकार को कि नगर निगम जयपुर शहर में बने, इसका विधेयक इसी सत्र में राज्य सरकार द्वारा लाया जाय और उसको पारित करवाया जाय। जयपुर शहर में जल्दी ही चुनाव कराये जाय, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार को निश्चित रूप से करनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ : एक, माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर की पेयजल की समस्या के बारे में बात कहना चाहूंगा और उसके बाद बैठ जाऊंगा। आज जयपुर में पेयजल का मुख्य स्रोत रामगढ़ का बन्धा है और रामगढ़ के बन्धे में पर्याप्त पानी नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। इसके बाद इस बात के लिये बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि यह सरकार बनने के बाद पानी की समस्या कितनी विकराल रूप धारणकर ले, जयपुर शहर में नहीं होने देगी। आज ट्यूबवैल के माध्यम से, हैण्ड-पम्प के माध्यम से जयपुर शहर में जला-पूर्ति की जा रही है। परन्तु आज स्थायी समाधान इस समस्या का नहीं हुआ है। बाड़ी बेसिन योजना बनाई, वहां के गांव वालों ने विरोध किया और वह योजना खटाई में पड़ गई। बीसलपुर योजना से जयपुर को पानी दिया जायेगा। पिछली सरकार ने घोषणा की कि उसके द्वितीय चरण में जयपुर को पानी दिया जायेगा। माननीय सभापति महोदय, प्रथम चरण भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। योजना के

(श्री कालीचरण सराफ)

हिसाब से 1991 में पूरा हो जाना चाहिये था, 1982 हो गया अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि 3–4 साल प्रथम चरण पूरा होने में लगेंगे। तो द्वितीय चरण कब तक पूरा होगा यह कुछ नहीं कहा जा सकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि बीसलपुर योजना के प्रथम चरण में जयपुर शहर को शामिल किया जाय जिससे इस पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। आप बार-बार घण्टी बजा रहे हैं इसलिये मैं विनियोग विधेयक का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री दयाराम परमार।

(अनुपस्थित)

श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सभापति महोदय, अभी काफी राग अलापा जा रहा था कांग्रेस की ओर से और दूसरे विपक्षी साथियों की ओर से। शीशे के महल में रहकर दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने की पुरानी आदत से वे बाज नहीं आते। वास्तव में स्थिति यह है कि वे लोग बोल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मान्यवर, शराब के ठेकेदारों की बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन के लिये पैसा इकट्ठा करने की बात हुई। लेकिन मैं पूछना हूं कि कांग्रेस अधिवेशन के लिये रोडवेज की बसें ली गई, सरकारी प्रतिष्ठान की बसें ली गई। उस का पैसा आज तक नहीं चुकाया गया, एक भी पैसा नहीं चुकाया। बार-बार कहने के बावजूद एक पैसा नहीं दिया। यह है आपकी नैतिकता। आप पैसा चुकाने के बाद फिर बात करते। कालीचरणजी ने यह कहा कि सरकारी निगमों का किस प्रकार अन्धाधुन्ध पैसा कांग्रेस सत्ता के नाम से लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की स्मारिका निकलती है, उसमें विज्ञापन किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान का मिल जाय, उसके बाद कुछ बातचीत करतें। भारतीय जनता पार्टी के और किसी भी कार्यक्रम में न सरकारी साधनों का उपयोग किया गया, न अपने प्रभाव का उपयोग किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने दो-दो रुपये देकर और घर-घर से पैसा लेकर अधिवेशन और दूसरे कार्यक्रमों को सम्पन्न कराते हैं। वे दूसरों के चन्दे पर नहीं चलते, अपने कार्यकताओं के प्रयासों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। यह मैं कहना चाहता हूं।

मान्यवर, कांग्रेस ने क्या किया। विकास किया लेकिन काम में विकास किया? मान्यवर, 2 करोड़ 15 विकलांग लोग इस बात के प्रमाण हैं, उनको कुपोषण के कारण से वे मां के पेट से भयंकर अपाहिज पैदा हुए हैं। आज 47 करोड़ लोग बिलो पावर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे दूसरे सहयोगियों की सरकार तो पिछले दो वर्षों से है। इससे पहले का विकास का श्रेय आप लेना चाहते हैं तो राजस्थान के विनाश के श्रेय से भी आप

(श्री मदनलाल सैनी)

मुकर नहीं सकते। वह आपको अहने खाते में लेना पड़ेगा। यह विनाश-विकास का बराबर बैलेंस करना पड़ेगा। आप के खाते में राजस्थान का विनाश करने का दुष्परिणाम ही आपके सामने आयेगा और कुछ आपके खाते मे नहीं आयेगा।

मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहूंगा कि लघु उद्योग निगम में आज भी कांग्रेसी नेताओं का लाखों रुपया बकाया है। वह दिया नहीं जा रहा है। वह पैसा लिया किस बात का? सोने के आभूषण के लिए, मान्यवर, और वह सोने के आभूषण लिए थे 10 वर्ष पहले, सोने का भाव 10 वर्ष पहले कम था। इसलिए कह रहे हैं कि उस समय की मार्केट वैल्यू ले ली जाय और वह मार्केट वैल्यू दी जा रही है। यह नैतिकता है आपकी? इस प्रकार की नैतिकता वाले लोग हमको कह रहे हैं।

हमारे कांग्रेस के बन्धु नाराज होंगे, गांधी जी का नाम आते वह फड़कते हैं, जिस प्रकार से गेंद उछलती हो, इस प्रकार से उछलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गांधी की हत्या यदि की तो + + + गांधीजी के विचारों की, गांधीजी के आचार की हत्या, कांग्रेस ने की। गांधीजी ने कहा था कि स्वदेशी का प्रयोग करो। आज यहां पर माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से वह दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक स्वदेशी का प्रयोग करते हैं। यह मैं कहना चाहता हूं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जिस प्रकार से प्रश्रय देकर केन्द्रीय सरकार ने खुली आयात नीति की छूट दी है उसके कारण से महंगाई बढ़ने वाली है। महंगाई इस कारण से बढ़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की यहां की सरकार ने कुटीर उद्योगों को न केवल कर में छूट दी है, उनको प्रोत्साहन देने की नई योजनाएं बनाई हैं, दूरदराज के गांवों में किस प्रकार से वहां का स्थानीय कुटीर उद्योग पनप सकता है, उस पर पैसा खर्च करने की भी व्यवस्था की गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर चर्चा की गई एकता यात्रा की····(व्यवधान) आप कितना ही रोकिए मेरी गाड़ी रुकने वाली नहीं है आपकी ताकत से। मान्यवर, एकता यात्रा की बात की गई। एकता यात्रा की कल्पना इन लोगों को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 जल्दी राजनीति मिले, जल्दी शासन मिले इस प्रकार की नीतियों के कारण में····

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री मदनलाल सैनी : आपने देश के साथ विश्वासघात किया। देश के जो टुकड़े किए उसके कारण से····

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, ग्राटिकल 370 क्या है ? माननीय मदन लालजी कृपया पहले यह बताने का कष्ट करें।

श्री मदनलाल सैनी : बताता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री व्यासजी आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह उनकी जानकारी नहीं है फिर क्यों बात कर रहे हैं।

श्री मदनलाल सैनी : ग्राटिकल 370 की संविधान में व्याख्या की गई है ग्रौर ग्राप वकील हैं। मैं समझता हूं कि ग्रापको पढ़ाऊंगा तो यह ग्रच्छा नहीं लगेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रभी जनता दल के मानननीय सदस्य कह रहे थे ग्रौर भारतीय जनता पार्टी के विषय में चर्चा कर रहे थे। ग्रब भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। उसने एक नीति तय की है उस पर हम चलते हैं लेकिन यहां किसकी नीति, कौन मानता है, कितने दल हैं। वी. पी. सिंह का ग्रपना एक दल है, ग्रजीत सिंह का ग्रपना एक दल है ग्रौर बोम्बई साहब का ग्रलग दल है। दूसरी बात यह है कि यहां तो लोग भी जनता दल में हैं, जिनकी ग्रास्था कांग्रेस में है। जनता दल में बैठे हैं इस प्रकार के लोग ग्रौर ग्राज चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्र के प्रति भी प्रतिबद्ध ही नहीं हैं पार्टी के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार के दल के बारे में तो चर्चा करने का उनको कोई ग्रधिकार नहीं है कि जिनका नेता भी दल से निष्कासित हो। उस प्रकार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सारी चीजें हैं।

राम-जन्म भूमि जो है ग्राज इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, इस देश के ग्रस्तित्व का प्रश्न है। एक-एक गरीब ग्रादमी की ग्रात्मा में बसती है। इसलिए राम-जन्म भूमि कोई हमारी पार्टी का मुद्दा नहीं है। इस देश का मुद्दा है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, ग्रार. एस. एस. पर ग्रारोप लगाया गया। ग्रारोप लगाने वालों की यह भी बात सुन लेनी चाहिए····(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्राफ ग्रार्डर। सभापति महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल से इसका क्या मतलब है ? क्या ताल्लुक है, यह क्या बात हुई ? ग्राप यहां पर पोलिटिकल डिबेट कर रहे हैं। ग्रनावश्यक रूप से····

श्री मदनलाल सैनी : ग्राप ग्रारोप लगा रहे हैं तो ग्रारोप सुनने का कष्ट भी करें। माननीय सदस्य।····(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्राप बैठिए। (व्यवधान) ग्रार्डर प्लीज।

श्री मदनलाल सैनी : तारा नगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने····(व्यवधान) ग्रार. एस. एस. के बारे में।···

श्री सुरेन्द्र व्यास : ग्राप व्यवस्था दें माननीय सभापति महोदय।

श्री मदनलाल सैनी : आर. एस. एस. के बारे में जो एक पवित्र संगठन है।....

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, इनका राम निकल गया है।

श्री मदनलाल सैनी : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं आप कहां गए थे 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था, 1965 के आक्रमण के समय कांग्रेस की अपनी पोजिशन तो देखिए, कहां कर रही थी, क्या कर रही थी ? 1971 के समय आप क्या कर रहे थे ? माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यास जी क्या कह रहे हैं एक मिनट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, अगर कोई पालिटिकल बात उधर से होती है, उसको काउन्टर करते हैं, हाउस के टेम्पर्स हाई होते हैं तो बात अलग है। अब माननीय सदस्य आवश्यक रूप से पालिटिकल बात यहां ले आये, राम-जन्म भूमि यहां पर ले आये। एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो रही है। इधर से कोई बात कही नहीं गई, लगातार माननीय सदस्य बोल रहे हैं। इसकी क्या रिलेवेंसी है ? चेयर परमिट करेगी इस तरह की डिबेट। सदन का बहुमूल्य समय आपने बढ़ाया है। राम-जन्म भूमि को ले आये यहां पर।

श्री कालीचरण सराफ : कौन सी बहस पर कौन-कौन से मुद्दे लिए गए यहां पर आप पता नहीं कहां गए हुए थे माननीय सदस्य।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को बदल रहा हूं।

आर. एस. एस. की बात खड़ी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं। आर. एस. एस. राष्ट्र भक्त लोगों का टोला है जिसने मोरवी के बांध के समय अपनी जी जान लगा दी और अपने प्राणों को संकट में डाल कर सेवा की। कहां गए थे वह लोग जो आज सवाल खड़ा करते हैं ? आन्ध्र का जब समुद्री तूफान आया था उस समय कहां गए थे, कहां गए थे जब चाकसू में बाढ़ आई थी और लोग घिर गए थे। वहां पर मरे हुए जानवरों को घसीट कर, खड्डे खोद कर बीमारी से लोग मर नहीं जायं इसके लिए खड्डों में गाड़ने वाले हम लोग थे, जिन्होंने जानवरों को घसीट कर बीमारी से बचाने के लिए वह काम किया था। आर. एस. एस. राष्ट्र भक्तों का टोला है जो अपने देश से, अपनी धरती से पैदा हुए लोगों से प्यार करता है। वह शब्दों से प्यार नहीं करता, वह भाषणों से प्यार नहीं करता वह मन से प्यार करता है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जब यह कहना चाहते हैं तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नागपुर का आपका युवा कांग्रेस का वह अधिवेशन तो याद करिये। वह अट्टालिकाओं में खड़ी महिलाएं में खड़ी महिलाएं आज भी रो रही हैं गीत गा रही हैं उन लोगों को जिन लोगों ने उनके साथ इस प्रकार के स्थिति पैदा की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नागपुर में आपकी अपनी पार्टी की जमानत जप्त हो गई। कांग्रेस जीत गई। नागपुर में आज तक आप चुनाव नहीं जीते।

श्री मदनलाल सैनी : मैं दूसरी बात और याद दिलाना चाहता हूं मैं बम्बई की उन कहानियों की ओर नहीं ले जाना चाहता, वहां पर रेल्वे स्टेशन पर आपने कितने ठेले लूटे, उन लोगों की चर्चा नहीं करना चाहता, कितनी ट्रेनों में डकैतियां हुई मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता। मैं चर्चा करना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वाभिमान का जहां अवमूल्यन हुआ। देश में दो बार रुपये का अवमूल्यन हुआ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सभापति महोदय, सदन का बहुमूल्य समय नष्ट किया जा रहा है, एक घण्टा जो आपने बढ़ाया है....

श्री सभापति : जिन पालिटिकल इश्यूज की यहां पर चर्चा नहीं हुई है जिनका जवाब देना था वह आपने दे दिया। आप बजट के पाइण्ट पर आ जाएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आप देखिये....

श्री कालीचरण सराफ : उधर से जो आरोप लगाये गये हैं उनका जवाब निश्चित रूप से दिया जायेगा।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, जो आरोप लगे उनका जवाब आपने दे दिया।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सभापति महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल पर ही आ रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आर. एस. एस. के बारे में, आर. एस. एस. की भक्ति के बारे में कहां चर्चा हो रही है। आर. एस. एस. की भक्ति के बारे में किसी को शक नहीं है। आर. एस. एस. की देश भक्ति के बारे में शक किसी को नहीं है। किसी ने उसकी आलोचना नहीं की है। झगड़ा क्या है ? झगड़ा यह जो साम्प्रदायिक द्वेष फैलाते हैं ये, हिन्दू-मुसलमान में नफरत पैदा करते हैं। झगड़ा इस बात को लेकर के है। और इसी बात को लेकर झगड़ा आर.एस.एस. के लोग फैलाते हैं....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सभापति महोदय, यदि आर. एस. एस. के लोग झगड़े फैलाते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सन् 1915–1920 में झगड़े किसने करवाये ?....(व्यवधान)....देश का बंटवारा किसने करवाया ? क्या आर. एस. एस. देश के टुकड़े करवा सकता है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।....(व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।........ (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : जिस आर.एस.एस. ने राष्ट्रपिता + + + (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, पाइण्ट श्राफ श्रार्डर है ।

श्री सभापति : श्रार्डर प्लीज ।

श्री यदुनाथ सिंह + + + :श्राप सर्टिफिकेट दे रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्राप कहिये ।

डा. चन्द्रभान : श्राप सर्टिफिकेट दे रहे हैं ? जिन लोगों ने गांधी जी को मारा । गांधीजी को किसने मारा ? (व्यवधान)....

श्री मदनलाल सैनी : सभापति महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में बात कर रहा था....(व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, श्रान ए पाइण्ट श्राफ श्रार्डर.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह :....(व्यवधान).... गांधीजी को किसने मारा, गांधीजी की हत्या किसने की ? + + + .

श्रीमती तारा भण्डारी :....(व्यवधान) पाइण्ट श्राफ श्रार्डर....

श्री सभापति :....(व्यवधान)....इनका पाइण्ट श्राफ श्रार्डर है....

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, यह काहे पर बोल रहे हैं यह समझ ही नहीं श्रा रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हाउस का यह ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्राप बिराजिये....

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, पाइण्ट श्राफ श्रार्डर । राजाखेड़ा से श्राने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राष्ट्र भक्ति में कोई शक नहीं श्रौर दूसरी तरफ इन्होंने यह बात कही कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ झगड़े फैलाता है । यह कन्ट्रोवर्सी है यह मेरा पाइण्ट श्राफ श्रार्डर....(व्यवधान).... सभापति महोदय, मैं व्यवस्था चाहूंगी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा मतभेद श्रापसे + + +

श्री मदनलाल सैनी : सभापति महोदय, प्रजातन्त्र में मतभेद तो हो सकते हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर श्राजाद : सभापति महोदय, माननीय सिरोही से श्राने वाली सदस्या ने सदन के नेता महोदय के ऊपर कोई टिप्पणी की है । मेरा निवेदन है कि उसे श्राप कार्यवाही से निकलवा दें । श्रापने श्रभी-श्रभी कहा कि धौलपुर से श्राने वाले सदस्य ने यह कहा, वो कहा, माननीय सदस्य तो राजाखेड़ा से श्राते हैं....

श्रीमती तारा भण्डारी : टिप्पणी नहीं की, उन्हीं की बात को दोहराया है....

श्री मोहम्मद माहिर श्राजाद : धौलपुर से तो सदन के नेता श्राते हैं उनके बारे में जो टिप्पणी की है उसको श्राप देखकर के कार्यवाही से निकलवा दीजिये....(व्यवधान)

(5.37 श्रपराह्न)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

+ + + श्रभिव्यक्ति माननीय श्रध्यक्ष के श्रादेशानुसार श्रपलोपित की गई ।

श्रीमती तारा भण्डारी : टिप्पणी नहीं की, यह बात को उलझा रहे हैं, टिप्पणी नहीं की....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तारा जी बिराजिये । प्लीज, प्लीज ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सदन के नेता के ऊपर आक्षेप लगाया है ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया है । मैंने माननीय सदस्य का पूरा भाषण सुना है अभी सेक्रेट्री साहब के चेम्बर में बैठकर और यहां भी । यह विनियोग विधेयक पर और बजट पर एक लाइन नहीं बोल रहे हैं । कहीं से कहीं बोल रहे हैं, आप क्यूं इस सदन का समय जाया करते हैं । आज वैसे ही शनिवार का दिन है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप । माननीय सैनी जी आप अपने भाषण को दो मिनट में पूरा कर लें ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर आप कोई व्यवस्था दें....मैंने जो मुद्दा आपके सामने रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : क्या मुद्दा रखा है ? मेरे सामने कोई मुद्दा नहीं है आपका क्या रखा है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुद्दा बहुत गम्भीर है । उपाध्यक्ष महोदय, आप दुबारा सुन लीजिये । सभापति जी बिराजे हुए थे, मैं यह कहना चाहता हूं अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा, वह कहा, यह आक्षेप सदन के नेता पर लगाया है उसको देख कर के आप सदन की कार्यवाही से निकलवाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : धौलपुर आया है तो धौलपुर हटा दिया जायेगा....(व्यवधान)....

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक कह रहे हैं राजाखेड़ा कर दीजिये....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : धौलपुर एक्सपंज कर दीजिये आप....

श्रीमती तारा भण्डारी : धौलपुर की जगह राजाखेड़ा....(व्यवधान)....

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य, निकलवादिया । क्या इनको कोई अधिकार नहीं है कि यह धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य का विरोध नहीं कर सके । यह परम्परा गलत है क्यों निकाल दिया आपने....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : मैंने अपनी गलती सुधार ली है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब तक यह मुझे ठीक तरह से सुनाई भी नहीं देगा मैं व्यवस्था भी नहीं दे सकता ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तो फिर आप रिजर्व रखिये अपनी व्यवस्था को....

श्री डूंगरराम पंवार : वो धोले नहीं बनना चाहते काले बनना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब आप अपनी बात को पूरा कीजिये जल्दी ।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गलती से धौलपुर बोल गयी हैं । राजाखेड़ा बोलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल तो गयी है रिकार्ड में आ गया ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह स्थान से नहीं बोल रहे हैं । क्या डिसिप्लीन है उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : धौलपुर को एक्सपंज कर दिया है ।

श्री डूगरराम पंवार : राजाखेड़ा कह दो तो क्या बखेड़ा है । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जो यह बोल रहे हैं नोट नहीं किया जाय यह अपने स्थान से बोलें । उपाध्यक्ष महोदय, इनको अपनी जगह पर भेजिये । वह अपनी जगह पर बैठकर बोलें और वहां से बोलें तो नोट नहीं किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो भी बोलना चाहें अपने स्थान से ही बोलें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य मुझे तो उपदेश दे रहे थे और खुद कहां से खड़े होकर बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब उनको कह दिया गया है कि अपनी जगह से बोलें । माननीय सैनी साहब अब ओवर करो आप । दो वक्ता और हैं हमारे सामने उनकी बात भी सुनेंगे ।

श्री मदनलाल सैनी : मैं बजट पर ही बोल रहा था । जो हमारी सीनियर माननीय सदस्यों से लाइन से हटकर छेड़छाड़ की थी मैं समझता हूं मैंने तो उस भाषा का प्रयोग नहीं किया और मैंने अपने भाषण में ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सैनीजी कानों में छेद जरूर कर दिये आपने सब के ।

श्री मदनलाल सैनी : मैंने तो अपने कथन में पूरी सावधानी रखी थी कि किसी को कोई अपमानजनक न लगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अब कनक्लुड कीजिये आप, बहुत कह दिया आपने ।

श्री मदनलाल सैनी : मैं कर रहा हूं । माननीय फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इस बजट में कोई नयी नीति नहीं है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नयी नीति नहीं है तो यह पुरानी नीति से हटकर बात चल रही है, तो वह नयी नीति ही मानी जायेगी और नयी नीति अभी चल रही है, अभी रूकी नहीं है । मैं कृषि के क्षेत्र में आपके सामने रखना चाहता हूं कि जल ग्रहण विकास निदेशालय की स्थापना तिलम् संघ की स्थापना यह एक नयी व्यवस्था है कि जल का पूरा का पूरा उपयोग हो, एक तिलम् संघ की स्थापना किसान जो सस्ते भाव में तिल बेचने को तैयार हो जाता है, उसको सरकार खरीदेगी । 250 करोड़ रुपये का तिल खरीदेगी ताकि किसान को पूरा भाव मिल सके इस नयी व्यवस्था की ओर आ रहे हैं । अभी तो आप देखिये यह तो शुरूआत है । अभी अन्त नहीं है । आप देखेंगे

(श्री मदनलाल सैनी)

मान्यवर, कि फल लगाने के लिए व्यवस्था लग रही है और बारानी खेती अधिक से अधिक हो, इसके लिए भी व्यवस्था बनायी जा रही है। सामूहिक नलकूप योजना बनाई जा रही है। तिलम इस बार प्रान्त में 28 लाख टन तिल हुआ। 82 लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है यह मामला बढ़ रहा है और वह इसलिए बढ़ रहा है कि पानी का पूरा का पूरा उपयोग हम लोग कर सकें इस प्रकार की जो योजना बनाई। जो सुप्त योजना बनायी उसके कारण से यह सारा बढ़ रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय और भी आगे बढ़ने की योजना बन रही है। जैसे केन्द्र सरकार ने जो प्राकृतिक आपदा में हम को पूरा पैसा दिया जाना चाहिये वह नहीं देने के कारण से जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप नहीं दिये जाने के कारण से किसानों के भले के लिये कृषि उपज मण्डी का शुल्क जो था वह एक ही स्थान पर लगेगा और गरीब कृषि उपज मण्डी भी खड़ी हो सके। इसलिए जिला विकास, मण्डी विकास कोष की स्थापना की गयी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यही नहीं यह भी हुआ है कि कुछ बातें ऐसी हैं, वह भी मैं कहना चाहता हूं जिनको शासन में विचार करना पड़ेगा।

शिक्षा नीति में आज अध्यापक ट्यूशन कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी इन ट्यूशनों पर रोक लगानी चाहिए। प्रेरित करते हैं विद्यार्थियों को कि वह ट्यूशन करें, स्कूलों में जाकर जो हमारी महिला अध्यापिकाएं हैं वह स्वेटर बुनती हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाने की ओर उनका ध्यान नहीं रहता उनका ध्यान स्वेटर में रहता है। इस बात को भी रोकना चाहिए और इसलिए यह कहना चाहूंगा झुन्झुनूं जिला एक मात्र इस प्रकार का जिला है जहां पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है। राजकीय महाविद्यालय उदयपुरवाटी में चालू करना चाहिये। एक महाविद्यालय जो खुलने वाला है वह खुलना चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा यही नहीं ए. डी. एम. का कार्यालय झुन्झुनूं जिले में नहीं है वह भी खुलना चाहिए। ए.सी.एम. का कार्यालय उदयपुरवाटी में खुलना चाहिए। ए. सी. पी. का कार्यालय भी झुन्झुनूं में नहीं है, वह भी वहां पर खुलना चाहिए। डी.वाई. एस. पी. का कार्यालय खुलना चाहिए। चिड़ावा में एक और कार्यालय खुलना चाहिये और वहां पर 30 और 31 प्रकार के जो मुकदमें हैं। जो चुनाव से मुकदमें हैं उसमें जो प्रभाव का दुरुपयोग हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिये। वास्तविकता क्या है? 41, 42, 43, 44 यह जो मुकदमें चल रहे हैं। 1991 के मुकदमें हैं, इनकी एफ. आई. आर को चैक करना चाहिये। निहित स्वार्थी लोगों ने पैदा की है। नानगराम नाम का एक नवलगढ़ी का नवलगढ़ में मर्डर हुआ। यहां से जानकारी मांगी गयी तो कह दिया कि इस नाम का यहां पर गांव ही नहीं है। इस प्रकार की + + + जो रिपोर्ट है, जो सरकार के पास आयी है उस पर मेरा आरोप है कि जो वहां के

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदनलाल सैनी)

पुलिस अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी हैं वह इसमें फंसे हुए हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की जरूरत है।

न्यूनतम वेतन मजदूरों का बढ़े इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। जिला श्रम कल्याण अधिकारी, झुन्झुनू में एक नयी पोस्ट होनी चाहिए। झुन्झुनू में एक खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट जहां पर 10 हजार मजदूर काम करते हैं और भी वहां पर हैं। वहां भी लाभ होगा।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि हड़तालों में कितनी कमी आयी है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1986 से 1990 तक हड़तालें हुई 582 दिन और नई सरकार आने के बाद केवल 42 दिन राजस्थान में और उपक्रमों में हड़तालें हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी जी बैठिये। जोगेश्वरजी गर्ग।

श्री मदनलाल सैनी : कोपर प्रोजेक्ट को (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : खेती के बारे में जो किसानों की जमीनें ली जाती है और वह अवाप्त कर ली जाती है. वह योजना के हिसाब से ली जानी चाहिए जो आवास के लिए ली जाती है उसमें ऊपर मकान बनाने चाहिए, बहुमंजिल बनने चाहिए (व्यवधान) आबकारी में लोहरमंज में दारू की दुकान का लाइसेंस दिया जाता है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप ओवर तो करते नहीं हो आप तो फैक्ट्स ही फैक्ट्स बताते जा रहे हो, बिराजिये आप। (व्यवधान) अब बिराजो आप। माननीय सैनी साहब प्लीज, बिराजो।

श्री जोगेश्वरजी गर्ग।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री जोगेश्वरजी गर्ग।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए आप हमारा जो स्टाफ बैठा है शोर्टहेण्ड वाला अगर इतनी तेज बोलेंगे तो ये लिखेंगे कैसे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह डिफिकल्टी है पर वह तो बड़े ट्रेण्ड है उनकी स्पीड पहले ही ऐसे चेक की जाती है कि....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे उनके कष्ट का ध्यान है मान लीजिए 100 पर है यह 150 मीटर्स की रफ्तार से बोल रहे हैं यह परमिट की रफ्तार से....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी चिन्ता स्वभाविक है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनका भी ध्यान रखना चाहिए अपने को। यह अपने लिये लाभदायक ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गर्ग साहब जल्दी शुरू करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अन्यों का भी ख्याल करिये आप केवल लिखने वालों का ख्याल कर रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक 1991-92 पर....

श्री उपाध्यक्ष : यह गाड़ी तो फ्रंटीयर मेल है यह तो चलेगी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बहस की शुरूआत करते हुये जो वरिष्ठतम सदस्य हैं इन्होंने जिस लाइन पर बहस की शुरूआत की जिन मुद्दों को यहां छेड़ा दुर्भाग्य से सारी की सारी बहस बजट से हटकर दूसरे मुद्दों पर चली गई। ऐसे वरिष्ठ सदस्य से इस तरह से मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की अपेक्षा कम से कम हम जैसे नये लोगों को नहीं थी। मैं कोशिश करता हूं कि शुद्ध रूप से बजट पर ही बोलने की कोशिश करूं निश्चित रूप से अच्छा ही होगा....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया 10 मिनिट है, रोक टोक नहीं करें।

श्री टीकमचन्द कान्त : उनको 6 बजे तक बोलने दो।

श्री जोगेश्वर गर्ग : फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिनकी उम्र मेरी उम्र से कम से कम दुगनी होगी बहुत ही अच्छे सुझाव हमको दिये इन्होंने विकास का खाता खींचा 50 साल पहले का राजस्थान और आज का राजस्थान। मैं उनकी बात से अपनी सहमति प्रकट करते हुये यह बात कहना चाहता हूं कि जब उनका दावा है कि राजस्थान में उनकी पार्टी के नेतृत्व में इतना जबरदस्त विकास किया है तो फिर आज भी उनको इस तरह के सुझाव देने की आवश्यकता प्रतीत होती है आज भी उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि विकास ग्रामोन्मुखी होना चाहिए हमारी ग्रामीण सभ्यता के अनुकूल विकास होना चाहिए हमारी पुरानी परम्पराओं के अनुरूप विकास होना चाहिए। यह सुझाव उन्हें आज भी देना पड़ रहा है। यह अपने आप में सिद्ध करता है कि उनकी पार्टी में इस विषय में काम नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो सालों में जो काम हुये हैं उनके बारे में मुझसे पूर्व अनेक वक्ताओं ने विस्तार से वर्णन किया। बिजली की जब बात आई थी अच्छी सप्लाई हुई उस पर बोलते हुये पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि 20 लाख यूनिट्स कल्याणसिंहजी ने दिलवा दी इसलिए सप्लाई सम्भव हो गई अब करके दिखाना हम देखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय मुझे सन्देह होता है, मुझे आशंका है यह जो 20 लाख यूनिट राजस्थान सरकार को राजस्थान राज्य को पिछली बार मिल गई थी माननीय सदस्या ने जिस टोन में और जिन शब्दों में यह बात कही है मुझे लगता है कि वह और उनके सहयोगी दल के लोग जो सामने बैठे हैं और केन्द्र में जिनकी सरकार है वह लोग साजिश करके अगली बार राजस्थान को अपने हक से वंचित रखना चाहते हैं। ताकि इस प्रकार की व्यवस्था....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप और आपके मुख्य मंत्रीजी किस खेत की मूली हो।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सदस्या ने, राजस्थान सरकार ने जो काम किये विशेष कर हमारे जालौर जिले में पश्चिमी राजस्थान में गई साल जो बाढ़ आई थी सारे पांचों जिलों की सड़कें तहस नहस हो गई थी बिखर गई थी एकदम। चार पांच महीने के छोटे से कार्यकाल में इन सारी सड़कों को ठीक करके खड़ा कर दिया वहां पर और जो बाढ़ के कारण नदियों ने जो नये रास्ते पकड़ लिये थे, जो गांव खतरे की जड़ में पहले कभी नहीं थे लेकिन इस बाढ़ के कारण से नये खतरे की सीमा में आ गये थे उन सब गांवों में बाढ़ बचाव के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये साल में। कई गावों में मेरे जिले में ऐसे काम हुये हैं शेष जो है उनमें काम चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ही वह सारे गांव बाढ़ से सुरक्षित हो सकेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं विनियोग विधेयक पर बोलते समय एक मेरे जिले की मुख्य समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा जिला उद्योग के मामले में एक प्रकार से शून्य है पिछले 10 सालों में वहां एक उद्योग पनपा है मुश्किल से और वह है ग्रेनाइट उद्योग। जालौर में जो पहाड़ हैं उसका नाम स्वर्णगिरी है। बचपन में हम सोचा करते थे कि इसे स्वर्णगिरी क्यों कहते हैं लेकिन पिछले 10 सालों में हमको समझ में आया जब ग्रेनाइट की खानें निकली ग्रेनाइट जो पहाड़ हैं यह स्वर्ण की खान है: ग्रेनाइट वहां सोने के रूप में, काला सोना, ग्रेनाइट पत्थर के रूप में हमको सोना मिला है इस ग्रेनाइट को पनपाया जाय तो जालोर जिला चमन बन सकता है। उस दृष्टि से वहां आज की तारीख में 200 यूनिट काम कर रही हैं ग्रेनाइट की फैक्ट्रियां उल्लेनीय हैं उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में जहां एक हजार यूनिट हैं उनके मुकाबले में अकेले जालौर में दो सौ यूनिट काम कर रही हैं पूरा राजस्थान साल भर में 6 करोड़ का माल तैयार करता है उसके मुकाबले में अकेला जालौर जिला एक करोड़ का माल तैयार करता है। वहां से पचास लाख रुपये की टाइल्स और 50 लाख रुपये का ब्लैक हर साल एक्सपोर्ट होते हैं। ग्रेनाइट की मशीनें जो हैं, ग्रेनाइट कटिंग की मशीनें वह जालौर में तैयार होती हैं, स्थानीय मिस्त्री तैयार करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल, एक्सपोर्ट क्वालिटी की मशीनें, जहां तैयार होती हैं उस जालौर में ग्रेनाइट की स्थिति आज की तारीख में कमजोर हो रही है दयनीय हो रही है। कारण है उपाध्यक्ष महोदय, जो नीतियां हैं हमारी बनी हुई हैं पिछले सालों में उनमें कुछ गड़बड़ रही। जो नीतिया बनाई गई ग्रेनाइट के बारे में वह निर्धारित करते समय ग्रेनाइट के लोगों से बिल्कुल सम्पर्क नहीं किया गया, उनसे बिल्कुल विचार विमर्श नहीं किया गया। जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे थे उनको पूछा तक नहीं गया और आफिसरों की मन मर्जी से एयर कण्डीशन आफीसेज में बैठकर उन्होंने जो नीतियां फाइनल कर दी उनके कारण आज ग्रेनाइट उद्योग मरणासन्न होता जा रहा

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

है। जो 200 इकाइयां मैंने बताई उपाध्यक्ष महोदय, उन दो सौ में से आज की तारीख में मुश्किल से सौ इकाइयां वास्तव में काम कर रही हैं बाकी इकाइयां बन्द होने पर आ गई हैं। जो तकलीफ हो रही है उसमें सबसे बड़ा जो कारण है टैक्स का। राजस्थान एक मात्र ऐसा प्रान्त है जिसमें ग्रेनाइट पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता है और नियमानुसार जितना आर. एस. टी. होता है उतना ही सेन्ट्रल का भी लगता है। और इसलिए राजस्थान में बना हुआ माल जब भी बाहर जाता है दूसरे प्रान्तों में तो इन पर केन्द्र का टैक्स भी 15 प्रतिशत लगता है जबकि बाकी प्रान्तों में किसी भी प्रान्त में 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। कई सारे प्रान्त ऐसे हैं जिनमें पांच या छः प्रतिशत ही है उनके मुकाबले में हमारा माल बहुत मंहगा पड़ता है, तीन गुना ज्यादा टैक्स लगने के कारण उनके मुकाबले टिक नहीं पाता है हालांकि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे कलर्स, जो रंग है वह बहुत आकर्षक है लेकिन उसके बावजूद इतना अधिक टैक्स लगने के कारण वह वहां कम्पीटीशन में टिक नहीं पाते हैं। मैं लगातार पिछले दो सालों से निवेदन कर रहा हूं, जब से मैं जालौर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वित्त विभाग से, उद्योग विभाग से कि ग्रेनाइट के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और टैक्स कम करें इतना कम करें कि दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हम खड़े रह सकें। दूसरा मामला है, जो नुकसान होता है वह खान विभाग की नीति के कारण नुकसान हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जालौर जिले में 80 खानें काम कर रही हैं। उन खानों में से हर साल 15 हजार टन माल निकलता है। उस 15,000 टन में 4000 टन ब्लाक्स होते हैं जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं। शेष 11,000 टन जो छोटे खण्ड होते हैं, जिनसे टाइल्स बनती हैं। 5-6 महीने पहले अपने प्रान्त में नई खान नीति लागू की गई थी उस नई खान नीति के कारण वो नीति लागू करने से पहले 400 आवेदन पत्र खान आवंटित करने के लिए लगे हुए थे पद्धति यह थी कि व्यक्ति खुद जाय, अपनी खान ढूंढ लें, जहां अच्छा माल है ढूंढ़, ले पसन्द करे और उस क्षेत्र के लिए आकर आवेदन पत्र लगा दें। कालान्तर में उसको वही क्षेत्र अलाट हो जाता था, आवंटित हो जाता था और वो उसमें अपना काम कर सकता था। अचानक नीति बदली गई, पता नहीं क्यों बदली गई। कुछ अफसरो के सुझाव पर कुछ अफसरों को लाभ देने के लिए क्योंकि कुछ अफसर खानें लेना चाहते थे उनके आवेदन पत्र प्रायोरिटी में बहुत पीछे थे. उनको आगे लाने के लिए कुछ तरीका निकालना चाहिये था और इसलिए उन्होंने जो सुझाव दिया, उसके अनुसार जो नई नीति बनी है उसमें मशीनीकरण बहुत जरूरी कर दिया। (व्यवधान) मंत्री महोदय, आप जवाब किये दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने ग्रेनाइट वालों के साथ कौनसी मीटिंग की है?

श्री उपाध्यक्ष: आप बिराज जाइये, ना। इसमें नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग: आप किसको जवाब दे रहे है....

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन डिमान्ड थी उस दिन सारे जवाब दे दिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : किसको जवाब दे रहे हैं? ग्रेनाइट के उद्यमियों के साथ मेहरबानी करके उनके साथ बैठकर उनकी बात सुनिये, उनकी समस्याएं सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : वो बोलेंगे। वो बोलेंगे। उनको बोलने दो। हां गर्ग साहब, बोलिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, मशीनों को आवश्यक किया गया है, कम्प्रेशर और क्रेन। कम्प्रेशर ढाई लाख से ज्यादा का आता है, क्रेन डेढ लाख से ज्यादा की आती है। कोई भी छोटा आदमी इस काम को करना चाहे, खनन के काम को करना चाहे वो खरीद नहीं सकता। किराये पर लाना चाहेगा तो इसमें ये सारे एक साथ किराये पर नहीं मिलेंगे। नतीजा यह होगा कि छोटे आदमियों को खाने नहीं मिल पायेंगी और छोटे आदमी खनन नहीं कर पायेंगे। जो करोड़पति लोग हैं, उन्हीं को सारी खानें जायेंगी।

दूसरा, अभी जो वहां का सिस्टम है, पिछले 10 साल से जो काम चल रहा है वहां पर उसमें कम्प्रेशर और क्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना कम्प्रेशर के ही वहां के लोगों ने वहां जो टेकनीक डवलप की हैं वह बहुत सक्सेसफुल जा रही बढिया से बढिया ब्लाक्स निकल रहे हैं, बड़ी-बड़ी साइज के ब्लाकें निकल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां जो बड़े से बड़ा ब्लाक निकलता है वह 8-10 फीट लम्बा, 3-4 फीट ऊंचा और 3-4 फीट चौड़ा, इतने बड़े 15-15 टन वजन के एक-एक ब्लाक निकल रहे हैं। उसमें कहीं कम्प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं क्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे लोगों ने अपना स्थानीय सिस्टम डवलप किया है उसके आधार पर वो बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं तो इसमें नई नीति लगाने की आवश्यकता कहां पड़ी, मुझे तो समझ नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो रायल्टी लगती है, मैंने गत साल रॉयल्टी कम करने लिए निवेदन किया था, सरकार ने उसको माना, मंत्री महोदय ने उसको स्वीकार किया रायल्टी कर दी। रायल्टी कम तो की, वो एक फुट गुणी दो फुट इससे छोटों के ऊपर लागू की। एक बाई दो की टाइल, मात्र इसके ऊपर छूट दी इन्होंने, उसके ऊपर छूट नहीं दी। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी साइज होते ही सीधा 75 रुपये प्रति टन की रायल्टी लगती है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं एक फुट गुणा दो फुट की टाइल निकालने के लिए कम से कम सवा फुट गुणा सवा दो फीट का खंडा लेना पड़ेगा। उस खंडे पर 75 रुपये रायल्टी लगेगी तो फिर छूट कहां मिली। टाइल्स वालो को तो छूट नहीं मिली। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस साइज को थोड़ा बड़ा किया जाय, रिलेक्स किया जाय और इरायल्टी की रेट को और कम करने की जरूरत है। हमारे पड़ौस में जो गुजरात राज्य है वहां पर साढे सात रुपये प्रति टन रायल्टी लगती है। हम 75 रुपये टन रायल्टी दे रहे हैं। इससे हमारे उद्योगों को कहां बढ़ावा मिलेगा। कहां हमारे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आता।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इसके अलावा इसमें केन्द्रीय सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं। अभी आर. एफ. सी. के द्वारा जो लोन मिलते थे, उसमें ब्याज दर को रिवाइज किया गया। पहले सिर्फ साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज लगता था। अब वो 19 प्रतिशत कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग छोटे-छोटे उद्यमी हैं, मामूली सी रकम उनके जेब से होती है, बाकी रकम आर. एफ. सी. से लोन लेकर काम करते हैं। उस पर 19 प्रतिशत ब्याज यदि भरेंगे तो कमा कर वो क्या खायेंगे ? इसके साथ जो सब्सिडी मिलती थी 20 प्रतिशत की, वो भी बंद कर दी गई है। इस प्रकार इस नीति से भी ग्रेनाइट को बहुत नुकसान हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने अपने बजट में 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क और लगा दिया है। मतलब गरीबी में आटा गीला। पहले ही ग्रेनाइट पर बहुत सारे टैक्स लगे हुए थे, पहले ही ग्रेनाइट बहुत दबा हुआ था और उस पर 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क और लगा दिया गया। हम निर्यात करते हैं तो कुछ देश को लाकर ही देते हैं, विदेशी मुद्रा लाकर देते हैं, दुनिया भर में ग्रेनाइट जाता है। उसको प्रोत्साहित करने की बजाय, उसको छूट देने की बजाय केन्द्र सरकार ने 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क और लागू कर दिया जिसके कारण ग्रेनाइट की ये सारी फैक्ट्रियां आज समाप्त होने पर आ रही हैं। और जो लेटेस्ट डवलपमेंट हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो अरावली वन विकास योजना लागू हो रही है। जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं। अरावली वन विकास योजना में जब जालौर जिले को शामिल करने की बात आई तो यह कहा गया कि जालौर की पहाड़ियां अरावली में नहीं आती हैं लेकिन जब अरावली की पहाड़ियां में खनन कार्य बंद करने का निर्णय लिया गया उपाध्यक्ष महोदय, तो उस निर्णय में जालौर की पहाड़ियों को शामिलकिया गया। ये दोहरी नीति, जहां जालौर की पहाड़ियों को अरावली में गिनकर लाभ मिलना चाहिये था, वहां उनको अरावली में नहीं गिना गया और जहां अरावली में गिनने से उसे फायदा हो रहा था वहां नहीं गिना और जहां नुकसान हो रहा था वहां गिना उसको। अरावली की पहाड़ियां जो जालौर जिले में हैं उनके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई खनन कार्य नहीं हो सकता, यह आदेश अभी-अभी वहां पहुंचा है और इसके कारण जिले में जो 80 खानें थीं वो सारी उस सीमा में आ गई हैं, उनमें खनन कार्य रुकेगा और मान लीजिये पुरानों में नहीं रुका तो नई खानें तो जालौर में एक भी अलॉट नहीं हो सकती, वो 200 फैक्ट्रियां किसके बलबूते पर चलेंगी, मुझे समझ नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ग्रेनाइट की सारी प्रक्रिया पर, ग्रेनाइट के विकास पर पुनर्विचार किया जाय और जैसाकि पिछली बार 1978,79 एवं 80 में जब हमारी सरकार थी उस समय एक विचार आया था कि जालौर में ग्रेनाइट कम्प्लेक्स डवलप किया जायेगा,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उस विचार को पुनर्जीवित किया जाय, उस विचार को आगे बढ़ाया जाय और जालौर में ग्रेनाइट कम्प्लेक्स डवलप करने की दिशा में शीघ्र विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इन फैक्ट्रियों के लिए केरोसीन बहुत आवश्यक होता है। ग्रेनाइट काटने के समय उस मशीन के अन्दर केरोसीन काम आता है। केरोसीन काम में लेने से उसकी कटाई बहुत ...दी होती ... अच्छी होती है। पानी वहां काम नहीं आता है। लेकिन जालौर को केरोसीन नहीं मिलता है। इण्डिस्ट्रियल कोटे में केवल ...000 केन का कोटा आवंटित है, उसके बदले में 600-700 केन ही मिलता है ...वकि वहां की डिमान्ड 2000 केन की है। ...क में हमको खरीदना पड़ता है, मजबूरी क्योंकि उनको....

श्री टीकमचंद कांत : उपाध्यक्ष महोदय, ... मेरा आज का नाम था। आप मुझे ... मौका दे दें। मुझे कल मौका देवें। आज का मौका तो खत्म हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : वो तो आप पहले ही ... चुके हैं कि मैं नहीं बोलूंगा।

श्री टीकमचंद कांत : हमने ऐसा नहीं ...।

श्री उपाध्यक्ष : अब उनसे कह दीजिये ...क जी से, मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री टीकमचंद कांत : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कहा साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के सचेतक जी से कहिये कल मिल जायेगी टाइम....

एक माननीय सदस्य : कल का देना टाइम। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं....

श्री उपाध्यक्ष : हां कल ही मिलेगा। कल ही ले रहे हो न।

श्री टीमकचंद कांत : कल का मतलब परसों।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गर्ग साहब पूरा कीजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण समाप्त कीजिये। माननीय गर्ग साहब बिराजिये आप बिराज जाइये। बैठिये आप।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 1992 की प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.00 बजे दिनांक 30 मार्च, 1992 के पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई)